दशम माला, खण्ड 29, अंक 20

सोमवार, 18 अप्रैल 1994
28 चैत्र, 1916 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

नवां - सत्र
(दसवीं लोक सभा)

(खंड 29 में अंक 1 से 20 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

18 अप्रैल, 1994 के लोक सभा वाद-विवाद
के हिन्दी संस्करण का शुद्धि - पत्र

पृष्ठ	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िए
44	12	(च) और (ङ)	(घ) और (ङ)
44	19	श्री शिवलाल नागजी भाई के पश्चात्	"वेकारिया" पढ़िए
84	3	संचार राज्य मंत्री	संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री
111	नीचे से 6	श्री शान्ताराम पोतदु:खे	श्री शान्ताराम पोतदुखे
114	16	श्री ए. वेंकटेश नायय	श्री ए. वेंकटेश नायक
130, 160	1, 3	विदेश मंत्रालय के राज्य मंत्री	विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री
137	9	डा. डी. वेंकटेश्वर राव	श्री डी. वेंकटेश्वर राव
138	1	श्री सरोपान भगवान थौरात	श्री संदोपान भगवान थौरात
154	3	(ख)	(ख) और (ग)
156	नीचे से 8	मेजर डी.डी.खनैरिया	मेजर डी.डी.खनौरिया
158	8 के पश्चात्	(घ) क्या बदरपुर नदी टर्मिनल पर कार्य शुरू हो गया है;	पढ़िए ।
158	10	(घ) के स्थान पर	(ङ) पढ़िए ।
113	नीचे से 6	डा. अमृतलाल कालिदास के पश्चात्	"पटेल" पढ़िए ।
192	3	श्री चिन्मयानन्द स्वामी	श्री चिन्मयानन्द स्वामी
244	11	विदेश राज्य मंत्री	विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री

विषय-सूची

दशम माला, खंड 29, नवां सत्र, 1994, 1915-1916 (शक)

अंक 20, सोमवार, 18 अप्रैल, 1994, चैत्र, 28, 1916 (शक)

विषय		पृष्ठ
निधन संबंधी उल्लेख		
श्री पी.वी.नरसिंह राव		2
श्री अटलबिहारी बाजपेयी		2
श्री राम विलास पासवान		3
श्री सोमनाथ चटर्जी		4
श्री इन्द्रजीत गुप्त		4
चित्त बसु		5
श्री पी.जी. नारायणन		5
श्री ई. अहमद		6
श्री राम सागर		6
प्रश्नों के लिखित उत्तर		
तारांकित प्रश्न संख्या	321-340	6-46
अतारांकित प्रश्न संख्या	3576 से 3578,	46-249
	3580 से 3604	
	3606 से 3686,	
	3688 से 3812,	

* किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस ही सदस्य ने पूछा था।

लोक सभा

सोमवार, 18 अप्रैल, 1994 /चैत्र 28, 1916 (शक)

लोक सभा 11 बजे म. पू. पर समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

[अनुवाद]

निधन संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, मुझे बहुत दुख के साथ आपको हमारे सहयोगी श्री ताराचन्द खण्डेलवाल और भूतपूर्व सहयोगी श्रीमती रेनू चक्रवर्ती के निधन की सूचना देनी है।

श्री खण्डेलवाल ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के चांदनी चौक निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

एक सक्रिय सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में श्री खण्डेलवाल बहुत लम्बे समय तक दिल्ली में सार्वजनिक जीवन से जुड़े रहे। उन्होंने सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षिक संगठनों में अनेक पदों पर कार्य किया। वह रोटेरी क्लब आफ दिल्ली नार्थ के भूतपूर्व अध्यक्ष थे और वह दिल्ली सिटीजन कांउसिल के महासचिव भी रहे। वह संगीत कला विहार, दिल्ली के भूतपूर्व अध्यक्ष थे।

उन्होंने दलितों के उत्थान के लिए बहुत काम किया। जन सेवा में उनके योगदान और सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन को समृद्ध बनाने के लिए उनके कार्यों को दिल्ली वासी गौरव के साथ याद रखेंगे।

उन्होंने देश–विदेश की यात्रा की थी, वह 1966 में श्री लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा भेंट करने के लिए ताशकंद गए प्रतिनिधि मण्डल के भी सदस्य थे।

एक सक्रिय संसदविद के रूप में उन्होंने सदन में वाद–विवाद में बहुत योगदान दिया।

श्री तारा चन्द खण्डेलवाल का 66 वर्ष की आयु में 15 अप्रैल, 1994 को दिल्ली में निधन हो गया।

श्रीमती रेनू चक्रवर्ती 1952 से 1967 तक पहली दूसरी और तीसरी लोकसभा की सदस्या थी। उन्होंने पश्चिम बंगाल के बसीरहाट और बैरकपुर निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व किया था।

पेशे से प्रवक्ता श्रीमती चक्रवर्ती एक प्रसिद्ध राजनीतिक कार्यकर्ता और प्रसिद्ध मजदूर संघ नेता थीं। वह जिस भी विषय पर बोली उस विषय पर उनके गूढ़ ज्ञान ने उन्हें अग्रणी सांसद विदों की श्रेणी में ला खड़ा कर दिया। संसद में उनकी बात हमेशा बहुत ध्यान से और पूरी खामोशी के साथ सुनी जाती थी।

एक सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने देश में महिलाओं की भलाई और उत्थान के लिए अथक कार्य किया। महिलाओं की उन्नति के अपने प्रयास में उन्होंने नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वोमेन और पश्चिम बंगाल महिला आत्म रक्षा समिति जैसे अनेक संगठनों में सक्रिय रूप से भाग लिया। अपने इस महान कार्य के लिए जेल की सजा भी भुगतनी पड़ी।

श्रीमती चक्रवर्ती का 76 वर्ष की आयु में कलकत्ता में निधन हो गया।

हम इन मित्रों के निधन पर गहरी संवेदना प्रकट करते हैं और मुझे विश्वास है कि सभा शोक संतप्त परिवारों को सांत्वना देने को मेरे साथ है।

प्रधान मंत्री (श्री पी. वी. नरसिंह राव) : अध्यक्ष महोदय, श्री ताराचन्द खण्डेवाल के निधन से हमने एक ऐसा सहयोगी खो दिया है जिसने अपने मानवीय गुणों से स्वयं को लोकप्रिय बना दिया था और विलक्षण बुद्धि तथा हाजिर–जवाबी से अपने लिए स्थान बना लिया था। वह सार्वजनिक हित के मुद्दों को संसद में उठाने के लिए सक्रिय और सर्तक रहते थे।

श्री खण्डेलवाल एक व्यवसायी थे और साथ ही उनकी सामाजिक तथा लोक कल्याण के कार्यों में गहरी रुचि थी।

उन्होंने खुद को राजधानी में बहुत से शैक्षिक संस्थानों से संबद्ध किया। सभा में वाद–विवाद में श्री खण्डेलवाल का योगदान स्मरणीय होता था। उन्होंने संसदीय कार्यवाहियों को बहुत जल्दी आत्मसात किया और बड़े उत्साह से उनमें भाग लेना शुरू किया। उनके असामयिक निधन का समाचार इस सभा को गहरे दुख और एक बहुत बड़ी क्षति के रूप में प्राप्त हुआ। मैं उनके परिवार के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

इस सभा की भूतपूर्व सदस्या एक समर्पित समाजिक और राजनीतिक नेता तथा संसदविद श्रीमती रेनू चक्रवति के निधन पर भी मैं हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं। मैं उनके परिवार के प्रति विशेष रूप से श्री निखिल चक्रवर्ती और उनके सुपुत्र तथा अन्य लोगों को अपनी हार्दिक संवेदना संप्रेषित करता हूं। हम उन्हें इस सदन में एक बहुत अच्छी संसदविद और एक समर्पित कार्यकर्ता के रूप में याद रखेंगे। धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी बाजपेयी (लखनऊ) : अध्यक्ष महोदय, विश्वास नहीं होता कि ताराचन्द खंडेलवाल हमारे बीच नहीं रहे। कभी कभी लगता है कि जब जीरो ऑवर आएगा तो अपने स्थान से खड़े हो कर वे दिल्ली की समस्याओं की ओर अध्यक्ष महोदय का ध्यान खींचने का प्रयास करेंगे। आज वे हमारे बीच में नहीं हैं। मृत्यु दुःखदायी है, लेकिन आकस्मिक मृत्यु और भी पीड़ा पहुंचाती है। वे अच्छे भले थे, एक मित्र को देखने के लिए अस्पताल गए थे। वहां पर उनकी तबियत खराब हो गई और वे भर्ती हो गए। मित्र तो ठीक हो कर वापिस आ गए, लेकिन तारा चन्द जी अंतिम यात्रा पर निकल गए हैं।

जीवन कितना क्षणभंगुर है, शरीर कितना नश्वर है, बार–बार क्रुर काल हमें यह समझाने की कोशिश करता है।

अध्यक्ष महोदय, जैसा आपने और प्रधान मंत्री जी ने कहा है, तारा चन्द जी के निधन से पुरानी दिल्ली का एक सच्चा और अच्छा प्रतिनिधि उठ गया है। केवल इसलिए नहीं कि वे चांदनी चौक से निर्वाचित हुए थे, लेकिन इसलिए कि वे सचमुच में दिल्ली वाले थे और वे दिल्ली की समस्याओं से, पुरानी दिल्ली के जीवन के अनेक पहलुओं से जुड़े हुए थे। वे राजनीतिक प्राणी नहीं थे, राजनीति में उनका प्रवेश बाद में हुआ। लेकिन सार्वजनिक कामों में वो गहरी रुचि लेते थे। अनेक संगठनों का उन्होंने निर्माण किया, उनमें योगदान दिया, जीवन के अनेक पहलुओं को समृद्ध करने में उन्होंने अपना हिस्सा बंटाया। उनके निधन से दिल्ली के सार्वजनिक जीवन को क्षति हुई है, मेरे दल को भी गहरा आघात लगा है।

आज समाचार पत्रों में पढ़ा कि श्रीमती रेणु चक्रवर्ती भी नहीं रहीं। 1957 में जब मैं पहली बार लोकसभा का सदस्य चुना गया था, तब प्रथम पंक्ति में बैठने वाले सदस्यों में वही थीं। मैं तब नया नया आया था। उनके योगदान से उनके भाषण से, उनकी तर्कपूर्ण पद्धति से, अपने विचारों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता से हम नए सदस्य सीखते थे। कठोर बात को भी किस शालीन ढंग से कहना है, यह उनको आता था। वे हम सब के लिए एक आदर्श थीं। वैचारिक मतभेदों को उन्होंने कभी व्यक्तिगत स्नेह संबंधों में, आदर–सम्मान में बाधा नहीं बनने दिया। बहुत दिन पहले सेंट्रल हाल में मैंने उनको देखा था, आज उनके निधन का दुःखद समाचार मिला। मैं आपके और प्रधानमंत्री जी के शोक संवेदना के साथ अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करना चाहता हूं। हम सब लोग श्रीमती खंडेलवाल को अपनी संवेदना समर्पित करते हैं। श्रीमती चक्रवर्ती के भी दुख में हम लोग सहभागी हैं। आप हमारी भावना शोक संतप्त परिवार तक पहुंचा दें।

श्री रामविलास पासवान (रोसेड़ा) : अध्यक्ष जी, आपने, प्रधानमंत्री जी और नेता विरोधी दल ने जो भावना व्यक्त की है मैं भी अपनी ओर से और अपनी पार्टी जनता दल की ओर से दुख की बेला में इस शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। श्री ताराचंद खंडेलवाल जी हमेशा हम लोगों की बगल में बैठते थे और कभी–कभी जब नोंक–झोंक होती है तो उस समय बड़ा बुरा लगता है लेकिन जब आदमी चला जाता है तो वही नोंक–झोंक कितनी प्यारी लगती है यह हमको आज महसूस हो रहा है। जिस साथी से बराबर हम लोग नोंक–झोंक कर लिया करते थे आज वहीं नोंक–झोंक करने वाला साथी भी हमारे बीच में नहीं रहा और यही इस क्रूर प्रकृति का जो नियम है वह चल रहा है। आज ताराचंद खंडेलवाल जी हमारे बीच में नहीं हैं। अटल बिहारी बाजपेयी जी ने ठीक कहा कि मैं राजनैतिक प्राणी से ज्यादा उनके अंदर दूसरा गुण भी देखता था। जब वे हमसे कभी एकांत में बातचीत करते थे तो कहते थे कि रामविलास जी आप जो बात कहते हैं मैं उससे सहमत हूं। आज वह हमारे बीच में नहीं हैं हम उनके शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती के साथ हम लोगों को काम करने का सुअवसर प्राप्त नहीं हुआ लेकिन हम लोग हमेशा उनका नाम सुनते रहे हैं और जो कुछ लोग अच्छे पार्लियामेंटेरियन हैं उनमें उनका नाम हमेशा रहेगा। मैं अपनी और अपने दल की ओर से शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं अपने दल और अपनी ओर से श्री खण्डेलवाल जो कुछ दिन पहले तक हमारे साथ थे, के निधन पर संवेदना प्रकट करता हूं। वह बहुत ही मिलनसार और मित्रतापूर्ण प्रकृति के व्यक्ति थे। वे जिन बातों में विश्वास रखते थे उनके लिए उन्होंने सच्चे मन से संघर्ष किया। हमें निश्चित रूप से उनकी कमी खलेगी। यह बड़े दुख की बात है कि इस सभा में वह स्थान खाली है जिस पर वह बैठा करते थे। मैं उनके परिवार के सदस्यों के प्रति हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

श्रीमती रेनू चक्रवर्ती एक सच्ची साम्यवादी थीं। उन्होंने बहादुरी और संकल्प के साथ संघर्ष किया और उन्होंने शोषण और दासता से मुक्त समाज की स्थापना के लिए बहुत मुसीबतों का सामना किया। उन्होंने मजदूरों, किसानों और आम लोगों के आन्दोलन का नेतृत्व करने और इस देश में महिलाओं के उत्थान और उद्धार में भी महान भूमिका निभाई। मुझे पश्चिम बंगाल में संयुक्त मोर्चे की सरकार में मंत्री के रूप में उनका महत्वपूर्ण योगदान भी याद है। उन्होंने सहकारिता आन्दोलन को सही दिशा में ले जाने में अपना अत्यधिक प्रभाव छोड़ा ताकि समाज के कमजोर वर्गों की सहकारिता आन्दोलन के माध्यम से उनके लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु संगठित किया जा सके, और एक महत्वपूर्ण हथियार के रूप में इसकी बागडोर आम लोगों और संघर्ष कर रहे लोगों के हाथ में रहे।

उनके निधन से जो शून्य उत्पन्न हो गया है उसका भरपाना बहुत कठिन है और हम उनके निधन पर हार्दिक संवेदना प्रकट करते हैं। मैं अपने दल और अपनी ओर से श्री निखिल चक्रवर्ती और उनके परिवार के सदस्यों के प्रति हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : मैं इस सभा के इन दो सदस्यों के निधन पर उनके परिवार जनों के प्रति अपनी और अपने दल की ओर से संवेदना प्रकट करता हूं।

मुझे व्यक्तिगत रूप से कभी श्री खण्डेलवाल के संसर्ग में आने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ लेकिन मुझे यह बात बहुत अच्छी तरह मालूम है कि जन सेवा के लम्बे रिकार्ड के कारण वह दिल्ली विशेष रूप से पुरानी दिल्ली में बहुत जाने माने व्यक्ति थे। यह इस सदन के बहुत सक्रिय सदस्य थे। निश्चय ही हम उन्हें इस सभा में देखते और सुनते थे और अचानक उनके निधन की खबर सुनकर हमें अत्यधिक दुःख हो रहा है।

श्रीमती रेनू चक्रवर्ती के बारे में मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या कहूं। वह कई वर्षों तक लोक सभा में हमारे दल की उपनेता थी। वह इस सभा के पुराने सदस्यों में से एक थीं। वह बहुत लम्बे समय से एक खतरनाक बीमारी से पीड़ित थी। जिसने अन्ततः उनकी जान ले ली। वह केवल एक उत्कृष्ट सांसद विद ही नहीं थी बल्कि वह जन आन्दोलन की सक्रिय और साहसी नेता थीं। उन्होंने इसके लिए बहुत त्याग भी किया। उन्होंने केवल जेल की सजा ही नहीं काटी बल्कि मुझे याद है कि उन्होंने उस समय पुलिस गिरफ्तारी तक भूमिगत होकर कुछ वर्षों तक कार्य किया था। जब हमारी पार्टी गैर कानूनी थी। वह बहुत साहसी, धैर्यवान एवं अपने आदर्शों के प्रति दृढ़ विश्वासी महिला थीं। यह हमारे आन्दोलन के लिए एक बहुत बड़ी हानि है। मैंने कल उनके निधन के कुछ ही देर बाद कलकत्ता में उनके पति और सुपुत्र से टेलीफ्रोन पर बात की और मैंने उन्हें आश्वस्त

किया कि लोक सभा और संसद इस दुख की घड़ी में उनके साथ है और हम इस दुखद क्षति के लिए अपनी संवेदना प्रकट करते हैं।

श्री चित्त बसु (बारसाट) : प्रधान मंत्री जी, विपक्ष के नेता और इस सभा के अन्य ख्याति प्राप्त नेतागण मैं श्री ताराचन्द खण्डेलवाल और श्रीमती रेनू चक्रवर्ती के निधन पर आप लोगों के साथ अपनी वेदना, शोक और संताप प्रकट करता हूं।

श्री खण्डेलवाल इस सभा के एक कर्मठ सदस्य थे। वह दिल्ली के लोगों की जरूरतों के प्रति बहुत जागरूक और संजीदा थे। उन्होंने अपने कर्तव्यों का बहुत अच्छी तरह से निर्वाह किया और हमें इस सभा में उनकी कमी बहुत खल रही है।

जहां तक श्रीमती रेनू चक्रवर्ती का संबंध है, मुझे उनके निकट संपर्क में आने का सौभाग्य मिला था। वह उत्तरी 24 परगना की प्रतिनिधि थी, जहां का मैं भी रहने वाला हूं।

मुझे उस समय उनके निकट संपर्क में आने का अवसर मिला था जब वह अपनी गोद में एक शिशु को लेकर भूमिगत थीं। मुझे याद है कि पश्चिम बंगाल में पुलिस उस समय उनकी तलाश कर रही थी जब कि काकद्वीप और बड़ा कमलापुर में जोरदार किसान विद्रोह हो रहा था।

महोदय, मैं 1952 में चुनाव अभियान के दौरान उनके निकट संपर्क में आया और तदनन्तर हमें उनके चुनाव अभियान में उनके सहयोगी के रूप में काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अतः वह एक निपुण महिला थीं और उन्होंने विदेशों में उच्च शिक्षा प्राप्त की थी। मुझे बहुत आश्चर्य है कि आधुनिक दृष्टिकोण वाली, आधुनिक जीवनशैली वाली और विदेशों में शिक्षित इतनी निपुण महिला होते हुए भी वह ग्रामीण महिलाओं के साथ आसानी से घुलमिल जाती थी और उनके सुख–दुख में उनके साथ रहते हुए वह हमारे देश की सच्ची साम्यंवादी नेता बनी। हम में से कुछ लोगों को देश के क्रांतिकारी संघर्ष की तरफ इसी पहलू ने आकर्षित किया। महोदय, सहकारिता विभाग में प्रभारी मंत्री के रूप में कार्य करते हुए उन्होंने पश्चिम बंगाल के सहकारिता आंदोलन में बहुत योगदान दिया।

जहां तक इस सभा में उनके कार्य का संबंध है, मैं उन्हें कार्य करते हुए नहीं देख सका क्योंकि मैं उस समय सभा का सदस्य नहीं था जबकि वह इस सभा की सदस्या के बतौर कार्य कर रही थीं। लेकिन जब मैं राज्य सभा का सदस्य बनकर आया तो वह यहां पर थीं और मैंने संसदीय प्रक्रिया पर प्राथमिक प्रशिक्षण उन्हीं से प्राप्त किया था। महोदय, उन दिनों को याद करके मैं अपनी वेदना और संताप प्रकट करता हूं और उन्हें श्राद्धांजली देता हूं तथा उनके सुपुत्र श्री सुमित और उनके प्रति, हमारे देश के प्रसिद्ध पत्रकार श्री निखिल चक्रवर्ती के प्रति हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

श्री पी. जी. नारायणन (गोबिचेट्टिपालयम) : अध्यक्ष महोदय, श्री ताराचन्द खण्डेलवाल के निधन से हमने एक सच्चा और समर्पित संसदविद खो दिया है। श्री ताराचन्द खण्डेवाल ने अपने जीवनकाल में व्यापारियों और समाज के कमजोर वर्गों के लिए संघर्ष किया। अतः श्री खण्डेलवाल द्वारा की गई सेवाएं विशिष्ट सेवाएं हैं और उन्हें याद रखा जाएगा। श्रीमती रेनू चक्रवती का योगदान भी प्रशंसनीय है।

मैं ए. आई. ए. डी. एम. के. की ओर से मैं श्री खण्डेलवाल और श्रीमती रेनू चक्रवर्ती के परिवारों के प्रति मैं हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

श्री ई. अहमद (मंजेरी) : महोदय, मैं अपने दल और अपनी ओर से श्री खण्डेलवाल के आकस्मिक निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूं। काल ने एक मृदु स्वभाव वाले व्यक्ति और एक सक्रिय सदस्य को उठा लिया है।

महोदय, मैं शोक संतप्त परिवार और उनके दल के प्रति हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

महोदय, श्रीमती रेनू चक्रवर्ती के निधन के बारे में मैं इतना ही कह सकता हूं कि मेरा उनसे कोई व्यक्तिगत परिचय नहीं था लेकिन एक प्रसिद्ध संसदविद के रूप में हमने बहुत कुछ सुना है।

महोदय, प्रधान मंत्री जी और अन्य नेताओं द्वारा प्रकट किए गए विचारों से मैं सहमत हूं उनके परिवार, विशेष रूप से श्री निखिल चक्रवर्ती को मेरी हार्दिक संवेदना संप्रेषित की जाएं।

[हिन्दी]

श्री राम सागर (बाराबंकी) : माननीय नेता सदन, माननीय नेता विपक्ष और अन्य दलों के नेताओं ने जो अपने शोक उदगार प्रकट किए हैं मैं अपने को और अपनी समाजवादी पार्टी को उससे सम्बद्ध करता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अनुराध करता हूं कि हमारी संवेदना शोक संतप्त परिवारों तक पहुचाने की कृपा करें।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब सभा दिवंगत आत्माओं के प्रति सम्मान में कुद क्षणों के लिए मौन धारण करेगी।

11.23 म०पू०

तत्पश्चात सदस्यगण कुछ देर तक मौन खड़े रहे

अध्यक्ष महोदय : अब सभा कल अर्थात 19 अप्रैल, 1994 के ग्यारह बजे म०पू० पर पुनः समवेत होने तक के लिए स्थगित होती है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

अमेरिका की सहायक विदेश मंत्री की भारत यात्रा

***321. श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद :**

श्री तारा सिंह :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमेरिका की दक्षिण एशियाई मामलों की सहायक विदेश मंत्री ने हाल ही में भारत की यात्रा की थी,

(ख) यदि हां, तो इस यात्रा का क्या उद्देश्य था ;

(ग) इस यात्रा के दौरान उन्होंने भारत के किन–किन नेताओं और अधिकारियों के साथ बातचीत की तथा इस बातचीत में कौन–कौन से विषयों पर चर्चा की गई ;

(घ) इस यात्रा के क्या परिणाम रहे ;

(ङ) क्या उक्त बातचीत में कश्मीर के संबंध में अमेरिका के दृष्टिकोण और भारत के प्रति पाकिस्तान के रवैये पर चर्चा की गयी थी ;

(च) यदि हां, तो उनके सम्बन्ध में अमेरिका की दक्षिण एशियाई मामलों की सहायक विदेश मंत्री का क्या रवैया रहा ; और

(छ) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.एल. भाटिया) : (क) से (छ) सदन की मेज पर एक विवरण रख दिया गया है।

विवरण

दक्षिण एशिया मामलों संबंधी अमरीकी सहायक विदेश सचिव रोबिन राफेल ने 22 से 26 मार्च, 1994 तक दिल्ली की यात्रा की। उनके सरकारी कार्यक्रम में विदेश, गृह, वाणिज्य, वित्त मंत्रालयों में और प्रधान मंत्री कार्यालय में अधिकारी स्तर की बैठकें शामिल थी। उन्होंने गृह मंत्री श्री एस.बी. चव्हाण से मुलाकात की (जिसके दौरान राज्य मंत्री (आन्तरिक सुरक्षा) श्री राजेश पायलट भी उपस्थित थे) और विदेश राज्य मंत्री श्री आर.एल. भाटिया से भी मुलाकात की।

विदेश मंत्रालय में अपने विचार–विमर्श में अमरीकी सहायक सचिव ने यह बात दोहराई कि उनकी इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य सभी गलतफहमियों को दूर करना और भारत–अमरीकी संबंधों को ठोस आधार प्रदान करना है। सरकार ने भी यही भावना व्यक्त की और इस बात पर बल दिया कि दोनों पक्षों को चाहिए कि वे पारस्परिक संबंधों के सकारात्मक पहलूओं को आगे बढ़ायें और उन क्षेत्रों में, जहां समझबूझ की कमी है नियमित बातचीत के जरिए मतभेदों को दूर करेंगे।

सुरक्षा से सम्बद्ध मसलों पर विचार–विमर्श के दौरान सरकार ने पाकिस्तान को एफ–16 के प्रस्तावित अन्तरण के संबंध में अपनी गम्भीर चिन्ता जताई जिनका अन्तरण उसके नाभिकीय कार्यक्रम को सत्यापनीय तरीके से बन्द करने के बदले में प्रेसलर संशोधन में एक बार छूट देकर करने का प्रस्ताव है। सरकार ने इस बात पर बल दिया कि इससे विश्वास निर्माण और तनाव कम करने के लिए भारत–पाक द्विपक्षीय बातचीत कमजोर हो जाएगी और भारत अपनी रक्षा क्षमताओं का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए बाध्य हो जाएगा।

अमरीकी अधिकारी ने अपनी सरकार का यह दृष्टिकोण दोहराया कि भारत और पाकिस्तान को अनिर्णीत समस्याओं को सुलझाने के लिए अपनी द्विपक्षीय बातचीत जारी रखनी चाहिए जैसा कि शिमला समझौते में बताया गया है। उन्होंने यह बात भी दोहरायी कि अमरीका पाकिस्तान पर इस बात के लिए दबाव डालता रहेगा कि वह भारत में आतंकवाद को अपना समर्थन देना बंद कर दे।

भारत की इस तत्परता को दोहराया गया कि वह पाकिस्तान के साथ विदेश सचिव तथा अन्य अधिकारियों के स्तरों पर द्विपक्षीय बातचीत संवर्धित करना चाहता है जिसका उद्देश्य हमारे संबंधों के सभी पहलूओं को बेहतर बनाना है।

गृह मंत्री ने कहा कि वाशिंगटन से जारी हुए कतिपय वक्तव्यों से जम्मू एवं कश्मीर की वास्तविक स्थिति पर बुरा प्रभाव पड़ा है। भारत ने इस बात पर बल देकर यह कहा कि जम्मू एवं कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और भारत के लोग अपने राष्ट्र की प्रादेशिक अखण्डता को कमजोर करने के प्रयासों को सहन नहीं करेंगे।

अमरीका की सहायक विदेश सचिव ने बताया कि उसकी सरकार जम्मू एवं कश्मीर में भारत की पारदर्शिता और अन्तर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों तथा राजनयज्ञों को जम्मू एवं कश्मीर की यात्रा करने की अनुमति देने की सराहना करती है।

लम्बित विद्युत परियोजनाएं

***322. श्री पी. कुमारासामी :**

श्री गाभाजी मंगाजी ठाकुर :

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विद्युत परियोजनाओं की स्थापना हेतु केन्द्रीय सरकार को भेजे गए उन प्रस्तावों का राज्य–वार ब्यौरा क्या है, जो अभी लम्बित हैं ;

(ख) इन लम्बित प्रस्तावों की वर्तमान स्थिति क्या है और ये प्रस्ताव कब से लम्बित हैं ; और

(ग) सरकार ने इन परियोजनाओं को शीघ्र स्वीकृति प्रदान करने हेतु क्या कदम उठाए हैं ?

विद्युत मंत्री (श्री एन.के.पी. साल्वे) : (क) और (ख) विद्युत उत्पादन परियोजनाएं अधिष्ठापित किए जाने से सम्बन्धित 59 प्रस्ताव जोकि तकनीकी आर्थिक दृष्टि से केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा स्वीकृति प्रदान किए जाने हेतु लम्बित हैं, उनका ब्यौरा संलग्न विवरण -I में दिया गया है। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत अन्य 45 विद्युत उत्पादन परियोजनाएं जोकि विभिन्न चरणों में हैं, लेकिन जिनके लिए अन्य स्वीकृतियां/अनुमोदन प्रतीक्षित है, उनका ब्यौरा संलग्न विवरण -II में दिया गया है।

(ग) विभिन्न परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान करने की दृष्टि से लम्बित प्रस्तावों पर कार्रवाई विद्युत मंत्रालय/केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा अन्य मंत्रालयों/एजेंसियों के सहयोग से अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है।

विवरण-I

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति के लिए लम्बित पड़ी विद्युत परियोजनाएं

क्र. सं.	परियोजना का नाम/राज्य/प्रकार/क्रियान्वयन एजेंसी	क्षमता (मे. वा.)	केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की प्रस्ताव प्रस्तुत करने की तिथि
1	2	3	4
	उत्तरी क्षेत्र		
	हरियाणा		
1.	फरीदाबाद सीसीजीटी चरण-I फेज-I (एनटीपीसी)	400	6.8.1993
	पंजाब		
2.	गोइंदवाल साहब (टीपीएस) (पीएसईबी)	2x250=500	21.2.1992
	उत्तर प्रदेश		
3.	अनपारा "ग" टीपीएस (युपीएसईबी)	2x500=1000	31.8.1992
4.	रोसा टीपीएस (यूपीएसईबी)	3x250=750	22.2.1993
5.	जवाहरपुर टीपीएस (यूपीआरवीयूएप)	3x250.=750	22.2.1993
6.	गोरीगंगा चरण-3 (क एवं ख) (एनएचपीसी)	3x40+3x10=140	4/92
7.	बोवाला नन्द प्रयाग एचईपी (यू पीएसईबी)	3x44=132	5/93

1	2	3	4
8.	तपोवन विष्णुगढ़ एचईपी (यूपी एसईबी)	3x120=360	5/93
9.	विष्णुप्रयाग एचईपी (जयप्रकाश इण्डस्ट्रीज लि.)	4x100=400	7/93
	राजस्थान		
10.	चित्तौड़गढ़ टीपीएस (मै. सैन्च्यूरी टैक्सटाइल्स एण्ड इण्डस्ट्रीज लि.)	1x500=500	2/92
	हिमाचल प्रदेश		
11.	बास्पा चरण -2 एचईपी (मै. जयप्रकाश इण्डस्ट्रीज लि.)	3x100=300	मई, 1992
12.	पार्वती चरण -3 एचईपी (गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली एवं हिमांचल प्रदेश का संयुक्त उद्यम)	4x200=800	मई, 1992
13.	पार्वती चरण -3 एचईपी (गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली एवं हिमाचल प्रदेश का संयुक्त उद्यम)	3x167=501	अक्तूबर, 92
14.	हिब्रा एचईपी (एचपीएसईबी)	3x77=231	अक्तूबर, 92
15.	रेणुका डैम एमपीपी (एचपीएसईबी)	2x20=40	अप्रैल, 1993
16.	घान्वी एचईपी (मै. पीपीजीएलि.)	3x7.5=22.5	5/93
	जम्मू एवं कश्मीर		
17.	एस चरण -2 एचईपी (जम्मू एवं कश्मीर सरकार)	3x10=30	अप्रैल, 93

	दिल्ली		
18.	बवाना सीसीजीटी (दिल्ली)	600/650	27.1.1993
	पश्चिमी क्षेत्र		
19.	गाँधी नगर टीपीएस विस्तार	1x210=210	29.3.1993
20.	वानाकबोरी टीपीएस विस्तार यूनिट 7 (जीईबी)	1x210=210	15.4.1993
21.	लिग्नाईट आधारित टीपीएस, अकरीमोटा (संयुक्त क्षेत्र)	2x120=240	23.7.1993 (वास्तविक) 6.12.1993 (संशोधित)
22.	घोगा मे लिग्नाइट आधारित टीपीएस (संयुक्त क्षेत्र)	2x120=240	20.8.1993
23.	मंगरोल (लिगनाइट) टीपीएस (मै. गुजरात पावर कारपोरेशन लि.)	250	नवम्बर,1992
24.	हजीरा जीटीसीसी (मै. ई स्सार पावर लि.)	500	9.2.1994
	मध्य प्रदेश		
25.	रायगढ़ टीपीएस (एमपीईबी)	2x500=1000	26.3.1992
26.	संजय गाँधी टीपीएस विस्तार(एमपीईबी)	1x500=500	27.12.1990 (वास्तविक) 17.11.1992 (संशोधित)
27.	कोरबा (वैस्ट) टीपीएस विस्तार (एमपीईबी)	1x500=500	26.8.1993
28.	ग्वालियर सीसीजीटी चरण -I (एमपीईबी)	200	2.7.1993

1	2	3	4
29.	गाँधी सागर एचईबी फेज -2 (एमपीईबी)	4x40=160	फरवरी, 1993
30.	कोस्बा (वैस्ट) टीपीएस यूनिट 5 एवं 6		
	(मै. इण्डिया थर्मल पावर लि, मै. मुकुन्द लि. द्वारा सम्प्रवर्तित)	2x210=420	19.4.1993
	महाराष्ट्र		
31.	भुसावल टीपीएस चरण -1 एवं 2 (एम.एस.ई.बी.) चरण-1	2x500=1000	3.12.1993
	चरण -2	2x500=1000	
32.	बार्ज माउंदिड टीपीएस (मै. कोन्फिहैंस शिप्पिंग कं. लि.)	110	सितम्बर, 1992
33.	खाफरखेड़ा टीपीएस यूनिट 5 एवं 6		
	(मै. अरान्के लाई शिप्पिंग कं. लि.)	2x210=420	7.7.1993
34.	चिकालधारा एचईपी (महाराष्ट्र सरकार)	4x100=400	3/93
	दक्षिणी क्षेत्र		
	आन्ध्र प्रदेश		
35.	कृष्णापट्टनम टीपीएस चरण -1 (एपीएसईबी)	2x500=1000	7.6.1993
36.	रामागुण्डम टीपीएस विस्तार (एपीएसईबी)	2x250=500	13.9.1993
37.	विशाखापट्टनम टीपीएस (मै. अशोक लीलैण्ड एण्ड नेशनल पावर पीएलसी,यू.के.)		

38.	नागार्जुनसागर टेल पौण्ड डैम एचईपी (एपीएसईबी)	2x25=50	3/94
	कर्नाटक		
39.	रायचूर टीपीएस (केईबी)	500	22.4.1989
40.	मंगलौर टीपीएस (मै. मंगलौर पावर कं.)	6x167=1002	7/93
41.	वाराही टेल रेस एचईपी (केईबी)	2x7.5=15	मार्च, 1994
	केरल		
42.	कोझीकोड डीजीपीपी (एएसईबी)	120	18.2.1994
	तमिलनाडु		
43.	नार्थ मद्रास टीपीएस चरण -2 (टीएनईबी)	500	13.12.1991
44.	तूतीकोरिन विस्तार टीपीएस चरण -2 (टीएनईबी)	500	2.11.1992
45.	कुड्डालूर टीपीएस (मै. कुड्डालूर पावर कारपोरेशन)	2x500=1000	7/93
46.	नैवेली जीरो यूनिट (मै. एस टी पावर सिस्टम इन्क. युएसए)	1x250=250	8/93
47.	श्री मुष्णम नैवेली (टीपीएस) मै. जी. एम. स्वामी एसोसिएट्स द्वारा सम्प्रवर्तित मै. टिकाप्को)	1x250=250	11/91

1	2	3	4
	पूर्वी क्षेत्र		
	बिहार		
48.	कटिहार टीपीएस(बीएसईबी)	2x250=500	12.1.1994
49.	जोजोबेरा टीपीएस (मै. जमशेदपुर पावर कं. लि.)	3x67.5=202.5	फरवरी, 1993
50.	चान्दिल टीपीएस (मै. आरपीजी इन्टरप्राइजेज)	2x250=500	11/91
	उड़ीसा		
51.	तलचेर एसटीपीएस चरण-2 (एनटीपीसी)	4x500=2000	22.4.1992
52.	डुबरी टीपीएस (मै. कलिंगा पावर कं. लि.)	2x250=500	सितम्बर, 1992
53.	इब घाटी टीपीएस यूनिट 3 एवं 4 (मै. एईएस ट्रासंपावर एण्ड ओपीजीसीएल के बीच संयुक्त उद्यम)	2x210=420	जून,1993
	पश्चिमी बंगाल		
54.	गौरीपुर टीपीएस (मै. गौरीपुर कं. लि.)	2x67.5=135	10/92
55.	बालागढ़ टीपीएस युनिट 1 एवं 2(मै. सीईएससी लि.)	2x250=500	8/93
56.	रामम चरण -3 एचईपी (डब्ल्यूबीएसईबी)	3x20=60	5/93

	उत्तर-पूर्वी क्षेत्र		
	अरूणाचल प्रदेश		
57.	खारसांग गैस इंजिन आधारित टीपीएस (मै. इन्टरकोर्प इण्डिया लि.)	2x4=8	10/93
	असम		
58.	कारबी लांग्पी(असम, एपीएसईबी एवं बीएचपीसीएल का संयुक्त उद्यम)	2x50=100	2/94
	अण्डमान एवं निकोबार द्विपसमूह		
59.	बम्बू फ्लैट का डीजी सैट्स (संघ क्षेत्र प्रशासन)	4x5=20	8.12.1993

विवरण -II

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति के लिए लम्बित पड़ी विद्युत परियोजनाएं

क्र.सं.	परियोजना का नाम/राज्य/प्रकार/क्रियान्वयन एजेंसी	क्षमता (मे.वा.)	स्वीकृति की तारीख	लम्बित स्वीकृति/अनुमोदन की की स्थिति
1	2	3	4	5
	उत्तरी क्षेत्र			
	हरियाणा			
1.	यमुनानगर एसटीपीएस चरण -1 (एनटीपीसी)	4x210=840	10.10.88 (मूल) 23.6.92 (संशोधित)	निवेश सम्बन्धी निर्णय की प्रतीक्षा
	राजस्थान			
2.	अन्तसीसीजीटी चरण -2 (एनटीपीसी)	3x100+ 1x130=430	21.3.90 (मूल) 14.3.91 (सशोधित)	भार आधारित प्रचालन के लिए अतिरिक्त गैस लिंकेज तथा निवेश सम्बन्धी निर्णय की प्रतीक्षा।
	उत्तर प्रदेश			
3.	रिहन्द एसटीपीएस चरण-2 (एनटीपीसी)	2x500=1000	16.5.88	निवेश सम्बन्धी निर्णय की प्रतिक्षा है। लागत अनुमानों को अद्यतन किया जा रहा है।
4.	ऊँचाहार टीपीएस चरण-2 (एनटीपीसी)	2x210=420	20.10.92	निवेश सम्बन्धी निर्णय की प्रतीक्षा है।

1	2	3	4	5
5.	कोटेश्वर एचईपी(टीएचडीसी)	4x100=400	8.8.89	वन सम्बन्धी स्वीकृति प्रदान नहीं की गई। निवेश सम्बन्धी अनुमोदन की प्रतीक्षा है।
6.	टिहरी चरण-2 पीएसएस (टीएचडीसी)	4x250=1000	10.10.88	निवेश सम्बन्धी अनुमोदन की प्रतीक्षा है।
	पंजाब			
7.	एसवाईएल नहर (पीएसईबी)	2x18+2x7=50	18.12.87	निवेश सम्बन्धी अनुमोदन की प्रतीक्षा है।
	हिमाचल प्रदेश			
8.	धामवारी सूण्डा एचईपी(एचपीएसईबी)	2x35=70	8.10.91	निवेश सम्बन्धी अनुमोदन की प्रतीक्षा है।
9.	कोयल बाँध एचईपी(एनजेपीसी)	4x200=800	10.8.88	निवेश सम्बन्धी अनुमोदन की प्रतीक्षा है।
10.	चोरा चरण-2 (एनएचपीसी)	3x100=300	11.5.92	निवेश सम्बन्धी अनुमोदन की प्रतीक्षा है।
11.	मलाना एचईपी(एचपीएसईपी)	2x43=86	23.4.93	निवेश सम्बन्धी अनुमोदन की प्रतीक्षा है। पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए प्रस्तुत कर दिया गया है।
	जम्मू एवं कश्मीर			
12.	सवालकोट एचईपी(जे एण्ड के)	3x200=600	13.01.93	निवेश सम्बन्धी अनुमोदन की प्रतीक्षा है।
13.	बग्लिडार एचईपी (एनएचपीसी)	3x150=450	14.3.91	निवेश सम्बन्धी अनुमोदन की प्रतीक्षा है
14.	परनाई एचईपी (जे एण्ड के)	3x12.5=37.5	27.11.92	पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए प्रस्तुत कर दिया गया है।

1	2	3	4	5
	पश्चिमी क्षेत्र			
	गुजरात			
15	पीपावाच सीसीजीटी(जीपीसीएल)	615	30.10.89 (जीईबी) 14.3.91 (जीपीसीएल)	गैस लिकेज सुनिश्चित न किए जाने को मद्देनजर रखते हुए जीपीसीएल ने दिसम्बर, 93 में व्यवहार्यता रिपोर्ट में संशोधन किया है जिसमें यह परिकल्पना की गई है जब तक गैस उपलब्ध नहीं होती नैपथा का उपयोग किया जाएगा, प्रतीक्षित है।
16.	गंधार सीसीजीटी (मै. गुजरात टौररेंट एनर्जी कारपोरेशन लि.)	655	12.11.93	निजी प्रवर्तकों द्वारा वित्तीय पैकेज प्रस्तुत किए जाने की प्रतीक्षा है।
	मध्य प्रदेश			
17.	विंध्यांचल एसटीपीएस(एनटीपीसी)	2x500=1000	10.8.88(मूल) 9.5.89(संशोधित)	निवेश सम्बन्धी निर्णय की प्रतीक्षा है।
18.	पेंच टीपीएस(मै. सैंच्यूरी पावर)	2x210=420	16.11.93	वित्तीय पैकेज की प्रतीक्षा है।
19.	आंकारेश्वर एमपीपी	8x65=520	14.12.93	निवेश सम्बन्धी अनुमोदन की प्रतीक्षा है।
20.	मारीहीखेडा एचईपी	2x20=40	23.4.93	निवेश सम्बन्धी अनुमोदन की प्रतीक्षा है।
21.	महेश्वर (मै. एस.कुमार)	10x40=400	12.11.93 अंतिम	वित्तीय पैकेज की प्रतीक्षा है।
	महाराष्ट्र			
22.	दभोल जीटीसीसी(मै. दभोल विद्युत कं.)	2015	12.11.93	अंतिम वित्तीय पैकेज की प्रतीक्षा है।

1	2	3	4	5
23.	भिवपुरी (मै. टाटा इलैक्ट्रिक कम्पनी)	1x90=90	13.5.93	आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच अन्तर्राज्यीय समझौते के कारण प्रतीक्षा है।
	आन्ध्र प्रदेश			
24.	जैगुरूपाडु जीटीसीसी टीपीएस (मै. जीवीके इण्डस्ट्रीज)	216	12.11.93	निजी प्रर्वतक द्वारा वित्तीय पैकेज प्रस्तुत किए जाने की प्रतीक्षा है।
25.	गोदावरी जीटीसीसी टीपीएस (मै. स्पैक्ट्रम पावर जेनेरेशन लि.)	2x208=416	14.12.93	निजी प्रर्वतक द्वारा वित्तीय पैकेज प्रस्तुत किए जाने की प्रतीक्षा है।
26.	प्रियदर्शिनी जुराला एचईपी	6x36.9=221.4	10.3.92	निवेश सम्बन्धी अनुमोदन की प्रतीक्षा है।
	कर्नाटक			
27.	मंगलौर एसटीपीएस चरण-1 (एनटीपीसी)	2x210=420	2.1.91(मूल)	निवेश सम्बन्धी निर्णय की प्रतीक्षा है।
28.	सारापाडी एचईपी (केपीसीएल)	3x30=90	4.12.90	निवेश सम्बन्धी अनुमोदन की प्रतीक्षा है।
	केरल			
29.	कायमकुलम एसटीपीएस चरण-1 (एनटीपीसी)	2x210=420	31.8.90	निवेश सम्बन्धी निर्णय की प्रतीक्षा है।
30.	कासरगोड डीजी सैट(केएसईबी)	3x20=60	16.12.92	पर्यावरणीय स्वीकृति और निवेश सम्बन्धी निर्णय की प्रतीक्षा है।
	तमिलनाडु			
31.	नैवेली टीपीएस विस्तार (एनएलसी)	2x210=420	10.8.88 (मूल) 4.12.90 (संशोधित)	निवेश सम्बन्धी निर्णय की प्रतीक्षा है।

1	2	3	4	5
32.	पिल्लईपैरूमलनैल्लूर सीसीजीटी चरण-1 (टीएनईबी)	300	14.5.91	सुनिश्चित ईंधन लिंकेज केन्द्रीय भू–जल की स्वीकृति की प्रतीक्षा है।
	पूर्वी क्षेत्र			
	बिहार			
33.	मुजफ्फरपुर टीपीएस विस्तार(बीएसईबी)	2x250=500	9.2.93	निवेश सम्बन्धी निर्णय की प्रतीक्षा है।
34.	मैथान दांया तट टीपीएस चरण-1 (डीवीसी)	4x210=840	19.10.88	विद्युत (प्रदाय) अधिनियम की धारा -29 की अनुपालना और पर्यावरण एवं वन सम्बन्धी स्वीकृति प्रतीक्षित है।
35.	उत्तरी कर्णपुरा एसटीपीएस चरण-1 (एनटीपीसी)	2x500=1000	8.5.90	–वही–
	सिक्किम			
36.	तीस्ता चरण-3 (सिक्किम सरकार)	6x200=1200	4.12.90	निवेश सम्बन्धी अनुमोदन, पर्यावरण एवं वन सम्बन्धी स्वीकृती प्रतीक्षित है।
37.	तीस्ता चरण-5 (एचईपी) (सिक्किम संरकार)	3x170=510	23.4.93	पर्यावरण एवं वन सम्बन्धी स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जाना है। निवेश सम्बन्धी अनुमोदन की प्रतीक्षा है।
	पश्चिम बंगाल			
38.	फरक्का बराज डब्ल्यूबीएसईबी	5x25=125	11.11.91	पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया गया है। निवेश सम्बन्धी अनुमोदन की प्रतीक्षा है।

1	2	3	4	5
	उत्तर-पूर्वी क्षेत्र			
	त्रिपुरा			
39.	अगरतला जीटी (नीपको)	4x21=84	1.7.92	निवेश सम्बन्धी निर्णय की प्रतीक्षा है।
40.	रोखिया जीटीफेज-2 (त्रिपुरा सरकार)	2x8=16	14.3.91	निवेश सम्बन्धी निर्णय की प्रतीक्षा है।
	अरूणाचल प्रदेश			
41.	कामेंग एचईपी (नीपको)	4x150=600	30.4.91	पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए प्रस्तुत कर दिया गया है। निवेश सम्बन्धी अनुमोदन की प्रतीक्षा है।
	मणिपुर			
42.	लोकतक अनुप्रवाह एचईपी (मणिपुर सरकार)	3x30=90	27.11.92	पर्यावरणीय एवं वन सम्बन्धी स्वीकृति के लिए प्रस्तुत कर दिया गया है। निवेश सम्बन्धी अनुमोदन की प्रतीक्षा है।
	मिजोराम			
43.	थालेश्वरी एचईपी (एनएचपीसी)	3x40=120	10.10.88	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा पर्यावरणीय दृष्टि से स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है। वन सम्बन्धी स्वीकृति के लिए प्रस्तुत कर दिया गया है। निवेश सम्बन्धी अनुमोदन की प्रतीक्षा है।
44.	तुरियाल एचईपी (मिजोरम सरकार)	2x30=60	15.9.92	पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए प्रस्तुत कर दिया गया है। वन सम्बन्धी स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जाना है। निवेश सम्बन्धी अनुमोदन की प्रतीक्षा है।
45.	तुईवई एचईपी (मिजोरम सरकार)	3x70=210	12.10.93	पर्यावरण एवं वन सम्बन्धी स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जाना है। निवेश सम्बन्धी अनुमोदन की प्रतीक्षा है।

विद्युत पारेषण में हुई हानि

*323. **श्री जे. चोक्का राव :**

श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये :

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य में विद्युत पारेषण में हुई हानि का ब्यौरा क्या है और इसकी वजह से प्रत्येक राज्य में वर्ष–वार, कुल कितने राजस्व की हानि हुई ;

(ख) क्या पारेषण हानि के बढ़ते जाने की समस्या ने गम्भीर रूप ले लिया है ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(घ) ऐसी हानि की रोकथाम के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं और उनके क्या परिणाम निकले ; और

(ड.) इस समस्या से कारगर ढंग से निपटने के लिए तैयार की गई कार्य–योजना का ब्यौरा क्या है ?

विद्युत मंत्री (श्री एन.के.पी. साल्वे) : (क) से (ड.) पिछले तीन वर्षों, 1990-91 से 1992-93 तक के संबंध में पारेषण एवं वितरण हानियों की प्रतिशतता और राजस्व की हानि संलग्न विवरण-में दी गयी है।

देश में पारेषण एवं वितरण हानियों की मात्रा विकसित देशों की तुलना में काफी अधिक है। भारत में पारेषण एवं वितरण हानियों की मात्रा अधिक होने के ये कारण हैं : उप–पारेषण एवं वितरण प्रणाी में कम निवेश होना, बड़े पैमाने पर ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम का होना जिसमें एलटी नेटवर्क की लंबी लाइनें भी शामिल हैं, अनुचित भार प्रबंधन उपायों का होना, ऊर्जा की चोरी होना।

विद्युत युटिलिटियों को योजनाबद्ध तरीके से उपचारात्मक उपायों को अपनाने के योग्य बनाने के लिए विद्युत युटिलिटियों की पारेषण एवं वितरण हानियों में कमी लाने के लिए व्यापक मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए गए हैं। इनमें अन्य बातों के साथ–साथ ये शामिल हैं, अतिरिक्त हानियों के लिए जिम्मेवार प्रणाली घटकों को अभिज्ञात करने के लिए ऊर्जा लेखा–परीक्षा आयोजित करना, वोल्टता परिदृश्य में सुधार के लिए कैपिस्टरों की अधिष्ठापना करना, अपनी पारेषण एवं वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करने और उनमें सुधार लाने के लिए प्रणाली सुधार स्कीमें बनाना, ऊर्जा की चोरी को रोकने के लिए टैंपर प्रूफ मीटर नक्शों की अधिष्ठापना करना।

भारतीय विद्युत अधिनियम 1910 के खंड-39 में दिए गए प्रावधानों के अंतर्गत अगस्त, 1986 से ऊर्जा की चोरी को एक संगीन अपराध माना गया है।

भारत सरकार द्वारा, राज्य बिजली बोर्डों और उनके कर्मचारियों को पारेषण एवं वितरण हानियों में कमी लाने के लिए प्रोत्साहित करने के बारते नकद पुरस्कार शील्ड के रूप में एक प्रोत्साहन योजना शुरू की गयी थी।

जनवरी, 1993 में हुए विद्युत मंत्रियों के सम्मेलन में पारेषण एवं वितरण हानियों में एक प्रतिशत प्रतिवर्ष कमी लाने और 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 5% कमी लाने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया गया है।

विवरण

परेषण एवं वितरण हानि की प्रतिशतता और पारेषण एवं वितरण हानि के कारण राजस्व हानि को दर्शाने वाला विवरण।

क्रं. सं.	राज्य बिजली बोर्ड	1990-91		1991-92		1992-93	
		पारेषण व वितरण हानि (%)	राजस्व हानि* (रुपये/करोड़)	पारेषण व वितरण हानि (%)	राजस्व हानि (रुपये/करोड़)	पारेषण व वितरण हानि (%)	राजस्व हानि (रुपये/करोड़)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	22.93	118.70	19.30	77.72	19.16	98.87
2.	बिहार	16.46	11.76	21.25	43.22	20.50	47.47
3.	गुजरात	23.44	178.64	22.89	192.94	21.72	109.98
4.	हरियाणा	28.20	86.10	24.17	71.09	25.45	97.47
5.	हिमाचल प्रदेश	20.96	11.32	18.07	6.24	18.51	8.89
6.	कर्नाटक	20.17	62.08	18.91	55.07	18.70	57.82
7.	केरल	22.36	29.88	21.77	32.61	21.00	36.02
8.	मध्य प्रदेश	17.98	74.82	24.91	222.20	22.68	219.04
9.	महाराष्ट्र	18.26	136.97	15.52	20.90	16.38	73.50
10.	उड़ीसा	25.77	55.29	23.71	48.67	20.84	44.23
11.	पंजाब	19.26	41.81	18.53	39.34	18.53	49.39

1	2	3	4	5	6	7	8
12.	राजस्थान	25.76	120.64	22.30	93.56	25.02	156.82
13.	तमिलनाडु	17.90	52.68	18.35	67.56	17.26	58.92
14.	उत्तर प्रदेश	27.13	257.32	25.26	251.95	24.10	302.59
15.	पश्चिम बंगाल	17.69	31.97	23.79	79.76	23.69	84.52
16.	असम	26.10	21.13	21.25	14.38	21.00	14.53
17.	मेघालय	11.46	-	11.49	-1.18	13.04	-0.73
	जोड़	**22.89**	**1322.49**	**22.83**	**1336.24**	**21.80**	**1538.43**

* भारतीय विद्युत प्रणाली में 15% स्वीकार्य तकनीकी हानि को ध्यान में रखने के पश्चात राजस्व हानि की गणना की जा सकती है।

राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम को विश्व बैंक से ऋण

***324. श्री श्रीकान्त जेना :**

श्री चन्द्रजीत यादव :

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम को ऋण का भुगतान रोक दिया है ;

(ख) यदि हां, तो रोकी गई ऋण राशि कितनी है तथा विश्व बैंक और राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के बीच किन–किन मुख्य बातों पर मतभेद हैं ;

(ग) क्या इसका देश के विद्युत क्षेत्र में क्षमता में वृद्धि करने सम्बन्धी योजना पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ.) ऋण के भुगतान को पुनः चालू करवाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

विद्युत मंत्री (श्री एन.के.पी. साल्वे) : (क) यद्यपि राष्ट्रीय राजधानी ताप विद्युत परियोजना (840 मे.वा.) दादरी, फरक्का सुपर ताप विद्युत परियोजना चरण – 2 (1000 मे. वा.)और तलचेर सुपर ताप विद्युत परियोजना (1000 मे.वा.) के लिए चालू ऋणों के अधीन, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम को राशि संवितरित किया जाना, विश्व बैंक द्वारा औपचारिक रूप से स्थगित नहीं किया गया है। तथापि, 28.2.94 के पश्चात् संवितरण नहीं लिए गए हैं।

(ख) उपरोक्त (क) में उल्लिखित ऋणों के अन्तर्गत वह राशियों, जो संवितरित नहीं की गई हैं, के साथ–साथ एन टी पी सी की विद्युत उत्पादन परियोजना के लिए ऋण, जिसे अभी जारी किया जाना है, 731 मिलियन अमरीकी डालर बैठती है। इस कार्रवाई का मूल कारण यह रहा है कि विद्युत क्रेताओं की ओर दो महीने की बिल की राशि के बराबर उनके द्वारा दी जाने वाली राशि को इस सीमा तक सीमित रखने में एन टी पी सी समर्थ नहीं रहा है जैसाकि एन टी पी सी द्वारा बैंक के साथ प्रसंविदा की गई थी। इसके साथ ही, एन टी पी सी के गैस आधारित विद्युत संयंत्रों तथा एन सी टी पी पी और ऊँचाहार कोयला आधारित विद्युत केन्द्रों के लिए टैरिफ की अधिसूचना जारी की जानी है तथा उत्तरी क्षेत्र के शेष राज्यों के लिए वृहत् विद्युत आपूर्ति समझौतों (वी पी एस ए) पर 30.4.94 तक हस्ताक्षर किए जाने हैं।

(ग) तथा (घ) एन टी पी सी के निवेश कार्यक्रम पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। चालू ऋणों में 2840 मे. .वा. को सम्मिलित किया गया है, जिनमें से राष्ट्रीय राजधानी ताप विद्युत परियोजना (840 मे. वा) तथा फरक्का सुपर ताप विद्युत परियोजना चरण -2 (1000 मे. वा.) को चालू कर दिया गया है तथा तलचेर सुपर ताप विद्युत केन्द्र (1000 मे. वा.) पूरा होने की अग्रिम अवस्था में है।

(ङ.) एन टी पी सी द्वारा यह दर्शाने के लिए कड़े प्रयास किए जा रहे हैं कि एन टी पी सी को देय बकाया राशियों को यह प्रसंविदा की सीमा तक सतत आधार पर सीमित रख सकता है और इसमें राज्यों द्वारा बकाया राशियों का पूर्ण भुगतान किए जाने के लिए उनके साथ कार्रवाई करना, चालू बिलों का पूर्णतः भुगतान किया जाना, साख–पत्र में दी गई राशि में वृद्धि करना आदि शामिल हैं। उत्तरी क्षेत्र के सभी राज्यों के साथ बी पी एस ए पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। एन सी टी पी पी और ऊँचाहार कोयला आधारित केन्द्रों के बारे में टैरिफ अधिसूचित कर दिए गए हैं। गैस–आधारित केन्द्रों के बारे में टैरिफ का निर्धारण किए जाने का मामला अग्रिम अवस्था में है।

पोलैंड के राष्ट्रपति का दौरा

*325. **श्री बी० एन० रेड्डी :**

श्री मुमताज अंसारी :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पोलैंड के राष्ट्रपति ने हाल ही में भारत का दौरा किया था ;

(ख) यदि हां, तो उन्होंने भारत के नेताओं के साथ किन–किन द्विपक्षीय और बहु–पक्षीय मुद्दों पर बातचीत की और उसके क्या परिणाम निकले ;

(ग) क्या उनकी भारतीय उद्योगपतियों और व्यापारियों से कोई बातचीत हुई; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उसके क्या परिणाम निकले ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) जी हां। पोलैंड गणराज्य के राष्ट्रपति लेक वालेसा ने 2 से 8 मार्च, 1994 तक भारत की राजकीय यात्रा की।

(ख) से (घ) राष्ट्रपति वालेसा की भारत यात्रा के दौरान अन्तर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मामलों तथा द्विपक्षीय सहयोग से संबद्ध मसलों पर विचार–विमर्श हुआ। पोलिश पक्ष ने अपनी विदेश तथा सुरक्षा नीतियों और यूरोप की घटनाओं पर अपने दृष्टिकोण जिसमें शांति योजना के लिए भागीदारी शामिल है, का खुलासा किया। निरस्त्रीकरण पर भी विचारों का आदान–प्रदान हुआ। पोलिश नेता को कश्मीर के मसले से अवगत कराया गया और उन्हें पाकिस्तान के उन प्रयासों की भी जानकारी दी गई जिनका उद्देश्य मानवाधिकारों को बहाना बनाकर इस मसले को अन्तर्राष्ट्रीय स्वरूप देना है। पोलिश पक्ष ने कश्मीर मसले के बारे में हमारी चिन्ता और हमारे दृष्टिकोण से सहमति व्यक्त की और कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच अनिर्णीत मसलों को द्विपक्षीय रूप से सुलझाया जाना चाहिए। द्विपक्षीय पहलुओं के बारे में दोनों पक्षों ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि व्यापारिक तथा आर्थिक संबंधों को सुदृढ़ किया जाना चाहिए और भारत–पोलिश संयुक्त व्यवसाय परिषद और भारत–पोलिश सयुंक्त आयोग को सक्रिय बनाया जाना चाहिए। पोलिश पक्ष ने बताया कि वह भारत को एक स्थायी और उभरती हुई अर्थ–व्यवस्था मानता है जिसके साथ परस्पर लाभप्रद आर्थिक संबंध दीर्घावधि आधार पर विकसित किए जा सकते हैं।

इन विचार–विमर्शों के परिणामस्वरूप यह निर्णय लिया गया कि दोनों पक्ष संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की पुनर्संरचना के बारे में विचारों का आदान–प्रदान करेंगे और यह कि दोनों देशों के स्थायी प्रतिनिधि इस संबंध में एक–दूसरे के साथ परामर्श करके प्रस्ताव तैयार करेंगे। दोनों पक्ष इस बात पर भी सहमत हुए कि वे उरूग्वे दौरे की अनुवर्ती कार्रवाई के संबंध में "गैट" और विशेषकर बहु–सूत्रीय करार के सम्बन्ध में सहयोग और समन्वय करेंगे। यह तय किया गया है कि इस संयुक्त उद्यमों की स्थापना की सम्भावना का भी अध्ययन किया जाएगा जिनका लक्ष्य एक–दुसरे के तथा तीसरे देश के बाजार हैं और सम्भावना सम्पन्न व्यापार–योग्य पण्यों का पता लगाया जाएगा।

राष्ट्रपति वालेसा ने सी आई आई के भारतीय उद्योगपतियों और व्यापारियों की सभा को सम्बोधित किया और बाद में पोलैंड की अर्थ–व्यवस्था और भारत–पोलिश सहयोग की सम्भावनाओं के बारे में प्रश्नों का उत्तर दिया। इस बैठक के संदर्भ में भारतीय उद्योगपतियों तथा व्यापारियों और उन पोलिश

व्यापारियों के बीच सीधा सम्पर्क स्थापित हुआ जो राष्ट्रपति वालेसा के साथ भारत आए थे। इन पर अमल किया जा रहा है और उम्मीद है कि इससे व्यापार और आर्थिक सहयोग बढ़ेगा।

एफ. एम. केन्द्रों से कार्यक्रमों का प्रसारण

*326. **श्री चेतन पी. एस. चौहान :**

श्रीमती दीपिका एच. टोपीवाला :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में "स्काई रेडियो" कार्यक्रम आरम्भ किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या एफ. एम. बैंड से पूरे देश में कार्यक्रम प्रसारित करने की योजना बनाई गई है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के. पी. सिंह देव) : (क) से (घ) आकाशवाणी ने 1 अप्रैल, 1994 से 20 चैनल वाली स्काई रेडियो सेवा आरंभ की है। इनमें से दो चैनल शैक्षिक प्रसारण के लिए आरक्षित हैं जिन्हें बाद में चालू किया जाएगा। शुरूआत के तौर पर, विभिन्न राज्यों की राजधानियों में स्थित केन्द्रों (श्रीनगर जहां इस समय उपग्रह अपलिंक सुविधा उपलब्ध नहीं है को छोड़कर) द्वारा प्रसारित किए जाने वाले क्षेत्रीय कार्यक्रमों को उपग्रह के माध्यम से अपलिंक चैनलों के साथ उन्हें संपूर्ण देश में उपलब्ध कराया जा सके। समस्त देश में उपग्रह टेलीविजन अभिग्रहण के लिए सीधे अभिग्रहण सेट रखने वाले लोग और केबल टेलीविजन संचालक लगभग 1000/ रुपये की लागत वाले एक छोटे गैजिट की सहायता से अपने एफ. एम. रिसीवरों पर इन कार्यक्रमों को प्राप्त कर सकते हैं। विभिन्न क्षेत्रीय आकाशवाणी केन्द्रों द्वारा प्रसारित किए जाने वाले स्काई रेडियो कार्यक्रमों को अब समस्त देश में एफ. एम. बैन्ड पर सुना जा सकता है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्ग

*327. **श्री चिन्मयानन्द स्वामी :** क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश और राजस्थान की राज्य सरकारों द्वारा 1993-94 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए भेजे गए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) कितने प्रस्तावों को स्वीकृति दी चुकी है, और

(ग) परियोजना–वार, कितनी राशि दी गई है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) वर्ष 1993-94 के दौरान उत्तर प्रदेश से 49.95 करोड़ रु. के 30 प्रस्ताव और राजस्थान से 117.77 करोड़ रु. के 17 प्रस्ताव प्राप्त हुए। इन प्रस्तावों में से उत्तर प्रदेश से 10.09 करोड़ रु. के 24 प्रस्तावों और राजस्थान से 0.78 करोड़ रु. के 3 प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई।

(ग) यह मंत्रालय राज्य को इकट्ठी राशि जारी करता है न कि परियोजना वार अथवा राष्ट्रीय राजमार्ग–वार। 1993-94 में उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान राज्यों के लिए क्रमशः 47.50 करोड़ रु. तथा 42.00 करोड़ रु. का आबंटन किया गया है।

प्रधान मंत्री की ब्रिटेन की यात्रा

***328. श्रीमती भावना चिखलिया :**

श्रीमती शीला गौतम :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री ने हाल ही में ब्रिटेन की यात्रा की थी ;

(ख) यदि हां, तो उनकी ब्रिटेन के नेताओं के साथ किन–किन मुद्दों पर बातचीत हुई और उसके क्या परिणाम रहे ;

(ग) क्या इस यात्रा के दौरान किन्हीं समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं ;

(घ) यदि हां, तो प्रत्येक समझौते की मुख्य बातें क्या हैं ;

(ङ) क्या ब्रिटेन ने कश्मीर के बारे में कोई प्रस्ताव पेश किये थे ;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम रहे ; और

(छ) ब्रिटेन से पूंजी–निवेश के लिए क्या प्रयास किए गए हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. एल. भाटिया) : (क) से (छ) प्रधान मंत्री ने 13 से 15 मार्च, 1994 तक यु. के. की राजकीय यात्रा की। अपनी इस यात्रा के दौरान प्रधान मंत्री ने यू. के. के प्रधान मंत्री के साथ बातचीत की और वहां की महारानी से भेंट की। वे यू. के. के विभिन्न अन्य नेताओं से भी मिले जिनमें प्रमुख प्रतिपक्षी दलों के नेता शामिल थे।

इस यात्रा के दौरान यू. के. नेताओं के साथ प्रधान मंत्री की जिन मुख्य मसलों पर बातचीत हुई वे थे, द्विपक्षीय आर्थिक संबंध, बोस्निया की स्थिति, भारत–पाक संबंध और जम्मू एवं कश्मीर की स्थिति। दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार एवं पूंजी निवेश की प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। यू० के० यह मानता है कि भारत के आर्थिक सुधारों के परिणामतः व्यापार और पूंजी निवेश के लिए अवसरों में वृद्धि हुई है। पाकिस्तान के साथ संबंधों के बारे में प्रधान मंत्री ने बताया कि भारत, पाकिस्तान के साथ रचनात्मक बातचीत करने को सदैव तत्पर है, हालांकि पाकिस्तान के तीक्ष्ण वक्तव्यों और मानवाधिकारों के बहाने से कश्मीर के मसले को अन्तर्राष्ट्रीय स्वरूप देने के उसके प्रयासों से इस प्रकार की बातचीत के लिए वातावरण दूषित हुआ है। जम्मू एवं कश्मीर के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद को सीमा पार से समर्थन मिलने से राजनीतिक प्रक्रिया पुनः शुरू करने के प्रयासों में बाधा आती रही।

इस यात्रा के दौरान द्विपक्षीय निवेश संरक्षण करार पर हस्ताक्षर हुए। इसके अतिरिक्त, इस यात्रा के दौरान तीन वाणिज्यिक समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हुए जो महाराष्ट्र में 1000 मेगावाट थर्मल पावर संयंत्र, महाराष्ट्र में दूरसंचार सुविधाओं के विस्तार और विद्युत ट्रांसफार्मरों के क्षेत्र में प्रौद्योगिक सहयोग से संबंधिति है।

यू० के० की सरकार ने इस बात की पुनः पुष्टि की कि वह शिमला समझौते के अन्तर्गत भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय बातचीत के माध्यम से कश्मीर मसले के समाधान का समर्थन करता है। यू० के० पक्ष ने इस संबंध में कोई नया प्रस्ताव नहीं दिया।

[अनुवाद]

विद्युत क्षेत्र में पूँजी-निवेश

***329. श्री छीतू भाई गामीत :** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंत में विद्युत की कितनी कमी होने का अनुमान है ;

(ख) क्या इस कमी को विदेशी और भारतीय गैर–सरकारी पूँजी–निवेश के जरिए पूरा करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है तथा अब तक कितने विदेशी और गैर–सरकारी निवेश के लिए मंजूरी दी गई है ;

(घ) क्या विद्युत क्षेत्र में पूँजी–निवेश और उसके विस्तार सम्बन्धी पहलुओं की जांच करने के लिए कोई विशेषज्ञ समिति गठित की गई है ; और

(ङ) यदि हां, तो विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है और उन पर क्या कार्यवाही की गई हैं ?

विद्युत मंत्री (श्री एन. के. पी. साल्वे) : (क) आठवीं योजनावधि में देश में 30,537.7 मे. वा. की क्षमता जोड़े जाने के कार्यक्रम के आधार पर केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने यह अनुमान लगाया है कि आठवीं योजना के अंतिम वर्ष में वास्ततमकालीन कमी 15253 मे. वा. (20.7 प्रतिशत) और ऊर्जा की 37648 मि. यू. (9 प्रतिशत) होगी।

(ख) और (ग) विद्युत क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहन देने से सम्बन्धित सरकार की नीति के प्रत्युत्तर में 104152 करोड़ रुपये के निवेश से कुल मिलाकर 32662 मे. वा. की क्षमता वाली 75 विद्युत परियोजनाएं अधिष्ठापित किए जाने के बारे में रूचि प्रकट की गई है। इनमें से 35 विदेशी निवेशकों (एन आर आई और संयुक्त उद्यम प्रस्तावों सहित) से सम्बन्धित हैं और इनके द्वारा 73386 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 22,432 मे. वा. की क्षमता जोड़े जाने का अनुमान है। कुल मिलाकर 5128 मे. वा. की क्षमता के लिए लगभग 21867.30 करोड़ रुपये की लागत वाली 7 परियोजनाओं की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

आकाशवाणी केन्द्र

***330. श्री अर्जुन चरण सेठी :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करे कि :

(क) क्या राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में स्थित आकाशवाणी केन्द्रों के कार्यकरण की समीक्षा की जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में की गई ऐसी समीक्षा का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या उन आकाशवाणी केन्द्रों, विशेषरूप से कटक स्थित केन्द्र का कार्यकरण इस समय अपेक्षित स्तर का नहीं है ; और

(घ) यदि हां, तो उनके कार्यकरण में सुधार लाने के लिए क्या उपाय किये गये हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के. पी. सिंह देव) : (क) और (ख) आकाशवाणी केन्द्रों के कार्यकरण एवं कार्य–निष्पादन की विभिन्न स्तरों पर सतत रूप से समीक्षा की जा रही है। प्रसारण में 15 मिनट से अधिक की कोई भी रूकावट होने पर उसकी सूचना क्षेत्रीय मुख्य अभियंताओं तथा महानिदेशालय के वरिष्ठतम स्तर पर दी जाती है। इसके अलावा, दर्शक अनुसंधान एकक द्वारा विज्ञापन प्रसारण सेवा एवं विदेश सेवा प्रभाग सहित आकाशवाणी के समस्त नेटवर्क की अनुसंधान एवं फीडबैक अपेक्षाओं को पूरा किया जाता है।

(ग) और (घ) प्रसारण संबंधी उच्च तकनीकी मानकों को बनाए रखने के लिए सभी संभव उपाय किए जाते हैं। अनियमित एवं अनिश्चित विद्युत सप्लाई तथा पुराना होने के कारण कटक स्थित ट्रांसमीटर को बारंबार रूकावट संबंधी समस्या का सामना करना पड़ रहा था। हाल ही में ट्रांसमीटर का नवीनीकरण किया गया है और इसे 100 कि. वा. मस्तूल पर अर्जित किया गया है। विद्युत सप्लाई के लिए 33 के. वी./ 11 के. वी. का एक अलग ट्रांसफार्मर भी प्रतिष्ठापित किया गया है। इसके फलस्वरूप, कटक स्थित ट्रांसमीटर के कार्यकरण में बाद में काफी सुधार हुआ है।

महानगरों में डाक वितरण

***331. श्री मोहन रावले : क्या संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश के महानगरों में अपनी डाक वितरण प्रक्रिया में तेजी लाने का है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) जी हां।

(ख) इस स्कीम में किसी एक महानगर से दूसरे महानगर के लिए भेजी गई प्रथम श्रेणी की पत्र डाक को, जिस पर पिन कोड अंकित हो, शीघ्र भेजने और 48 घंटे के भीतर वितरित करने का विचार है। इस स्कीम में दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, हैदराबाद और बेंगलूर को शामिल किया गया है। ऐसी डाक, निपटाने की प्रारंभिक अवस्था में ही अलग कर दी जाएगी तथा इसकी छंटाई और इसे भेजने का काम प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विद्युत उत्पादन और इसकी मांग

*332. डा. (श्रीमती) के. एस. सौन्द्रम :

श्री छेदी पासवान :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य में विद्युत का कितना उत्पादन किया जा रहा है ;

(ख) राज्यों में विद्युत की कुल कितनी मांग है और इसे कहां से पूरा किया जा रहा है तथा इस पर कुल कितनी धनराशी खर्च हो रही है ;

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान कौन–कौन सी नई विद्युत परियोजनाएं स्थापित की जायेंगी ; और

(घ) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कुल कितने गाँवों का विद्युतीकरण किया जायेगा तथा इस प्रयोजनार्थ कुल कितनी धनराशि दी जायेगी ?

विद्युत मंत्री (श्री एन.के.पी. साल्वे) : (क) अप्रैल, 1993 से मार्च, 1994 के दौरान उत्पादित विद्युत की मात्रा का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) अप्रैल, 1993 से मार्च, 1994 के दौरान प्रत्येक राज्य में विद्युत की मांग तथा कहां से इसकी पूर्ति की गई, इसका राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण -II में दिया गया है।

इस संबंध में हुए कुल व्यय के संबंध में सूचना इस समय उपलब्ध नहीं है।

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जिन नई परियोजनाओं को स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है, उनका ब्यौरा संलग्न विवरण -III में दिया गया है।

(घ) ग्रामीण विद्युतीकरण के लक्ष्य, वार्षिक आधारों पर राज्य बिलजी बोर्डों के साथ विचार–विमर्श के पश्चात् योजना आयोग द्वारा निर्धारित किये जाते हैं। वर्ष 1992-93, 1993-94 और 1994-95 के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण के लक्ष्य तथा उसके अनुसार ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए आंबटन निम्नानुसार है:

वर्ष	ग्राम विद्युतीकरण के के लिए लक्ष्य	ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए वित्तीय आबंटन (करोड़ रु. में)
1992-93	4240	761.72
1993-94	3210	815.18
1994-95	3708	1002.22

आठवीं योजना के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु कुल परिव्यय 4,000 करोड़ रुपये है।

विवरण -I

वर्ष, 1993-94 के दौरान राज्यवार ऊर्जा उत्पादन

(अप्रैल, 1993 - मार्च, 1994)

(सभी आंकड़े मिलियन यूनिट में)

राज्य/प्रणाली का नाम	उत्पादन राज्य/केन्द्र/निजी			कुल
दिल्ली	2553	4442	-	6995
जम्मू एंड काश्मीर	784	1954	-	2738
हिमाचल प्रदेश	956	608	-	1564
हरियाणा	3120	-	-	3120
राजस्थान	5658	3783	-	9441
पंजाब	11416	-	-	11416
उत्तर प्रदेश	19822	31053	-	50875
गुजरात	21217	2891	2871	26979
महाराष्ट्र	33958	1819	7296	43073
मध्य प्रदेश	14912	22812	-	37724
आंध्र प्रदेश	20215	14594	-	34809
कर्नाटक	14155	-	-	14155
केरल	5821	-	-	5821
तमिलनाडु	17605	10821	-	28426
बिहार	2981	-	-	2981
उड़ीसा	5121	-	-	5121
पं. बंगाल	9969	3854	3504	17327
असम	987	-	-	907
मेघालय	583	904	-	1487
त्रिपुरा	146	-	-	146
मणिपुर	-	616	-	616
सिक्किम	34	-	-	34
बी.बी.एम.बी.	-	-	-	10644
डी.वी.सी. सिस्टिम	-	-	-	6924

विवरण-II

वास्तविक विद्युत आपूर्ति स्थित (अप्रैल, 93 - मार्च, 94)

(सभी आंकड़े मि.यू. में)

राज्य/प्रणाली	मांग	उपलब्धतता			
		स्वयं के संसाधन	केन्द्रीय क्षेत्र केन्द्रों से विकास	सहायता (*)	कुल
1	2	3	4	5	6
उत्तरी क्षेत्र					
चंडीगढ़	676	504	172	-	676
दिल्ली	11045	5936	4721 +	227	10884
हरियाणा	11745	5326	4786 +	28	10640
हिमाचल प्रदेश	1619	1259	493 –	133	1619
जम्मू एंड कश्मीर	3700	758	2213	-	2971
पंजाब	18780	14643	4106 –	568	18181
राजस्थान	16070	8885	5651 +	553	15089
उत्तर प्रदेश	33735	17916	12873 –	313	30476
पश्चिमी क्षेत्र					
गुजरात	29860	21670	6893 –	61	28502
मध्य प्रदेश	23945	12708	9892 +	191	22791
महाराष्ट्र	44985	36998	6668 –	152	43514
गोवा	876	-	991 –	118	873
दक्षिणी क्षेत्र					
आन्ध्र प्रदेश	28180	18795	7752 +	377	26924
कर्नाटक	22070	13726	3509	-	17235
केरल	7990	5749	2087	-	7836
तमिलनाडु	26495	18406	7060	-	25466
पूर्वी क्षेत्र					
बिहार	8645	2733	2640 +	210	5583
डी. वी. सी.	7730	6214	778 –	10	6982

1	2	3	4	5	6
उड़ीसा	8840	5184	1388 +	1337	7909
पश्चिमी बंगाल	12695	12090	115 –	149	12056
उत्तरी पूर्वी क्षेत्र					
अरूणाचल प्रदेश	157.0	61.8	45.5 -		107.3
असम	2368.0	860.4	852.9	+385	2098.3
मणीपुर	298.4	4.2	280.9	-	285.1
मेघालय	304.4	579.4	0.0	-275	304.4
मिजोरम	115.2	11.7	98.2	-	109.9
नागालैंड	144.9	3.6	133.0	-	136.6
त्रिपुरा	273.1	142.3	103.1	-	245.4
अखिल भारत	32352.0	211663.4	86301.6	+1529	299494.0

टिप्पणी (*) - (+) प्रणाली में आयात को इंगित करता है।
(-) प्रणाली में निर्यात को इंगित करता है।

विवरण -III

आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित की जाने वाली नई विद्युत परियोजनाओं के नाम

क्र. सं.	राज्य	परियोजना	प्रकार	क्षमता (मे. वा.)
1	2	3	4	5
	उत्तर प्रदेश			
1.		सोबला	एच	6.00
2.		मनेरी –2	एच	304.00
3.		श्रीनगर	एच	165.00
4.		राजघाट	एच	22.50
5.		अनपारा "ख"	टी	1000.00
6.		टाण्डा युनिट -4	टी	110.00
7.		एन सी टी पी पी दादरी यूनिट 2-4	टी	630.00

1	2	3	4	5
8.		जीटी दादरी	जी	555.00
9.		टिहरी स्टेज -1	एच	1000.00
10.		रिहन्द विस्तार	टी	500.00
11.		ऊँचाहार विस्तार	टी	210.00
	राजस्थान			
12.		रामगढ़	जी	3.00
13.		कोटा यूनिट -5	टी	210.00
14.		बरसिंगसर लिग्नाइट	टी	240.00
15.		आर ए पी पी विस्तार	एन	220.00
	पंजाब			
16.		थीन बाँध	एच	300.00
17.		रोपड़ -3	टी	210.00
18.		भटिण्डा	टी	420.00
	जम्मू एवं कश्मीर			
19.		पहलगाम	एच	3.00
20.		कारगिल	एच	3.80
21.		अपर सिंध	एच	70.00
22.		अपर सिन्ध -2	एच	35.00
23.		पम्पौर	जी	100.00
24.		दुलहस्ती	एच	390.00
25.		सलाल -2	एच	345.00
26.		उरी	एच	480.00
	हिमाचल प्रदेश			
27.		थिरोट	एच	4.50
28.		बनेर	एच	12.00
29.		गाज	एच	10.50
30.		चमेरा -1	एच	540.00

1	2	3	4	5
	हरियाणा			
31.		दादनूर	एच	6.00
32.		पानीपत यूनिट -6	टी	210.00
33.		डब्ल्यू वाई सी चरण -2	एच	16.00
34.		यमुनानगर यूनिट	टी	210.00
35.		फरीदाबाद सी सी जी टी	जी	546.00
	दिल्ली			
36.		डेसू डब्ल्यू एच	जी	102.00
37.		बवाना सीसीजीटी	जी	660.00
	गुजरात			
38.		कदाना यूनिट 3-4	एच	120.00
39.		कच्छ लिग्नाइट यू -3	टी	70.00
40.		सिक्का यूनिट -2	टी	120.00
41.		उत्राण गैस आधारित टी पी	जी	78.00
42.		कवास सीसीजीटी	जी	538.00
43.		काकरापार	एन	440.00
44.		गांधार सीसीजीटी	जी	615.00
	मध्य प्रदेश			
45.		तावा	एच	12.00
46.		हसदेव बांगो	एच	120.00
47.		बाणसागर टोन्स	एच	90.00
48.		राजघाट	एच	22.50
49.		संजय गाँधी यूनिट 1,2	टी	420.00
50.		संजय गाँधी यूनिट 3,4	टी	420.00
51.		पेंच	टी	420.00
52.		बाणसागर टोन्स -4	एच	20.00

1	2	3	4	5
	महाराष्ट्र			
53.		मणिकडोह	एच	6.00
54.		उज्जैनी	एच	12.00
55.		वारना	एच	16.00
56.		सूर्या	एच	6.00
57.		भिण्डारडारा-2	एच	34.00
58.		दुधगंगा	एच	24.00
59.		डिम्भे	एच	5.00
60.		भिरा पीएसएस	एच	150.00
61.		कोयना चरण -4	एच	500.00
62.		चन्द्रपुर यूनिट-7	टी	500.00
63.		उराण डब्ल्यू एचपी	जी	360.00
64.		खापरखेड़ा विस्तार	टी	420.00
65.		ट्राम्बे	जी	180.00
66.		बीएसईएस(दहानु)	टी	500.00
67.		सरदार सरोवर	एच	1450.00
	आन्ध्र प्रदेश			
68.		पैन्ना अहोबिलम	एच	20.00
69.		अपर सिलेरू	एच	120.00
70.		गुन्टूर नहर	एच	8.60
71.		श्री सेल्म एलबीपीएच	एच	300.00
72.		मुददानूर	टी	420.00
73.		विजयवाड़ा -3	टी	420.00
74.		सिंगूर	एच	15.00
	कर्नाटक			
75.		वाराही (मुख्य बाँध)	एच	9.00
76.		घाटप्रभा	एच	16.00
77.		मल्लारपुर	एच	9.00

1	2	3	4	5
78.		शरावती टेल रेस	एच	240.00
79.		कालीनदी -2	एच	270.00
80.		बृन्दावन	एच	12.00
81.		भाद्रा	एच	6.00
82.		शिवपुरी	एच	18.00
83.		रायचूर यूनिट -4	टी	210.00
84.		डीजल सैट्स	जी(तेल)	78.00
85.		डी.जी. सैट्स बंगलौर	जी(तेल)	128.00
86.		कैगा	एन	440.00
	केरल			
87.		कल्लाडा	एच	15.00
88.		मुवात्तीपूझा	एच	7.00
89.		लोअवर पैरियार	एच	180.00
90.		काक्काड	एच	50.00
91.		पैप्पारा	एच	3.00
92.		पोरिंगलकुथु	एच	16.00
	पाण्डिचेरी			
93.		करैकाल जीटी	जी	22.50
	तमिलनाडु			
94.		लोअर भवानी आरबीसी	एच	8.00
95.		सथनूर डैम	एच	7.50
96.		नार्थ मद्रास	टी	630.00
97.		बेसिन ब्रिज जीटी	जी	120.00
98.		नैवेली-2 विस्तार	टी	420.00
99.		नैवेली जीरो यूनिट	टी	210.00
	बिहार			
100.		ईस्ट गण्डक कैनाल	एच	15.00
101.		सोन डब्ल्यू एलसी	एच	6.60

1	2	3	4	5
102.		सोन ईएलई	एच	3.30
103.		नार्थ कोयल	एच	24.00
104.		चान्दिल	एच	8.00
105.		तेनूघाट यूनिट 1, 2	टी	420.00
106.		चान्दिल	टी	500.00
107.		बोकरो 'ख'	टी	210.00
108.		कहलगाँव	टी	630.00
	उड़ीसा			
109.		रेंगाली विस्तार	एच	50.00
110.		अपर इन्द्रावती	एच	600.00
111.		अपर कोलाब	एच	80.00
112.		पोत्तेरू	एच	6.00
113.		इब टीपीएस	टी	840.00
114.		तलचेर-I	टी	1000.00
	सिक्किम			
115.		मायांग्चू	एच	4.00
116.		अपर रोंगिचूर	एच	8.00
117.		रंगीत	एच	60.00
	पश्चिम बंगाल			
118.		राम्मन चरण-2	एच	50.00
119.		तीस्ता कैनाल	एच	67.50
120.		कोलाघाट	टी	420.00
121.		बज–बज	टी	500.00
122.		मेजिया	टी	630.00
123.		फरक्का	टी	1000.00
	अरुणाचल प्रदेश			
124.		स्माल हाइडल्स	एच	4.30
125.		नुरानांग	एच	6.00

1	2	3	4	5
126.		रंगानदी	एच	270.00
	असम			
127.		धानसिरी	एच	20.00
128.		कारबी लांग्पी	एच	100.00
129.		डामलाम्ना	एच	6.00
130.		लिकवा जीटी फेज .२	जी	60.00
131.		अम्गुरी	जी	360.00
132.		कठलगुड़ी जीटी	जी	270.00
133.		कोपिली विस्तार	एच	100.00
	नागालैण्ड			
134.		लिकिम्रो	एच	24.00
135.		दोयांग	एच	75.00
	त्रिपुरा			
136.		रोखिया जीटी विस्तार	जी	16.00
137.		अगरतला जी टी	जी	84.00
	मेघालय			
138.		उमियम–उम्तरू	एच	60.00
	मिजोरम			
139.		लघु जल विद्युत	एच	3.60
		कुल क्षमता अभिवृद्धि		**30537.70 मे. वा.**

टी – ताप विद्युत, एच – जल विद्युत, एन – न्यूक्लीय, जी – गैस

टेलीफोन लाइनें

***333. श्री रमेश चेन्नित्तला** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अगले तीन वर्षों के लिये कुल कितनी टेलीफोन लाइनों की आवश्यकता होने का अनुमान है ;

(ख) क्या समूची लाइनों के निर्माण/सप्लाई के लिए विदेशी कंपनियों को आमंत्रित किया जा रहा है ; और

(ग) यदि नहीं, तो "सी–डॉट" प्रौद्योगिकी प्रयोग कर रहे स्थानीय उत्पादकों को इसमें से कितनी

लाइनों के निर्माण का कार्य सौंपा जायेगा ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के आगामी तीन वर्षों के लिए देश में स्विचन क्षमता की लगभग 70 लाख टेलीफोन एक्सचेंज लाइनों की कुल प्रक्षिपित आवश्यकता है।

(ख) जी नहीं। सभी स्विचन लाइनें विदेशी कंपनियों के सहयोग से भारतीय कंपनियों द्वारा बनाई जा रही हैं और इनकी आपूर्ति की जा रही है।

(ग) छोटे और मध्यम क्षमता के टेलीफोन एक्सचेंजों की पूर्ण आवश्यकता की आपूर्ति स्थानीय विनिर्माताओं द्वारा सी–डॉट प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए की जानी होती है जो लगभग 35% है।

प्रादेशिक कार्यक्रम

*334. **श्री वसुदेव आचार्य** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन पर प्रादेशिक कार्यक्रमों की प्रसारण अवधि बढ़ाने हेतु कोई कदम उठाये जा रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) से (ग) जी, हां। दूरदर्शन ने हाल ही में अपने उपग्रह चैनलों पर समान अवधि के लिए पंजाबी में कार्यक्रमों की शुरूआत करने के अतिरिक्त दस क्षेत्रीय भाषाओं (असमी, बंगला, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, तमिल एवं तेलगु) के कार्यक्रमों की समयावधि को ढ़ाई घन्टे से बढ़ाकर लगभग पांच घंटे प्रतिदिन कर दिया है। इन कार्यक्रमों को अब सप्ताह के सभी दिवसों को प्रसारित किया जा रहा है जबकि पहले इन्हें केवल पांच दिन प्रसारित किया जाता था। 10.00 बजे से 10.40 बजे तक सांयकालीन स्लॉट को भी संबंधित क्षेत्रीय कार्यक्रमों के लिए बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास से प्रसारण हेतु सिंगल डी. डी -2 पर पुनः चालू किया गया है।

बम्बई में पाकिस्तानी वाणिज्य दूतावास

*335. **श्री मोहन सिंह (देवरिया)** :

श्री डी० वेंकटेश्वर राव :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान ने बम्बई में अपना वाणिज्य दूतावास बन्द कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ;

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(घ) क्या पाकिस्तानी अधिकारी पाकिस्तानी नागरिकों पर पाबन्दियां लगाने सहित करांची में

भारतीय महावाणिज्य दूतावास के सुचारू रूप से कार्य करने में रुकावटें डाल रहे हैं और कठिनाइयां पैदा कर रहे हैं ;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रया है ;

(च) क्या सरकार ने यह मामला पाकिस्तान सरकार के साथ उठाया है ; और

(छ) यदि हां, तो इस पर पाकिस्तान की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. एल. भाटिया) : (क) और (ख) पाकिस्तान ने बम्बई स्थित अपना प्रधान कोंसलावास बन्द कर दिया है। इसे बन्द करने का कारण उसने यह बताया है कि उसे इस प्रधान कोंसलावास के प्रयोग के लिए तथा उसके कार्य संचालन के लिए सम्पत्ति का अधिग्रहण करने में कठिनाई हो रही थी।

(ग) बम्बई स्थित पाकिस्तानी कोंसलावास के सरकारी कार्य निष्पादन के लिए अनुकूल माहौल बनाने हेतु भारतीय प्राधिकारियों द्वारा किए जा रहे सतत प्रयासों को देखते हुए सरकार ने इस मामले में पाकिस्ताान की सरकार को अपने आश्चर्य और निराशा से अवगत करा दिया है।

(घ) से (छ) कराची स्थित भारत के प्रधान कोंसलावास को अपने सामान्य कार्य संचालन के सम्बन्ध में प्रतिबन्धों का समाना करना पड़ रहा है और स्थानीय जनता की कोंसलावास तक पहुंच में भी बाधा उत्पन्न की जा रही है।

सरकार ने पाकिस्तान के प्राधिकारियों का इस ओर ध्यान आकृष्ट किया है और आशा व्यक्त की है कि भारतीय कोंसलावास को सामान्य रूप से अपना कार्य करने दिया जाएगा।

सरकार बार-बार पाकिस्तान की सरकार से यह कहती रही है कि वह अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमयों के साथ-साथ राजनयिक/कोंसली कार्मिकों के साथ व्यवहार के संबंध में दोनों देशों के बीच सम्पन्न आचरण संहिता के आधीन अपनी वचनबद्धताओं और दायित्वों का सम्मान करे।

राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा विद्युत की सीधी आपूर्ति

***336. डा० कृपा सिन्धु भोई** : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम का सीधे उपभोक्ताओं को विद्युत की बिक्री करने का कोई प्रस्ताव था ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस समय यह मामला किस चरण में है ;

(ग) इस प्रस्ताव के उद्देश्य क्या हैं ; और

(घ) इसके कार्यान्वयन के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

विद्युत मंत्री (श्री एन. के. पी. साल्वे) : (क) से (घ) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एन टी पी सी) में निम्नलिखित प्रमुख उपभोक्ताओं को सीधे ही विद्युत बेचने का प्रस्ताव रखा है :

(1) भारतीय रेल : एन टी पी सी के औरैया और दादरी स्विचयार्ड से 70 मे. वा.

(2) नोएडा पावर कम्पनी लि. नोएडा : 1994-95 में 30 मे. वा. से 1999-2000 में 84 मे. वा. तक की मांग की पूर्ति दादरी कोल आधारित विद्युत परियोजना से की जायेगी।

(3) उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम (यू.पी.एस.आई.डी.सी.) : दादरी गैस आधारित विद्युत परियोजना से 30 मे. वा.।

भारतीय रेल को सीधे विद्युत सप्लाई किए जाने से सम्बन्धित राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के प्रस्ताव से सरकार सहमत हो गई है। अन्य प्रस्तावों की जांच की जा रही है।

(ग) प्रमुख उद्देश्य सप्लाई की गई विद्युत के लिए राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम को समयानुसार और पूर्ण भुगतान किया जाना सुनिश्चित किए जाने और अन्तः प्रयोक्ता को समुचित दर पर विश्वसनीय सप्लाई सुनिश्चित किए जाने से सम्बन्धित है।

राष्ट्रीय प्रचार माध्यम नीति

*337. **प्रो.एम. कामसन :**

श्री गिरधारी लाल भार्गव :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी इलैक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रभाव का प्रतिकार करने हेतु देश इलैक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए एक राष्ट्रीय प्रचार माध्यम नीति अपनाने की काफी समय से मांग की जा रही है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) इस मंत्रालय के अंतर्गत विभिन्न मीडिया यूनिटों को शामिल करते हुए एक राष्ट्रीय मीडिया नीति तैयार किए जाने के संबंध में समय-समय पर कुछ मंचों पर मांग की जाती रही है।

(ख) इस विषय पर विचार-विमर्श में सहायता करने के उद्देश्य से "मीडिया नीति" के संबंध में सैद्धांतिक दस्तावेज/व्यवहार्य दस्तावेज तैयार करने के लिए इस मंत्रालय की परामर्शदात्री सीमिति की एक उप-समिति गठित की गई है।

घरेलू इस्पात उद्योग

*338. **श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :**

श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :

क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्पात उद्योग में अभी भी मंदी चल रही है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) सरकार का मंदी के इस रूख को बदलने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ;

(घ) क्या भारतीय बाजार में विदेशी माल की भरमार से घरेलू इस्पात उद्योग के अस्तित्व के लिए खतरा पैदा हो गया है ; और

(ङ) यदि हां, तो घरेलू इस्पात उद्योग/उद्यमियों के हितों की रक्षा के लिए केन्द्रीय सरकार ने क्या उपाया किए हैं ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) और (ख) पिछले दो वर्षों के दौरान इस्पात की प्रत्यक्ष खपत में केवल एक से दो प्रतिशत की ही वृद्धि परिलक्षित हुई है। मांग में मंदी का मुख्य कारण निर्माण कार्यकलापों में कमी आना और कुछ इस्पात प्रयोक्ता उद्योगों द्वारा मंदी का सामना करना है।

(ग) वर्ष 1994-95 के बजट में पूंजीगत माल से संबंधित "माडवेट" में विस्तार, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास तथा अवसंरचना क्षेत्र के लिए वर्धित आवंटन से इस्पात की मांग में वृद्धि होने की आशा है।

(च) और (ङ) इस्पात के आयात में अभी वृद्धि का रूख परिलक्षित नहीं हुआ है। 1993-94 के दौरान इस्पात के आयात में पिछले वर्ष 1992-93 की तुलना में 8% की कमी आंकी गयी है। तथापि, इस्पात के संचयन से प्रभावित स्वदेशी इस्पात उत्पादक कस्टम टैरिफ ऐक्ट, 1975 के प्रावधानों के तहत संचयन के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए वाणिज्य मंत्रालय के नामित प्राधिकारी को शिकायत कर सकते हैं।

[हिन्दी]

छोटे इस्पात संयंत्र

***339. श्री शिवलाल नागजीभाई :**

श्रीमती दिल कुमारी भण्डारी :

क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित किए जाने वाले इस्पात संयंत्रों का ब्यौरा क्या है और ये संयंत्र किन-किन स्थानों पर स्थापित किए जाएंगें ;

(ख) क्या इनमें से कुछ परियोजनाओं पर कार्य आरम्भ हो गया है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) से (ग) लोहा और इस्पात उद्योग को अनिवार्य लाइसेंसिंग से छूट दे दी गई है। लोहे अथवा इस्पात की इकाई स्थापित करने के इच्छुक उद्यमी को अब औद्योगिक लाइसेंस के लिए सरकार की मंजूरी की आवश्यकता नहीं है बशर्ते प्रस्तावित संयंत्र 1991 की जनगणना के अनुसार 10 लाख से अधिक की आबादी वाले शहर की सीमा के 25 कि० मी० के भीतर न हो।

"लघु इस्पात संयंत्र" का तात्पर्य सामान्यतः अपेक्षाकृत कम मात्रा में विद्युत चाप भट्टी से इस्पात का निर्माण करने वाली इकाई से है। सरकार के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार निम्नलिखित पांच विद्युत चाप भट्टी इकाइयां, जिनकी वार्षिक क्षमता 5 लाख टन से कम है, स्थापित की गई हैं। आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है :

क्रम सं.	नाम	स्थान-स्थिति	क्षमता	चालू होने की तारीख/चालू होने की सम्भावित तारीख
1.	नोवा उद्योग लि०	नैनीताल उत्तर प्रदेश	2.0 लाख टन वार्षिक	मई, 1993
2.	इण्डियन सीमलैस स्टील एण्ड एलायज लि०	जेजूरी, पूणे महाराष्ट्र	1.5 लाख टन वार्षिक	जुलाई, 1993
3.	लायड्स स्टील इण्डस्ट्रीज लिमिटेड	वर्धा, महाराष्ट्र	4.0 लाख टन वार्षिक	अप्रैल, 1994
4.	जिन्दल स्ट्रिप लि०	रायगढ़, मध्य प्रदेश	5.0 लाख टन वार्षिक	दिसम्बर, 1995
5.	नोवा स्टील्स (इण्डिया) लि.	बिलासपुर, मध्य प्रदेश	2.0 लाख टन वार्षिक	अक्तूबर, 1995

[अनुवाद]

पाकिस्तान द्वारा दुष्प्रचार

***340. श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति :**

श्री श्रवण कुमार पटेल :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पाकिस्तान द्वारा संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग, जेनेवा में कश्मीर से संबंधित प्रस्ताव को वापस लिये जाने के बाद उसके भारत–विरोधी अभियन का मुकाबला करने के लिए यूरोपीय समुदाय तथा इस्लामी मंचों सहित अन्य अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर नई कूटनीतिक पहल शुरू की है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या पाकिस्तान इस्लामी देशों तथा अन्य देशों को एक के बाद एक प्रतिनिधिमंडल भेज रहा है ; और

(घ) यदि हां, तो पाकिस्तान द्वारा किये जा रहे दुष्प्रचार का कड़ाई से मुकाबला करने के लिए क्या ठोस कदम उठाये जा रहे हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) और (ख) पाकिस्तान भारत विरोधी जो प्रचार कर रहा है उसका प्रतिकार करना एक सतत प्रक्रिया है। सरकार पाकिस्तान की कुप्रचार गतिविधियों पर बराबर निगरानी रखती है। विशेषकर कश्मीर के मसले पर, तथा पाकिस्तान के मिथ्या तथा दुष्प्रेरित कुप्रचार का आवश्यकतानुसार त्वरित, व्यापक तथा प्रभावी कार्रवाई करके सफलता पूर्वक प्रतिकार करती है।

पाकिस्तान के कुप्रचार का प्रतिकार करने के लिए सरकार के प्रयासों को तेज करने के लिए हाल ही में जो नई पहल कदमियां की गई हैं उनमें निम्नलिखत शामिल हैं :

(I) यूरोप तथा अन्य देशों जिनमें इस्लामी देश भी शामिल हैं, के राजदूतों का कश्मीर ले जाना ताकि वे वास्तविक स्थिति से स्वंय अवगत हो सकें।

(II) कश्मीर की वास्तविक स्थिति, कश्मीर मसले पर हमारी स्थिति, पाकिस्तान द्वारा चलाए जा रहे गलत सूचना देने के अभियान तथा आतंकवादियों को उसके द्वारा दी जा रही निरन्तर सहायता और दुष्प्रेरणा से संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के 53 सदस्य राज्यों के दूतों को अवगत कराना।

(III) हमारे नेताओं की अन्य देशों की यात्राओं के दौरान तथा विदेशी नेताओं की भारत यात्राओं के दौरान विदेशी सरकारों को वरिष्ठतम स्तरों पर स्थिति से अवगत कराना।

(IV) विदेश मंत्रालय के प्रचार–प्रसार तथा प्रतिकारी प्रचार से संबद्ध प्रयासों की पूर्ति करते तथा उन्हें मजबूत करने के लिए विदेश मंत्रालय में एक विशेष एकक की स्थापना करना।

(ग) जी, हां।

(घ) उपर्युक्त उपायों के अलावा पाकिस्तान के कुप्रचार का प्रतिकार करने के लिए सरकार ने जो विशिष्ट उपाय किए हैं उनमें निम्नलिखित शामिल हैं :

(I) अन्य देशों की सरकारों के साथ जल्दी–जल्दी तथा निरन्तर क्रियाकलाप करना ताकि मिथ्या आरोपों के सम्बन्ध में तथ्य पेश किए जा सकें।

(II) समूचे विश्व में उनका पंजाब और जम्मू कश्मीर की वास्तविक स्थिति का उल्लेख करने वाले तथा आतंकवाद को सहायता तथा दुष्प्रेरित करने में पाकिस्तान की भूमिका को उजागर करने वाले ऐसे दस्तावेज और इश्तहार तैयार करना।

(III) इसी प्रकार की श्रव्य–दृश्य सामग्री तैयार करना तथा उसका वितरण करना।

(IV) भारतीय तथा विदेशी पत्रकारों को यहां तथा अन्य देशों में हमारे मिशनों के जरिए नियमित आधार पर स्थिति से अवगत कराते रहना।

(V) हमारे मिशनों को नियमित आधार पर सूचना देना ताकि वे संगत लक्ष्य श्रोताओं को मद्देनजर रखते हुए त्वरित और प्रभावी सुधारात्मक कार्रवाही कर सकें।

(VI) इस सम्बन्ध में अतिरिक्त प्रस्तावित उपायों में अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित उपाय भी शामिल हैं : अनिवासी भारतीयों के साथ अपेक्षाकृत अधिक क्रियाकलाप करना, टी.वी. उपग्रहों चैनलों के जरिए प्रचार सम्भावनाओं का उपयोग करने के लिए अधुनातन संचार उपकरण प्राप्त करना तथा विदेश स्थित मिशनों के सूचना स्कन्धों को मजबूत बनाना।

ईरान के साथ समझौता

3576. मेजर जनरल (रिटॉयर्ड) भुवन चन्द्र खंडूरी : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने मध्य एशियाई गणराज्यों के साथ रेल और सड़क संपर्क के विकास के संबंध में ईरान के साथ किसी समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या पाकिस्तान इस समझौते के कार्यान्वयन को अवरूद्ध/विलंबित करने का प्रयास कर रहा है ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं ?

विदेश राज्य मंत्री (श्री आर.एल. भाटिया) : (क) और (ख) "भूतल परिवहन तथा पारगमन सुविधाओं में सहयोग" के सम्बन्ध में एक समझौता ज्ञापन भारत तथा ईरान के बीच सितम्बर, 1993 को सम्पन्न हुआ था। इस समझौता ज्ञापन में बन्दरगाहों, सड़कों, रेलवे, वायु सम्पर्कों तथा अन्य आधार भूत संरचना को विकसित करने तथा उनका निर्माण करने जैसी परियोजनाओं में भारत–ईरान के सहायोग की बात कही गई है ताकि मध्य एशियाई क्षेत्र के साथ उनके आर्थिक तथा वाणिज्यिक सम्पर्कों के विकास को सुविधाजनक बनाया जा सके और साथ ही मध्य एशियाई राज्यों के साथ ईरान के रास्ते से भारत के व्यापार के लिए पारगमन को सुविधाजनक बनाया जा सके।

(ग) सरकार के पास इस आशय की कोई सूचना नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

समुद्री खाद्य में विदेशी सहयोग

3577. श्री राम कापसे : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक कम्पनी डी०सी०एल० मेरिटेक लिमिटेड थाइलैण्ड के सी०पी० एक्वाकल्चर बिजनेस ग्रुप की तकनीकी सहायता से आन्ध्र प्रदेश के नैल्लोर जिले में उत्तरी राजपूलेम में एक उच्च प्रौद्योगिकी वाला समुद्री खाद्य प्रसंस्करण एकक स्थापित कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो यह वाणिज्यिक स्तर पर उत्पादन कब से आरंभ करेगी ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरूण गगोई) : (क) जी हां।

(ख) कंपनी के अनुसार वाणिज्यिक स्तर पर उत्पादन मई, 1994 में शुरू होगा।

भारतीय इस्पात प्राधिकरण में गड़बड़ी

3578. श्री सनत कुमार मंडल : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 5 फरवरी, 1994 के "द इकॉनामिक टाइम्स", नई दिल्ली में "फाउलप्ले इन एस०ए०आई०एल० कांट्रैक्ट एलेइन" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) "मेकान" के बदले किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को ठेका न दिये जाने के क्या कारण हैं ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) पुनतार्पन भट्ठियों की स्थापना के लिए दिसम्बर, 1992 में बोकारो इस्पात संयंत्र द्वारा आमंत्रित अन्तर्राष्ट्रीय टेन्डर इन्कवायरी के प्रत्युत्तर में केवल पेशकर्त्ताओं नामतः मेकन/इरिटेकना, इटली तथा ई.पी.आई./स्टेन ह्यूर्टे, फ्रांस को तकनीकी रूप से स्वीकार्य समझा गया था। मैसर्स मेकन और मैसर्स ई.पी.आई. दोनों ही केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रम हैं और मैसर्स इरिटेकना और मैसर्स स्टेन ह्यूर्टे क्रमशः मैसर्स मेकन और मैसर्स ई.पी.आई. के स्वदेशी सहयोगी हैं।

उपरोक्त पार्टियां के संबंधित बोलियों का संयंत्र स्तरीय समिति (पी.एल.सी.) द्वारा और तत्पश्चात स्टील आर्थेरिटी ऑफ इंडिया लि० की शीर्ष समिति जिसमें उच्च प्रबन्धन शामिल था, द्वारा मूल्यांकन किया गया। शीर्ष समिति को सेन्टर फार इंजीनियरिंग टेकनोलोजी (सेट) जो "सेल" की आन्तरिक तकनीकी परामर्शदात्री ईकाई है, द्वारा सहयोग दिया गया इन पेशकशों के विस्तृत तकनीकी–आर्थिक मूल्यांकन तथा पार्टियों के साथ विचार–विमर्श करने के पश्चात् अन्ततः मैसर्स मेकन की पेशकश जो मैसर्स ई.पी.आई. की पेशकश की तुलना में कम थी, को स्वीकार करने की सिफारिश की गयी थी।

अतः अनुबन्ध को केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रम, मेकन को देने का निर्णय "सेल" के सर्वाधिक हित में लिया गया था जो तकनीकी वाणिज्यिक और टेन्डर मूल्यांकन से संबंधित अन्य स्वीकार्य मानदण्डों को ध्यान में रखने के पश्चात् किया गया था।

विदेशी प्रसारण

3580. श्री सुशील चन्द्र वर्मा : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय नागरिकों पर विदेशी प्रसारण के प्रभाव की जांच करने के लिए कोई मूल्याकंन कराया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार विदेशी स्काईवें टेलीविजन की चुनौती से निपटने के लिए इनसैट–2ए के प्रयोग करने का है ;

(ग) यदि हां, तो इस दिशा में अब तक क्या ठोस कदम उठाए गए हैं ; और

(घ) जहां तक वाणिज्यिक विज्ञापन का संबध है सरकार ने इनसैट–2ए के ट्रांसपोंडरों के एस. और सी. बैंडों के उपयोग हेतु क्या योजना बनाई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) दूरदर्शन ने हाल ही में भारतीय नागरिकों पर देशी तथा विदेशी टेलीविजन के प्रभाव के बारे में अध्ययन शुरू कराया है।

(ख) से (घ) इनसैट-1डी, इनसैट–2 ए तथा इनसैट - 2 बी वाली इनसैट पद्धति के तीन परिचालन देशी सैटेलाइटों के ट्रांसपोंडर दूरदर्शन कार्यक्रमों के प्रसारणार्थ प्रयोग किए जा रहे हैं, जिनमें से बहुत से विज्ञापनों के साथ प्रसारण करते हैं।

[हिन्दी]

किसी देश द्वारा प्रायोजित आतंकवाद के संबंध में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग से अनुरोध

3581. श्री साईमन मरांडी : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने एक देश के द्वारा दूसरे देश के विरूद्ध युद्ध के रूप में आतंकववाद का प्रयोग करने के संबंध में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग से अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग और इसके अन्य सदस्य देशों की इस पर क्या प्रतिक्रिया हुई है ; और

(घ) सरकार की इस संबंध में आगे और क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.एल. भाटिया) : (क) से (घ) भारत की पहल पर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के 50 वें सत्र ने "मानवाधिकार और आतंकवाद" नामक एक संकल्प पारित किया जिसमें आतंकवाद की सभी प्रकार की कार्यवाहियों, उसके तौर–तरीकों तथा उसकी अभिव्यक्तियों की बड़े ही स्पष्ट शब्दों में निन्दा को दोहराया गया है चाहे ऐसे कार्य कहीं भी किए गए हों और किसी के भी द्वारा किए गए हों और इन्हें आक्रामक कार्यवाहियों की संज्ञा दी गई है जिनका उद्देश्य मानवाधिकारों, मौलिक स्वतन्त्रताओं तथा लोकतंत्र को नष्ट करना, राज्यों की प्रादेशिक अखण्डता और सुरक्ष के लिए खतरा उत्पन्न करना, कानूनी रूप से गठित सरकारों को अस्थिर बनाना, बहुवादी असैनिक समाज को कमजोर बनाना तो है ही साथ ही राज्य के आर्थिक और सामाजिक विकास पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यह संकल्प सर्वसम्मति से पारित हुआ।

[अनुवाद]

भारतीय जहाजरानी निगम द्वारा अर्जित विदेशी मुद्रा

3582. श्री एस.बी. सिद्दनाल : क्या जल भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय जहाजरानी निगम द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गयी ;

(ख) भारतीय जहाजरानी निगम द्वारा गत उक्त अवधि के दौरान अपने पोतों की मरम्मत और रख रखाव पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की गयी ; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा निगम को उक्त अवधि के दौरान कितनी विदेशी सहायता दी गयी है ?

जल भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) भारतीय नौवहन निगम द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान अर्जित की गई/बचाई गई सकल विदेशी मुद्रा निम्न प्रकार है :

वर्ष	विदेशी मुद्रा की राशि (करोड़ रु०)
1990-91	1109.12
1991-92	1331.60
1992-93	1403.78

(ख) भारतीय नौवहन निगम द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान अपने जहाजों की मरम्मत और रख–रखाव पर खर्च की गई विदेशी मुद्रा निम्न प्रकार है :

वर्ष	भारतीय नौवहन निगम द्वारा जहाजों की मरम्मत और रख–रखाव पर खर्च की गई विदेशी मुद्रा की राशि (करोड़ रु.)
1990-91	81.60
1991-92	126.97
1992-93	124.97

(ग) भारत सरकार द्वारा भारतीय नौवहन निगम को पिछले तीन वर्षों के दौरान दिए गए आसान ऋण की राशि निम्न प्रकार है :

वर्ष	आसान ऋण की राशि (करोड़ रु.)
1990-91	84.29
1991-92	79.39
1992-93	54.88

[हिन्दी]

भारतीय मूल के लोग

3583. श्री मृत्युंजय नायक : क्या विदेश मंत्री 20 दिसम्बर, 1993 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2743 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय मूल के लोगों के संबंध में सूचना अब तक एकत्र कर ली गई है ;

(ख) यदि नहीं, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.एल. भाटिया) : (क) से (ग) सूचना एकत्र तथा समेकित की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

महाराष्ट्र में टेलीफोन ट्रांसमीटर

3584. श्री विलासराव नागनाथराव गुंडेवार : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार 1994-95 के दौरान महाराष्ट्र में नये टेलीविजन ट्रांसमीटर की स्थापना करने का है ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गये हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) और (ख) : जी, हां। अपेक्षित ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

1994-95 के दौरान महाराष्ट्र में स्थापित किए जाने हेतु प्रस्तावित अल्प शक्ति ट्रांसमीटरों/अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटरों की सूची।

क्रम सं.	स्थान	क्रम सं.	स्थान
1.	अकलुज	4.	कंकोली
2.	चिपलून	5.	संगमनेर
3.	हिंगनघाट	6.	उमेरगा
		7.	शिरपुर

8.	मेहेकर	14.	अदयाल टेकड़ी
9.	मोर्शी	15.	जून्नर
10.	वनी	16.	खेड
11.	देवरूख	17.	करजट
12.	चिखली	18.	राजापुर
13.	खामगांव/माहसले	19.	चिकलधारा

पूर्वोत्तर राज्यों में एस.टी.डी.

3585. श्री हाराधन राय : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एस. टी. डी. सुविधाओं से जुड़े पूर्व और पूर्वोत्तर राज्यों के स्थानों का राज्य–वार ब्यौरा क्या है ; और

(ख) कलकत्ता से इन स्थानों के एस. टी. डी. प्रभार का पल्स रेट क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन पटल पर रख दी जाएगी।

त्रिवेन्द्रम दूरदर्शन प्रसारण

3586. श्री मुल्ला पल्ली रामचन्द्रन : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिवेन्द्रम दूरदर्शन द्वारा केरल के उत्तरी जिलों में होने वाली घटनाएं/कार्यक्रम दिखाये नहीं जाते हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार का विचार केरल के उत्तरी जिलों में होने वाली घटनाओं/कार्यक्रमों को दिखाने के संबंध में कोई कदम उठाने का है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) जी, नहीं। इन जिलों की महत्वपूर्ण घटना दूरदर्शन केन्द्र, त्रिवेन्द्रम द्वारा कवर की जाती हैं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

खनन की वैज्ञानिक तकनीक का प्रयोग

3587. श्री जंगबीर सिंह : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन–किन खानों में गत दो वर्षों से आधुनिक वैज्ञानिक तकनीक द्वारा खनन किया जा रहा है ;

(ख) उस पर कुल कितना खर्च हुआ है ;

(ग) चालू वर्ष में इस कार्य के लिए कितना धन खर्च किए जाने का विचार है ; और

(घ) हरियाणा राज्य के भिवानी जिले में स्थित खानों का आधुनिकीकरण करने के लिए कितनी राशि खर्च की जायेगी ?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) निजी क्षेत्र के साथ–साथ सरकारी क्षेत्र के पट्टाधारियों द्वारा 3,300 से अधिक खानें परिचालित की जा रही हैं, खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों का उद्देश्य इन खानों में वैज्ञानिक खनन तरीके सुनिश्चित करना है।

(ख) और (ग) अगर इसमें कोई खर्चा हो तो उसका वहन केन्द्र सरकार द्वारा नहीं बल्कि संबंधित पट्टाधारी द्वारा किया जाता है।

(घ) खान मंत्रालय के सरकारी क्षेत्र के उपक्रम हरियाणा राज्य के भिवानी जिले में कोई खनन कार्य नहीं कर रहे हैं। अतः इसके आधुनिकीकरण का प्रश्न ही नहीं उठता ।

गुजरात में 4000 लाइनों का एक्सचेंज

3588. श्री एन. जे. राठवा : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात के किन स्थानों पर 1993-94 के दौरान 4000 लाइनों वाले एक्सचेंज लगाए जाने का प्रस्ताव है ; और

(ख) इन्हें कब तक चालू कर दिया जायेगा ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) अहमदाबाद, सूरत, गोंडल (राजकोट) और भावनगर में 4000 लाइनों की क्षमता वाले इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज संस्थापित करने का प्रस्ताव है।

(ख) वर्ष 1993-94 के दौरान, अहमदाबाद, सूरत और गोंडल (राजकोट) में एक्सचेंज चालू किए जा चुके हैं। भावनगर स्थित एक्सचेंज के वर्ष 1994-95 के दौरान चालू होने की संभावना है।

[अनुवाद]

स्टेनलेस स्टील के सवारी डिब्बों का निर्यात

3589. श्री मनोरंजन भक्त : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण का भारतीय रेल को स्टेनलेस स्टील के सवारी डिब्बों की आपूर्ति करने का प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) और (ख) इस समय भारतीय रेलवे को स्टेनलेस स्टील कोचों की सप्लाई करने के लिए "सेल" का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, कोचों, वैगनों तथा अन्य सार्वजनिक सेवाओं में स्टेनलेस स्टील के उपयोग किये जाने की क्षमता है तथा इस संबंध में "सेल" और रेलवे के बीच तकनीकी–वाणिज्यिक संबंधी विचार–विमर्श किये जा रहे हैं।

[हिन्दी]

उड़ीसा के दूरभाष केन्द्रों में एस.टी.डी. सुविधा

3590. श्री गोविन्द चन्द्र मुन्डा : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में एस.टी.डी. सुविधा निर्धारित मानदंडों के अनुरूप उपलब्ध करा दी गई है ;

(ख) यदि हां तो उन दूरभाष केन्द्रों का ब्यौरा क्या है जहां इस समय एस.टी.डी. सुविधा उपलब्ध है ; और

(ग) शेष दूरभाष केन्द्रों में एस.टी.डी. सुविधा कब तक उपलब्ध करा दी जाएगी ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) जी हां।

(ख) 31.03.94 की स्थिति के अनुसार, उड़ीसा में 652 टेलीफोन एक्सचेंजों में से 470 को एस टी डी नैटवर्क से जोड़ दिया गया है।

(ग) शेष सभी सक्सचेंजों को आठवीं योजना अवधि के दौरान उत्तरोत्तर रूप से एस टी डी नैट वर्क से जोड़ने का प्रस्ताव है जो संसाधनों यथा निधियों, भूमि, भवन, उपस्करों आदि की उपलब्धता पर निर्भर होगा।

बिहार में टेलीफोन कनेक्शन

3591. श्री ललित उरांव : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार के गुमला लोहरदगा, समस्तीपुर, पालामू और रांची जिलों में 15 जनवरी, 1994 तक सामान्य कोटे में तथा सांसदों के लिए बिना बारी के आबंटन कोटे से टेलीफोन कनेक्शन आबंटित

करने हेतु कितने आवेदन प्रतीक्षा सूची में हैं ;

(ख) सरकार द्वारा सभी आवेदन कर्ताओं को कब तक टेलीफोन कनेक्शन उपलब्ध करा दिए जाएंगें ;

(ग) क्या सरकार का इन टेलीफोन एक्सचेंजों की क्षमता बढ़ाये जाने का कोई प्रस्ताव है

(घ) यदि हां, तो यह क्षमता कब तक बढ़ायी जायेगी और कितनी ; और

(ड.) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) 15.1.94 की स्थिति के अनुसार प्रतीक्षा सूची के ब्यौरे :

जिला	सामान्य कोटा	बिना बारी के संसद सदस्यों का कोटा
गुमला	105	6
लोहरदगा	73	1
समस्तीपुर	614	शून्य
पालमू	269	शून्य
रांची	शून्य	शून्य
योग :	1061	7

(ख) 15.1.94 तक पंजीकृत अधिकांशतः सभी आवेदकों को मार्च, 1995 तक टेलीफोन कनेक्शन उपलब्ध करवा दिए जाने की संभावना है जिसमें माननीय संसद सदस्यों के कोटे के बिना बारी के टेलीफोन भी शामिल हैं।

(ग) जी हां।

(घ) इन एक्सचेंजों की 1994-95 के लिए विस्तार करने संबंधी योजना का ब्यौरा इस प्रकार है :

1. गुमला : 1000 लाइनों द्वारा
2. लोहरदगा : 1000 लाइनों द्वारा
3. समस्तीपुर
   - (i) समस्तीपुर में – 384 लाइनों द्वारा
   - (ii) रोसड़ा में – –वही–
   - (iii) मोहिउद्दीननगर में – 88 लाइनों द्वारा
   - (iv) वैनी में – –वही–
   - (v) किशनपुर में – –वही–

	(vi)	हासनपुर में	--	88 लाईनों द्वारा
	(vii)	दलसिंहसराय में	–	–वही–
4.	पलामू			
	(i)	डाल्टनगंज में	--	1000 लाइनों द्वारा
	(ii)	पटना में	–	88 लाइनों द्वारा
	(iii)	मोनिका में	–	–वही–
	(iv)	गारू में	–	–वही–
	(v)	महूडांड़	–	–वही–
	(vi)	धुर्की में	–	–वही–
	(vii)	भंडारिया में	–	–वही–

(ड.) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

एस. टी. डी./आई. एस. डी. स्थानीय टेलीफोन बूथ

3592. श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी : क्या संचार मंत्री 23 अगस्त, 1993 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4062 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मांगी गयी सूचना इस बीच एकत्र कर ली गयी है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या दोषी बूथ आबंटितियों का पता लगाने के लिए कोई वास्तविक जांच की गई है ;

(घ) यदि हां, तो दिल्ली में स्थान–वार उनकी संख्या क्या है और उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ;

(ड.) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(च) क्या दिल्ली में दोषी व्यक्तियों के संबंध में इस समय वही स्थिति है, जो अगस्त, 1993 में थी ; और

(छ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) जी, हां।

(ख) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) से (छ) अपेक्षित सूचना एंकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विवरण

एस.टी.डी./आई.एस.डी के बारे में श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी द्वारा लोक सभा में दिनांक 23.8.93 को पूछे गए अतारांकित प्रश्न सं० 4062 के संबंध में कार्यान्वयन रिपोर्ट।

(क) और (ख) सार्वजनिक टेलीफोनों से की गई स्थानीय कालों पर, चाहे वे सिक्का बॉक्स (मानव रहित) अथवा साधारण उपकरण (मानव प्रचालित) से की गई हों, इलेक्ट्रॉनिक तथा गैर–इलैक्ट्रॉनिक एक्सचेंज प्रणालियों में किसी समय–सीमा के बगैर प्रति स्थानीय काल एक रुपया प्रभार लिया जाता है।

एस.टी.डी/आई.एस.डी./पी.सी.ओ. (मानव प्रचालित) और कार्ड प्रचालित पे–फोनों से की गई स्थानीय कालों पर रु. 1.25 पैसे प्रति काल यूनिट प्रभार लिया जाता है। इनके लिए इलैक्ट्रॉनिक एक्सचेंज प्रणाली में 5 मिनट की समय–सीमा निर्धारित है और गैर–इलैक्ट्रॉनिक एक्सचेंज प्रणाली में कोई समय–सीमा निर्धारित नहीं है।

एस.टी.डी./आई.एस.डी./पी.सी.ओ. (मानव प्रचालित) मूलतः एस.टी.डी. काल सेवाएं प्रदान करने के लिए होते हैं और उनमें प्रति काल यूनिट रु. 1.25 पैसे प्रभार लिया जाता है। इसलिए यदि किसी एस.टी.डी. / आई.एस.डी. बूथ से स्थानीय काल की जाती है तो बूथ प्रचालक को ग्राहक से रु. 1.25 पैसे प्रति यूनिट काल की दर से प्रभार लेना होता है।

उपर्युक्त को मद्दे नजर रखते हुए एस.टी.डी./आई.एस.डी. बूथ प्रचालक को यदि वह स्थानीय पी.सी.ओ. भी नहीं चला रहा है तो "एम.टी.एन.एल. की दर पर स्थानीय कालें" का सूचना पट्ट लगाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है।

तथापि, एस.टी.डी./आई.एस.डी./पी.सी.ओ. के उन आबंटित व्यक्तियों के विरूद्ध कार्रवाई की जाती है जिन्हें अधिक प्रभार वसूल करते हुए पाया जाता है।

(ग) और (घ) ऊपर भाग (क) और (ख) में दिये विवरण को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश में टेलीफोन एक्सचेंजों के लिए भवन

3593. श्री सुरेन्द्र पाल पाठक : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में विशेषतः हरदोई और लखीमपुर–खीरी जिलों में, टेलीफोन एक्सचेंजों की क्षमता में विस्तार के लिए और नए टेलीफोन एक्सचेंज लगाने के लिए भूमि का अधिग्रहण किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो ये कहां–कहां स्थित हैं ; और

(ग) इन एक्सचेंजों के भवन कब तक बन जाएंगे ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) हरदोई और लखीमपुर खीरी जिलों के विशेष संदर्भ के साथ ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

जिला हरदोई

स्थान का नाम	क्या टेलीफोन एक्सचेंज/ नए टेलीफोन एक्सचेंज की क्षमता बढ़ाने के लिए भूमि अधिगृहीत कर ली है ?	अवस्थिति	वह समय जब तक भवन का निर्माण हो जाएगा।
	(क)	(ख)	(ग)
हरदोई	अधिगृहीत नहीं की गई है, लेकिन नया भवन एक्सचेंज/विभाग की मोजूदा भूमि पर बना दिया है।	हरदोई टेलीफोन एक्सचेंज परिसर	भवन बन कर तैयार हो गया है
शाहबाद	जी हां।	चक्काट,नगर पालिका, शाहबाद	भवन, 1995-96 में बन कर तैयार होने की आशा है।
संदीला	जी नहीं। नया भवन मौजूदा टेलीफोन एक्सचेंज परिसर में बनाया गया है।	संदीला टेलीफोन एक्सचेंज परिसर	भवन, पहले से बन कर तैयार है।
	(जिला लखीमपुर-खीरी)		
लखीमपुर	जी हां, पहले ही अधिगृहीत कर ली है।	सिविल लाइंस लखीमपुर।	भवन निर्माण कार्य पूरा हो गया है।
निघासन	जी, हां।	निघासन, – लखीमपुर खीरी रोड।	भवन निर्माण कार्य 1995-96 में शुरू किए जाने की आशा है।
धौराहड़ा	जी, हां।	धौराहड़ा	भवन–निर्माण कार्य 1995 में शुरू होने की आशा है।
पाल्लिया	जी, हां।	पाल्लिया मंडी समिति	भवन निर्माण कार्य 1995-96 में शुरू होने की आशा है।
मोहम्दी	जी नहीं, नया भवन मौजूदा सूक्ष्मतरंग परिसर में बनाया गया है।	मोहम्दी सूक्ष्मतरंग परिसर	सूक्ष्मतरंग परियोजना के लिए भवन पहले से बनकर तैयार है और इसमें नया एक्सचेंज संस्थापित करने का प्रस्ताव है।

[अनुवाद]

पश्चिम बंगाल में एस.टी.डी./सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र

3594. श्री जितेन्द्र नाथ दास : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पश्चिम बंगाल विशेषतः जलपाईगुड़ी में एस.टी.डी./आई.एस.डी. सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र स्थापित करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) जी हां।

(ख) पश्चिम बंगाल में 105 एस.टी.डी.पी.सी.ओ. पहले से ही कार्य कर रहे हैं जिसमें जलपाईगुड़ी जिले के दो एस.टी.डी. पी.सी.ओ. भी शामिल हैं। राज्य में एस.टी.डी. पी.सी.ओ. खोलने के लिए कुल 1072 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं जिसमें जलपाईगुडी के 200 आवेदन पत्र भी शामिल हैं। एक्सचेंज लाइन की क्षमता की 5 प्रतिशत सीमा तक एस.टी.डी. पी.सी.ओ. सहित सार्वजनिक टेलीफोन संस्थापित करने के अनुदेश पहले से ही विद्यमान हैं।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में आकाशवाणी/दूरदर्शन केन्द्रों में कर्मचारियों की संख्या

3595. श्री बारे लाल जाटव : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री 13 दिसम्बर, 1993 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1565 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में आकाशवाणी/दूरदर्शन केन्द्रों में कार्यरत कर्मचारियों के संबंध में श्रेणीवार सूचना एकत्रित कर ली गई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) जी, हां।

(ख) मध्य प्रदेश में स्थित आकाशवाणी तथा दूरदर्शन केन्द्र के कर्मचारियों की संख्याओं का श्रेणी–वार ब्यौरा क्रमशः विवरण-I और विवरण-II में दिया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण-I

मध्य प्रदेश के आकाशवाणी केन्द्रों में श्रेणीवार कर्मचारियों का श्रेणीवार विवरण।

पद की श्रेणी	सामान्य	अ. जाति	अ. ज. जाति	योग
समूह क	48	3	3	54
समूह ख	118	18	9	145

समूह ग	569	122	101	792
समूह घ	156	102	70	328

विवरण -II

मध्य प्रदेश के दूरदर्शन केन्द्र में कर्मचारियों का श्रेणी-वार विवरण

पद की श्रेणी	सामान्य	अ. जाति	अ. ज. जाति	कुल योग
समूह क	37	7	1	45
समूह ख	138	22	7	157
समूह ग	419	67	76	610
समूह घ	135	69	60	264

बिहार के पासपोर्ट कार्यालयों में रिक्त पद

3596. श्री प्रेमचन्द राम : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों में बहुत समय से कई पद रिक्त पड़े हैं ;

(ख) इसके परिणामस्वरूप लोगों को हो रही कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं/जा रहे हैं ;

(ग) क्या राज्य में पासपोर्ट कार्यालयों का दर्जा बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.एल. भाटिया) : (क) जी, हां।

(ख) पटना के पासपोर्ट कार्यालय में कर्मचारियों के स्वीकृत पदों में से रिक्त पड़े पदों को भरने के सभी संभव प्रयास तो किये जा रहे हैं लेकिन कार्य का निपटान करने के लिए 15 नैमित्तिक कर्मचारियों की भर्ती कर ली गई है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

मधुबनी, बिहार में टेलीफोन कनेक्शन

3597. श्री भोगेन्द्र झा : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार के मधुबनी जिले के घनी आवादी वाले उपमंडल बेनीपट्टी में टेलीफोन कनेक्शन

प्राप्त करने में भारी कठिनाई हो रही है जिसमें संसद सदस्यों द्वारा वरीयता के आधार पर टेलीफोन कनेक्शन देने की सिफारिश संबंधी मामले सम्मिलित हैं ;

(ख) यदि हां, तो वहां टेलीफोन कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ;

(ग) क्या बिहार के मधुबनी जिले में बेनीपट्टी और लौकहा बाजार में इलैक्ट्रॉनिक एक्सचेंज लगाए गए हैं ;

(घ) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं ; और

(ङ) इन्हें कब तक स्थापित कर दिया जायेगा ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) जी नहीं।

(ख) ऊपर भाग (क) के उत्तर को ध्यान मे रखते हुए, प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी हां। बिहार के मधुबनी जिले के बेनीपट्टी और लौकहा बाजार में पहले से ही इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज मौजूद हैं 31.3.94 को बेनीपट्टी के 128 पोर्ट सी–डॉट एक्सचेंज को एक उच्च क्षमता के 512– आई.एल.टी इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज द्वारा बदल दिया गया है जिसमें 76 कार्याकारी कनेक्शन हैं और सिर्फ 10 आवेदक प्रतीक्षा सूची में हैं। लौकहा बाजार में प्रतीक्षा सूची में कोई नाम दर्ज नहीं है।

(घ) और (ङ) ऊपर भाग (ग) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए, प्रश्न नहीं उठता।

चंडीगढ़ में कार्यक्रम निर्माण केन्द्र

3598. श्री पवन कुमार बंसल : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री चंडीगढ़ में कार्यक्रम निर्माण केन्द्र के बारे में 25 नवम्बर, 1991 के अतारांकित प्रश्न संख्या 480 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चंडीगढ़ में प्रस्तावित दूरदर्शन कार्यक्रम निर्माण केन्द्र पर कार्य निर्धारित समय के अनुसार चल रहा है ;

(ख) क्या प्रस्तावित केन्द्र वर्ष 1994-95 के दौरान चालू हो जायेगा ;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) इसे कब तक चालू किया जायेगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) स्थानीय प्राधिकारियों से निर्माण के लिए अपेक्षित अनुमोदन प्राप्त करने में देरी और अतिरिक्त धन राशि की अनुपलब्धता जैसे कई कारकों के कारण परियोजना मे देरी हुई है। स्थल पर सिविल निर्माण कार्य के आरम्भ होने के पश्चात् परियोजना में लगभग 3 वर्ष का समय लगेगा।

विशेषज्ञ समिति की सिफारिशें

3599. श्री बापू हरि चौरे : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय पुनर्गठन हेतु सिफारिशें देने के लिए चार विशेषज्ञ समितियों का गठन किया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके सदस्यों और निदेश–पदों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) ये समितियां अपने प्रतिवेदन कब तक प्रस्तुत कर देंगी ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) से (ग) भारत में रूग्ण गहन समुद्री मत्स्यन उद्योग मामलों पर विचार करने के लिए गठित की गई तकनीकी समिति ने 31 मार्च, 1994 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

पूर्वोत्तर राज्यों में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की मौजूदा स्थिति का अध्ययन करने तथा वहां खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विकास के लिए दीर्घ अवधि और लघु अवधि उपाय सुझाने के लिए असम और मेघालय के भूतपूर्व मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है जिसमें अन्य सदस्य भी हैं। आशा है समिति अपनी रिपोर्ट जल्दी ही प्रस्तुत कर देगी।

इसके अलावा निम्नलिखित का गठन करने के लिए कार्रवाई की गई है :

1. निर्यात और पैकेजिंग पर विशेष जोर देते हुए पारंपरिक खाद्यों के विकास के लिए पैनल।
2. ऊर्जा की बचत करने वाले उपकरण लगाने और उच्चतम उत्पादन करने के लिए तथा ऊर्जा की बचत करने वाले नवीनतम उपकरण भी लगाने के उद्देश्य से रोलर आटा मिलिंग उद्योग के विकास और आधुनिकीकरण के लिए समिति।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र सरकार से गैर-सरकारी क्षेत्र को आशय पत्र

3600. श्री दत्ता मेघे : क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को महाराष्ट्र सरकार द्वारा इस्पात परियोजनाएं स्थापित करने हेतु गैर–सरकारी क्षेत्रों को आशय पत्र जारी करने के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) महाराष्ट्र सरकार ने किन–किन गैर–सरकारी कम्पनियों की अनुशंसा की है ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) से (ग) इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए निजी क्षेत्र को आशय–पत्र जारी करने के लिए महाराष्ट्र सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। औद्योगिक लाइसेंस के लिए केन्द्र सरकार की मंजूरी केवल तभी अपेक्षित होती है जबकि प्रस्तावित परियोजना 1991 की जनगणना के अनुसार 10 लाख से अधिक की आबादी वाले शहर की सीमा के 25 कि०मी० के भीतर हो।

[अनुवाद]

अंतरदेशीय जल परिवहन का विकास

3601. श्री जी.एम.सी. बालयोगी : क्या जल भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंतरदेशीय जल परिवहन का विकास करने संबंधी कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने पुरानी अंतरदेशीय जल परिवहन सेवाओं का सर्वेक्षण कराने के लिए कोई धनराशि नियत की है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

जल भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी हां।

(ख) भारत सरकार, अंतर्राज्यीय जल परिवहन के लिए उन जलमार्गों का विकास कर रही है, जिन्हें राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया जा चुका है।

ये राष्ट्रीय जलमार्ग हैं :

(I) उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में गंगा–भागीरथी–हुगली नदी प्रणाली का इलाहाबाद–हल्दिया खंड (1620 कि.मी.)।

(II) असम राज्य में ब्रह्मपुत्र का सदिया–धुबरी खंड (891 कि.मी.)।

(III) केरल राज्य में पश्चिमी तटीय नहर का कोट्टापुरम–कोल्लाम खंड (168 कि.मी.)तथा चम्पाकारा नहर (14 कि.मी.) और उद्योग मंडल नहर (23 कि.मी.)।

(ग) और (घ) जी नहीं। तथापि, जलमार्गों के सर्वेक्षण के लिए वर्ष 1994-95 में 10.00 लाख रुपए की राशि प्रदान की गयी है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्ग-12 पर उपमार्ग

3602. श्री शिवराज सिंह चौहान : क्या जल भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय राजमार्ग –12 पर कितने उपमार्ग निर्मित करने का प्रस्ताव है ; और

(ख) तत्संबंधी स्थानवार ब्यौरा क्या है ?

जल भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) शून्य।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

इलैक्ट्रिक ट्रॉली बसें शुरू करना

3603. श्रीमती केसरबाई सोनाजी क्षीरसागर : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ शहरों में इलेक्ट्रिक ट्रॉली बसें चलाने संबंधी कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) तथा (ख) परिवहन के लिए विशेषतः शहरों में बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए महानगरों में विद्युत ट्रॉली बसें चलाने का प्रस्ताव भी उन प्रस्तावों में से एक है जिन पर सरकार विचार कर रही है। तथापि अभी इस संबंध में अंतिम निर्णय लिया जाना शेष है।

[अनुवाद]

मुरारी समिति

3604. प्रो० उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुरारी समिति द्वारा रूग्ण/गहन समुद्र मत्स्यन उद्योग संबंधी रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विलम्ब हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) और (ख) गहन समुद्री मत्स्यन क्षेत्र पर तकनीकी समिति ने 31 मार्च, 1994 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। यह रिपोर्ट समिति के लिए अनुमत समय सीमा के अन्दर प्रस्तुत की गयी है।

मंत्रालय में हेराफेरी के मामले

3606. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले 12 महीने के दौरान उनके मंत्रालय के प्रत्येक विभाग में हेराफेरी के कितने मामले प्रकाश में आए हैं और पिछले तीन वर्षों में हुए ऐसे मामलों की तुलना में इन मामलों में किस प्रकार की और कितनी हेराफेरी की गयी ;

(ख) मुख्य-मुख्य हेराफेरी के मामलों का ब्यौरा क्या है और उन पर क्या कार्यवाही की गई ; और

(ग) उनके मंत्रालय के विभन्न विभागों द्वारा सेवाओं में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) से (ग)

दूरसंचार विभाग

सर्किल कार्यालयों से अपेक्षित जानकारी एकत्र की जा रही है और इसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

डाक विभाग

(क) पिछले 12 महीनों में (1.1.93 से 31.12.93 तक) धोखाधड़ी के 3285 मामले जानकारी में आए। पिछले तीन वर्षों की तुलना में धोखाधड़ी के इन मामलों से कमी परिलक्षित होती है और इन वर्षों के दौरान धोखाधड़ी की घटनाओं का ब्यौरा इस प्रकार है :

1990 - 3368
1991 - 3413
1992 - 3753

(ख) धोखाधड़ी, बचत बैंक स्कीमों, डाकघर नकदी प्रमाण पत्र, मनीआर्डर सेवाओं, नकदी के रख रखाव तथा डाक टिकटों एवं स्टेशनरी में की गई। सरकार, इस प्रकार के धोखाधड़ी के मामलों के प्रति सचेत है और नियमों एवं पद्धतियों में परिवर्तन करके तथा छापे मारकर, सतत प्रक्रिया के रूप में सुधारात्मक उपाय किये जाते हैं। जब कभी, विभाग की जानकारी में धोखाधड़ी के मामले आते हैं तो विभाग इनके कारणों तथा इनके लिए जिम्मेदार व्यक्तियों का पता लगाने के लिए विधिवत जांच करता है। धोखाधड़ी में लिप्त व्यक्तियों के विरूद्ध विभागीय अनुशासनिक कार्रवाई करने के अतिरिक्त, इन मामलों को पुलिस में भी दंडात्मक कार्रवाई के लिए भेजा जाता है। विभाग को समय समय पर होने वाली हानि को समायोजित करने के लिए वसूली के आदेश भी दिए जाते हैं और समय-समय पर फील्ड स्टाफ को धोखाधड़ी के मामलों का पता लगाने और रोकने के लिए अनुदेश भी जारी किए जाते हैं।

(ग) डाक सेवाओं में सुधार और उनका आधुनिकीकरण करने के लिए विभाग निरंतर ध्यान देता है। ग्राहकों को उत्तम सेवा प्रदान करने के लिए विभाग, ग्राहकों की आवश्यकताओं का आन-गोईंग मार्किट विश्लेषण करता है और तदनुसार डाक सेवाएं प्रदान करता है। सेवाओं में सुधार लाने की दृष्टि से निरंतर मानीटरिंग कार्य तथा गुणवत्ता नियंत्रण भी किया जाता है।

[हिन्दी]

खोए हुए पार्सलों के लिए मुआवजा

3607. श्री हरि केवल प्रसाद : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक विभाग में डाक में खोए हुए रजिस्टर्ड पार्सलों के लिए संबंधित व्यक्तियों अथवा संस्थाओं को मुआवजा देने के लिए कोई मानदंड निर्धारित किए हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है

(ग) क्या दिल्ली डाक मंडल के अंतर्गत करोलबाग डाकघर से मई, 1990 में खोए हुए रजिस्टर्ड पार्सलों के मुआवजों के भुगतान में कुछ अनियमितताओं की जानकारी मिली है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ङ) क्या सरकार ने ऐसी गलती के लिए जिम्मेदार पाए गए अधिकारियों के विरूद्ध कोई कार्यवाही की है ; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) और (ख) : हालांकि, किसी पंजीकृत पार्सल या इसके भीतर रखी वस्तुओं के गुम होने, अथवा अंतर्वस्तुओं के क्षतिग्रस्त होने के संबंध में कानूनन देयता का कोई मामला नहीं बनता फिर भी पात्र–मामलों में 100 रु. तक का अनुग्रह–मुआवजा, किन्तु वास्तविक हानि से अधिक नहीं, प्रेषक को या प्रेषक के अनुरोध पर पाने वाले को दिया जाता है। इसके लिए प्रेषक को डिवीजनल अधीक्षक डाकघर को पार्सल गुम होने के मामले में उसके पंजीकरण के 3 माह के भीतर और उसके भीतर रखी वस्तुओं के गुम होने, या क्षतिग्रस्त होने के मामले में वितरण के एक माह के भीतर आवेदन करना चाहिए। डाक–वस्तु की डाकघर–रसीद भी संलग्न की जानी चाहिए।

(ग) से (च) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा–पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

गुजरात में इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज

3608. डा० अमृतलाल कालिदास पटेल : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1992-93 और 1993-94 के दौरान गुजरात में कितने टेलीफोन एक्सचेंज चालू किए गये हैं ;

(ख) क्या 1994-95 के दौरान राज्य में नये इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जिला–वार ब्यौरा क्या है तथा इनकी क्षमता कितनी–कितनी होगी ; और

(घ) इन पर कितनी धनराशि खर्च होने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) गुजरात में चालू किए गए इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंजों की संख्या इस प्रकार है :

1992-93 = 95

1993-94 = 105

(ख) जी हां।

(ग) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) इस पर होने वाला संभावित अनंतिम व्यय रु. 235 करोड़ है। तथापि, वास्तविक आबंटन पर अभी चर्चा की जा रही है।

विवरण

वर्ष 1994-95 के दौरान गुजरात सर्किल में चालू किए जाने वाले प्रस्तावित नए इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंजों की सूची।

क्रम सं.	जिले का नाम	एक्सचेंज का नाम	क्षमता (लाइनें)
1.	अहमदाबाद	रेलवेपुरा	7000
2.	राजकोट	राजकोट	4000
3.	राजकोट	जुबलीबांग	2000
4.	बालसाड	नवसारी	7000
5.	अहमदाबाद	नरोल	4000
6.	अहमदाबाद	असलाली	1000
7.	जामनगर	जामनगर	5000
8.	सूरत	पंडेसारा	5000
9.	जूनागढ़	जूनागढ़	1500
10.	भावनगर	भावनगर	5000
11.	भड़ूच	जागाधीहा	1000
12.	भड़ूच	वागरा	424
13.	नाडियाड	डाभान	1400
नई प्रौद्योगिकी के एक्सचेंज			
1	बड़ौदा	बड़ौदा	10000
2.	सूरत	सूरत	10000
3.	अहमदाबाद	अहमदाबाद	40000

इनके अतिरिक्त, ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में 100 लाइनों से कम क्षमता वाले पचास नए एक्सचेंज संस्थापित करने का प्रस्ताव है। इन एक्सचेंजों के स्थानों का निर्धारण करना अभी बाकी है, जो किसी स्थान पर दस पंजीकृत दत्त मांगों की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

[हिन्दी]

अरूर-अरूकुट्टी पुल का निर्माण

3609. थाइल जॉन अंजलोज : क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अरूर–अरूकुट्टी पुल का निर्माण कार्य निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चल रहा है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) परियोजना की बढ़ी हुई लागत क्या है ; और

(घ) उक्त कार्य को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

जल भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) अरोर–अरूकुटी पुल केन्द्रीय सड़क निधि स्कीम के अंतर्गत आता है और इसके लिए संबंधित राज्य सरकार ही अनिवार्यतः जिम्मेंदार है। केरल सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार कार्य, निर्धारित समय के अनुसार चल रहा है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) 501.93 लाख रु०।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

कर्नाटक में गांवों को टेलीफोन सेवा से जोड़ना

3610. श्री रामचन्द्र वीरप्पा : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 31 अक्तूबर, 1993 तक गांवों को शहरों और राज्यों की राजधानियों से टेलीफोन द्वारा जोड़ने संबंधी योजना के अंतर्गत कर्नाटक में, विशेषरूप से राज्य के जनजातीय क्षेत्रों में, जिलावार कितने गांवों को शहरों के साथ टेलीफोन और एस.टी.डी. सुविधाओं से जोड़ा गया है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : 31 अक्तूबर, 1993 की स्थिति के अनुसार, 1763 आदिवासी गांवों सहित 6184 गांवों को टेलीफोन द्वारा शहरों से जोड़ दिया गया है। इन गांवों में से, 226 आदिवासी गांवों सहित 515 गांवों को, शहरों तथा राज्यों की राजधानियों से गांवों को टेलीफोन द्वारा जोड़ने की योजना के अंतर्गत एस.टी.डी. सुविधा प्रदान कर दी गई हैं। जिलेवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

31.10.1993 की स्थिति के अनुसार टेलीफोन/एस.टी.डी. सुविधा सहित कर्नाटक के गांवों के जिलेवार ब्यौरे।

जिले का नाम	टेलीफोन सुविधा प्रदान किए गए गांवों की सं.	एस.टी.डी. सुविधा प्रदान किए गए गांवों की संख्या
बेलगाम (आ.)	507	39
बेल्लारी	157	17
बीदर	241	16
बीजापुर	445	40
चिकमगलूर (आ.)	217	27
टुमकुर	327	13
शिमोगा	316	31
मण्ड्या	295	15
मैसूर (आ.)	487	37
बंगलूर	471	36
चित्रदुर्गा	294	12
उत्तरकन्नड़	208	53
रायचूर	211	21
गुलबर्गा	363	28
गंगलोर (आ.)	445	109
हुबली	408	44
मदीकेरी (आ.)	107	14
कोलार	414	44
हसन	271	19
जोड़ :	6184	515

(आ.) का अर्थ आदिवासी गांव है।

संसद सदस्यों के कोटे से टेलीफोन कनेक्शन मिलने में लगने वाला समय

3611. श्री जीवन शर्मा : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संसद सदस्यों के कोटे से "तकनीकी रूप से व्यवहार्य नहीं" श्रेणी में न आने वाले टेलीफोन कनेक्शन मिलने में कितना समय लगता है ;

(ख) दिल्ली में संसद सदस्यों के कोटे से आवंटित किये गये परन्तु चार माह से अधिक समय बीत जाने पर भी नहीं लगाये गये टेलीफोन कनेक्शनों की मास–वार तथा एक्सचेंज–वार संख्या कितनी है ;

(ग) विलम्ब के क्या कारण हैं ;

(घ) इस पर क्या कार्यवाही की गयी है जिससे कि भविष्य में टेलीफोन लगने में विलम्ब न हो ; और

(ङ) लंबित पड़े टेलीफोन कनेक्शन कब तक लगा दिये जायेंगे ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) संसद–सदस्यों के कोटे से मंजूर किए गए, तकनीकी रूप से व्यवहार्य सभी टेलीफोन कनेक्शन, मंजूरी की तारीख से 30 दिनों के भीतर प्रदान कर दिए जाते हैं, बशर्ते कि पंजीकरण संख्या, नाम और पते से संबंधित ब्यौरे सही और पूरे हों।

(ख) से (ङ) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

पासपोर्ट कार्यालयों का अधिकार क्षेत्र

3612. श्री सैयद शहाबुद्दीन : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1994 की स्थिति के अनुसार किन–किन स्थानों पर पासपोर्ट कार्यालय हैं।

(ख) प्रत्येक पासपोर्ट कार्यालय का जिला/राज्य–वार अधिकार क्षेत्र कितना–कितना है तथा प्रत्येक अधिकार क्षेत्र में 1991 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या कितनी–कितनी है ; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक कार्यालय को औसतन कितने पासपोर्ट आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.एल. भाटिया) : (क) 1 जनवरी, 1994 की स्थिति के अनुसार देश भर में कुल 22 पासपोर्ट कार्यालय कार्य कर रहे हैं जिनका ब्यौरा विवरण 'क' में दिया गया है।

(ख) प्रत्येक पासपोर्ट कार्यालय के जिलावार क्षेत्राधिकार का ब्यौरा विवरण 'ख' में दिया गया है। क्षेत्राधिकार के क्षेत्र की कुल जनसंख्या (1991 की जनगणना) का ब्यौरा विवरण 'ग' में दिया गया है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक पासपोर्ट कार्यालय को प्राप्त पासपोर्ट आवेदनों की औसत संख्या का ब्यौरा विवरण 'घ' में दिया गया है।

विवरण - 'क'

1. क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय अहमदाबाद
2. पासपोर्ट कार्यालय बंगलौर
3. पासपोर्ट कार्यालय बरेली
4. पासपोर्ट कार्यालय भोपाल
5. क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय भुवनेश्वर
6. क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय बम्बई
7. क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय कलकत्ता
8. क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय चण्डीगढ़
9. क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय कोचीन
10. क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय दिल्ली
11. क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय गुवाहाटी
12. पासपोर्ट कार्यालय हैदराबाद
13. पासपोर्ट कार्यालय जयपुर
14. पासपोर्ट कार्यालय जालंधर
15. पासपोर्ट कार्यालय कोजिकोड़
16. पासपोर्ट कार्यालय लखनऊ
17. क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय मद्रास
18. पासपोर्ट कार्यालय नागपुर
19. पासपोर्ट कार्यालय पणजी
20. पासपोर्ट कार्यालय पटना
21. पासपोर्ट कार्यालय निरूचिरापल्ली
22. पासपोर्ट कार्यालय त्रिवेन्द्रम

विवरण - 'ख'

पासपोर्ट कार्यालयों का जिलावार क्षेत्राधिकार

क्रम सं.	पासपोर्ट कार्यालय	क्षेत्राधिकार
1	2	3
1.	क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय अहमदाबाद	गुजरात राज्य के सभी जिले तथा संघ–राज्य–क्षेत्र दीव
2.	पासपोर्ट कार्यालय बंगलौर	कर्नाटक राज्य के सभी जिले
3.	पासपोर्ट कार्यालय बरेली	उत्तर प्रदेश राज्य के पीलीभीत, शाहजहांपुर, मैनपुरी, हरिद्वार, आगरा, मथुरा, अलीगढ़, एटा, बुलंदशहर, बदायुं, बरेली, रामपुर, मेरठ, गाजियाबाद, मुरादाबाद, नैनीताल, विजनौर, मुजफ्फर नगर, सहारनपुर, पौड़ी गढ़वाल, अल्मोड़ा, पिथौरा गढ़, चमौली, टिहरी गढ़वाल, देहरादून और उत्तर काशी जिले।
4.	पासपोर्ट कार्यालय भोपाल	मध्य प्रदेश राज्य के सभी जिले
5.	पासपोर्ट कार्यालय भुवनेश्वर	उड़ीसा राज्य के सभी जिले
6.	क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय बम्बई	महाराष्ट्र राज्य के अहमद नगर, औरंगाबाद, बीड़, बम्बई, धुले, जलगांव, कोल्हापुर, नासिक, पुर्णे, रायगढ़, रत्नागिरि, सांगली, सतारा, सिंधदुर्ग, शोलापुर, और थाने जिले तथा संघ राज्य क्षेत्र दमन और दादर तथा नागर– हवेली।
7.	क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय कलकत्ता	पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और सिक्किम राज्यों के सभी जिले।
8.	क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय चण्डीगढ़	पंजाब राज्य के भटिन्डा, फरीदकोट, फतेहगढ़ साहिब, फिरोजपुर, लुधियाना, मंशा, पटियाला, रोपड़ और संगरूर जिले तथा हरियाणा और हिमाचल प्रदेश राज्यों के सभी जिले एवं संघ राज्य क्षेत्र चण्डीगढ़।
9.	पासपोर्ट कार्यालय कोचीन	केरल राज्य के एर्नाकुलम, त्रिचूर, एल्लीपे, कोट्टयम और ईदुकि जिले और संघ राज्य क्षेत्र लक्षद्वीप।
10.	क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय दिल्ली	संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली और जम्मू तथा कश्मीर राज्य के सभी जिले।
11.	क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय गुवाहाटी	अरूणाचल प्रदेश, असम, मणीपुर, मिजोरम, मेघालय और नागालैंड राज्यों के सभी जिले।

1	2	3
12.	पासपोर्ट कार्यालय हैदराबाद	आन्ध्र प्रदेश राज्य के सभी जिले।
13.	पासपोर्ट कार्यालय जयपुर	राजस्थान राज्य के सभी जिले।
14.	पासपोर्ट कार्यालय जालंधर	पंजाब राज्य के जालंधर, कपूरथला, होशियारपुर, अमृतसर और गुरदासपुर जिले।
15.	पासपोर्ट कार्यालय कोजीकोड़	केरल राज्य के मल्लापुरम, कोजीकोड़, कन्नूर, पालाक्कड़, केसरगौड, वायानाड जिले और संघ राज्य क्षेत्र पान्डिचेरी का माहे जिला।
16.	पासपोर्ट कार्यालय लखनऊ	उत्तर प्रदेश राज्य के इलाहाबाद, आजमगढ़, बाराबंकी, बलिया, बस्ती, बांदा, बहराइच, देवरिया, इटावा, फैजाबाद, फतेहपुर, फरूखाबाद, गोरखपुर, गोन्डा, गाजीपुर, हमीरपुर, हरदोई, जौनपुर, जालौन, झांसी, कानपुर, लखनऊ, ललितपुर, लखीमपुर–खीरी, मऊ, मिर्जापुर, महाराजगंज, प्रतापगढ़, रायबरेली, सीतापुर, सुल्तानपुर, सिद्धार्थनगर, सोनभद्र, उमराव, और वाराणसी जिले।
17.	क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय मद्रास	तमिलनाडु राज्य के मद्रास, नार्थ आर्कोट, सेलम, चिंगलपुट, साऊथ आरकोट, कोयंबतूर, नीलगिरि, धर्मपुरी, परियार और कराईकल जिले एवं संघ राज्य क्षेत्र पान्डिचेरी।
18.	पासपोर्ट कार्यालय नागपुर	महाराष्ट्र राज्य के जालना, नान्देड, यवतमाल, लातूर, उस्मानाबाद, दुर्ग, बुल्धाना, अकोला, अमरावती, वर्धा, नागपुर, चन्द्रापुर, गढ़चिरौली, भन्डारा, और परभनी जिले।
19.	पासपोर्ट कार्यालय पणजी	गोवा राज्य के सभी जिले।
20.	पासपोर्ट कार्यालय पटना	बिहार राज्य के सभी जिले।
21.	पासपोर्ट कार्यालय तिरूचिरापल्ली	तमिलनाडु राज्य के तन्जौर, पश्चिम, नागइक्वैत मिललेठ, रामनाथ पुरम, पोन मोथूरामलिंगम, कामराजार, त्रिचुरापल्ली, मदुरै, (शहर), मदुरै (ग्रामीण), अन्ना (डिनडीगल जिला), तिरूनावली, वी. ओ. चित्तम परनार, पुडुकोट्टई, कन्याकुमारी, जिले।
22.	पासपोर्ट कार्यालय त्रिवेन्द्रम	केरल राज्य के त्रिवेन्द्रम, क्विलन और पथानथिट्टा जिले।

विवरण 'ग'

1991 की जनगणना के समय प्रभावी क्षेत्राधिकार के अनुसार 1991 में पासपोर्ट कार्यालयों के जिलेवार क्षेत्राधिकार में आनेवाली कुल जनसंख्या का विवरण-

क्रम सं.	पासपोर्ट कार्यालय	क्षेत्राधिकार	1991 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या
1.	2.	3.	4.
1.	क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय	गुजरात राज्य में सभी जिले	41,309,582
		संघ शासित क्षेत्र दीव	39,485
		योग :	41, 349, 067
2.	पासपोर्ट कार्यालय बंगलौर	कर्नाटक राज्य के सभी जिले	44,977,201
3.	पासपोर्ट कार्यालय बरेली	पीलीभीत	1,283,103
		शाहजहांपुर	1,987,395
		मैनपुरी	1,316,746
		आगरा	2,751,021
		मथुरा	1,931,186
		अलीगढ़	3,295,982
		एटा	2,224,998
		बुलंदशहर	2,849,859
		बदायूं	2,448,338
		बरेली	2,834,616
		रामपुर	1,502,141
		मेरठ	3,447,912
		गाजियाबाद	2,703,933
		मुरादाबाद	4,121,035
		नैनीताल	1,540,174
		बिजनौर	2,454,521
		मुजफ्फरनगर	2,842,543
		सहारनपुर	2,309,029
		गढ़वाल	682,535
		अल्मोड़ा	836, 617

1.	2.	3.	4.
		पिथौरागढ़	566,408
		चमोली	454,871
		टिहरी–गढ़वाल	580,871
		देहरादून	1,025,679
		उत्तर काशी	239,709
		योग	48,250,504
4.	पासपोर्ट कार्यालय भोपाल	मध्य प्रदेश राज्य के सभी जिले	66,181,170
5.	पासपोर्ट कार्यालय, भुवनेश्वर	उड़ीसा राज्य के सभी जिले	31,659,736
6.	क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय बम्बई	अहमदनगर	3,372,935
		औरंगाबाद	2,213,779
		बीद	1,822,072
		बम्बई	9,925,891
		धूले	2,535,715
		जलगांव	3,187,634
		कोल्हापुर	2,989,507
		नासिक	3,851,352
		पुणे	5,532,532
		रायगढ़	1,824,816
		रत्नगिरि	1,544,057
		सांगली	2,209,488
		सतारा	2,451,372
		सिंधुदुर्ग	832,152
		शोलापुर	3,231,057
		थाणे	5,249,126
		दमण (सं.शा. क्षेत्र)	62,101
		दादर, नगर हवेली	138,477
		योग :	52,974,063

1.	2.	3.	4.
7.	क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय कलकत्ता	पश्चिम बंगाल के सभी जिले	68,077,965
		त्रिपुरा	2,757,205
		सिक्किम	406,457
		योग :	71,241,627
8.	क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, चंडीगढ़	भटिण्डा	1,559,963
		फरीदकोट	1,730,876
		@ फतेहगढ़ साहिब	
		फिरोजपुर	1,607,817
		लुधियाना	2,471,594
		@ मंसा	
		पटियाला	1,896,242
		रोपड़	915,603
		संगरूर	1,710,120
		हरियाणा राज्य के सभी जिले	16,463,648
		हिमाचल प्रदेश के सभी जिले	5,170,877
		चंडीगढ़ (सं.शा. क्षेत्र)	642,015
		योग :	34,168,755
9.	पार्सपोर्ट कार्यालय, कोचीन	एरनाकुलम्	2,817,236
		त्रिचूर	2,737,311
		अल्लेपे	2,001,217
		कोट्टयम	1,828,271
		इडुक्की	1,078,066
		लक्षद्वीप	51,707
		योग :	10, 513, 808
10.	क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय दिल्ली।	संघ शासित क्षेत्र दिल्ली	9,420,644
		जम्मू और कश्मीर राज्य के सभी जिले	7,718,700
		योग :	17, 139, 344
11.	क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय	अरूणाचल प्रदेश राज्य के	

1.	2.	3.	4.
	गुवाहाटी	सभी जिले	864,558
		असम	22,414,322
		मणिपुर	1,837,149
		मिजोरम	689,756
		मेघालय	1,774,778
		नागालैंड	1,209,546
		योग :	28, 790, 109
12.	पासपोर्ट कार्यालय, हैदराबाद	आंध्र प्रदेश राज्य के सभी जिले	66,508,008
13.	पासपोर्ट कार्यालय, जयपुर	राजस्थान राज्य के सभी जिले	44,005,990
14.	पासपोर्ट कार्यालय, जालंधर	जालंधर	2,026,787
		कपूरथला	686,647
		होशियारपुर	1,455,028
		अमृतसर	2,504,560
		गुरूदासपुर	1,756,732
		योग :	8,389,754
15.	पासपोर्ट कार्यालय कोषिकोड़	मालपुरम	3,096,330
		कोषिकोड़	2,619,941
		पालक्कड़	2,382,235
		कांसरगोद	1,071,508
		वयनाद	672,128
		माहे (सं. शा. क्षेत्र पांडिचेरी)	33,447
		योग :	9,875,589
16.	पासपोर्ट कार्यालय लखनऊ	इलाहाबाद	4,921,313
		आजमगढ़	3,153,885
		बाराबंकी	2,423,136
		बलिया	2,262,273
		बस्ती	2,738,522
		बांदा	1,862,139
		बहराइच	2,763,750

1.	2.	3.	4.
		देवरिया	4,440,024
		इटावा	2,124,655
		फैजाबाद	2,978,484
		फतेहपुर	1,899,241
		फर्रूखाबाद	2,440,266
		गोरखपुर	3,066,002
		गोंडा	3,573,075
		गाजीपुर	2,416,617
		हमीरपुर	1,466,491
		हरदोई	2,747,082
		जौनपुर	3,214,636
		जालौन	1,219,377
		ललितपुर	752,043
		सोनभद्र	1,075,041
		झांसी	1,429,698
		कानपुर देहात	2,138,317
		कानपुर नगर	2,418,487
		लखनऊ	2,762,801
		लखीमपुर	2,419,234
		मऊ	1,445,782
		मिर्जापुर	1,657,139
		महाराजगंज	1,676,378
		प्रतापगढ़	2,210,700
		रायबरेली	2,322,810
		सीतापुर	2,857,009
		सुल्तानपुर	2,558,970
		सिद्धार्थ नगर	1,707,885
		उमराव	2,200,397
		वाराणसी	4,807,582
		योग :	88,151,241

17.	क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, मद्रास	मद्रास	3,841,396
		उत्तरी आरकाट	3,026,432
		सेलम	3,896,382
		चिंगलपुट ए.जी.आर.	4,653,593
		दक्षिणी आरकाट	4,878,433
		कोयम्बतूर	3,508,374
		नीलगिरी	710,214
		धर्मपुरी	2,428,596
		परियार	2,320,263
		करैकल (सं.शा. क्षेत्र पांडिचेरी)	145,703
		योग :	29,409,386
18.	पासपोर्ट कार्यालय, नागपुर	जालना	1,346,425
		नांदेड	2,330,374
		उस्मानाबाद	1,276,327
		लतूर	1,676,641
		बुलधाना	1,886,299
		अकोला	2,214,271
		अमरावती	2,200,057
		यावतमल	2,077,144
		वर्धा	1,067,357
		नागपुर	3,287,139
		चन्द्रापुर	1,771,994
		गडचिरोली	787,010
		भाडेरा	2,107,629
		परभानी	2,117,035
		योग :	26,163,702
19.	पासपोर्ट कार्यालय, पणजी	गोवा राज्य के सभी जिले	1,169,793
20.	पासपोर्ट कार्यालय, पटना	बिहार राज्य के सभी जिले	86,374,465

1.	2.	3.	4.
21.	पासपोर्ट कार्यालय, त्रिचरापल्ली	तंजावूर	4,531.457
		@ नागैक्वादे	उपलब्ध नहीं
		रामनाथपुरम	1,144,040
		@ पोन माथुरामालिंगम	उपलब्ध नहीं
		कामराजार	1,565,037
		तिरूचिरापल्ली	4,138,048
		मदुरै (शहरी)	1,542,123
		मदुरै (ग्रामीण)	1,907,539
		अन्ना (डिंडीगल जिला)	1,760,601
		तिरूनालवेल्ली	2,501,832
		वी.ओ. चितमपरानार	1,455,920
		पुडुकोटटै	1,327,148
		कन्या कुमारी	1,600,349
		योग :	23,474,094
22.	पासपोर्ट कार्यालय, त्रिवेन्द्रम	त्रिवेन्द्रम	2,946,650
		क्वीलोन	2,407,566
		पथानामथित्ता	1,188,332
		योग :	6,542,548

@1991 की जनगणना के समय ये जिले नहीं थे।

विवरण - 'घ'

1991, 1992 और 1993 के तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक पासपोर्ट कार्यालय में प्राप्त आवेदनों की औसत संख्या।

क्र.सं.	कार्यालय	आवेदनों की औसत संख्या
1.	2.	3.
1.	अहमदाबाद	125379
2.	बंगलौर	103855
3.	बरेली	69521
4.	भोपाल	25654

1.	2.	3.
5.	भुवनेश्वर	10960
6.	बम्बई	255294
7.	कलकत्ता	53620
8.	चंडीगढ़	96652
9.	कोचीन	196625
10.	दिल्ली	132981
11.	गोआ	18230
12.	गुवाहाटी	8114
13.	हैदराबाद	215622
14.	जयपुर	100160
15.	जालंधर	106900
16.	कोषिकोड़	216002
17.	लखनऊ	125081
18.	मद्रास	140666
19.	नागपुर	11650
20.	पटना	46174
21.	त्रिचि	201170
22.	त्रिवेन्द्रम	140958
	योग :	2401268

डाक जीवन बीमा योजना का कार्य-निष्पादन

3613. श्री माणिकराव होडल्या गावीत : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक जीवन बीमा योजना का कार्य–निष्पादन संतोषजनक रहा है तथा सरकार ने नए जमा कर्ताओं को आकर्षित करने के लिए इस संस्था को आधुनिक बनाने का निर्णय लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में की जा रही नई पहल का ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) जी हां।

(ख) इस संबंध में निम्नलिखित कदम उठाये जा रहे हैं :

(i) सभूचे देश मे पी.एल.आई. कार्य का कम्प्यूटरीकरण किया जा रहा है। 12 सर्किलों में कम्प्यूटरीकरण पहले ही किया जा चुका है, जबकि शेष सर्किलों में कम्प्यूटरीकरण निकट भविष्य में होने की संभावना है।

(ii) समाज के विभिन्न वर्गों की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु नई योजनायें आरम्भ की जा रही हैं। वर्ष 1993-94 के दौरान गैर–चिकित्सा योजना में संशोधन किया गया तथा महिलाओं को शामिल करने के अतिरिक्त ऊपरी सीमा बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दी गई।

(iii) डाकघर बीमा निधि नियमों की निरंतर पुनरीक्षा की जाती है तथा नियमों को उपभोक्ता के अधिक अनुकूल बनाने के लिए इन्हें उदार बनाने हेतु कई कदम पहले ही उठाये जा चुके हैं।

[हिन्दी]

पासपोर्ट जारी करने में लगने वाला समय

3614. श्री वीरेन्द्र सिंह : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पासपोर्ट जारी करने में औसतन कितना समय लग जाता है ;

(ख) क्या सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद भी पासपोर्ट जारी करने में अत्यधिक विलम्ब हो जाता है ;

(ग) यही हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लिए दोषी पाए गये कर्मचारियों के विरूद्ध सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गये हैं/उठाये जायेंगे ;

(घ) क्या सरकार को ऐसी एजेन्सियों की जानकारी है जो लोगों से पैसे लेकर कम समय में पासपोर्ट उपलब्ध करा देती है ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.एल. भाटिया) : (क) से (ग) पासपोर्ट जारी करने में लगने वाला समय हर पासपोर्ट कार्यालय में अलग–अलग होता है और यह विभिन्न बातों पर निर्भर करता है जिनमें कार्यभार तथा स्टाफ की स्थिति भी शामिल है। विशेष शिकायत प्राप्त होने पर जांच पड़ताल की जाती है तथा दोषी व्यक्ति को दण्ड देने के लिए कानून के अनुसार समुचित आवश्यक कार्रवाई की जाती है। फरवरी, 94 में विभिन्न पासपोर्ट कार्यालयों द्वारा पासपोर्ट जारी करने में लिये गये समय के संबंध में सूचना संलग्न है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

क्र.सं.	कार्यालय	4.2.94 की स्थिति के अनुसार लिया गया समय
1.	अहमदाबाद	72 दिन
2.	बंगलौर	73 दिन
3.	बरेली	39 दिन
4.	भोपाल	65 दिन
5.	भुवनेश्वर	62 दिन
6.	बम्बई	46 दिन
7.	कलकत्ता	35 दिन
8.	चण्डीगढ़	278 दिन
9.	कोचीन	44 दिन
10.	दिल्ली	25 दिन
11.	गोवा	
12.	गुवाहटी	28 दिन
13.	हैदराबाद	46 दिन
14.	जयपुर	45 दिन
15.	जालन्धर	194 दिन
16.	कोजीकोड़	72 दिन
17.	लखनऊ	115 दिन
18.	मद्रास	39 दिन
19.	नागपुर	31 दिन
20.	पटना	294 दिन
21.	त्रिची	44 दिन
22.	त्रिवेन्द्रम	35 दिन

[अनुवाद]

आंध्र प्रदेश में डाकघर

3615. श्री धर्मभिक्षम : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश में 1992-93 तथा 1993-94 के दौरान खोले गए नए डाकघरों की जिला-वार तथा श्रेणी-वार संख्या कितनी है ; और

(ख) निकट भविष्य में खोले जाने वाले उन डाकघरों की जिला–वार संख्या कितनी है जिन्हें 1993-94 में स्वीकृति दी गई थी पर अभी तक खुले नहीं हैं ?

संचार राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) आंध्र प्रदेश में वर्ष 1992-93 और 1993-94 के दौरान खोले गए नए डाकघरों की जिलावार और श्रेणीवार संख्या सलंग्न विवरण में दी गई है।

(ख) विशाखापटनम् जिले में वर्ष 1993-94 में एक विभागीय उप–डाकघर की मंजूरी दी गई थी, जिसे अभी तक खोला नहीं गया है।

विवरण

क्र.सं.	राजस्व जिले का नाम	वर्ष 1992-93 में खोले गए डाकघर		वर्ष 1993-94 में खोले गए डाकघर	
		अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर	विभागीय उपडाकघर	अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर	विभागीय उप डाकघर
1.	आदिलाबाद जिला	-	-	2	-
2.	अनन्तपुर जिला	-	1	-	-
3.	चित्तूर जिला	1	-	-	-
4.	कुड्डप्पा जिला	1	1	-	-
5.	पूर्व गोदावरी जिला	1	-	2	-
6.	हैदराबाद जिला	-	4	-	
7.	करीमनगर	1	-	1	-
8.	खम्माम जिला	-	-	2	-
9.	मेंढ़क जिला	-	1	-	-
10.	निजामाबाद जिला	1	-	1	-
11.	रंगारेड्डी जिला	1	2	1	3
12.	श्रीकाकुलम जिला	-	-	1	-
13.	विशाखापटनम् जिला	-	-	2	1
14.	पश्चिमी गोदावरी जिला	-	-	1	-
		6	9	13	4

अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में आवागमन सुविधाएं

3616. श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या **जल भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंडमान तथा निकोबार द्वीप में मुख्य भूमि से द्वीप तक तथा द्वीप से द्वीप तक दोनों ओर से आवागमन में अत्यधिक कठिनाई होती है ;

(ख) क्या हज यात्रा के लिए मुख्य भूमि से द्वीप तक चलने वाले एक–एक जहाज को सेवा से हटा लिया गया है, जिसके कारण आवागमन में बड़ी कठिनाई उत्पन्न हो गयी है ; और

(ग) यदि हां, तो विशेष रूप से हज यात्रियों के लिए पूरे देश से जहाज किराए पर लेने के क्या कारण हैं तथा उस प्रयोजन से हटाये गये जहाज को वापस अंडमान प्रशासन को सौंपने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

जल भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) मुख्य भूमि–अंडमान और अंतर्द्वीपीय क्षेत्र में यात्रियों को लाने–ले–जाने से संबंधित कोई गंभीर समस्या सरकार के ध्यान में नहीं आई है।

(ख) और (ग) यात्री व कार्गो जहाज एम बी निकोबार, 1994 में हज यात्राओं के प्रचालन के लिए मुख्य भूमि–अंडमान क्षेत्र से हटा लिया गया है। हज यात्राएं पूरी करने के पश्चात जुलाई, 1994 के आखिर तक इस जहाज द्वारा मुख्य भूमि–अंडमान क्षेत्र पर प्रचालन शुरू करने की संभावना है। सरकार ने हज तीर्थ यात्रियों के लिए यात्री जहाज चार्टर करने के विकल्प पर विचार किया था किन्तु यह व्यवहार्य नहीं पाया गया। सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार एम वी निकोबार के बदले में मुख्य भूमि–अंडमान क्षेत्र में विशेष उड़ानें प्रचलित की जा रही हैं।

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 49 पर निर्माण कार्य

3617. श्री पी. सी. थामस : क्या **जल भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 49 के केरल से होकर गुजरने वाले भाग पर निर्माण कार्य के लिए विस्तृत प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो प्राथमिकता के आधार पर शुरू किए जाने वाले कार्यों और प्रत्येक कार्य के लिए आबंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है ?

जल भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) तथा (ख) जी हां। वर्ष 1993-94 के दौरान राज्य के लो.नि.वि. से प्राप्त नौ विस्तृत प्रस्तावों को 187.33 लाख रुपए की राशि पर प्रशासनिक रूप से अनुमोदित कर दिया गया है। निधियां राष्ट्रीय राजमार्ग–वार अथवा परियोजना–वार नहीं, बल्कि राज्य में सभी राजमार्गों के लिए राज्यवार आंबटित की जाती हैं।

दूरसंचार क्षेत्र में निवेश

3618. श्री अमल दत्त : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं योजना के दौरान दूर संचार क्षेत्र में कितने धन का निवेश किया जायेगा ;

(ख) किन विभिन्न स्रोतों अर्थात सरकारी क्षेत्र, निजी क्षेत्र और विदेशी स्रोतों से धन एकत्र किया जायेगा ;

(ग) दूरसंचार विभाग के किन-किन विभिन्न क्षेत्रों में इस धन का निवेश किया जायेगा ; और

(घ) विदेशी स्रोतों से इक्विटी और ऋण के रूप में कुल कितना-कितना धन प्राप्त होगा ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) आठवीं योजना के दौरान दूरसंचार क्षेत्र में योजना आयोग द्वारा यथा अनुमोदित 25, 137 करोड़ रुपये की धन राशि का निवेश किया जायेगा।

(ख) वह विभिन्न स्रोत जहां से धन राशि जुटाई जाएगी, निम्नलिखित हैं :

आंतरिक स्रोत	–	17,721.00 करोड़ रु.
बंध पत्र/ई बी आर	–	7,026.00 करोड़ रु.
बजटीय सहायता	–	390.00 करोड़ रु.
		25, 137.00 करोड़ रु.

(ग) दूरसंचार क्षेत्र के जिन विभिन्न क्षेत्रों में धन का निवेश किया जाएगा वे इस प्रकार है :

दूरसंचार क्षेत्र (म.टे.नि.लि. सहित)	23,946.00 करोड़ रु.
बेतार अनुश्रवण संघटन	26.00 करोड़ रु.
विदेश संचार निगम लि०	800.00 करोड़ रु.
आई.टी.आई.	350.00 करोड़ रु.
एच.टी.एल.	15.00 करोड़ रु.
जोड़ :	25,137.00 करोड़ रु.

(घ) विदेशी स्रोतों से प्राप्त होने वाले धन की मात्रा :

इक्विटी के रूप में – शून्य

उधार के रूप में – बजट के माध्यम से 364 करोड़ रुपये की विदेशी सहायता।

डाकघरों में टेलीफोन

3619. श्री अमर राय प्रधान : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1994 को सार्वजनिक टेलीफोन सुविधा रहित डाकघरों/उप–डाकघरों की राज्य–वार संख्या कितनी थी ;

(ख) सरकार द्वारा यह सुविधा सभी डाकघरों में उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ; और

(ग) कब तक सभी डाकघरों/उप–डाकघरों को यह सुविधा उपलब्ध करा दी जायेगी ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन–पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) और (ग) सरकार ने एक नीति अपनाई है जिसके अधीन सभी पंचायत गांवों को 31 मार्च, 1995 तक उत्तरोत्तर रूप से टेलीफोन सुविधा प्रदान करनी है बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध हों। सुझाये गए स्थानों में से डाकघर ही एक उपयुक्त स्थान है और सभी डाकघरों/उपडाकघरों में सार्वजनिक टेलीफोन प्रदान करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत

3620. डा० के.वी.आर. चौधरी : क्या जल भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान आन्ध्रप्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले से होकर गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग की मरम्मत पर प्रतिवर्ष कुल कितना व्यय किया गया ; और

(ख) इस मार्ग पर 1994-95 के दौरान कितनी राशि खर्च की जाएगी ?

जल भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) राष्ट्रीय राजमार्गों के रख–रखाव और मरम्मत के लिए निधियों का आवंटन राज्य–वार किया जाता है न कि जिला–वार।

पाकिस्तान के साथ परमाणु अप्रसार सन्धि

3621. श्री पी.पी. कालियापेरूमल : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान ने दक्षिण एशिया में प्रक्षेपास्त्रों का प्रसार रोकने के लिए भारत के साथ किसी द्विपक्षीय समझौते का प्रस्ताव किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) क्या चीन ने पाकिस्तान को एम -11 प्रक्षेपास्त्र के साथ–साथ इसकी प्रौद्योगिकी की

आपूर्ति की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.एल. भाटिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सरकार ने पाकिस्तान द्वारा चीन से 54 एम-11 सतह से सतह पर मार करने वाले प्रक्षेपास्त्रों के अधिग्रहण से संबंधित खबरें देखी हैं।

(घ) चीन को इस बात की जानकारी है कि पाकिस्तान को अत्याधुनिक हथियारों तथा प्रक्षेपास्त्रों की आपूर्ति पर भारत को चिन्ता है। सरकार उन सभी घटनाओं पर बराबर निगाह रखती है जिनका असर राष्ट्रीय सुरक्षा पर पड़ता हो और राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा के लिए आवश्यक उपाय करती है।

पाकिस्तान का आतंकवादियों को समर्थन

3622. श्री गुरुदास कामत :

श्री विलास मुत्तेमवार :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने जम्मू और कश्मीर के आतंकवादियों के दृष्टिकोण को समर्थन देने की सार्वजनिक रूप से घोषणा की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस मामले को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में सरकार आगे क्या कदम उठाएगी?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.एल.भाटिया) : (क) जम्मू और कश्मीर की स्थिति के बारे में पाकिस्तान के नेताओं ने कई अवसरों पर वक्तव्य दिए हैं जिनसें उग्रवादियों को हिंसात्मक कार्रवाईयों के लिए प्रोत्साहन मिला है।

(ख) से (घ) सरकार ने जम्मू और कश्मीर की स्थिति की सही जानकारी देने और भारत के विरुद्ध आतंकवादी कार्रवाईयों को पाकिस्तान के समर्थन के बारे में अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय को सूचित करने के उपाय किए हैं और करती रहेगी।

[हिन्दी]

लघु इस्पात उद्योग

3623. श्री अर्जुन सिंह यादव : क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कच्चे माल पर उत्पाद शुल्क में वृद्धि का लघु इस्पात उद्योगों पर विपरीत प्रभाव

पड़ा है ; और

(ख) यदि हां, तो उत्पाद शुल्क में की गई इस वृद्धि को वापस लेने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) लोहे तथा इस्पात के उत्पादों पर उत्पाद शुल्क में वृद्धि किये जाने के विरूद्ध लघु इस्पात उद्योगों सहित इस्पात उद्योगों के विभिन्न वर्गों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। प्रेरण भट्ठी इकाइयों ने अन्य बातों के साथ–साथ कहा है कि उत्पाद शुल्क में 1000/- रु. प्रति टन से 15% यथा मूल्य वृद्धि किये जाने के परिणामस्वरूप उसके द्वारा उत्पादित इस्पात पिण्ड पर 400/- रुपए प्रति टन की मूल्य वृद्धि हुई है। उन्होंने मृदु इस्पात मदों पर से उत्पाद शुल्क को 15% से घटाकर 5% यथामूल्य करने का अनुरोध किया है। पुनर्बेलन उद्योग ने अभ्यावेदन दिया है कि उत्पाद शुल्क 1000/. रुपये प्रति टन से बढ़कर 15% यथा मूल्य करने से उनके उत्पादों के मूल्यों में लगभग 2000/- रुपये प्रति टन की वृद्धि होगी। उन्होंने उत्पाद शुल्क जो उन्हें पहले उपलब्ध थी, के भुगतान की छूट को बहाल करने का अनुरोध किया है और सभी इस्पात मदों पर से उत्पाद शुल्क को 1000/- रुपये प्रति टन कम करने का भी अनुरोध किया है।

(ख) ये अभ्यावेदन सरकार के विचाराधीन हैं।

परमाणु क्षमता

3624. श्री चित्त बसु : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टाकहोम स्थित शान्ति शोध संस्थान ने अपने हाल ही के सर्वेक्षण में भारत के पास 60 परमाणु अस्त्र बना लेने की क्षमता संबंधी कोई बात कही है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.एल. भाटिया) : (क) जी, हां। स्टॉक होम शान्ति अनुसंधान संस्थान के एक प्रकाशन में यह कहा गया है कि 1991 के अन्त तक भारत के पास 290 किलाग्राम शस्त्र ग्रेड प्लूटोनियम उपलब्ध था। एस.आई.पी.आर.आई ने यह माना है कि यदि 5 किलोग्राम शस्त्र ग्रेड प्लूटोनियम प्रत्येक शस्त्र में उपयोग किया जाएगा तो प्लूटोनियम की यह मात्रा लगभग 60 शस्त्रों के लिए काफी होगी।

(ख) सरकार की बराबर यह स्थिति रही है कि भारत का नाभिकीय कार्य शान्तिपूर्ण प्रयोजनों के लिए ही है।

[हिन्दी]

इराक को सहायता

3625. श्री विश्वनाथ शास्त्री : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इराक सरकार ने संयुक्त राष्ट्र द्वारा उसके विरूद्ध लगाए गए आर्थिक प्रतिबन्धों को हटाने के लिए सहायता मांगी है ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार क्या कार्यवाई कर रही है ;

(ग) क्या सरकार ने इराक के विरूद्ध लगाए गए आर्थिक प्रतिबन्धों को हटाने के लिए गुटनिरपेक्ष आन्दोलन को सक्रिय करने का निर्णय लिया है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.एल. भाटिया) : (क) ईराक की सरकार ने हमें इस बात से अवगत कराया है कि संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक प्रतिबन्धों से उसकी सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

(ख) भारत ने इस बात की हिमायत की है कि जैसे ईराक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के संकल्पों का अनुपालन करता जाय वैसे–वैसे संयुक्त राष्ट्र प्रतिबन्धों को चरणबद्ध तरीके को हटाया जाय।

(ग) तथा (घ) यह ईराक सरकार का उत्तरदायित्व है कि वह इस प्रयोजन के लिए गुटनिरपेक्ष आन्दोलन को सक्रिय बनाये।

[अनुवाद]

बंगलादेश द्वारा गंगा जल विवाद का अंतर्राष्ट्रीयकरण

3626. श्री नीतिश कुमार : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बंगलादेश ढाका में विदेशी राजनयिकों के साथ बातचीत में नदी जल विवाद को उठाकर भारत के विरूद्ध अपने अभियान को पुनर्जीवित कर रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.एल. भाटिया) : (क) जी, हां।

(ख) संयुक्त राष्ट्र महासभा में बंगलादेश की प्रधान मंत्री द्वारा किए गए उल्लेख के प्रति सरकार की प्रतिक्रिया 8 अक्तूबर, 1993 को विदेश मंत्रालय द्वारा जारी वक्तव्य में दी गई है (जिसकी प्रति संलग्न है)। नदी जल के बंटवारे के मसले को अन्तर्राष्ट्रीय स्वरूप देने का बंगलादेश का प्रयास भारत को स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यह एक द्विपक्षीय मसला है जिसके उद्देश्य–पूर्ण बातचीत द्वारा समाधान के प्रति भारत वचनबद्ध हैं।

विवरण

विषय : संयुक्त राष्ट्र महासभा में बंगलादेश की प्रधानमंत्री के अपने भाषण में नदी जल के द्विपक्षीय मसले के उल्लेख के बारे में पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में सरकारी प्रवक्ता का वक्तव्य।

संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रधान मंत्री के भाषण के बारे में पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में सरकारी प्रवक्ता ने कहा कि भारत ने बहुत खेद के साथ इस बात पर गौर किया कि बंगलादेश की प्रधानमंत्री ने 1 अक्तूबर, 1993 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने वक्तव्य में नदी जल के द्विपक्षीय मसले को उठाना उचित समझा। फरक्का बांध और संबद्ध मसलों का उनके द्वारा उल्लेख करना न तो लिखित

तथ्यों के आधार पर न्यायोचित है और न ही समाधान के सिद्धान्तों और रूपरेखा के बारे में भारत के प्रधान मंत्री और बंगलादेश की प्रधान मंत्री के बीच मई, 1992 में हुए समझौते के संदर्भ में है। भारत द्विपक्षीय विचार--विमर्श के द्वारा जल के बटवारे के बारे में एक समान दीर्घावधि और व्यापक प्रबंध, खोजने के प्रति वचनबद्ध है।

जब बंगलादेश इन सिद्धान्तों के बारे में एक सार्थक बातचीत में अपने हित की पुष्टि करता है और इस महत्वपूर्ण नदी जल के मसले को राजनीतिक बनाने के लालच पर विजय पा सकता है तो एक परस्पर स्वीकार्य समझौता सम्पन्न करना संभव होना चाहिए। भारत इस विषय पर बंगलादेश के साथ एक रचनात्मक बातचीत करने को सदैव तैयार है।

नई दिल्ली
8 अक्तूबर, 93

केरल में ऊर्जा प्रबन्ध केन्द्र

3627. श्री बी.एस. विजयराघवन : क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल को ऊर्जा प्रबन्ध केन्द्र खोलने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) ऊर्जा प्रबंध केन्द्र स्थापित करने हेतु वित्तीय सहायता के लिए केरल से विद्युत मंत्रालय को कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

ईरान की मध्यस्थता की पेशकश

3628. श्री आर. जीवरत्नम :

श्री विलास मुत्तेमवार :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत को कश्मीर मुद्दे के समाधान के लिए ईरान की मध्यस्थता स्वीकार करने संबंधी पाकिस्तान सरकार की घोषणा संबंधी रिपोर्टों की जानकारी है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.एल. भाटिया) : (क) सरकार ने समाचार पत्रों में इस आशय की खबरें देखी हैं।

(ख) सरकार भारत और पाकिस्तान के बीच सभी अनसुलझे मसलों को शिमला समझौते के अन्तर्गत शांतिपूर्ण तरीके से और द्विपक्षीय वार्ताओं के माध्यम से हल करने के लिए वचनबद्ध है।

कृषि आधारित उद्योग

3629. श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे :

श्री रामेश्वर पाटीदार :

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान 1 जनवरी, 1994 तक कृषि आधारित उद्योगों के विकास हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या प्रावधान किए गए हैं ;

(ख) उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक राज्य को प्रतिवर्ष कितनी धनराशि प्रदान की गई ;

(ग) क्या सरकार का विचार कृषि आधारित उद्योगों के संवर्धन के लिए समेकित विकास केन्द्रों की स्थापना करने का है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) 1994-95 के लिए कृषि आधारित उद्योगों के लिए राज्य-वार कितना-कितना आबंटन किया गया ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के समग्र विकास के लिए अनेक विकासात्मक योजना स्कीमें बनाई हैं। योजना आयोग ने इन स्कीमों के लिए 1992-93 और 1993-94 के दौरान क्रमशः 40 करोड़ और 47 करोड़ रु. के योजना परिव्यय की मंजूरी दी थी। 1991-92 के दौरान 40 करोड़ रु. के योजना परिव्यय की मंजूरी दी गई थी।

(ख) से (ङ) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय स्वयं किसी राज्य में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना नहीं करता। बहरहाल, इस मंत्रालय की योजना स्कीमों के अन्तर्गत खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना/अपग्रेड करने के लिए राज्य सरकार के संगठनों/संयुक्त क्षेत्र की कम्पनियों/सहकारी समितियों/स्वैच्छिक संगठनों आदि को सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

योजना धनराशि का राज्यवार आबंटन नहीं किया जाता।

गुजरात में पत्तनों का निजीकरण

3630. श्री चन्द्रेश पटेल : क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात के कुछ पत्तनों को निजी कम्पनियों को सौंपे जाने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) पत्तनों को निजी कम्पनियों को सौंप जाने के लिए निर्धारित शर्तें क्या हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) किसी पत्तन को किसी निजी पक्ष को सौंपने के लिए गुजरात राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार को कोई प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया है।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठता।

बर्नपुर इस्पात संयंत्र का निजीकरण

3631. श्री सत्यगोपाल मिश्र : क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बर्नपुर इस्पात संयंत्र के निजीकरण के विरोध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) कर्मचारियों के हितों की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने "इस्को" के बर्नपुर इस्पात कारखाने के शीघ्र आधुनिकीकरण को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से "इस्को" के साम्या और प्रबंधन में निजी क्षेत्र की भागीदारी की अनुमति देने का निर्णय लिया है। इस उद्देश्य के लिए सरकार का एक विधेयक लाने का प्रस्ताव है ताकि सरकार, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) को "इस्को" में उसके शेयरों को निजी व्यक्तियों को हस्तांतरित करने की अनुमति देने के लिए शक्तियां प्राप्त कर सके। यह विधेयक अभी उद्योग से संबधित स्थायी संसदीय समिति के पास विचारधीन है।

(ग) "इस्को" में निजी भागीदारी को शामिल करते समय सरकार उसके कर्मचारियों के हितों की सुरक्षा करने के प्रति वचनबद्ध है। इसमें कोई छंटनी नहीं होगी। प्रबंधन जनशक्ति को युक्तिसंगत बनाने, पुनः प्रशिक्षित करने तथा पुनर्तैनाती करने के लिए स्वतंत्र होगा किन्तु यह कार्यबल की सद्भावना के आधार पर होगा। कर्मचारियों के सतत्–रोजगार की सेवा शर्तें इस समय उन पर लागू शर्तों से कमतर नहीं होंगी।

[हिन्दी]

बिहार में भारतीय पैकेजिंग संस्थान

3632. श्री राम कृपाल यादव : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार ने केन्द्र सरकार से राज्य में भारतीय पैकेजिंग संस्थान की इकाई खोलने का कोई अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सरकार ने इस प्रस्ताव को स्वीकृति देने हेतु क्या कदम उठाये हैं ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) से (ग) भारतीय पैकेजिंग संस्थान, बम्बई ने सूचना दी है कि बिहार सरकार के पटना में सेटालाईट सेंटर स्थापित करने संबंधी अनुरोध के बारे में उन्होंने बिहार सरकार को सलाह दी है कि इस केन्द्र की स्थापना

पर विचार करने से पूर्व कुछ कार्यक्रम आयोजित करके पैकेजिंग सामग्री निर्माताओं और इस्तेमाल करने वालों के बीच जागरूकता पैदा की जाए। भारतीय पैकेजिंग संस्थान एक स्वायत्त संस्थान है और इसे अधिकांश धनराशि उद्योगों द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। संस्थान ने बिहार सरकार से बुनियादी सुविधाओं और अन्य निवेशों के बारे में सूचना देने का भी अनुरोध किया है। संस्थान ने सूचित किया है कि उन्हें बिहार सरकार से आगे कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

[अनुवाद]

पाक जलडमरुमध्य में मत्स्यन संबंधी समस्याएं

3633. श्री एन. डेनिस :

डा. कृपासिन्धु चोई :

श्री सुधीर गिरि :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत और श्रीलंका को अलग करने वाले पाक जलडमरुमध्य में किस प्रकार की मत्स्यन संबंधी समस्याएं बनी हुई हैं ;

(ख) 1985 से 1993 की अवधि में झींगा मछली के प्रत्येक मौसम में इस क्षेत्र में औसतन कितने भारतीय लोगों ने मछलियां पकड़ी ;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इस क्षेत्र में श्रीलंका सुरक्षा बलों द्वारा कितने भारतीय मछुआरे मारे गये ;

(घ) क्या सरकार का विचार भारतीय मछुआरों के इन चिरकालिक समस्याओं के समाधान हेतु कोई उपयुक्त उपाय करने का है ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.एल. भाटिया) : (क) पाक स्ट्रेट में भारतीय मछुआरों की समस्याएं श्रीलंका की नौसेना द्वारा भारतीय मछुआरों को तंग किए जाने तथा उन पर आक्रमण किए जाने की घटनाओं से सम्बन्धित हैं।

(ख) सूचना एकत्रित की जा रही और सदन की मेज पर प्रस्तुत कर दी जाएगी।

(ग) पिछले तीन वर्षों में श्रीलंका की नौसेना द्वारा भारतीय मछुआरों पर की गई गोलाबारी की घटनाओं के संबंध में तमिलनाडु सरकार द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार इन घटनाओं में कुल 24 मछुआरे मारे गए। हमारे द्वारा की गई कार्यवाई के जवाब में श्रीलंगा की सरकार ने इनमें से बहुत सी घटनाओं में श्रीलंका की नौसेना का हाथ होने का खंडन किया है जबकि कुछ मामलों में उनके जवाब की प्रतीक्षा है।

(घ) और (ङ) पाक स्ट्रेट के क्षेत्र में मछुआरों की समस्याओं पर सरकार द्वारा श्रीलंका की

सरकार के साथ सक्रिय रूप से चर्चा की जाती रही है। इस मसले पर दोनों देशों के बीच अक्तूबर, 1993 में दिल्ली में विदेश सचिव स्तर की बातचीत में तथा पुनः मार्च, 1994 में कोलम्बो में दोनों सरकारों के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच चर्चा हुई. इन बातचीतों के दौरान सरकार ने भारतीय मछुआरों से संबंधित हाल की इन घटनाओं पर अपनी गहरी चिंता व्यक्त की। दोनों पक्षों ने ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सहमत उपायों को कारगर रूप से क्रियान्वित करने तथा इस सम्बन्ध में एक–दूसरे से सम्पर्क बनाए रखने का निर्णय किया है।

[हिन्दी]

श्री के.पी. राव समिति

3634. **डा. चिन्ता मोहन :**

डा. महादीपक सिंह शाक्य :

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को श्री के.पी. राव समिति की सिफारिशें मिल गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो इन सिफारिशों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने इन सिफारिशों को कार्यान्वित करने का निर्णय लिया है ;

(घ) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ बनाई गई योजना का ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) इन सिफारिशों के कार्यान्वयन से देश को प्रति वर्ष कितना लाभ होगा ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) और (ख) "केन्द्रीय क्षेत्र विद्युत केन्द्रों के लिए टैरिफ निर्धारण के सिद्धान्त" के बारे में के.पी. राव समिति की रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को 1990 के जून के महीने में प्राप्त हुई थी। समिति ने ताप विद्युत केन्द्रों के लिए टू पार्ट टैरिफ फार्मुला जिसमें निर्धारित प्रभार और परिवर्तनीय प्रभारी भी शामिल है और जल विद्युत केन्द्रों के लिए सिंगल पार्ट फामूर्ले की सिफारिश का सुझाव दिया था।

(ग) जी हां।

(घ) केन्द्रीय सरकार ने रिपोर्ट की विषय वस्तु में किसी प्रकार के परिवर्तन किए बिना इसको क्रियान्वित करने का निर्णय लिया है और राज्य सरकारी तथा राज्य बिजली बोर्डों को भी तदनुसार सलाह दी गई है।

(ङ) चूंकि रिपोर्ट केन्द्रीय विद्युत केन्द्रों से राज्य बिजली बोर्डों के लिए टैरिफ के निर्धारण से संबंधित है। इसलिए देश द्वारा वार्षिक रूप से अर्जित किए जाने वाले लाभ की मात्रा का अनुमान लगाना व्यवहारिक नहीं है।

कोयल कारो परियोजना

3635. श्री सूर्य नारायण सिंह : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने कोयल कारो जल विद्युत परियोजना के निर्माण को रोकने का निर्णय लिया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या बिहार सरकार ने इस सम्बन्ध मे अभ्युवेदन प्रस्तुत किया है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) क्या केन्द्र सरकार का विचार आदिवासी बहुल क्षेत्रों के पिछड़ेपन और इसमें सिंचाई और विद्युत सुविधाओं की कमी को देखते हुए अपने निर्णय की समीक्षा करने के बाद इस परियोजना के निर्माण के लिए तत्काल कदम उठाने का है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. वी. रंगय्या नायडू) : (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, भारत सरकार को दिसम्बर, 1993 में बिहार सरकार, जोकि परियोजना के क्रियान्वयन के बारे में शीघ्र कदम उठाए जाने के लिए अनुरोध कर रही थी, को यह सूचना देनी पड़ी कि राज्य सरकार निजी भागीदारी के जरिए कोयलकारो जल विद्युत परियोजना के क्रियान्वयन की संभाव्यता का पता लगाए क्योंकि एन एच पी सी के वर्तमान संसाधनों की स्थिति ऐसी नहीं है कि इस वृहत् परियोजना का कार्य तत्काल आरंभ किया जा सके।

(ग) व (घ) बिहार सरकार ने राज्य योजना से निधियां आबंटन किये जाने में अपनी असमर्थता व्यक्त की है। और परियोजना के लिए निधियां उपलब्ध कराये जाने हेतु भारत सरकार से अनुरोध किया है अथवा विदेशी एजेंसियों से निधियों की व्यवस्थाएं किये जाने के लिए एन एच पी सी को निर्देश दिये जाने के लिये अनुरोध किया है।

(ङ) भारत सरकार को यह आश्वासन है कि जैसे ही संसाधनों की स्थिति सामान्य होती है, तुरन्त ही इस परियोजना के क्रियान्वयन का कार्य हाथ में लिया जायेगा।

टिहरी बाँध

3636. श्री प्रभु दयाल कठेरिया :

श्री राजवीर सिंह :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में टिहरी बाँध परियोजना वर्तमान में निर्माण के किस चरण में हैं ;

(ख) अब तक इस परियोजना पर कुल कितना व्यय किया गया ;

(ग) क्या यह सच है कि कुछ बाधाओं के कारण इस परियोजना के निर्माण कार्य में विलम्ब हुआ है ;

(घ) क्या सरकार इन बाधाओं को हटाने के लिए कोई उपाय कर रही है ; और

(ङ) यह परियोजना कब तक पूरी की जायेगी ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) टिहरी बाँध जल विद्युत परियोजना (1000 मे.वा.) चरण–1 इस समय क्रियान्वयनाधीन है। वर्तमान में, सभी चार वापवर्तन सुरंगों सम्बन्धी कार्य और हेड रेस सुरंग संबंधी कार्य पूरा हो चुका है, नदी वापवर्तित कर दी गई है और मुख्य बाँध की नींव सम्पूर्ण लम्बाई पर रख दी गई है। कॉफर बांध के निर्माण से सम्बन्धित पुनर्वास कार्य व्यावहारिक तौर पर पूरे हो चुके हैं।

(ख) 28.2.1994 तक परियोजना पर 863.67 करोड़ रुपये व्यय किया जा चुका है।

(ग) और (घ) टिहरी बाँध और जल विद्युत परियोजना मूलतः 1978 से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य क्षेत्र में क्रियान्वयनाधीन थी। निधियों की कमी के कारण, 1986 में यह फैसला किया गया था कि इस परियोजना को भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संयुक्त उद्यम में क्रियान्वित किया जायेगा और जून, 1989 में परियोजना सम्बन्धी कार्य टिहरी जल विद्युत विकास निगम को सौंप दिया गया था। परियोजना के लिए वित्त पोषण की व्यवस्था तत्कालीन सोवियत संघ से प्राप्त सहायता द्वारा की गई थी। सोवियत संघ के विघटन और पर्यावरण सम्बन्धी चिन्ताओं के फलस्वरूप परियोजना पर निर्माण कार्य को निधियों की कमी का सामना करना पड़ा। यह सभी मुद्दे सुलझा लिए गए हैं और परियोजना के क्रियान्वयन के लिए सरकार की स्वीकृति मार्च, 1994 में प्रदान कर दी गई हैं।

(ङ) 250-250 मे.वा. वाली दो यूनिटें 1997-98 में और अन्य दो यूनिटें 1998-99 में चालू किए जाने का प्रस्ताव है।

[अनुवाद]

पारादीप पत्तन पर तेल घाट

3637. श्री लोकनाथ चौधरी : क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पारादीप पत्तन पर तेल घाट के निर्माण का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

बस्तर, मध्य प्रदेश में सड़कों और पुलों का निर्माण

3638. श्री मनहू राम सोडी : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बस्तर, मध्य प्रदेश में सड़कों और पुलों के निर्माण के लिए फरवरी, 1991 में किसी विशेष केन्द्रीय सहायता की मंजूरी दी गयी थी ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित परियोजनाओं की संख्या कितनी है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है

(ग) 31 मार्च, 1994 तक उक्त परियोजना के कार्य में कितनी प्रगति हुई ; और

(घ) उक्त कार्य के कब तक पूरा होने की संभावना है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी नहीं।

(क) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

भारत गोल्ड माइंस में घाटा

3639. श्री एम.जी.रेड्डी : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत गोल्ड माइंस को गत तीन वर्षों से भारी घाटा हो रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) भारत गोल्ड माइंस को आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद बनाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) और (ख) अयस्क भंडारों की कमी, ग्रेड में गिरावट, खानों की अत्यधिक गहराई और अतिरिक्त जनशक्ति के कारण भारत गोल्ड माइंस लि. पिछले तीन वर्षों के दौरान नीचे दिए गए विवरण के अनुसार घाटा उठा रही है :

(करोड़ रु. में)

वर्ष	घाटा हुआ
1991-92	42.28
1992-93	34.40
1993-94 (अनंतिम)	35.44

(ग) औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी.आई.एफ.आर.) अपनी प्रचालन एजेंसी इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेशमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि. द्वारा इस कम्पनी को लाभप्रद बनाने के उपायों संबंधी सम्भावनाओं की जांच करा रहा है।

ट्रक चालकों को तंग किया जाना

3640. श्री एस.एम. लालजान वाशा : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास से दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्गों पर ट्रक चालकों को तंग किए जाने के बारे में कोई सर्वेक्षण कराया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (ग) इस मंत्रालय द्वारा कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है। तथापि दिनांक 22.1.93 को हुई परिवहन विकास परिषद की बैठक में इस मुद्दे पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया था और परिषद की सिफारिशों के परिणाम स्वरूप ट्रकवालों के उत्पीडन को रोकने के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कार्यान्वयन के लिए संलग्न विवरण में यथा सूचित दिशा-निर्देश जारी किए थे।

विवरण

(i) राज्य के बाहर से आने वाले वाहनों के लिए माल वाहनों के कागज-पत्र/भार की, यथासंभव केवल सीमा स्थलों पर ही जांच की जाए। राज्य के भीतर उन वाहनों की जांच नहीं की जानी चाहिए जिनकी राज्य की सीमा पर पहले ही जांच कर ली गई हो। ऐसे माल वाहन जो केवल राज्य के भीतर चलते हैं, उनकी जांच आकस्मिक तौर पर की जाए।

(ii) जहां तक संभव हो, ड्राइवरों की जांच पूर्व निर्धारित समय के बाद पुलिस/परिवहन विभागों द्वारा संयुक्त रूप से की जाए और किसी भी प्राधिकरण द्वारा कोई दैनिक जांच नहीं होनी चाहिए। ट्रक और बस दोनों के प्रचालक नियमित जांच अभियानों से मुक्त किए जाने चाहिए।

(iii) स्टेज कैरिज बसें जिनके वैध परमिट/कागज-पत्र हैं, की जांच आकस्मिक आधार पर एक महीने/3 महीने में केवल एक बार की जानी चाहिए। बगैर परमिट/पंजीकरण प्रमाण पत्रों के चलने वाली अन्य बसों के संबंध में यह सुझाव दिया गया था कि किए जाने वाले जुर्मानों में वृद्धि की जाए और यह निर्धारण भी किया गया था कि ऐसे वाहन कब्जे में ले लिये जाऐंगे/पंजीकरण स्थगित कर दिया जाएगा और ऐसे वाहनों को न्यायलयों द्वारा भी तब तक नहीं छोड़ा जाएगा जब तक वे स्टेज कैरिज परमिट प्राप्त न कर लें।

(iv) पर्यटन विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त कम्पनियों/व्यक्तियों द्वारा प्रचलित पर्यटक बसों के परमिटों के कागज-पत्रों की केवल पर्यटक स्थलों पर जांच की जानी चाहिए जहां बसें अधिक समय तक खड़ी होती है और जब बस में कोई पर्यटक न हो।

(v) तथापि यह नोट किया गया था कि राज्य सरकारें मोटर वाहन अधिनियम/नियमों के उपबंधों के उल्लंघन की स्थिति से निपटने के लिए स्वतंत्र होगी। तथापि जहां तक संभव होगा स्टेज कैरिज और ट्रकों के वास्तविक प्रचालकों के उत्पीड़न को अगर समाप्त न किया जा सके तो न्यूनतम कर दिया जाएगा। अगर राज्य सरकारों के ध्यान में विशिष्ट मामले आते हैं तो वे जांच करने के लिए स्वतंत्र होंगी।

(vi) राज्य सरकारों सड़क पर मोटर वाहनों के कागज पत्रों की जांच करने से पुलिस अधिकारियों को रोकने के अनुदेश जारी करने की वांछनीयता पर भी विचार करेंगी।

[हिन्दी]

गुजरात में टेलीफोन एक्सचेंज

3641. श्री काशी राम राणा : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में 1993-94 के दौरान किन–किन स्थानों में नये टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किए गये ; और

(ख) 1994-95 के दौरान किन–किन स्थानों में नये टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किये जाने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) 1994-95 के दौरान गुजरात सर्किल में 75 नए टेलीफोन एक्सचेंज खोले जाने की योजना है। तथापि वास्तवकि स्थान न्यूनतम मांग के मानदण्ड पर निर्भर करेंगे।

विवरण

1993-94 के दौरान स्थापित किए गए एक्सचेंज

अहमदाबाद जिला

(1)	भदरा	(9)	कुदसर
(2)	वसनस	(10)	लवर पर
(3)	नवरंग पुरा	(11)	खस्ता
(4)	केरल	(12)	वदना–इयावा
(5)	ढालक	(13)	ओन–परदः
(6)	जलीला	(14)	चरोदी
(7)	त्रेण्ड	(15)	पंचम
(8)	बापू नगर	(16)	पिप लाड

वदोदरा जिला (बडौदा)

(17) पनिगेट

(18) बड़ौतदा

(19) तेजगढ़

राजकोट जिला

(20) पिपावडी

(21) देरडी

(22) श्री नाथ गढ़

(23) सुवाग

(24) खंभाला

सूरत जिला

(25) निजार

(26) सूरत

(27) घाटा

(28) जिनाज

(29) खाडा

(30) कुमेर वाडी

(31) राधा वंज

(32) चतेर सुंबा

मेहसाणा जिला

(33) बसपा

(34) देदीसन

(35) पिलुदारा

(36) रानीसर

भावनगर जिला

(37) जीरा

(38) नवग्राम

(39) पाटन

(40) रनपांडा

भुज जिला

(41) आदीसर

(42) धनेटी

(43) देवीसर

(44) हाडा

(45) कन्दरोडी

(46) फल्सवा

(47) जंगी

(48) कोंडई

(49) गोधरा

जूनागढ़ जिला

(50) सिमर

(51) खडिया

(52) कटेला

(53) जूठन

(54) मोडूर

(55) जमवाला

जाम नगर जिला

(56) सोन वलिया

(57) हापा

(58) मेघपुर

(59) नागेडी

(60) बेराजा

(61) मोडपर

(62) हाठला

(63) डडिया

(64) मोर झार

(65) नाना वडाला

(66) पिपावाव

(67) इंगरोला

(68) टोरा

(69) जुंगेर

(70) सजी वाडर

(71) घरपरवटा

(72) खिसारी

(73) मटिपाला

बुलसर जिला

(74) अमबाच

भरूच जिला

(75) जनोर

(76) परिएज

(77) सरोड.

(78) मछसारा

गोधरा जिला

(79) मथवास

(80) सेंवालिया

हिम्मत नगरजिला

(81) मनीपुर

(82) फतेजीना

(83) वाघीपुर

(84) सुसवाव

(85) चोकडी

(86) जम्बू

(87) मोती मलवान

(88) लीला पर

(89) नाना

(90) मेढ़

(91) कुबीसर

पालनपुर जिला

(92) भदाथ

(93) वसाडा

(94) धण्डा

(95) पंचाडा

(96) ससाम

(97) तेरवाडा

(98) भोरल

(99) खिमाणा

(100) सनाडी

(101) सुंढा

(102) लवाना

(103) सोनी

(104) केरियाघड (बमरेली जिला)

(105) कलासर (भावनगर जिला)

हिमाचल प्रदेश में यू.एच.एफ.प्रणाली

3642. श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष के दौरान हिमाचल प्रदेश के किन–किन जिलों में यु.एच.एफ. टेलीफोन प्रणाली का विस्तार किया गया ; और

(ख) जिला–वार इस पर कितनी राशि खर्च की गई और इसके परिणामस्वरूप कितने लोग लाभान्वित हुए ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) बिलासपुर, कांगड़ा, कुल्लू, शिमला, सिरमौर और उना।

(ख) जिलेवार व्यय संलग्न विवरण के अनुसार है। 6 जिलों में 21 एक्सचेंजों के जरिए संचार सुविधा प्राप्त कर रहे व्यक्ति लाभान्वित हुए हैं।

विवरण

जिला	स्कीम का नाम	राशि (रुपए में)
बिलासपुर :	नैनादेवी–उना, 2 एम. बिट.	67,71,940
कांगड़ा :	धर्मशाला–कांगड़ा, 8 एम. बिट.	76,55,671
	धर्मशाला–नूरपुर, 8 एम. बिट.	1,90,88,000
	सुरनी–ज्वालामुखी, 2 एम. बिट.	39,44,438
कुलू :	नागवैन–सुराठ, 2 एम. बिट.	50,69,191
शिमला :	थानेदार–रामपुर, 8 एम. बिट.	48,34,954
सिरमौर :	पावंता–नाहन, 8 एम. बिट.	74,63,777
उना :	उना–मारवैन–जालंधर से मारवैन में 2 एम. बिट का ड्राप किया जाना	13,29,326

[अनुवाद]

मत्स्य उद्योग के संबंध में नई नीति

3643. डा. वाई.एस. राजशेखर रेड्डी : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मत्सय उद्योग के संबंध में नई नीति की घोषणा करने का है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) मत्स्य उद्योग के लिए 1992 तथा 1993 के दौरान कुल कितने व्यक्तिगत लाइसैंस जारी किए गए और कितने संयुक्त उद्यमों पर हस्ताक्षर किए गए ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) और (ख) एक नई गहन समुद्री मत्स्यक नीति की घोषणा मार्च, 1991 में की गई थी। इस नीति में संयुक्त उद्यम, पट्टेदारी और परीक्षण मत्स्यन नामक 3 स्कीमें शामिल हैं।

(ग) मंत्रालय की शुरूआत से लेकर अब तक विभिन्न स्कीमों जैसे 100% निर्यातोन्मुखी यूनिट, देशी निर्माण, सामान्य आयात, संयुक्त उद्यम, परीक्षण मत्स्यन, पट्टेदारी आदि के अन्तर्गत गहन समुद्री मत्स्यन जलयान प्राप्त करने और उन्हें भारतीय अनन्य आर्थिक जोन में चलाने के लिए 45 कम्पनियों को अनुमति दी गई है। विदेशी मत्स्यन कम्पनियों के साथ संयुक्त उद्यम करने वाली 20 कम्पनियों को वर्ष 1992 और 1993 के दौरान मत्स्यन प्रचालन आरम्भ करने की अनुमति दी गई है।

हल्दिया पत्तन का विकास

3644. डा. असीम बाला : क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ता पत्तन न्यास की संपदा विकास योजना क्या है ;

(ख) क्या इस योजना का परित्याग कर दिया गया है ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(घ) क्या सरकार का विचार हल्दिया पत्तन का विकास करने का है ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन-मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) कलकत्ता पत्तन न्यास ने तत्कालीन बोट कैनाल तथा बी बी डी बैग क्षेत्रों में फालतू भूमि का विकास करने तथा उसका व्यावसायिक दोहन करने की योजना बनाई है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) हल्दिया पत्तन के विकास के लिए आठवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल की गई नई स्कीमों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

1992-97 के लिए स्कीम वार आठवीं योजना परिव्यय

क्रम सं.	स्कीम का नाम	(करोड़ रु. में) अनुमानित लागत मूल	सेशों.	आठवीं योजना परिव्यय
1.	2.	3.	4.	5.
1.	बदलकर लोकोमोटिव्स की खरीद।	4.38	4.38	4.38
2.	बर्थ सं. 3 पर टिपलर का पुननिर्माण।	4.50	4.50	3.55
3.	कोयला हैंडलिंग संयत्र में नार्थ स्टेकर–व रिक्लेमर को बदलना।	5.00	5.00	5.00
4.	बर्थ सं. 3 से पहले क्वे फेस का विकास।	5.00	5.00	0.50
5.	गोदी की दूसरी आर्म का विस्तार तथा अतिरिक्त बर्थों का विकास	50.00	50.00	0.50
6.	दो चल क्रेनों की खरीद।	2.00	2.00	1.60
7.	एक बर्थ (4 एवं 5) का निर्माण।	14.80	14.80	4.80
8.	बर्थ सं. 11 से आगे बार्ज टर्मिनल का निर्माण।	5.00	5.00	5.00
9.	डॉक मार्शलिंग यार्ड में दूसरे सामान्य प्रयोक्ता स्थल का निर्माण।	1.10	1.10	0.73
10.	बदले में एक उच्च शक्ति के लोकोमोटिव की खरीद।	4.50	4.50	4.50
11.	बदले में एक मध्यम शक्ति के लोकोमोटिव की खरीद।	3.50	3.50	0.40
12.	प्रशासनिक भवन (जवाहर टावर) का विस्तार।	3.50	3.50	1.50
	कुल :	103.28	103.28	32.46

[हिन्दी]

पूर्वी क्षेत्र में तांबे के भण्डार

3645. श्री शैलेन्द्र महतो :

श्री रामदेव राम :

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय तांबा परिसर में घोबनी, सिधेशर और छपरी खानों में तांबे के प्रचुर भण्डार हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या हिन्दुस्तान कापर लि. का विचार इन खानों की खोज करने का है ;

(ग) क्या हिन्दुस्तान कापर लि. का विचार तुरमदीह खानों, जिनमें ऊंची कोटि का तांबा उपलब्ध है, को अपने अधिकार में लेने का है ;

(घ) क्या राखा, सुर्दा, पत्थर मोडा केन्दरदीह खानों की क्षमता में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ङ) क्या सरकार का विचार चेल्लाई समिति की रिपोर्ट के आधार पर वान लोपा खानें बन्द करने का है ;

(च) क्या सरकार का विचार भारतीय तांबा परिसर के प्रगालक संयंत्र की वर्तमान वार्षिक क्षमता में वृद्धि करने का है ; और

(छ) यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसके कारण क्या हैं ?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) राष्ट्रीय खनिज सूची के अनुसार 1.4.1993 को घोबनी, चापरी और सिधेश्वर निक्षेपों में कुल 490 लाख टन निकालने योग्य तांबा अयस्क के भंडार है जिसमें लगभग 4.3 लाख टन तांबा धातु है।

(ख) कंपनी द्वारा इनमें से कुछ भण्डारों के विकास करने का प्रस्ताव है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) कंपनी की सुरदा, पाथरगोर और केंडाडीह खानों की स्थापित क्षमता का विस्तार करने का प्रस्ताव है ताकि अधिक तांबा अयस्क का उत्पादन किया जा सके।

(ङ) कंपनी द्वारा अपनी मोसाबानी खान को क्रमशः बन्द करने का प्रस्ताव है क्योंकि यह खान अलाभप्रद हो गई है।

(च) और (छ) फिलहाल, अर्थिक कारणों से इंडियन कापर काम्पलेक्स की स्मैल्टिंग क्षमता का विस्तार करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

ग्रामीण विद्युतीकरण

3646. श्री खेलन राम जांगड़े :

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा :

श्री शिवलाल नागजी भाई वेकारिया :

श्री अर्जुन सिंह यादव :

श्री शिवराज सिंह चौहान :

डा. परशुराम गंगवार :

डा. विश्वानाथम कैनिथी :

श्री वीर सिंह महतो :

श्री रामचन्द्र वीरप्पा :

डा. के.वी.आर. चौधरी :

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य में ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए वर्ष 1991-92, 1992-93 तथा 1993-94 के दौरान अब तक कुल कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई ;

(ख) ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत 1993-94 के दौरान कितने गांवों का विद्युतीकरण किया गया है ;

(ग) क्या सरकार ने प्रत्येक राज्य में सभी गांवों का विद्युतीकरण करने के लिए कोई समय–बद्ध योजना/कार्यक्रम बनाया है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) वर्ष 1991-92, 1992-93 और 1993-94 के दौरान ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा प्रत्येक राज्य को प्रदान की गई कुल वित्तीय सहायता का ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है।

(ख) 1993-94 के दौरान ग्राम विद्युतीकरण के कार्य में हुई प्रगति का राज्यवार ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रमों का निर्धारण वार्षिक आधार पर योजना आयोग द्वारा, राज्य बिजली बोर्डों के परामर्श से, संसाधनों की समग्र उपलब्धता तथा संबंधित राज्य बिजली बोर्डों से प्राप्त हुए प्रस्तावों को मद्देनजर रखते हुए किया जाता है।

(ङ) गांवों का विद्युतीकरण किया जाना एक सतत प्रक्रिया है। गैर विद्युतीकृत गांवों का विद्युतीकरण संबंधी कार्य आठवीं तथा अनुवर्ती पंचवर्षीय योजनाओं में हाथ में लिया जायेगा बशर्ते निधियां तथा अन्य निवेश उपलब्ध हो।

विवरण - I

1991-92, 92-93 और 93-94 के दौरान ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा प्रत्येक राज्य को दी गई वित्तीय सहायता को दर्शाने वाला ब्यौरा

(करोड. रुपये में)

क्रम सं.	राज्य	1991-92	1992-93	1993-94 (अनंतिम)
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	28.21	48.15	104.77
2.	अरूणाचल प्रदेश	4.00	4.50	5.25
3.	असम	6.00	2.76	-
4.	बिहार	11.44	3.77	1.75
5.	गुजरात	22.54	25.03	36.58
6.	हरियाणा	21.76	21.23	18.25
7.	हिमाचल प्रदेश	4.69	4.31	4.80
8.	जम्मू व कश्मीर	4.18	7.06	4.04
9.	कर्नाटक	21.90	29.70	35.13
10.	केरल	12.66	9.09	14.31
11.	मध्य प्रदेश	127.93	91.34	122.38

1	2	3	4	5
12.	महाराष्ट्र	47.92	33.01	56.47+25.00*
13.	मणिपुर	6.26	7.29	9.43
14.	मेघालय	5.19	5.58	1.90
15.	मिजोरम	6.85	7.63	12.27
16.	नागालैण्ड	1.58	2.00	2.12
17.	उड़ीसा	33.04	10.79	23.08
18.	पंजाब	17.11	10.60	15.90
19.	राजस्थान	44.99	58.04	75.66
20.	सिक्किम	2.71	3.20	3.17
21.	तमिलनाडु	27.37	25.00	49.51+20.00*
22.	त्रिपुरा	6.00	4.76	7.94
23.	उत्तर प्रदेश	86.50	41.68	72.42
24.	पश्चिम बंगाल	37.01	17.74	17.49
	जोड :	**587.84**	**474.26**	**694.62+45.00***

टिप्पणी : ओईसीएफ/सहकारिता ऋणों को संबंधित राज्य के आंकड़ों में सम्मिलित किया गया है।

* ब्रिज ऋण

विवरण -II

1993-94 के दौरान ग्राम विद्युतीकरण की राज्यवार उपलब्धि

क्रं. सं.	राज्य	1993-94 के दौरान विद्युतीकृत किए गए गांव
1.	आन्ध्र प्रदेश	#
2.	अरूणाचल प्रदेश	11 (क)
3.	असम	शून्य (ख)
4.	बिहार	54 (घ)
5.	गोवा	#
6.	गुजरात	#
7.	हरियाणा	#
8.	हिमाचल प्रदेश	#
9.	जम्मू व कश्मीर	शून्य (ख)
10.	कर्नाटक	#
11.	केरल	#
12.	मध्य प्रदेश	680 (घ)
13.	महाराष्ट्र	#
14.	मणिपुर	33 (ग)
15.	मेघालय	15 (ग)
16.	मिजोरम	28 (ग)
17.	नागालैंड	शून्य (घ)
18.	उड़ीसा	52 (घ)
19.	पंजाब	#
20.	राजस्थान	674 (घ)
21.	सिक्किम	#
22.	तमिलनाडु	#
23.	त्रिपुरा	105 (ग)
24.	उत्तर प्रदेश	382 (घ)
25.	पश्चिम बंगाल	241 (घ)

जोड़ (राज्य)	2275
जोड़ (संघ शासित क्षेत्र)	#
जोड़ (अखिल भारत)	2275

(क) 1.4.93 से 31.8.93 तक की उपलब्धि (ख) 1.4.93 से 31.12.93 तक की उपलब्धि

(ग) 1.4.93 से 31.1.94 तक की उपलब्धि (घ) 1.4.93 से 28.2.94 तक की उपलब्धि

100% विद्युतीकृत गाँव

राजस्थान के तहसील मुख्यालयों में एस०टी०डी०

3647. श्री भेरु लाल मीणा : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान के तहसील मुख्यालयों को एस.टी.डी. से जोड़ने के लिए सरकार ने क्या नीति तैयार की है ;

(ख) उदयपुर जिले की तहसीलों को जिन्हें अभी तक यह सुविधा प्राप्त नहीं है, कब तक एस.टी.डी. से जोड़ दिया जायेगा ;

(ग) क्या आदिवासी बहुल तहसील क्षेत्रों को एस.टी.डी. से जोड़ने की कोई प्राथमिकताएं तय की गई हैं ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के लक्ष्यों के अनुसार सभी तहसील मुख्यालयों को 1-4-95 तक एस.टी.डी. सुविधा से जोड़े जाने का प्रस्ताव है।

(ख) 31.3.94 की स्थिति के अनुसार, उदयपुर जिले के सभी 10 तहसील मुख्यालयों को एस. टी.डी नेटवर्क से पहले ही जोड़ा जा चुका है।

(ग) एवं (घ) उपर्युक्त (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

निजी इस्पात संयंत्र

3648. श्री शान्ताराम पोतदुःखे : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को निजी कम्पनियों से इस्पात संयंत्र लगाने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) निजी क्षेत्र में स्थापित किए जाने वाले संयंत्रों की संख्या, स्थान तथा प्रतिष्ठापित क्षमता का ब्यौरा क्या है ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) और (ख) जुलाई, 1991 में घोषित नई औद्योगिक नीति के तहत लोहे और इस्पात उद्योग को सरकारी क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों की सूची से निकाल दिया है और इसे कतिपय स्थान संबंधी प्रतिबन्धों की शर्तों पर उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के तहत अनिवार्य लाईसेंसिग के प्रावधानों से भी छूट दे दी गई है। अतः नये इस्पात संयंत्र लगाने के लिए औद्योगिक लाईसेंस की आवश्यकता नहीं है।

(ग) इस समय उपलब्ध सूचना के अनुसार भारी क्षमता के निम्नलिखित इस्पात संयंत्र लगाने का प्रस्ताव है :

राज्य	इकाई का नाम	स्थान	प्रस्तावित क्षमता (द्रव इस्पात) लाख टन/वार्षिक
1	2	3	4
आन्ध्र प्रदेश	मैसर्स विजयनगर स्टील प्लांट (ए.आर.एम. स्टील प्लांट)	सीतानगरम	22.0 (चरणों में)
बिहार	मैसर्स पंजाब स्टीलप्रॉडक्ट्स लि.	इन्द्रानगर	10.5 (चरणों में)
गुजरात	मैसर्स इस्सर गुजरात लिमिटेड	हजीरा	22.0
कर्नाटक	विजयनगर में एक यूनिट	थोरांगल,बेल्लारा	11.00
	मैसर्स जिन्दल विजयनगर स्टील लिमिटेड	वही	12.90
	मैसर्स जयप्रकाश ईजी. एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड	मंगलौर	12.00 (चरणों में)
महाराष्ट्र	मैसर्स निप्पोन डेनरो इस्पात लि.	रायगढ़	13.20
	मैसर्स लॉयड्स स्टील इण्डस्ट्रीज लि.	वर्धा	4.40
	मैसर्स ऊषा इस्पात लिमिटेड	रेड्डा	11.50
मध्य प्रदेश	मैसर्स मुकन्द लिमिटेड	बस्तर	12.00
	मैसर्स जे.के. इण्डस्ट्रीज लि.	रायपुर	6.00
	मैसर्स जिन्दल स्ट्रिप्स लि.	रायगढ़	5.50
	मैसर्स नागपुर एलॉय कास्टिंग लि.	रायपुर	5.50
	मैसर्स एस.एम. आयरन एण्ड स्टील इण्डस्ट्रीज लिमिटेड	बस्तर	7.00
उड़ीसा	मैसर्स कलिंगा स्टील (इंडिया) लि.	दैतारी	13.75

	मैसर्स नीलाचल इस्पात निगम लि.	दैतारी	8.40	
	मैसर्स ओरिन्द स्टील लि.	दैतारी/ खुन्तापानी	11.50	(चरणों में)
	मैसर्स मिडईस्ट इन्टीग्रेटिड स्टील लि.	दैतारी	10.50	(चरणों में)
	ब्रहांमणी आयरन एण्ड स्टील क.	दैतारी	12.00	(चरणों में)
	भूषण स्टील एण्ड स्ट्रीप्स लि.	दैतारी	13.00	(चरणों में)
उत्तर प्रदेश	मालविका स्टील प्रॉडक्ट्स लि.	जगदीश पुर	12.00	(चरणों में)
पश्चिम बंगाल	मैसर्स बिरला टेक्नीकल सर्विसेज	बेलूर	8.00	
तमिलनाडु	तमिलनाडु इण्डस्ट्रीज डेवलपमेंट कारपोरेशन	दक्षिण आरूट	3.25	

जहाजों की आवश्यकता

3649. श्रीमती सुशीला गोपालन : क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अगले तीन वर्षों के लिए हमारे पोत–कारखानों की हमारी जहाजों की आवश्यकता का दस प्रतिशत बातचीत द्वारा तय की गयी शर्तों पर आवंटित करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है।

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(घ) हमारे देश के पोत–कारखानों को विदेशी पोत कारखानों की तुलना में प्रतिस्पर्धात्मक बनाने हेतु क्या कदम उठाने का विचार है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) सरकार ने 8-9-93 को विदेशीगामी जहाजों के मूल्य निर्धारण एवं वित्तपोषण से संबंधित एक संशोधित पैकेज जारी किया है जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं :

(i) सार्वजनिक क्षेत्र के भारतीय यार्ड में निर्मित किए जाने वाले विदेशगामी जहाज का मूल्य इस आधार पर निर्धारित किया जाए कि सार्वजनिक क्षेत्र का यार्ड खुली निविदा में भाग लेगा और उसे न्यूनतम बोली पूरी करने की अनुमति दी जाएगी तथा उसके बाद वह उक्त मूल्य पर 30% अतिरिक्त मूल्य का हकदार होगा जिसमें से 20% सरकार द्वारा और 10% जहाज मालिक द्वारा अदा किया जाएगा।

(ii) भारतीय यार्डों को आर्डर देने वाली नौवहन कंपनियों को जहाज के मूल्य के 80% तक 9% की रियायती दर पर ऋण दिए जाएं। ब्याज सबसिडी जल–भूतल परिवहन

मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। ये निधियां यार्डों के माध्यम से दी जाएंगी।

(iii) मूल्य का निर्धारण अमरीकी डालर/जापानी येन के रूप में होगा। जहाज मालिक भुगतान की वास्तविक तारीख को विदेशी मुद्रा की बाजार निर्धारित प्रचलित क्षमता दर पर शिपयार्डों को प्रत्येक चरण (स्टेज) में किस्त का भुगतान करेगा। तथापि, भुगतान की तारीख करार अनुसूची के अनुसार होगी और शिपयार्ड, निर्दिष्ट तारीख से आगे किसी मूल्य निर्धारण के हकदार नहीं होंगे। कार्य पूरा करने में देरी के लिए निर्णीत हर्जाने के भुगतान के लिए कारार में उपयुक्त खण्ड शामिल किए जांएगें।

(iv) सरकार द्वारा जारी की जाने वाली सबसिडी का भुगतान, मुद्रा की बाजार निर्धारित समता दर के अनुसार स्टेज भुगतानों के लिए शिपयार्डों द्वारा प्राप्त भुगतानों के साथ किया जाएगा।

(v) ऐसे जहाज जिनका आयात–मूल्य, उस जहाज के मूल्य से अधिक होने की संभावना है, देश में निर्माण नहीं किया जाना चाहिए।

उपर्युक्त (i) में परिकल्पित मूल्य लाभ दो वर्ष की अवधि के लिए स्वीकार्य होगा।

खनन के लिए अनुमति

3650. श्री अन्ना जोशी :

श्री ए. वेंकटेश नायय :

क्या **खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने अप्रवासी भारतीयों तथा बहुराष्ट्रीय कम्पनियों ने देश में खनन की अनुमति हेतु आवेदन किए हैं ;

(ख) गत एक वर्ष के दौरान ऐसी कितनी कंपनियों को अनुमति दी गई है तथा इस संबंध में किए गए समझौते का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इन कंपनियों द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन कब तक शुरू कर दिया जाएगा ?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) से (ग) सूचना विभिन्न राज्य सरकारों से मंगाई जा रही है तथा सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

म्यानमार जाने के लिए भारतीय यात्रियों को भू-मार्ग

3651. श्री राम प्रसाद सिंह :

श्रीमती गिरिजा देवी :

श्री मंजय लाल :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या म्यानमार में अपने सम्बन्धियों से मिलने के लिए भारतीय पासपोर्ट पर म्यानमार जाने की भारतीय नागरिकों को अनुमति देने हेतु केन्द्रीय सरकार और म्यानमार के बीच कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.एल. भाटिया) : (क) और (ख) इस समय भारतीय पासपोर्ट धारक वायुयान से म्यांमार की यात्रा कर सकते हैं। इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है कि वे भू–मार्ग से इस देश की यात्रा कर सकें।

मध्य प्रदेश में डाकघर

3652. श्री भीम सिंह पटेल : क्या **संचार** मंत्री 20 जुलाई, 1992 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1748 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1992-93 के दौरान क्या लक्ष्य रखा गया था और क्या उपलब्धि रही ; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में जिला–वार कितने नए डाकघर खोले गए ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) वर्ष 1992-93 के दौरान 62 डाकघर खोले जाने के लक्ष्य तुलना में 114 डाकघर खोले गए थे।

(ख) वर्ष 1992-93 के दौरान मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में जिलावार खोले गए नए डाकघरों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

वर्ष 1992-93 के दौरान मध्य प्रदेश सर्किल में खोले गए डाकघरों की जिलावार संख्या का ब्यौरा।

क्र.सं.	जिले का नाम	वर्ष 1992-93 के दौरान खोले गए डाकघर
1.	2.	3.
1.	भोपाल	-
2.	भिंड	2
3.	बालाघाट	-
4.	बिलासपुर	4
5.	बस्तर (जगदलपुर)	-
6.	बेतूल	11
7.	छत्तरपुर	1
8.	छिन्दवाड़ा	1

1	2	3
9.	दमोह	2
10.	देवास	-
11.	दतिया	1
12.	धार	9
13.	दुर्ग	3
14.	ग्वालियर	2
15.	गूना	4
16.	होशंगाबाद	2
17.	इंदौर	5
18.	जबलपुर	1
19.	झाबुआ	8
20.	खंडवा	3
21.	खरगौन	6
22.	मंदसौर	5
23.	मुरेना	1
24.	मांडला	-
25.	नरसिंहपुर	-
26.	पन्ना	-
27.	रायगढ़ (बायो)	2
28.	रायसेन	5
29.	रतलाम	7
30.	राजनांदगांव	-
31.	रायगढ़	-
32.	रायपुर	3
33.	रीवा	-
34.	सागर	11
35.	सिहोर	-
36.	शिवपुरी	3

1	2	3
37.	सिवनी	1
38.	सतना	2
39.	सरगुजा (अम्बिकापुर)	1
40.	शहडोल	3
41.	सिधी	1
42.	शाजापुर	-
43.	टीकमगढ़	4
44.	उज्जैन	-
45.	विदिशा	-
	योग :	114

[अनुवाद]

ए. टी. एंड टी. स्विचिंग प्रणाली

3653. डा. राजागोपालन श्रीधरण : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स ए.टी. एंड टी. और टाटा समूह ने देश में ए.टी. एंड टी. स्विचिंग प्रणालियों और बड़े डिजिटल पब्लिक टेलीफोन एक्सचेंजों के निर्माण हेतु कोई संयुक्त उद्यम लगाने हेतु समझौता किया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी हां।

(ख) मार्च, 1992 में मैसर्स ए.टी. एंड टी. स्विचिंग सिस्टम (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत किए गए सूचना ज्ञापन के अनुसार परियोजना के ब्यौरे निम्न प्रकार से हैं :

1. **विनिर्माण की मद :**

   डिजिटल इलेक्ट्रानिक स्विचन उपस्कर एवं प्रणालियां ।

2. **प्रस्तावित वार्षिक उत्पादन क्षमता :**

   5 लाख लाइनें ;

3. **निवेश :** 49.5 करोड़ रुपयें

4. **विदेशी साम्या (इक्विटी) :**

   51% (17.85 करोड़ रु.)

[हिन्दी]

ग्राहकों को टेलीफोन उपकरणों की आपूर्ति

3654. **श्री राम सिंह कस्वां :**

श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा) :

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :

श्री प्रकाश वी. पांटील :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरसंचार विभाग ने ग्राहकों को उनके परिसरों पर फैक्स मशीनों सहित टेलीफोन उपकरणों तथा अतिरिक्त पुर्जे की आपूर्ति अक्तूबर, 1995 से बंद करने का निर्णय लिया है ;

(ख) यदि हां, तो तथ्य और इसके कारण क्या हैं ; और

(ग) उपभोक्ताओं/प्रयोक्ताओं को अपनी पसंद की टेलीफोन उपकरण और फैक्स मशीन लगवाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) से (ग) ग्राहक के परिसर में टेलीफोन उपस्कर तथा उसके उपांग प्रदान करने की व्यवस्था को समाप्त करने के प्रस्ताव पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है। दूरसंचार विभाग टेलीफोन उपभोक्ताओं को फैक्स मशीनों की आपूर्ति नहीं करता है।

चुंगी लगाना

3655. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी :**

श्री सुरेशानन्द स्वामी :

क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन–किन राज्यों में इस समय चुंगी वसूल की जाती है और किन–किन राज्यों में इसे समाप्त कर दिया गया है ;

(ख) जिन राज्यों में चुंगी वसूल की जाती है वहां इसे समाप्त करने के संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है और इसे समाप्त करने के कारण राज्यों को होने वाले राजस्व घाटे की पूर्ति किस तरह की जाएगी ; और

(ग) चुंगी के रूप में प्रत्येक एक रुपए की वसूली पर औसतन कितना खर्च होता है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) फिलहाल गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र, मणिपुर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान और पश्चिम बंगाल में चुंगी वसूली जाती है। दिल्ली में चुंगी को 31.3.93 से समाप्त कर दिया गया था।

(ख) चुंगी से संबंधित मामलों की जांच करने, इसके यौक्तिकीकरण तथा इसे वसूल किए जाने की विधियों में सुधार के प्रयोजन से पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में दि. 19 अगस्त, 1993 को एक समिति का गठन किया गया था। बिहार, गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र और उड़ीसा के मुख्य मंत्री इसके सदस्य हैं तथा भारत सरकार के आर्थिक सलाहकार डा. राजा चेलैया इसके सहायक सदस्य हैं।

इस समिति की पिछली बैठक 11.4.1994 को हुई। समिति चुंगी को समाप्त किए जाने के हक में नहीं है। तथापि, समिति ने अभी तक सरकार को अपनी रिपोर्ट नहीं भेजी है।

(ग) ऐसे कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

[अनुवाद]

स्थायी मरम्मत निधि

3656. श्री रुपचन्द पाल : क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग – 2, 696 कि.मी. प्र.घ. से 663 कि.मी. प्र.घ. तक के लिए स्थायी मरम्मत निधि गत दस वर्षों से प्राप्त नहीं हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) राष्ट्रीय राजमार्ग -2 कलकत्ता के निकट 669.3 कि.मी. पर समाप्त हो जाता है तथा 669.3 कि.मी. से 682 कि.मी. तक का खंड एक शहरी सम्पर्क मार्ग है। राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए अलग से कोई स्थायी पुनरूद्धार निधि नहीं है। तथापि, राष्ट्रीय राजमार्गों को उनके रख रखाव और मरम्मत के लिए उपलब्ध निधियों में से यातायात योग्य स्थिति में रखा जाता है।

[हिन्दी]

स्मारक डाक-टिकटें

3657. डा. गुणवन्त रामभाऊ सरोदे :

श्रीमती शीला गौतम :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डाक–टिकट जारी करने के लिए क्या मानदंड अपनाये जाते हैं ;

(ख) किसी व्यक्ति की स्मृति में कितने स्मारक डाक–टिकट जारी किये जा सकते हैं ;

(ग) क्या सरकार ने भूतपूर्व नेताओं/स्वतंत्रता सेनानियों की स्मृति में स्मारक डाक–टिकट जारी करने के लिए उनके नामों की कोई सूची तैयार की है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन्हें कब जारी किया जायेगा ;

(ङ) क्या सरकार को महान सामाजिक नेता ज्योति राव फुले के शताब्दी समारोह के अवसर पर एक स्मारक डाक–टिकट जारी करने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ; और

(च) यदि हां, तो सरकार उस पर क्या कार्यवाही कर रही है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) डाक विभाग विशिष्ट व्यक्तियों/संस्थाओं/कला/विरासत/संस्कृति पर डाक–टिकट जारी करता है। विशिष्ट व्यक्तियों पर स्मारक डाक–टिकट उन की जन्म शताब्दी/10वीं/25वीं/50वीं या 100वीं पुण्यतिथि के अवसर पर जारी किए जाते हैं। जीवित व्यक्तियों पर कोई डाक–टिकट जारी नहीं किया जाता है।

(ख) किसी एक विशिष्ट व्यक्ति पर केवल एक डाक–टिकट जारी किया जाता है,

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) वर्ष 1989 के दौरान प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। इस प्रस्ताव पर सरकार को सलाह देने के लिए इसे अनुमोदनार्थ फिलैटलिक सलाहकार समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। लेकिन समिति ने इसकी सिफारिश नहीं की क्योंकि स्व. ज्योति राव फुले पर 28-11-1977 को एक डाक–टिकट पहले ही जारी किया जा चुका था।

[अनुवाद]

कलकत्ता टेलीफोन विभाग के अंतर्गत क्षेत्रों को शामिल करना

3658. डा. सुधीर राय : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता टेलीफोन विभाग के कार्यकरण में सुधार करने के कार्य हेतु और अधिक क्षेत्रों को शामिल करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) क्या इस संबंध में कोई कदम उठाये जा रहे हैं ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और उसे सदन–पटल पर रख दिया जाएगा।

दूरदर्शन में जमा अनिर्णीत धारावाहिक

3659. श्री श्रवण कुमार पटेल : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन में जमा दर्जनों प्रायोजित धारावाहिक अनिर्णीत पड़े हैं जैसा कि 1 जनवरी, 1994 के इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इन धारावाहिकों को प्रसारित नहीं किये जाने के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) जी, नहीं। (ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठतें।

विद्युत क्षेत्र/प्रोमोटर

3660. श्री डी. वेंकटेश्वर राव :

श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :

श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :

श्री एस.बी. सिदनाल :

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने निजी विद्युत क्षेत्र/प्रोमोटर और विदेशी निवेशकों के लिए लाभ संबंधी मानदंडों में अनेक संशोधन किए हैं ;

(ख) यदि हां, तो विदेशी कंपनियों तथा निजी विद्युत कंपनियों की शिकायतों को ध्यान में रखते हुए इन मानदंडों में किए गये संशोधनों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या निजी क्षेत्र और विदेशी कंपनियों द्वारा विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने हेतु सभी औपचारिकताओं पर विचार कर लिया गया है ;

(घ) यदि हां, तो विदेशी निवेशकों ने इस संबंध में क्या स्पष्टीकरण मांगे हैं ; और

(ङ) 1994-95 के दौरान देश में कितनी विद्युत परियोजनाएं स्थापित की जायेंगी ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) से (ख) उत्पादक कंपनियों द्वारा बिजली की बिक्री के संबंध में हाल ही में एक अधिसूचना जारी की गई थी, जिसमें इस संबंध में स्थिति को संशोधित किया गया था। संशोधनों संबंधी ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) वित्तीय, कानूनी, प्रशासनिक और वाणिज्यिक परिवेश, जिसके अंतर्गत विदेशी विद्युत कंपनियों सहित निजी विद्युत कंपनियों को कार्य करना होगा, तैयार कर लिया गया है। इस संबंध में ब्यौरे अधिसूचित किए गए हैं और व्यापक रूप से परिचालित किए गए हैं।

(घ) प्रत्येक निजी विद्युत परियोजना के संबंध में विशिष्ट रूप से वार्ताएं की जानी हैं। ऐसी प्रत्येक वार्ता के दौरान, जब भी अपेक्षित हो विद्युत मंत्रालय द्वारा स्पष्टीकरण जारी किए जाते हैं।

(ङ) निम्नलिखित चल रही निजी विद्युत परियोजनाओं का वर्ष, 1994-95 में आरंभ होना निश्चित किया गया है :

1	- ट्राबे सी.सी.जी.टी.	-	80 मे.वा.
2	- बिहार पी.एस.एस.	-	150 मे.वा.
3	- दहानु टी.पी.एस.	-	500 मे.वा.

विवरण

निजी क्षेत्र का विकास

विद्युत क्षेत्र में निजी क्षेत्र द्वारा अतिरिक्त निवेश को प्रोत्साहन दिये जाने की दृष्टि से सरकार अनेक उपाय कर रही है। विद्युत मंत्रालय में निवेश सम्पवर्तन सेल निजी क्षेत्र निवेश के लिए सुविधा प्रदान करता है और विद्युत उत्पादन और वितरण में निजी क्षेत्र की विद्युत उत्पादान कम्पनियों की भागीदारी के प्रावधान हेतु विद्युत (प्रदाय) अधिनियम 1948 में संशोधन किया गया है। स्वतंत्र विद्युत परियोजनाओं और राज्य बिजली बोर्डों के बीच विद्युत क्रय समझौते हेतु बातचीत किये जाने के लिए मूल अवधारणा के प्रावधान के लिए मार्च, 1992 में एक टैरिफ संबंधी अधिसूचना जारी की गई थी। विद्युत (प्रदाय) अधिनियम के अधीन विभिन्न सुविधाओं के लिए मूल्य ह्रास की दर संबंधी प्रावधान की भी समीक्षा की गई थी और जनवरी, 1992 में इनमें आंशिक रूप से संशोधन किया गया था।

गत दो वर्षों के अनुभव को मद्देनजर रखते हुए स्थिति की पुनः समीक्षा की गई है। राज्य बिजली बोर्डों और विद्युत परियोजनाओं के प्रवर्तकों के बीच चल रही बातचीत को आगे जारी रखने के लिए परिवर्तन किए जाने की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए यह निर्णय लिया गया है कि टैरिफ फामूर्ले और ह्रास की दरों में कुछ आशोधन किए जाएं।

प्रमुख परिवर्तनों का ब्यौरा निम्नवत् है :

(1) कोयला आधारित ताप विद्युत परियोजनाओं के लिए मूल्य ह्रास की भारित औसत दर 5.02% है जोकि ऋण विमोचन के लिए अपर्याप्त है। यह निर्णय लिया गया है कि सभी ताप विद्युत परियोजनाओं के लिए मूल्य ह्रास की औसत दर 7.5 प्रतिशत का प्रावधान किया जाए।

(2) अनेक निवेशक यह अनुरोध करते रहे हैं कि इक्विटी पर लाभांश का जो घटक टैरिफ में शामिल किया गया है, विदेशी मुद्रा में किए गए निवेश की पूर्ति के लिए इसका विदेशी विनिमय हेतु प्रावधान किया जाना चाहिए। यह निर्णय लिया गया है कि इक्विटी के इस घटक पर लाभंश हेतु विदेशी विनिमय की अनुमति दी जाए। लेकिन इसे विदेशी इक्विटी के 16 प्रतिशत तक सीमित रखा जाए।

(3) वृहत बीमा लागतों को हिसाब में लिए जाने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि प्रचालन एवं अनुरक्षण व्यय को परियोजना की सम्पूर्ण लागत का 2.5 प्रतिशत आंका जायेगा अथवा वास्तविक बीमा प्रभार समेत परियोजना पूरा होने/ठेके की लागत का 2 प्रतिशत आंका जायेगा बशर्ते यह परियोजना पूरा होने/ठेके की लागत का कुल मिलाकर 3 प्रतिशत से अधिक न हो।

(4) 68.5% के नियामक संयंत्र भार अनुपात से अधिक विद्युत उत्पादन किए जाने पर वर्तमान टैरिफ फामूर्ले में देय अतिरिक्त प्रोत्साहन दर के निर्धारण हेतु किसी प्रकार का प्रावधान नहीं है। यह निर्णय लिया गया है कि इक्विटी पर लाभांश की दर संयंत्र भार अनुपात में प्रत्येक प्रतिशत वृद्धि के लिए 0.7 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।

अधिसूचना में निर्धारित सीमा के लिए प्रावधान किया गया है लेकिन प्रत्येक मामले में राज्य बिजली बोर्डों और प्रर्वतकों के बीच बातचीत के लिए छूट दी गई है। अतिरिक्त विद्युत उत्पादन के लिए उपरोक्त प्रोत्साहन भुगतान की कोई निर्धारण लागत नहीं होगी। परिणाम स्वरूप इस प्रकार की विद्युत की लागत निर्णायक संयंत्र भार अनुपात (मूल लागत) पर प्रति यूनिट विद्युत उत्पादन की लागत से कम होगी।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय चैनलों के प्रसारण सीमा में आने वाले क्षेत्र

3661. श्री वृशिण पटेल : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांच राष्ट्रीय चैनलों के प्रसारण किन–किन राज्यों में दिखाई देते हैं ; और

(ख) सभी पांचों चैनलों पर विभिन्न कार्यक्रमों के प्रसारण पर कुल कितनी धनराशि खर्च होती है और दूरदर्शन इससे कितना लाभ अर्जित करता है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) देश के सभी राज्य दूरदर्शन के उपग्रह चैनल द्वारा कवर किए जाते हैं।

(ख) 1993-94 के दौरान, दूरदर्शन ने 667.61 करोड़ रुपये का व्यय किया और विज्ञापन राजस्व के रूप में 372.98 करोड़ रुपये अर्जित किए।

मध्य प्रदेश में आकाशवाणी/दूरदर्शन का प्रसारण क्षेत्र

3662. डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :

श्री शिवराज सिंह चौहान :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सारे मध्य प्रदेश राज्य को आकाशवाणी और दूरदर्शन के प्रसारण क्षेत्र के अन्तर्गत नहीं लाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आकाशवाणी और दूरदर्शन प्रसारण क्षेत्र में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ; और

(ग) राज्य में आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उच्च और निम्न शक्ति के टी.वी. ट्रांसमीटर स्थापित करने के लिए किन–किन स्थानों का चयन किया गया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) आकाशवाणी द्वारा मध्य प्रदेश की आबादीवार व क्षेत्रवार कवरेज क्रमशः 97% व 95% है। तथापि, शार्ट वेव सहायक सेवा समूचे राज्य में उपलब्ध है। दूरदर्शन द्वारा राज्य की आबादीवार व क्षेत्रवार कवरेज क्रमशः 69.3% व 64% है।

(ख) मध्य प्रदेश में कवरेज वृद्धि हेतु आकाशवाणी के पास आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पांच परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं। इसी प्रकार दूरदर्शन द्वारा 14 अल्प शक्ति ट्रांसमीटर तथा 6 अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर मध्य प्रदेश में लगाने की योजना है जो पूरा होने के विभिन्न चरणों में हैं। इसके अलावा, उच्च शक्ति के 3 और ट्रांसमीटर लगाने की भी परिकल्पना है, जो संसाधनों की उपलब्धता तथा पारस्परिक प्राथमिकताओं पर निर्भर है।

(ग) संलग्न विवरण के अनुसार।

विवरण

आठवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान मध्य प्रदेश में ट्रांसमीटर लगाने हेतु चयनित स्थल।

क्र. सं.	स्थल	ट्रांसमीटर का प्रकार
1.	अम्बिकापुर	उच्च शक्ति ट्रांसमीटर
2.	गुना	"
3.	शहडोल	"
4.	दतिया	अल्पशक्ति ट्रांसमीटर
5.	गदरवाड़ा	"
6.	जावरा	"
7.	सिरोंज	"
8.	अशोकनगर	"
9.	खुरई	"
10.	मेहर	"
11.	बीजापुर	"
12.	लाहर	"
13.	भंडेर	"
14.	केलारस	"
15.	कुकडेश्वर	"
16.	शक्ति	"
17.	अलीराजपुर	"
18.	पर्सिया	अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर
19.	सिगंरौली	"
20.	कोंडागांव	"

21.	बुद्धनी	अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर
22.	जसपुर नगर	"
23.	पंकान्झोर	"

टिप्पणी : ऊपर सूचीकृत स्थलों का दूरदर्शन की वार्षिक योजना 1993-94 हेतु चयन किया गया है। आठवीं योजना की शेष अवधि के लिए स्थलों के बारे में अभी अंतिम निर्णय लिया जाना है।

[अनुवाद]

केरल में सड़क परियोजनाओं को मंजूरी

3663. प्रो. पी.जे. कुरियन : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल की कुछ महत्वपूर्ण सड़क योजनाएं मंजूरी के लिए मंत्रालय के पास लम्बित हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इन योजनाओं के संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी हां।

(ख) तथा (ग) मंत्रालय में 3 प्रस्ताव (2 सड़क और 1 पुल कार्य) लम्बित हैं और उन पर कार्यवाही की जा रही है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में छोटी पन बिजली परियोजनाएं

3664. डा० लाल बहादुर रावल : क्या **विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को उत्तर प्रदेश में विद्युत परियोजनाओं की स्थापना हेतु कई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिन्हें पर्यावरण और वन मंत्रालय और केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा स्वीकृति प्रदान किया जाना अभी बाकी है ; और

(ग) इन परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान करने में अत्यधिक विलम्ब के क्या कारण हैं तथा सरकार द्वारा इस संबंध में कब तक निर्णय ले लिया जाएगा ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) और (ख) उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निम्नलिखित विद्युत परियोजनाएं तकनीकी–आर्थिक अनुमोदन प्रदान किए जाने के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को प्रेषित की गई हैं :

योजना/जिला	प्राप्ति की तारीख	स्थापित क्षमता (मे.वा.)	अनुमानित लागत (करोड़ रुपए)	वर्तमान स्थिति
उत्तर प्रदेश (हाइड्रो)				
1. गोरीगंगा चरण-III क–और ख (पिथौरागढ़) (केन्द्रीय क्षेत्र)	अप्रैल; 1992	140.00	306.10+ 90.17	केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण/केन्द्रीय जल आयोग द्वारा उठाए गए कुछ प्रश्नों के संबंध में परियोजना प्राधिकारियों से उत्तर प्रतीक्षित हैं।
2. बोवाला नन्द प्रयाग (चमोली)	मई, 1993	132.00	380.66	–तदैव–
3. तपोवन विष्णुगढ़ (चमोली)	मई, 1993	360.00	555.62	–तदैव–
4. विष्णु प्रयाग (चमोली) (निजी क्षेत्र)	जुलाई, 1993	400.00	868.00	इस प्ररियोजना के निजी क्षेत्र में क्रियान्वित किए जाने का प्रस्ताव है।
थर्मल				
5. अंपारा "ग"	अगस्त, 1992	1000.00	2387.00	परियोज़ना प्राधिकारियों द्वारा सभी लिकेजिज प्राप्त किए जाने हैं। विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम की धारा 29 का अभी अनुपालन किया जाना है।
6. जवाहरपुर	फरवरी,1993	750.00	3031.00	इन परियोजनाओं को निजी क्षेत्र में क्रियान्वित किए जाने का प्रस्ताव है।
7. रोसा	फरवरी,1993	750.00	2971.00	परियोजना प्राधिकरियों द्वारा विभिन्न लिकेजिज अभी जोड़े जाने हैं।

(ग) परियोजना प्राधिकारियों द्वारा विभिन्न निवेश/अनुमोदन आबद्ध किए जाने पर केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा परियोजनाओं के लिए तकनीकी–आर्थिक स्वीकृति प्रदान की कार्यवाई की जाएगी।

[अनुवाद]

जवाहर लाल नेहरू पत्तन पर सुविधाओं का निजीकरण

3665. श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा : क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार जवाहर लाल नेहरू पत्तन पर सभी सुविधाओं का निजीकरण करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और इससे कितना लाभ मिलेगा ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी नहीं। इस समय जवाहर लाल नेहरू पत्तन पर केवल मौजूदा कंटेनर टर्मिनल को लाइसेंस देने का प्रस्ताव है।

(ख) कंटेनर टर्मिनल को लाइसेंस दे देने से जवाहर लाल नेहरू पत्तन पर कंटेनरों को और अधिक दक्षतापूर्वक हैंडल किए जाने की बढ़ती मांग को पूरा किया जा सकेगा।

[हिन्दी]

गुजरात में सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ जोड़ना

3666. श्री दिलीप भाई संघाणी : क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और निर्माण के लिये 1992-93 तथा 1993-94 के दौरान अलग–अलग कितनी धनराशि का आवंटन किया गया ;

(ख) क्या गुजरात की सरकार ने राज्य की कुछ सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ जोड़ने की कोई योजना प्रस्तुत की है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) 1992-93 और 1993-94 के दौरान गुजरात में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और निर्माण के लिए आबंटित निधियां नीचे दर्शायी गयी हैं :

वर्ष	आबंटन
1992-93	4850.00
1993-94	6350.00

(ख) और (ग) संभवतः माननीय सदस्य का आशय आर्थिक अंतर्राज्यीय महत्व की राज्य सड़कों

की स्कीम के तहत राज्य सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ जोड़े जाने संबंधी कुछेक परियोजनाओं के वित्त पोषण के बारे में गुजरात राज्य सरकार द्वारा भेजे गए प्रस्तावों से है। राज्य सरकार ने अंतर्राज्यीय अथवा आर्थिक महत्व वाली राज्य सड़कों की केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत आठवीं योजना में 56.58 करोड़ रुपए लागत के 76 प्रस्ताव (सड़क/पुल स्कीमें) प्रायोजित किए हैं। तथापि, आठवीं योजना में केन्द्रीय सैक्टर की सड़कों के कार्यक्रम के लिए सीमित निधियों आबंटित होने के कारण उपर्युक्त स्कीम के तहत कुछ चुनिंदा परियोजनाओं पर ही कार्य कर पाना संभव होगा।

[अनुवाद]

पारादीप पत्तन

3667. श्री शरत् पटनायक : क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पारादीप पत्तन पर माल ले जाने के लिए खाली वैगन उपलब्ध न होने के कारण कार्य प्रभावित हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जाने का विचार है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) पारादीप पत्तन से कोकिंग कोयले, चूना–पत्थर और तैयार खाद की आवाजाही पर बैक लोडिंग के लिए खाली वैगन उपलब्ध न होने के कारण प्रभाव पड़ा।

(ख) पारादीप पत्तन ने अतिरिक्त वैगनों की आपूर्ति के मुद्दे को पहले ही रेलवे प्राधिकारियों के साथ उठाया हुआ है।

[हिन्दी]

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों वाले गांवों का विद्युतीकरण

3668. श्री राम विलास पासवान : क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के समुदायों की बहुलता वाले गांवों का विद्युतीकरण करने की योजना का कार्यान्वयन आरंभ किया है ;

(ख) यदि हां, तो देश में अब तक ऐसे कितने गांवों का विद्युतीकरण कर दिया गया है ;

(ग) क्या उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के अनुसूचित जातियों वाले गांवों का विद्युतीकरण अब तक नहीं किया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो इन गांवों को बिजली कब तक उपलब्ध कराई जायेगी ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) विभिन्न राज्यों से संबंधित ग्राम विद्युतीकरण वार्षिक योजनाओं के बारे में वर्ष प्रतिवर्ष के आधार पर योजना आयोग द्वारा निर्णय लिया जाता है। अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के समुदायों की बहुलता वाले गांवों

का विद्युतीकरण किये जाने के लिये योजना आयोग द्वारा किसी प्रकार का विशेष आबंटन नहीं किया जाता है। तथापि इनके प्रचालन के लिये ग्राम विद्युतीकरण निगम इस प्रकार के क्षेत्रों के विद्युतीकरण हेतु प्राथमिकता शर्तों के आधार पर निधियां उपलब्ध कराता है।

(ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार देश में 111886 अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के समुदायों की बहुलता वाले गांवों में से 76961 गांवों का विद्युतीकरण किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त बताये गये अनुसार दिसम्बर, 1993 के अन्त तक 257265 हरिजन बस्तियों का भी विद्युतीकरण किया जा चुका है।

(ग) और (घ) जहां तक उत्तर प्रदेश के जिला गाजीपुर का संबंध है, जनगणना के अनुसार सभी गांव जिनकी संख्या 2540 है, को विद्युतीकृत घोषित कर दिया गया है। इसके अलावा तीन गैर वर्गीकृत गांवों का भी विद्युतीकरण किया गया है।

उत्तर प्रदेश में टेलीफोन बिलों के विवादास्पद मामले

3669. डा० छत्रपाल सिंह : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में उपभोक्ता संरक्षण फोरम में टेलीफोन बिलों के कितने विवादास्पद मामले विचारधीन हैं ;

(ख) सरकार को इस कारण अभी तक अनुमानित कितनी हानि हुई है ; और

(ग) इन मामलों को तत्काल निपटाने के लिए सरकार ने अभी तक क्या कदम उठाए हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) से (ग) सूचना मंगवाई गई है और इसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

मंगोलिया के राष्ट्रपति की भारत यात्रा

3670. श्री शिबू सोरेन : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में मंगोलिया के राष्ट्रपति ने भारत की यात्रा की थी ;

(ख) भारतीय नेताओं के साथ बातचीत में किन-किन द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा हुई तथा उसके क्या निष्कर्ष निकले ;

(ग) क्या उक्त यात्रा के दौरान किसी समझौते पर हस्ताक्षर किया गया ;

(घ) यदि हां, तो इसकी क्या विशेषताएं हैं ;

(ङ) क्या दोनों देशों के बीच आपसी सहायता के किसी क्षेत्र का भी चयन किया गया है ; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री आर.एल.भाटिया) : (क) से (च) मंगालिया के राष्ट्रपति ने 21 से 25 फरवरी तक भारत की राजकीय यात्रा की।

इस यात्रा के दौरान दानों पक्षों ने द्विपक्षीय तथा क्षेत्रीय मसलों पर बातचीत की तथा यह महसूस किया कि क्षेत्रीय सहयोग सुदृढ़ किया जाना चाहिए। कश्मीर के मसले पर मंगोलिया के राष्ट्रपति ने कहा कि मंगोलिया कश्मीर को भारत का एक अभिन्न अंग मानता है उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो भी अनसुलझे मसले हैं उन्हें शिमला समझौते के अन्तर्गत हल किया जाना चाहिए। दोनों पक्षों ने खनन तथा कृषि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाओं पर भी विचार–विमर्श किया और इस बात पर सहमत हुए कि इस संबंध में ब्यौरा गठित की गई संयुक्त समिति द्वारा तैयार किया जाना चाहिए।

इस यात्रा के दौरान मैत्रीपूर्ण संबंधों तथा सहयोग पर एक सन्धि, एक संयुक्त समिति की स्थापना पर एक करार, दोहरे कराधान से परिहार पर एक समझौता, 94-96 के लिए स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में सहयोग संबंधी एक कार्यक्रम तथा 94-96 के लिए सांस्कृतिक आदान–प्रदान कार्यक्रम पर हस्ताक्षर हुए।

मैत्री पूर्ण संबंधों तथा सहयोग से संबंधित संधि के अन्तर्गत भारत और मंगोलिया एक–दूसरे की क्षेत्रीय अखण्डता एवं सम्प्रभुता के प्रति सम्मान, एक–दूसरे के आन्तरिक मामलों में अहस्तक्षेप, समानता तथा परस्पर लाभ के सार्वभौम रूप से मौलिक सिद्धान्तों के आधार पर अपने संबंध विकसित करेंगे। एक संयुक्त समिति की स्थापना से संबंधित करार में अन्य बातों के अलावा यह कहा गया है कि दोनों पक्ष विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय संधियों तथा अन्य करारों के कार्यान्वयन का निरीक्षण एवं समीक्षा करेंगे तथा राजनीतिक, आर्थिक, वाणिज्यिक, वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिक सहयोग में और विकास करने की संभावनाओं का पता लगाएंगें। दोहरे कर के परिहार से संबद्ध इस करार में यह प्रावधान है कि दोनों देश आय के लिए एक दूसरे देश में दिए गए खाते में जमा की गई राशि मुजरा देकर दोहरे कर से बचा जाय। इसके अतिरिक्त दोनों पक्ष आर्थिक विकास के उद्देश्य से अपने–अपने कर–कानूनों के विभिन्न प्रावधानों के अन्तर्गत कर की जितनी राशि छूट के अन्तर्गत आती होगी उसकी जमा देंगे।

ये करार दोनों देशों के बीच समानता तथा परस्पर लाभ के आधार पर बहुमुखी सहयोग बढ़ायेंगे और सुदृढ़ करेंगें ऐसी अम्मीद है।

उत्तर प्रदेश को केन्द्रीय हिस्से की राशि जारी किया जाना

3671. श्री सन्तोष कुमार गंगवार : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फैजाबाद बाह्य पथ पर कार्य की मंजूरी के बाद उत्तर प्रदेश को केन्द्रीय हिस्से की कितनी राशि जारी की गयी है ; और

(ख) इस संबंध में कितनी धनराशि मांगी गयी थी और शेष राशि कब तक उपलब्ध करा दी जायेगी ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) राष्ट्रीय राजमार्गों की निधियां कार्यवार नहीं, बल्कि पूरे राज्य के लिए जारी की जाती हैं। वर्ष 1993-94 के दौरान उत्तर प्रदेश में फैजाबाद बाईपास सहित रा.रा. कार्यों के विकास के लिए 4750 लाख रुपए की राशि आबंटित की गयी थी।

(ख) वर्ष 1993-94 के संशोधित प्राक्कलन और 1994-95 के बजट प्राक्कलन में उत्तर प्रदेश सरकार ने क्रमशः 100.00 लाख रुपए और 700.00 लाख रुपए की राशि की मांग की है। अभी समय सीमा नहीं बतायी जा सकती, क्योंकि यह कार्य की प्रगति और निधियों की समग्र उपलब्धता पर निर्भर होगा।

[अनुवाद]

एसबेस्टॉस का उत्पादन और इसके भंडार

3672. श्री ए. प्रताप साय : क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में एसबेस्टॉस का कुल भंडार कितना है ;

(ख) इसका अनुमानित मूल्य कितना है ;

(ग) क्या यह खनिज अनारिक्षत सूची में शामिल है ;

(घ) यदि हां, तो इसकी कुल कितनी खानों को पट्टे पर दिया गया है ;

(ङ) प्रतिवर्ष कुल कितने मूल्य के एसबेस्टॉस का आयात किया जाता है ;

(च) क्या एसबेस्टॉस के उत्पादन में कोई वृद्धि हुई है ; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्षवार ब्यौरा क्या है ?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) व (ख) 1.4.1994 को देश में एसबेस्टॉस की सभी किस्मों का प्राप्ति योग्य कुल भण्डार 22,94,541 टन है। इसका मूल्य निश्चित नहीं किया गया है।

(ग) चूंकि एसबेस्टॉस सरकारी क्षेत्र द्वारा विदोहन के लिए आरक्षित नहीं था इसलिए इसका आरक्षण समाप्त करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) वर्ष 1992-93 के दौरान एसबेस्टॉस की कुल चालू खानें 68 हैं।

(ङ) वर्ष 1990-91, 1991-92 व 1992-93 के दौरान प्रतिवर्ष आयात किए गए एसबेस्टॉस का कुल मूल्य क्रमशः 72.46 करोड़ रु., 84.94 करोड़ रु. (अंनतिम) और 82.40 करोड़ रु. (अनंतिम) है।

(च) जी, हां।

(छ) वर्ष 1991-92, 1992-93 और 1993-94 के दौरान एसबेस्टॉस का उत्पादन क्रमशः 39,440, 43,788 और 46,961 (अनुमानित) एम.टी.एस. है।

बाक्साइट तथा एल्यूमिनियम का खनन

3673. श्री रामकृष्ण कोंताला : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी अथवा भारत एल्यूमिनियम कंपनी को विशाखापत्तनम में एल्यूमिना/एल्यूमिनियम संयत्र शुरू करने की अनुमति देने का है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उड़ीसा में बाकसाइट अयस्क कुल कितनी मात्रा में उपलब्ध हैं और उसका अनुमानित मूल्य कितने रुपये है ?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) उड़ीसा में बाक्साइट के अपनी मूल स्थिति में कुल 1607 मिलियन टन भंडारों के होने का अनुमान है। बाक्साइट के 178/- रुपये प्रति टन की चालू दर पर, इन भंडारों का अपनी मूल स्थिति में मूल्य लगभग 28,600 करोड़ रुपये है।

[हिन्दी]

डाकघरों का दर्जा बढ़ाना

3674. डा० साक्षीजी :

डा० के.वी.आर. चौधरी :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अब तक विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में वर्षवार और श्रेणीवार कितने डाकघरों का दर्जा बढ़ाया गया और आठवीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि में कितने डाकघरों का दर्जा बढ़ाया जाएगा ; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में कितने डाकघरों का दर्जा बढ़ाया गया ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम दो वर्षों के दौरान विभिन्न सर्किलों में वर्षवार तथा श्रेणीवार खोले गए डाकघरों की संख्या का ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है। डाकघरों का दर्जा बढ़ाने के लिए अलग से कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं है। डाकघर उत्तरोत्तर रूप से खोले जाते हैं, बशर्ते कि विभागीय मानदंडों की पूर्ति होती हो और संसाधन उपलब्ध हों।

(ख) शून्य ।

विवरण

आठवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम दो वर्षों के दौरान खोलने के लिए मंजूर किए गए डाकघरों की संख्या।

क्र.सं.	सर्किल का नाम	1992-93 के दौरान खोले गए डाकघर		1993-94 के दौरान मंजूर किए गए डाकघर	
		शाखा डाकघर	उप-डाकघर	शाखा डाकघर	उप-डाकघर
1.	आंध्र प्रदेश	6	9	10	5
2	असम	27	3	26	3
3.	बिहार	70	3	90	8
4.	दिल्ली	-	9	-	5
5.	गुजरात	30	5	15	10
6.	हरियाणा	10	3	15	5
7.	हिमाचल	15	-	90	02
8.	जम्मू और कश्मीर	5	-	5	-
9.	कर्नाटक	14	8	15	06
10.	केरल	15	7	30	03
11.	महाराष्ट्र	55	8	80	11
12.	मध्य प्रदेश	47	7	30	05
13.	उत्तर पूर्व	17	1	40	04
14.	उड़ीसा	40	8	32	04
15.	पंजाब	10	3	7	06
16.	राजस्थान	60	6	30	05
17.	तमिलनाडु	4	4	8	06
18.	उत्तर प्रदेश	100	11	93	13
19.	पश्चिम बंगाल	20	2	30	05
	योग	545	97	646	106

साम्य पूंजी निवेश में कमी

3675. डा० परशुराम गंगवार : क्या **खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खान मंत्रालय के अन्तर्गत सरकारी क्षेत्र के किन–किन उपक्रमों में साम्य पूंजी निवेश में कमी किये जाने का विचार है ;

(ख) क्या इससे कार्य क्षमता में सुधार होगा और लाभ में वृद्धि होगी ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लि. में सरकार द्वारा धारित भागीदारी के एक भाग को जनता को दिया जाना प्रस्तावित है।

(ख) और (ग) सरकारी भागीदारी में कमी बाहरी विशेषज्ञता को आकर्षित करेगी जिससे कम्पनी के कामकाज में सुधार की संभावना है।

[अनुवाद]

छोटे शहरों में एक्सचेंज

3676. श्री अनादि चरण दास : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़े शहरों के अनुरूप छोटे शहरों और दूरसंचार जिलों में एक्सचेंज लाइनें लगाने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार का विचार ग्रामीण क्षेत्रों और उड़ीसा जैसे पिछड़े राज्यों में दूरसंचार योजना और विकास के लिए दूरसंचार जिला प्रबंध कार्यालयों में कारगर योजना तंत्र उपलब्ध कराने का है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में राज्य–वार क्या कदम उठाने का विचार है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) और (ख) जी हां, पंजीकृत मांग के आधार पर छोटे शहरों और दूरसंचार जिलों में नये छोटे एक्सचेंज संस्थापित किये जा रहे हैं। छोटे एक्सचेंज तब खोले जाते हैं जब पंजीकृत दत्त मांग 10 या इससे अधिक होती है।

(ग) और (घ) जी हां, प्रत्येक राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों के हित में दूरसंचार योजना और विकास की दृष्टि से दूरसंचार जिला प्रबंधक कार्यालयों को पर्याप्त कर्मचारी मुहैय्या कराये गये हैं। उड़ीसा और अधिकांश अन्य राज्यों में कारगर योजना तैयार करने के लिए राज्य स्तर पर महाप्रबंधक के रैंक का एक अधिकारी तैनात किया गया है।

[हिन्दी]

बिहार में पुलों का निर्माण

3677. श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता : क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में रांची से हजारीबाग राष्ट्रीय राजमार्ग पर कज्जू तथा केसा गड्डा के बीच नदी के आर–पार पुल के निर्माण का कार्य बहुत समय पहले शुरू कर दिया गया था ;

(ख) क्या इस कार्य की प्रगति काफी धीमी है ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) उपरोक्त कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) संभवतः माननीय सदस्य का आशय कुज्जु और हेशालगढ़ के बीच चौथम नदी पर बन रहे पुल से है जिसका निर्माण कार्य जनवरी, 1987 में शुरू किया गया था।

(ख) और (ग) नींव तथा ठेके संबंधी समस्याओं के कारण कार्य की प्रगति धीमी रही है।

(घ) दिसम्बर, 1994 तक।

[अनुवाद]

रामनात्तूकारा-कुट्टिपुरम सड़क को सीधा करना

3678. श्री के.मुरलीधरन : क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

रामानात्तूकारा–कुट्टिपुरम सड़क को सीधा करने संबंधी कार्य में फिलहाल कितनी प्रगति हुई है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : राज्य लोक निर्माण विभाग से संरेखण संबंधी नक्शा अभी प्राप्त नहीं हुआ है।

पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय वार्ता

3679. श्री के. प्रधानी :

श्रीमती वसुन्धरा राजे :

श्री गोपीनाथ गजपति :

श्री राजेश कुमार :

श्रीमती शीला गौतम :

श्री विलास मुत्तेमवार :

श्री सुरेन्द्र पाल पाठक :

श्री श्रवण कुमार पटेल :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सचिव स्तर की वार्ता सहित द्विपक्षीय वार्ता पुनः शुरू करने के संबंध में पाकिस्तान से कोई प्रस्ताव किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और किस स्तर पर वार्ता की पेशकश की गई है और उसके क्या कारण हैं ;

(ग) पाकिस्तान की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ;

(घ) क्या पाकिस्तान ने दोनों देशों के बीच वार्ता पुनः शुरू करने के लिए उचित वातावरण और परिस्थितियां उत्पन्न की हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.एल. भाटिया) : (क) से (ग) 21 मार्च, 1994 को सरकार ने पाकिस्तान की सरकार को यह बताया कि हम पाकिस्तान के साथ हमारे द्विपक्षीय संबंधों से सम्बद्ध सभी अनसुलझे मसलों को शिमला समझौते के अन्तर्गत शांतिपूर्ण तरीके से तथा द्विपक्षीय बातचीत के माध्यम से हल करने के लिए तैयार हैं। सरकार ने इस बात को दोहराया कि 24 जनवरी, 1994 को पाकिस्तान को भेजे गए छः भारतीय प्रस्ताव एक व्यापक तथा अर्थपूर्ण बातचीत का आधार बन सकते हैं। सरकार ने यह प्रस्ताव किया कि इसके लिए विदेश सचिव स्तर की बातचीतों का आठवां दौरा शुरू किया जा सकता है। हमारे प्रस्ताव पर पाकिस्तान के उत्तर की प्रतीक्षा है।

(घ) और (ङ) भारत के विरूद्ध आतंकवाद तथा तोड़-फोड़ की गतिविधियों को पाकिस्तान के समर्थन, क़श्मीर मसले का अन्तर्राष्ट्रीयकरण करने के इसके प्रयास तथा शिमला समझौते का उल्लंघन करते हुए भारत के विरूद्ध शत्रुतापूर्ण दुष्प्रचार तनाव पैदा करते हैं। ऐसी गतिविधियां भारत-पाकिस्तान संबंधों में एक अर्थपूर्ण तथा सुधारों के सिलसिले के वातावरण को दूषित करती है।

वारापुझ पुल, केरल के लिए निविदा

3680. प्रो० के.वी. थामस : क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 17 पर वारापुझ पुल के निर्माण के लिए निविदा आमन्त्रित की गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो पुल के निर्माण पर कितनी लागत आयेगी ; और

(ग) इस पुल का निर्माण कब तक आरम्भ हो जायेगा ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख)

इस पुल के लिए अभी तक निविदा आमंत्रित नहीं की गयी हैं। पुल तथा पहुंच मार्गों की अनुमानित लागत 26.64 करोड़ रुपए है।

(ग) पुल का निर्माण, कार्य का ठेका दिए जाने के बाद शुरू किया जाएगा।

जम्मू और कश्मीर में राजदूतों का दौरा

3681. श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा) :

श्रीमती महेन्द्र कुमारी :

श्री सत्यदेव सिंह :

श्री एस.बी. सिदनाल :

डा० डी.वेंकटेश्वर राव :

श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली स्थित विभिन्न देशों के राजदूतों ने भारत की स्पष्ट नीति के अन्तर्गत हाल ही में जम्मू और कश्मीर का दौरा किया था ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और किन–किन देशों के राजदूतों ने उस राज्य का दौरा किया था ;

(ग) राज्य के दौरे के पश्चात इन राजदूतों की क्या प्रतिक्रियाएं थीं ; और

(घ) वर्ष 1993 और 1994 के दौरान अब तक कितने विदेशी राजनयिकों, पत्रकारों और मानवाधिकार संगठनों के प्रतिनिधियों ने इस राज्य का दौरा किया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.एल. भाटिया) : (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली में चौदह रिहायशी मिशन–प्रमुखों ने दो दलों में जम्मू एवं कश्मीर की यात्रा की। पहले दल में बेल्जियम, यूनान, जर्मनी और यूरोपीय समुदाय के मिशन–प्रमुख शामिल हैं जिन्होंने 7 से 11 फरवरी, 1994 तक इस राज्य की यात्रा की। दूसरे दल में नाइजीरिया सेनेगल, तुर्की, हंगरी, बल्गारिया, इन्डोनेशिया, वेनेजुएला, कोलम्बिया, मेक्सिको और कनाडा के दस मिशन–प्रमुखों ने 7 से 10 मार्च, 1994 तक इस राज्य की यात्रा की।

(ग) इस राज्य की यात्रा करने वाले विदेशी दूतों के रूप में वे भारत सरकार के प्रति प्रतिक्रिया करने के लिए किसी भी तरह बाध्य नहीं थे। वे इस बात से प्रसन्न थे कि इन यात्राओं का आयोजन किया गया और उन्होंने भारत की पारदर्शिता की नीति की सराहना की। वे इस राज्य में आतंकवाद का प्रभाव प्रत्यक्ष देख सकें।

(घ) चूंकि जम्मू एवं कश्मीर में प्रवेश करना विदेशियों तक ही सीमित नहीं है इसलिए सरकार उन विदेशी राजनयज्ञों, संवाददाताओं और मानवाधिकार संगठनों के प्रतिनिधियों के आंकड़े नहीं रखती जो अपने खर्चे पर इस राज्य की यात्रा करते हैं।

दूरसंचार क्षेत्र में निवेश

3682. श्री संरीपान भगवान थोरात : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं योजना में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार के क्षेत्र में गैर–सरकारी, सरकारी एवं विदेशी निवेश का अनुमान क्या है ;

(ख) सरकार द्वारा स्वीकार की गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है तथा कौन–कौन से प्रस्ताव विचाराधीन हैं और वे कहां–कहां शुरू की जाएंगी ;

(ग) 1994-95 में किए जाने वाले निवेश का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) 1994-95 में राज्यवार कितने अतिरिक्त टेलीफोन कनेक्शन विभिन्न राज्यों को दिए जाएंगे ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन पटल पर रख दी जाएगी।

मेघालय में डाकघर

3683. श्री पीटर जी. मरबनियांग : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मेघालय के प्रत्येक जिले में कुल कितने डाकघर और शाखा डाकघर अभी कार्यरत हैं ;

(ख) क्या सरकार का विचार राज्य में कुछ नए डाकघरों की स्थापना करने का है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) मेघालय के प्रत्येक जिले में, 31.3.94 की स्थिति के अनुसार, कार्य कर रहे डाकघरों का ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) डाकघर, वार्षिक योजनाओं के अंतर्गत खोले जाते हैं बशर्ते कि इस संबंध में विभागीय मानदंड पूरे होते हों और संसाधन उपलब्ध रहें। वार्षिक योजना 1994-95 के अंतर्गत मेघालय राज्य में खोले जाने वाले नए डाकघरों के जिलावार ब्यौरे को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

विवरण

मेघालय के प्रत्येक जिले में 31.3.94 की स्थिति के अनुसार कार्य कर रहे डाकघरों का ब्यौरा।

क्रम सं.	जिले का नाम	डाकघरों की कुल संख्या	अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर
1.	ईस्ट खासी हिल्स	169	130
2.	वैस्ट खासी हिल्स	86	83
3.	जैंतिया हिल्स	77	70
4.	ईस्ट गारो हिल्स	48	41
5.	वैस्ट गारो हिल्स	98	88

दिल्ली में एस.टी.डी. सुविधा वाले इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज

3684. श्री के.जी. शिवप्पा : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार 1994-95 के दौरान दिल्ली में एस.टी.डी. सुविधा वाले इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंजों की स्थापना करने का है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या उपभोक्ताओं को सक्रिय एस.टी.डी. लॉक सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी हां।

(ख) 1994-95 के दौरान डायनामिक एस.टी.डी. नियन्त्रण सुविधा युक्त डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज लगाए जाने की योजना है। इन एक्सचेंजों के ब्यौरे विवरण में दिए गए हैं।

(ग) जी हां। संलग्न विवरण में दिए गए एक्सचेंजों के सभी एस.टी.डी. उपभोक्ताओं को।

(घ) संलग्न विवरण के अनुसार।

विवरण

1994-95 के दौरान दिल्ली में डायनामिक एस.टी.डी. नियंत्रण सुविधा युक्त चालू किए जाने वाले संभावित इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंजों की सूची

क्रं. सं.	एक्सचेंज का नाम	क्रं. सं.	एक्सचेंज का नाम
1.	शक्ति नगर डी–II	8.	चाणक्यपुरी डी–I
2.	बादली डी–I	9.	हौज खास डी–I
3.	ईदगाह डी–I	10.	नेहरू प्लेस डी–III
4.	शाहदरा डी–II	11.	ओखला डी–II
5.	लक्ष्मीनगर डी–IV	12.	जनकपुरी डी–III
6.	जोर बाग डी–III	13.	राजौरी गार्डन डी–III
7.	भिकाजी कामा प्लेस डी–I	14.	तेखण्ड डी–I
		15.	दिल्ली छावनी डी–I

कर्नाटक में एक्सचेंजों का विकास

3685. श्री ए. वेंकटेश नायक :

श्री एस. बी. सिदनाल :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आठवीं योजना के दौरान कर्नाटक में टेलीफोन एक्सचेंजों का विकास/आधुनिकीकरण करने का है ;

(ख) यदि हां ; तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी हां।

(ख) 1.46 लाख लाइनों को अधिकांशतः इलेक्ट्रॉनिक उपस्कर द्वारा बदलने के अलावा, आठवीं योजना में कर्नाटक दूरसंचार सर्किल में आठवीं योजना अवधि के दौरान 5.99 लाख लाइनों की निवल स्विचन क्षमता जोड़ने की परिकल्पना की गई है। आधुनिकीकरण कार्यक्रम में निम्नलिखत शामिल हैं :

- इलैक्ट्रॉनिक उपस्कर से मियाद–समाप्त और घिसे–पिटे उपस्कर बदलना।
- आठवीं योजना अवधि के दौरान, नेटवर्क, में शामिल करने के लिए सभी नए उपस्कर व्यवहारिक रूप से डिजिटल किस्म के होंगे।
- डायरेक्ट्री पूछताछ सेवा, बिलिंग प्रणाली, मैनुअल ट्रंक सेवा आदि जैसी दूरसंचार सेवाओं का कंप्यूटरीकरण।
- सभी एक्सचेंजों को राष्ट्रीय उपभोक्ता डायलिंग प्रदान करने के कार्यक्रम के अंग रूप में सभी स्ट्रोजर मैक्स III एक्सचेंजों को इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंजों द्वारा बदलना।
- सभी एक्सचेंजों को उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग सुविधा प्रदान करना।
- मार्च, 1994 तक नेटवर्क का पूर्ण स्वचलीकरण।

योजना (1992-94) के प्रथम दो वर्षों के दौरान, सर्किल ने स्विचन क्षमता की 1.86 लाख लाइनें जोड़ी हैं और 1.33 लाख नए टेलीफोन कनेक्शन प्रदान किए हैं। 31.3.1994 की स्थिति के अनुसार, कर्नाटक दूरसंचार सर्किल में करीब 78% स्विचन क्षमता इलेक्ट्रॉनिक है और नेटवर्क पूर्णतः स्वचालित है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

महाराष्ट्र के गांवों में डाकघर

3686. श्री अंकुशराव रावसाहब टोपे : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डाकघर खोलने के लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं ;

(ख) कितने ग्राम पंचायत उक्त मानदंड को पूरा करते हैं ;

(ग) क्या इन पंचायतों में डाकघर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सरकार की कोई योजना है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यह सुविधा इन सभी ग्राम पंचायतों में कब तक उपलब्ध करा दी जाएगी ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) डाकघर खोलने के लिए अपनाए

जाने वाले मानदंड विवरण I और II में दिए गए हैं।

(ख) उन ग्राम–पंचायतों की संख्या 613 है जो उक्त मानदंडों को पूरा करते हैं।

(ग) और (घ) सरकार का उद्देश्य उत्तरोत्तर रूप से डाक नेटवर्क का विस्तार उन सभी ग्राम–पंचायतों में करने का है, जो निर्धारित मानदंडों को पूरा करती हैं, बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध हों और योजना आयोग द्वारा लक्ष्य आवंटित किए गये हों। अतः, कोई समय–सीमा नहीं बताई जा सकती।

विवरण-I

अनुबंध–I

ग्रामीण क्षेत्रों में नए डाकघर खोलने के लिए निर्धारित मानक/मानदंड।

(i) जनसंख्या

(क) **सामान्य क्षेत्रों में** : एक ग्राम–समूह (जिसमें वह गांव भी शामिल है, जहां डाकघर खालने का प्रस्ताव है) की जनसंख्या 3000

(ख) **पहाड़ी, जनजातीय, रेगिस्तानी तथा दुर्गम इलाकों में** : किसी एक अकेले गांव की जनसंख्या 500 या एक ग्राम–समूह की जनसंख्या 1000

(ii) दूरी:

(क) **सामान्य क्षेत्रों में** : मौजूदा नजदीकी डाकघर से कम से कम 3 कि.मी. की दूरी होनी चाहिए।

(ख) **पहाड़ी, जनजातीय, रेगिस्तानी तथा दुर्गम इलाकों में** : पहाड़ी इलाकों को छोड़कर दूरी की सीमा वही होगी जो ऊपर दी गई है। निदेशालय द्वारा उन मामलों में न्यूनतम दूरी की सीमा में छूट दी जा सकती है जहां विशेष परिस्थितियों के आधार पर ऐसी छूट अपेक्षित है। प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय इन परिस्थितियों का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिएं।

(iii) अनुमानित आय

(क) **सामान्य क्षेत्रों में** : न्यूनतम अनुमानित आय लागत का 33 -1/3 प्रतिशत होना चाहिए।

(ख) **पहाड़ी, जनजातीय, रेगिस्तानी तथा दुर्गम इलाकों में** : न्यूनतम अनुमानित आय लागत का 15% होनी चाहिए।

विवरण-II

शहरी क्षेत्रों में नए डाकघर खोलने के लिए निर्धारित मानक/मानदंड।

(i) आरंभ में, डाकघर को आत्मनिर्भर होना चाहिए, किंतु प्रथम वार्षिक पुनरीक्षा के

समय इससे 5 प्रतिशत लाभ होना चाहिए ताकि इसे आगे भी चालू रखा जा सके।

(ii) दो डाकघरों के मध्य की न्यूनतम दूरी बढ़ाकर, 20 लाख तथा उससे अधिक की जनसंख्या वाले शहरों में अब 1.5 कि.मी. तथा अन्य शहरी क्षेत्रों में 2 कि.मी. कर दी गई है। तथापि, कोई भी दो वितरण डाकघर परस्पर 5 कि.मी. से अधिक निकट नहीं होंगे। इसके अतिरिक्त, एक वितरण डाकघर में कम से कम 7 पोस्टमैन बीट्स होनी चाहिएं।

(iii) शहरी क्षेत्रों में कोई अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर नहीं खोला जाएगा।

(iv) सर्किलाध्यक्षों को 10 प्रतिशत मामलों में दूरी की शर्त में छूट देने का अधिकार होगा।

(v) सभी मामलों में वित्त मंत्रालय का अनुमोदन प्राप्त किया जाता है।

परियोजना क्षेत्र/औद्योगिक क्षेत्र तथा उपनगर/आस-पास के उपनगर/विकासात्मक कार्य योजना के अन्य क्षेत्र।

(i) इस स्कीम के अंतर्गत परियोजना क्षेत्रों, नए औद्योगिक क्षेत्रों व उपनगरों, शहरों/शहरी समूह की बाह्य–परिधि में बनी बस्तियों और अन्य ऐसी बस्तियों, जो राज्य तथा केन्द्रीय सरकार के विभागों तथा एजेंसियों के योजना कार्यकलापों के अनुसरण में नए क्षेत्रों के रूप में सामने आई हैं, उनमें विभागीय उप–डाकघर खोलना शामिल है।

(ii) इस स्कीम के तहत विभागीय उप–डाकघर खोलने के लिए आवश्यक पद, वित्त मंत्रालय के व्यय–विभाग के सचिव के अनुमोदन से सृजित किए जाएंगें।

(iii) जिन प्रस्तावों में न्यूनतम अनुमानित कार्य 5 घंटे का है, केवल उन्हीं प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा।

(iv) घाटे की अनुमत सीमा प्रति उप–डाकघर, प्रतिवर्ष 2400/ रु. (सामान्य ग्रामीण क्षेत्रों में) तथा 4800/- रुपये (पहाड़ी, पिछड़े तथा जनजातीय क्षेत्रों में) होगी।

[हिन्दी]

दूरदर्शन द्वारा क्रिकेट मैचों का प्रसारण

3688. श्री बृजभूषण शरण सिंह :

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दूरदर्शन पर क्रिकेट मैचों के खराब प्रसारण के संबंध में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) और (ख) शिकायतें/सुझाव नियमित रूप से प्राप्त होते रहते हैं, क्योंकि दर्शकों की प्रतिक्रिया हमेशा एक सी नहीं होती। तथापि, दूरदर्शन खेलों की कवरेज की गुणवत्ता को सुधारने का सतत् प्रयास करता रहता है ताकि इसके दर्शकों की रूचि बनी रहे।

आप्टिकल फाइबर्स का उत्पादन

3689. श्री सूरजभानू सोलंकी : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गैर–उत्पादक सप्लायरों द्वारा दिए गए सप्लाई आदेश के द्वारा बहुराष्ट्रीय कंपनियों से आयातित आप्टिकल फाइबर प्राप्त किया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या आप्टिकल टेलीकम्युनिकशन्स लिमिटेड द्वारा 50 प्रतिशत के कम सप्लाई आदेशों को पूरा करने की क्षमता के बावजूद भी इसकी पचास प्रतिशत क्षमता का उपयोग किया जा रहा है;

(घ) क्या दूरसंचार निदेशालय का विचार आप्टिकल फाइबर की आपूर्ति के लिए स्पष्ट नीति निर्देश जारी करने का है ;

(ङ) कब तक दूरसंचार के निजीकरण संबंधी नीति को अंतिम रूप दिया जाएगा ; और

(च) इस संबंध में जारी किए गए दिशा निर्देशों का ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी नहीं।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) दूरसंचार विभाग के अभी हाल के टेंडर के प्रति 941 कि.मी. लंबी केबिलों के लिए अग्रिम क्रय आदेश आप्टेल टेलोकम्यूनिकेशन लि. को दिए गए हैं।

(घ) आप्टिकल फाइबर के मामले में खरीद खुले टेंडरों के माध्यम से की जाती है।

(ङ) और (च) सरकार ने मूल दूरसंचार सेवाओं में निजी सेक्टर को प्रवेश देने के बारे में अभी निर्णय नहीं लिया है। तथापि, सरकार ने कुछ मूल्यवर्धित सेवाएं जैसे–सेलुलर–मोबाइल सेवा, वॉयस मेल, वीडियो टेक्टर 64 के.बी.पी.एस. डॉटा सेवाएं, वीडियो–कानफ्रेंसिग आदि के क्षेत्र में, लाइसेंस के आधार पर प्रदान करने के लिए प्राइवेट सेक्टर को पहले ही अनुमति प्रदान कर दी है। दूरसंचार उपस्करों के विनिर्माण हेतु पहले से ही लाइसेंस प्रणाली समाप्त की जा चुकी है और प्राइवेट सेक्टर के लिए इसे खोल दिया गया है।

[अनुवाद]

दूरदर्शन द्वारा अर्जित आय

3690. श्री जी. माडे गौडा : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दूरदर्शन को 1993-94 के दौरान विज्ञापनों से अनुमानतः कितने राजस्व की प्राप्ति हुई ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : 1993-94 के दौरान दूरदर्शन द्वारा अर्जित किया गया सकल राजस्व 372.98 करोड़ रुपये है।

मैसूर में उच्च शक्ति वाले टेलीविजन स्टेशन

3691. श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर में उच्च शक्ति वाले टेलीविजन स्टेशनों की स्थापना का काम आरंभ किया जा चुका है ;

(ख) यदि हां, तो 1993-94 के दौरान इस प्रयोजनार्थ कुल कितनी धनराशि जारी की गई ;

(ग) यदि यह काम आरंभ नहीं किया गया है तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) इस कार्य को तत्काल शुरू करने के लिए क्या कदम उठाए जायेंगे ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) से (घ) मैसूर में प्रस्तावित उच्च शक्ति ट्रांसमीटर हेतु उपयुक्त स्थल को अंतिम रूप दे दिया गया है। स्थल को प्राप्त करते ही तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्कीम के औपचारिक रूप से अनुमोदित करते ही परियोजना पर कार्य शुरू हो जाएगा।

आकाशवाणी उच्च शक्ति संप्रेषकों वाले केन्द्र

3692. श्री सोमजीभाई डामोर : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान उच्च शक्ति संप्रेषकों वाले कितने आकाशवाणी केन्द्रों की स्थापना की गई ;

(ख) आकाशवाणी ने कौन–कौन से राज्यों में इन संप्रेषक केन्द्रों को चालू किया, इनके संकेत कितनी दूर तक जा सकते हैं और इनकी क्षमता कितनी थी ;

(ग) क्या आठवीं योजनावधि के दौरान उच्च शक्ति संप्रेषकों वाले आकाशवाणी केन्द्रों को स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी.सिंह देव) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान आकाशवाणी ने 9 उच्च शक्ति ट्रासंमीटर स्थापित किए हैं।

(ख) जैसा कि विवरण-I में दिया गया है।

(ग) जी, हां।

(घ) जैसा कि विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

पिछले तीन वर्षों के दौरान स्थापित आकाशवाणी के उच्च शक्ति ट्रांसमीटर का ब्यौरा।

क्र.सं.	स्थान	राज्य	शक्ति/क्षमता	चालू होने की तिथि	सभी दिशाओं की लगभग दूरी (कि.मी) पूरब	पश्चिम	उत्तर	दक्षिण
1.	जबलपुर	मध्यप्रदेश	200 कि.वा.मी.वे.	6.8.91	140	220	180	150
2.	पणजी	गोवा	100 कि.वा.मी.वे.	7.11.91	50	-	95 उ.द.	120 द.पू.
3.	गुवाहाटी	असम	50 कि.वा.शा.वे.	7.4.92		संपूर्ण राज्य		
4.	कलकत्ता "ख"	पश्चिम बंगाल	100 कि.वा.मी.वे.	15.6.92	-	190	190 उ.द.	190 द.पू.
5.	लखनऊ	उत्तर प्रदेश	50 कि.वा.शा.वे.	20.6.92		संपूर्ण राज्य		
6.	जैपोर	उड़ीसा	100 कि.वा.मी.वे.	16.9.93	75	75	75	75
7.	भवानीपटना	उड़ीसा	200 कि.वा.मी.वे.	30.12.93	135	135	135	135
8.	कलकत्ता	पश्चिम बंगाल	50 कि.वा.शा.वे.	1.1.94		संपूर्ण राज्य		
9.	ईटानगर	अरूणाचल प्रदेश	100 कि.वा.मी.वे.	23.2.94	70	120	135	90 द.पू.

विवरण -II

आठवीं योजना अवधि के दौरान स्थापित किए जाने हेतु प्रस्तावित उच्च शक्ति ट्रांसमीटर

क्र.सं.	स्थान	राज्य	स्कीम
1.	जयपुर	राजस्थान	50 कि.वा.शा.वे. ट्रांसमीटर
2.	भोपाल	मध्य प्रदेश	50 कि.वा.शा.वे. ट्रांसमीटर
3.	पणजी	गोवा	2x250 कि.वा.शा.वे. ट्रांसमीटर
4.	बंगलौर	कर्नाटक	4x500 कि.वा.शा.वे. ट्रांसमीटर
5.	त्रिवेन्द्रम	केरल	50 कि.वा.शा.वे. ट्रांसमीटर
6.	टूटीकोरिन	तमिलनाडु	2x100 कि.वा.मी.वे. ट्रांसमीटर
7.	हैदराबाद	आंध्र पदेश	50 कि.वा.शा.वे. ट्रांसमीटर
8.	शिमला	हिमाचल प्रदेश	50 कि.वा.शा.वे. ट्रांसमीटर
9.	किंग्जवे कैम्प दिल्ली	दिल्ली	3x50 कि.वा.शा.वे. ट्रांसमीटर
10.	जालंधर	पंजाब	200 कि.वा.मी.वे. ट्रांसमीटर
11.	गोरखपुर	उत्तर प्रदेश	100 कि.वा.मी.वे. ट्रांसमीटर
12.	अलीगढ़	उत्तर प्रदेश	2x250 कि.वा.शा.वे. ट्रांसमीटर
13.	खामपुर (दिल्ली)	दिल्ली	3x250 कि.वा.शा.वे. ट्रांसमीटर
14.	खामपुर (दिल्ली)	दिल्ली	2x250 कि.वा.शा.वे. ट्रांसमीटर
15.	ईटानगर	अरूणाचल प्रदेश	50 कि.वा.शा.वे. ट्रांसमीटर
16.	इम्फाल	मणिपुर	50 कि.वा.शा.वे. ट्रांसमीटर
17.	कोहिमा	नागालैण्ड	50 कि.वा.शा.वे. ट्रांसमीटर
18.	कुर्सियांग	पश्चिम बंगाल	50 कि.वा.शा.वे. ट्रांसमीटर
19.	गुवाहटी	असम	100 कि.वा.मी.वे. ट्रांसमीटर
20.	रांची	बिहार	50 कि.वा.शा.वे. ट्रांसमीटर
21.	सम्बलपुर	उड़ीसा	100 कि.वा.मी.वे. ट्रांसमीटर
22.	कलकत्ता	पश्चिम बंगाल	200 कि.वा.मी.वे. ट्रांसमीटर
23.	जैपोर	उड़ीसा	50 कि.वा.शा.वे. ट्रांसमीटर
24.	बम्बई	महाराष्ट्र	50 कि.वा.शा.वे. ट्रांसमीटर
25.	जगदलपुर	मध्य प्रदेश	100 कि.वा.मी.वे. ट्रांसमीटर

26.	त्रिचूर	केरल	100 कि.वा.मी.वे. ट्रांसमीटर
27.	कालीकट	केरल	100 कि.वा.मी.वे. ट्रांसमीटर
28.	मद्रास	तमिलनाडु	50 कि.वा.शा.वे. ट्रांसमीटर
29.	हैदराबाद	आंध्र प्रदेश	200 कि.वा.मी.वे. ट्रांसमीटर

मुख्य महाप्रबंधकों की बैठक

3693. श्री धर्मण्णा मोंडयूया सादुल : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने संचार सुविधाओं में सुधार करने और उनका विस्तार के लिए एक कार्यक्रम बनाने हेतु हाल ही में संचार विभाग के मुख्य महाप्रबन्धकों की एक बैठक बुलाई थी ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) विचार–विमर्श के निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है और इसके लिए क्या कार्यक्रम बनाया गया है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी हां। 19.11.93 को मुख्य महाप्रबंधकों की एक बैठक आयोजित की गई थी।

(ख) और (ग) बैठक का संक्षिप्त सारांश तथा कार्यवृत्त दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। बैठक में प्रमुख रूप से इन बातों पर बता दिया गया :

(1) विकास की मौजूदा दर को बनाए रखना।

(2) 1993-94 के लक्ष्यों को प्राप्त करना।

(3) दूरसंचार सेवाओं के कार्य–निष्पादन, विशेषतया ग्राम पंचायत टेलीफोनों के कार्य–निष्पादन में सुधार करना।

(4) उपभोक्ताओं के साथ परस्पर संबंधों में सुधार लाना।

(5) शक्तियों का प्रत्यायोजन और पद्धतियों का सरलीकरण करके विभागीय नियमों एवं पद्धतियों को सरल बनाना।

विवरण

1.0 माननीय संचार राज्य मंत्री ने यह विचार व्यक्त किया कि :

1. विकास, प्रचालन तथा अनुरक्षण और राजस्व एवं वित्तीय लक्ष्य प्राप्त किए जाएं।
2. विकास संबंधी क्रियाकलापों को वर्षानुवर्ष आधार पर चरणबद्ध तरीके से किया जाए।
3. ग्राम पंचायत टेलीफोनों के कार्य निष्पादन में और सुधार किया जाए।
4. बिल संबंधी शिकायतों के निपटान पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान दिया जाए।
5. इलैक्ट्रानिक एक्सचेंजों से सेवा प्राप्त कर रहे उपभोक्ताओं को डायनामिक

एस.टी.डी. बाधित सुविधा प्रदान की जाए और एस.टी.डी./आई.एस.डी. कॉलों के विस्तृत बिल जारी किए जाएं।

6. कर्मचारियों/अधिकारियों के उचित विकास तथा कल्याण का उद्देश्य रखा जाए।

7. निजी भागीदारी के लिए मूल्यवर्धित सेवाओं को जनता के लिए खोल दिया जाए।

8. दूरसंचार संस्थापनाओं की पर्याप्त सुरक्षा के प्रबंध किए जाएं।

9. मैनुअल तथा इलेक्ट्रोमैकेनिकल एक्सचेंजों को इलैक्ट्रोनिक एक्सचेंजों में शीघ्र बदल दिया जाए।

2.0 अध्यक्ष दूरसंचार आयोग ने इस बात पर बल दिया कि दूरसंचार विभाग में विकास की वर्तमान दर को बनाए रखा जाए।

3.0 मुख्य महाप्रबंधक दूरसंचार द्वारा माननीय संचार राज्य मंत्री और दूरसंचार आयोग के अध्यक्ष/सदस्यों को प्रस्तुत किए गए निवेश।

1. केबिल संघटक को दूरसंचार परियोजनाओं से हटा लिया जाए।

2. प्रतिवर्ष निविदाएं मंगाने के बजाए उपस्कर/केबिल को दो तथा इससे अधिक वर्षों के लिए खरीदे जा सकते हैं।

3. एम.ए.आर.आर–उपस्कर के लिए अनुरक्षण–मुक्त बैटरियां प्राप्त की जाएं।

4. पुराने स्ट्रोजर उपस्कर के स्थान पर इलेक्ट्रानिक उपस्कर लगाए जाएं, चाहे इन उपस्करों ने अपनी अवधि के वर्षों को पूरा न किया हो।

5. वाहनों की खरीद पर लगे प्रतिबंध को हटाया जाए और मुख्य महाप्रबंधक दूरसंचार को विकास/अनुरक्षण कार्यों के लिए वाहनों की आवश्यकता को पूरा करने हेतु प्राधिकृत किया जाए।

6. विकास/अनुरक्षण लक्ष्यों को पूरा करने के लिए आबंटित निधियों में लगभग 4 प्रतिशत की कमी है।

7. मुख्य महाप्रबंधक दूरसंचार को निजी वास्तुविदों को काम पर लगाने का अधिकार दिया जाए।

8. मुख्य महाप्रबंधक दूरसंचार को 20 करोड़ रु. की लागत वाली परियोजनाएं मंजूर करने का अधिकार दिया जाए।

9. सरप्लस टेलीफोन प्रचालकों को केवल दूरसंचार कार्यालय सहायक के रूप में ही बदला जा सकता है। अधिकांश कर्मचारी ऐसा नहीं चाहते। मुख्य महाप्रबंधक दूरसंचार को पूरा अधिकार होना चाहिए कि वे उनके संवर्ग में परिवर्तन करें और आवश्यकतानुसार उन्हें काम पर लगाएं।

10. क्षेत्रीय आधार पर बोनस का अनुमोदन किया जाए।

11. टेलीफोन निदेशिका के प्रकाशन का कार्य निजी एजेंसियों का सौंपा जाए।

12. कुछ संवर्गों अर्थात फोन मैकेनिक आदि की भर्ती पर प्रतिबंध को कम कर दिया जाए।

13. 2 करोड़ रु. और उससे अधिक की परियोजनाओं को डी.एफ.जी. (अनुदानों के लिए मांग) में ही रखा जाए।

14. भंडार/उपस्कर के प्रापण की पद्धति का विकेन्द्रीकरण कर दिया जाए।

15. 1993-94 के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए उपस्कर, केबिलों, ज्वाइंटिंग किट, ड्रॉप वायर आदि के अभाव को पूरा करना।

4.0 अन्य मुद्दे :

1. केबिल योजना तथा उन्हें प्राप्त करने की पद्धति को प्रमुख परियोजना से हटा दिया जाए।

2. अधिक संख्या में टेलीफोन काल करने वाले उपभोक्ताओं को इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों में स्थानांतरित करना और यहां तक कि छोटे ग्रामीण एक्सचेंजों में डायनामिक एस.टी.डी. सुविधा प्रदान करना।

3. ई–10 बी के लिए मरम्मत सुविधाओं तथा एम.आई.एल.टी. आदि जैसे अन्य छोटे एक्सचेंजों का पुनरावलोकन करना।

4. डायरेक्टरी मुद्रण तथा "समुचित" एस.टी.डी. मानदंडों अर्थात (3+ जंक्शन आधार पर) के कार्यान्वयन की समीक्षा।

5. "प्रशिक्षण" की वर्तमान पद्धति और नई प्रौद्योगिकियों में प्रशिक्षण हेतु कार्यवाही की समीक्षा।

6. पृथक "वैधानिक" कक्ष का सृजन तथा/"न्यायालय" में चल रहे मामलों में विलंब से बचना।

7. मुख्य महाप्रबंधक दूरसंचार को नकदी आहरण की सीमा में छूट/उन्हीं क्षेत्रों में अतिरिक्त वित्तीय शक्तियां।

8. राजस्व एकत्र करने के लक्ष्य पूरे कर लिए जाएं।

9. दूरसंचार विभाग की सार्वजनिक क्षेत्र की यूनिटों और निजी क्षेत्र के बीच प्रतियोगिता को बढ़ावा देना।

10. (क) वाहनों (ख) अस्थाई टेलीफोन कनेक्शन (ग) ई एम– एक्सचेंजों की स्क्रैपिंग (घ) सरप्लस टेलीफोन आपरेटरों का संवर्ग परिवर्तन करने संबंधी नीति की समीक्षा।

11. कुछ माइक्रोवेव प्रणालियों के लिए कल–पूर्जों आदि की कमी से बचने के लिए कार्यवाही की जाए।

12. दूरसंचार संस्थापन की सुरक्षा।

[हिन्दी]

उपमार्गों का निर्माण

3694. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :

श्री गिरधारी लाल भार्गव :

श्री संतोष कुमार गंगवार :

क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय राजमार्गों पर निर्माण के लिए क्या मानदंड अपनाये जाते हैं ;

(ख) आगामी तीन वर्षों के दौरान राज्य–वार राष्ट्रीय राजमार्गों पर निर्मित किये जाने वाले उप मार्गों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान राज्य–वार राष्ट्रीय राजमार्गों पर निर्मित किये गये उपमार्गों का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) इस प्रयोजनार्थ राज्य–वार कितनी राशि आवंटित की गई ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) आमतौर पर, राष्ट्रीय राजमार्गों पर बाई पासों की योजना, वहां बनायी जाती है, जहां शहरी सम्पर्क मार्गों पर भूमि की चौड़ाई 30 मीटर से कम होती है। वित्तीय समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए उन्हें निम्न प्राथमिकता दी जाती है।

(ख) इसके ब्यौरे देना अभी संभव नहीं है क्योंकि यह निधियों की उपलब्धता और परियोजनाओं की पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करता है।

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान संस्वीकृत बाई पास दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(घ) राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए निधियों का आबंटन राज्यों को समग्र रूप से किया जाता है न कि परियोजना–वार।

विवरण

क्रम सं.	राज्य	रा.रा. संख्या	बाईपास का नाम	स्वीकृत लागत करोड़ रुपए
1.	गुजरात	8 ख	कुटियाना	1.43
2.	कर्नाटक	4	मुलबागल	1.84
3.	केरल	17	कालीकट चरण-I	11.36
4.	केरल	47	क्विलॉन–चरण-I	4.25
5.	केरल	47	त्रिवेन्द्रम–नेपाट्टीकारा	4.56

6.	मध्य प्रदेश	3	इन्दौर	73.44
7.	मध्य प्रदेश	7	जबलपुर	6.90
8.	महाराष्ट्र	50	पेठ	0.69
9.	पंजाब	15	गुरदासपुर	4.20
10.	उत्तर प्रदेश	28	फैजाबाद चरण-II	18.19
11.	पश्चिम बंगाल	34	शांतिपुर	2.74

राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत

3695. श्री बीर सिंह महतो : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लम्बाई कितनी है ;

(ख) वर्ष 1993-94 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत पर कितनी धनराशि खर्च की गई तथा 1994-95 के दौरान इस कार्य पर कितनी धनराशि खर्च करने का प्रस्ताव है ; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) 1638 कि.मी.

(ख) तथा (ग) वर्ष 1993-94 के दौरान पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय राजमार्गों के रख रखाव और मरम्मत के लिए 17.60 करोड़ रुपए की राशि जारी की गयी थी। चूंकि अभी 1994-95 के लिए आबंटनों का अनुमोदन नहीं हुआ है, इसलिए अभी ब्यौरे नहीं बताए जा सकते।

मध्य प्रदेश में दूरभाष केन्द्र

3696. श्री महेन्द्र कुमार सिंह ठाकुर : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मध्य प्रदेश में 1994-95 के दौरान नए दूरभाष केन्द्र खोलने का है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी जिला–वार ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी हां।

(ख) 1994-95 के दौरान लगभग 200 नए टेलीफोन एक्सचेंज खोलने के बारे में अस्थाई योजना बनाई गई है और जिले–वार संभावित ब्यौरे विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

1994-95 के दौरान खोले जाने वाले प्रस्तावित टेलीफोन एक्सचेंजों के जिले–वार ब्यौरे –

1.	बालघाट	–5	23.	मंदसौर	–5
2.	बस्तर	–5	24.	मुरैना	–5
3.	बेतूल	–3	25.	नरसिंहमुर	–3
4.	भिंड	–3	26.	पन्ना	–2
5.	भोपाल	–2	27.	रायगढ़	–7
6.	बिलासपुर	–8	28.	रायपुर	–4
7.	छत्तरपुर	–8	29.	रायसेन	–5
8.	छिंदवाड़ा	–5	30.	राजगढ़	–4
9.	दमोह	–3	31.	राजनन्दगांव	–5
10.	दतिया	–2	32.	रतलाम	
11.	देवास	–4	33.	रीवा	– 4
12.	धार	–4	34.	सागर	– 5
13.	दुर्ग	–3	35.	सरगुजा	– 5
14.	गुना	–5	36.	सतना	– 3
15.	ग्वालियर	–4	37.	सिहोर	– 2
16.	होशंगाबाद	–10	38.	सिवनी	– 3
17.	इन्दौर	–6	39.	शहडोल	– 3
18.	जबलपुर	–5	40.	शाजापुर	– 9
19.	झबुआ	–3	41.	शिवपुरी	– 4
20.	खंडवा	–3	42.	सीधी	– 3
21.	खरगौन	–5	43.	टीकमगढ़	– 3
22.	मांडला	–4	44.	उज्जैन	– 6
			45.	विदिशा	– 4

लाइसेंस जारी करना

3697. श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस मंत्रालय की उत्पत्ति से लेकर मार्च, 1994 तक लाइसेंसों के लिए कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं ; और

(ख) खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए किस किस्म के और कुल कितने लाइसेंस दिए गये हैं ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) 3497

(ख) 2064 लाइसेंस जारी किए गए जिनके ब्यौरे नीचे दिए हैं।

(i)	औद्योगिक लाइसेंस	181
(ii)	केरी आन बिजनेस लाइसेंस	4
(iii)	खाद्य उत्पाद आदेश	1879

[अनुवाद]

संसदीय समाचार का क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारण

3698. श्री हाराधन राय : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार का विचार विभिन्न दूरदर्शन केन्द्रों से क्षेत्रीय भाषाओं में संसदीय समाचारों का प्रसारण करने का है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) संसाधनों और जनशक्ति संबंधी बाध्यताओं के कारण।

असम में खनिज भंडार

3699. श्री प्रदीन डेका : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण विभाग ने हाल ही में असम में खनिज भंडारों का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया है ;

(ख) यदि हां, तो यह सर्वेक्षण किन-किन स्थानों पर किया गया ; और

(ग) इन क्षेत्रों में पाये गये विभिन्न खनिजों का ब्यौरा क्या है ?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-12 पर निर्माण कार्य

3700. श्री फूल चन्द वर्मा :

श्री शिवराज सिंह चौहान :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष मध्य प्रदेश में भोपाल से तेंदूखेड़ा तक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-12 पर किए गये निर्माण कार्य का ब्यौरा क्या है ; और

(ख) आगामी तीन वर्षों के दौरान कौन–कौन से निर्माण कार्य शुरू किए जायेंगे ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग-12 के भोपाल–तेंदूखेड़ा खंड पर 1991-92, 1992-93 और 1993-94 के दौरान क्रमशः 37.81 लाख रु. का एक 352.47 लाख रु. के चार और 438.37 लाख रु. के दो निर्माण कार्य शुरू किए गए हैं।

(ख) इस स्तर पर यह नहीं बताया जा सकता क्योंकि इनकी संख्या राज्य से पूरा प्रस्ताव प्राप्त होने, अखिल भारतीय आधार पर पारस्परिक प्राथमिकता, ट्रैफिक की सघनता और निधियों की उपलब्धता आदि पर निर्भर होगी।

[हिन्दी]

डी.टी.सी. बस सेवा

3701. श्री सुरेशानन्द स्वामी : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रामपुर से होकर दिल्ली–फर्रूखाबाद–दिल्ली मार्ग पर डी.टी.सी. की नई बस सेवा शुरू करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) (क) से (ग) दिल्ली परिवहन निगम ने पहले ही उक्त रूट पर 13.4.84 से सेवा उपलब्ध कराई हुई है। बसों की कमी के कारण दिल्ली परिवहन निगम इस रूट पर और सेवाएं उपलब्ध कराने की स्थिति में नहीं है।

तीर्थस्थल

3702. श्री रामेश्वर पाटीदार : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1992-93 और 1993-94 के दौरान ननकाना साहब, कैलाश और मक्का जाने के इच्छुक तीर्थ यात्रियों से कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं ;

(ख) इनमें से प्रत्येक स्थान पर यात्रा करने के लिए कितने–कितने तीर्थ यात्रियों के आवेदन पत्र स्वीकार किये गये थे तथा इन्हें स्वीकार करने के लिए तीर्थ स्थल–वार क्या मानदंड अपनाए गये हैं ; और

(ग) इनमें से प्रत्येक स्थान पर जाने वाले प्रत्येक तीर्थ यात्री को कितनी–कितनी धनराशि दी गई तथा इस प्रयोजनार्थ तीर्थस्थल–वार क्या मानदंड अपनाए गये हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.एल.भाटिया) : तीर्थ यात्रा–वार सूचना नीचे दिए अनुसार है :

ननकाना साहिब

(क) कुल 7500 सिख तीर्थ यात्रियों ने पाकिस्तान में स्थित ननकाना साहिब और अन्य गुरुद्वारों के दर्शन किए जिनका ब्यौरा इस प्रकार है : बैशाखी पर (3000), गुरु अर्जुन देव जी के शहीदी गुरुपर्व पर (1000), महाराजा रणजीत सिंह की बरसी पर (500) तथा गुरु नानक देव जी के प्रकाश उत्सव पर (3000).

(ख) इन चार जत्थों ने वर्ष 1992-93 तथा वर्ष 1993-94 के दौरान ननकाना साहिब की यात्रा की। राज्य सरकारों को इस तीर्थयात्रा के लिए आवेदन गुरुद्वारा प्रबन्धक समितियों सहित स्थानीय सिख संगठनों के माध्यम से प्राप्त होते हैं। चयन के लिए अपनाया गया मानदण्ड यह है कि तीर्थयात्री संबंधित राज्य का निवासी हो और उसने पिछले पांच सालों के दौरान इन धार्मिक स्थलों की यात्रा न की हो। यदि किसी राज्य विशेष के कोटे से अधिक संख्या में आवेदन प्राप्त होते हैं तो संबंधित जत्थों/प्रबन्धक समितियों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में संबंधित राज्य सरकारों द्वारा लाटरी निकाल कर चयन किया जाता है।

(ग) शून्य।

कैलाश

(क) 1992 में 712 तथा 1993 में 736 आवेदन प्राप्त हुए थे। 1994 की यात्रा के लिए आवेदन अभी भी प्राप्त हो रहे हैं क्योंकि आवेदन प्राप्त होने की आखिरी तारीख 30.4.94 है।

(ख) 1992 में 233 तथा 1993 में 365 यात्री कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर गए थे। 1994 के लिए यात्रा जून में शुरू होगी। चयन लाटरी निकाल कर किया जाता है।

(ग) शून्य।

मक्का

(क)

वर्ष	प्राप्त आवेदनों की संख्या	
	समुद्री मार्ग से	वायुयान से
1992	17,154	22,527
1993	17,186	22,740
1994	13,698	23,310

(ख)

वर्ष	स्वीकृत आवेदनों की संख्या (तीर्थ यात्रा)	
	समुद्री मार्ग से	वायु यान से
1992	4,723	19,486
1993	4,562	20,630
1994	4,418	20,638

जहां तक आवेदकों के चयन का संबंध है, वित्त मंत्रालय द्वारा हज कोटे के रूप में नियत किए गए कुल स्थानों को देश के सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को वहां की मुस्लिम आबादी के अनुरूप वितरित किया जाता है और आवेदकों का वास्तविक चयन "कुर्राह" के माध्यम से किया जाता है। जब कभी प्राप्त आवेदनों की संख्या राज्य के आंवटित कोटे से अधिक नहीं होती है तो सभी आवेदकों को चयन सूची में शामिल कर लिया जाता है। कुछ राज्यों द्वारा छोड़े गए स्थानों को उन राज्यों के बीच पुनः आवंटित किया जाता है जिन्हें उनके कोटे से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हों।

(ग) किसी भी हाजी को कोई रकम नहीं दी गई। हज यात्रियों को जो सहायता दी गई वह रियायती किरायों पर सउदी अरब से यात्रियों को लाने–ले जाने के लिए चार्टर विमानों/जहाजों की व्यवस्था करके दी गई है।

[अनुवाद]

हिमाचल प्रदेश में डाकघर भवन

3703. मेजर डी.डी. खनेरिया : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश में कितने डाकघर किराये के भवनों में कार्य कर रहे हैं ;

(ख) क्या सरकार का विचार इन डाकघरों के लिए विभागीय भवनों का निर्माण करने का है ; और

(ग) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ जिला–वार चुने गए स्थानों का ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) हिमाचल प्रदेश में 404 डाकघर किराए के भवनों में कार्य कर रहे हैं।

(ख) जी हां।

(ग) विभागीय भवनों का निर्माण करने के लिए जिन स्थानों का चयन किया गया है, उनका ब्यौरा नीचे दिया गया है :

	चुना गया स्थान	जिला
1.	डलहौजी	चम्बा
2.	सरहन बीआर	शिमला
3.	नालागढ़	सोलन
4.	पौंटा साहिब	सोलन
5.	नादौन	हमीरपुर
6.	रिकौंग पिओ	किन्नूर

आंध्र प्रदेश में झींगा मछली पालन

3704. श्री दत्तात्रेय बंडारू : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार झींगा मछली पालन में सुधार करने हेतु आंध्र प्रदेश में शीतागार और अन्य आधारभूत सुविधाएं विकसित कराने का है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी जिला–वार ब्यौरा क्या है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) जी, हां।

(ख) कृषि मंत्रालय द्वारा आंध्र प्रदेश के कृष्णा, श्रीकाकुलम, नेल्लोर, पूर्वी गोदावरी, पश्चिमी गोदावरी और प्रकासम जिलों में ब्रैकिश वाटर फिश फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसियों की स्थापना के लिए मंजूरी दी है। ये एजेंसियां एक्वाकलचर कार्य के लिए छोटे स्तर के श्रिम्प किसानों को तकनीकी, वित्तीय और विस्तार सहायता देती हैं। विश्व बैंक द्वारा सहायित श्रिम्प कलचर परियोजना के अंतर्गत बहुत छोटी हैक्चरियों, छोटी हेचरियों बैकयार्ड नर्सरियों, चारा मिलों, बर्फ–संयंत्रों और आई.क्यू.एफ. संयंत्रों की स्थापना के लिए निजी उद्यमियों को ऋण देने का प्रस्ताव है। इसके अलावा यह मंत्रालय अपनी योजना स्कीमों के अंतर्गत फ्रीजिंग संयंत्रों, कोल्ड स्टोरेज, आइस प्लांट, चिलिंग रूम और रेफ्रीजरेटड परिवहन आदि जैसी आधारभूत सुविधाओं की स्थापना पर होने वाले कुल पूंजी खर्च के 50% तक वित्तीय सहायता देता है। इस प्रयोजन के लिए आंध्र प्रदेश फिशरीज कार्पोरेशन को पश्चिमी गोदावरी, प्रकासन और गुंटूर जिलों में कोल्ड चेन के लिए आधारभूत सुविधाओं की स्थापना के वास्ते 1992-93 के दौरान 39.50 लाख रुपये की राशि दी गयी।

बदरपुर नदी टर्मिनल

3705. श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने बदरपुर (असम) नदी टर्मिनल को 1987-88 में स्वीकृति दी थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस टर्मिनल को विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की गयी थी और इसे प्रशासनिक स्वीकृति हेतु एन.ई.सी. को प्रषित कर दिया गया था ;

(ग) क्या अक्तूबर, 1988 में इसे प्रशासनिक स्वीकृति दे दी गई थी ;

(घ) यदि हां, तो प्रगति रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है ; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी हां।

(ख) जी हां, 1990 में।

(ग) जी हां, अक्तूबर, 1988 में।

(घ) तथा (ङ) जी नहीं। तथापि एन.ई.सी. अब इस कार्य को आई.डब्ल्यू.ए.आई. को सौंपने पर विचार कर रही है।

(च) उक्त (ग) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

बाहुबली पर दूरदर्शन धारावाहिक

3706. श्री सी.पी. मुदाल गिरियप्पा : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाहुबली के जीवन तथा उपलब्धियों पर एक दूरदर्शन धारावाहिक का निर्माण करने की निरंतर मांग की जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) क्या कुछ लोकप्रिय फिल्म निर्माताओं ने उपरिलिखित दूरदर्शन धारावाहिक का निर्माण करने के लिये सहायता पाने हेतु सरकार से अनुरोध किया है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) से (ङ) जी, हां। विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत दूरदर्शन को दिए गए प्रस्तावों में से पांच प्रकरण वाला एक प्रायोजित धारावाहिक "प्रतिमा" दिसम्बर, 1993 से जनवरी, 1994 के दौरान राष्ट्रीय नेटवर्क पर प्रसारित किया गया था। शेष प्रस्ताव प्रसारण के योग्य नहीं पाये गये थे।

[हिन्दी]

केन्द्रीय सड़क निधि से आबंटन

3707. श्री बलराज पासी : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राज्य सरकार को केन्द्रीय सड़क निधि से धनराशियों के आबंटन के लिए क्या मानदंड अपनाया गया है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : संस्वीकृत निर्माण कार्यों की कुल लागत, राज्य सरकारों द्वारा अनुमानित मांग पर पहले से जारी की गयी निधियों और धन राशियों की समग्र उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय सड़क निधि स्कीम के अंतर्गत निधियां आबंटित की जाती है।

[अनुवाद]

टेलीफोन उपकरणों की आपूर्ति

3708. श्री उदय सिंह राव गायकवाड़ : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड लोगों को नए टेलीफोन देने पर मात्र पुश बटन उपकरण की आपूर्ति कर रही है जो संतोषजनक रूप से कार्य नहीं करते ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या महानगर टेलीफोन निगम का विचार ऐच्छिक आधार पर लोगों को नए टेलीफोन कनेक्शन देने पर स्वचालित डायल उपकरण की आपूर्ति करने का है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) और (ख) इस समय एम.टी.एन.एल. द्वारा नए कनेक्शनों के लिए पुशबटन उपकरण प्रदान किए जा रहे हैं क्योंकि सभी नए टेलीफोन उपकरण, पुशबटन किस्म के खरीदे जा रहे हैं।

(ग) जी नहीं।

(घ) समस्त नया प्रापण–कार्य केवल पुशबटन टेलीफोनों के लिए ही होता है।

[हिन्दी]

फिजी के साथ संबंध

3709. श्री आनन्द अहिरवार : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार फिजी के साथ संबंधों में सुधार लाने के लिए कोई कदम उठाने का है ;

(ख) यदि हां, तो कब तक और इस संबंध में किन मुद्दों को प्राथमिकता दी जायेगी ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विदेश मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री आर.एल. भाटिया) : (क) से (ग) भारत सरकार ने फिजी की हाल की घटनाओं पर गौर किया है जिनमें 21 मार्च, 1994 को फिजी संसद के उद्घाटन सत्र के अवसर पर फिजी के राष्ट्रपति का यह वक्तव्य भी शामिल है कि फिजी की सरकार भारत के साथ पूर्ण राजनयिक संबंध को बहाल करना चाहती है और भारत सरकार को इस बात के लिए आमन्त्रित करेगी कि वह जितनी जल्दी व्यवहार्य हो फिजी में अपना मिशन दुबारा खोले। सरकार ने इस बात पर भी गौर किया है कि फिजी के 1990 के संविधान की समीक्षा करने के लिए जो प्रक्रिया पहले तय की गई थी उसे पुनः शुरू करने के लिए फिजी की सरकार शीघ्रता से कार्यवाही करेगी। पहले प्रयास के रूप में संविधान संशोधन वार्तायें करना महत्वपूर्ण है ताकि एक ऐसा समाधान निकाला जा सके जो फिजी के लोगों के सभी वर्गों को स्वीकार्य हो। उसके पश्चात संबंधों को बढ़ाने के लिए और कदम उठाए जा सकते हैं।

[अनुवाद]

पाकिस्तान द्वारा भारतीयों के प्रवेश पर प्रतिबंध

3710. श्री परसराम भारद्वाज :

श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान ने बाघा सीमा पर भारतीयों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) क्या सरकार को पाकिस्तान से कोई औपचारिक संदेश प्राप्त हुआ था ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.एल. भाटिया) : (क) और (ख) वाघा भू-मार्ग से पाकिस्तान जाने वाले भारतीय राष्ट्रिकों को हाल के सप्ताहों में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है।

सरकार ने इस मामले की ओर पाकिस्तानी प्राधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

पारादीप कोयला धुलाई परियोजना की स्थापना

3711. श्री गोपीनाथ गजपति :

श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :

श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :

श्री डी. वेंकटेश्वर राव :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एशिया विकास बैंक ने पारादीप कोयला धुलाई परियोजना के लिए कितना ऋण दिया गया है ;

(ख) इस परियोजना के लिए ऋण उपलब्ध कराते समय एशिया विकास बैंक ने क्या शर्तें लगाई हैं ; और

(ग) इस ऋण का कितना उपयोग किया गया है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) पारादीप–इन्नौर कोयला परिवहन परियोजना के लिए एशियाई विकास बैंक ने 285 मिलियन अमेरिकी डालर का ऋण उपलब्ध करवाया है, जिसमें पारादीप पत्तन में एक यंत्रीकृत कोयला हैंडलिंग सुविधाओं के सृजन के लिए 134.85 मिलियन डालर की राशि भी शामिल है।

(ख) ऋण संबंधी समझौते की मुख्य शर्तें ये हैं कि भारत सरकार समय–समय पर बैंक द्वारा नियम दरों पर ए.डी.बी. को ब्याज देगी और स्वीकृत, लेकिन न निकाली गयी राशि पर 0.75 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से वचनबद्धता प्रभार भी दिया जाएगा। 5 वर्षों की छूट की अवधि सहित यह ऋण 15 वर्षों में लौटाया जाना है। इस ऋण की राशि में से खरीदा जाने वाला माल और प्राप्त की जाने वाली सेवाएं एशियाई विकास बैंक के खरीद संबंधी प्रावधानों के अध्यधीन होंगी।

(ग) अभी तक ऋण खाते में से कोई राशि नहीं निकाली गयी है।

टेलीफोन लगाने की समय सीमा

3712. श्री रोशन लाल : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संसद सदस्य कोटे से स्वीकृत टेलीफोन उनके द्वारा दिये अनुदेशों के अनुरूप एक महीने के भीतर नहीं लगाये जाते हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) सरकार द्वारा आदेशों के अनुपालन न करने वाले लोगों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जाएगी ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) संसद सदस्यों के कोटे से मंजूर

किए गए कुछ टेलीफोन एक महीने की अवधि के भीतर संस्थापित नहीं किए जा सके।

(ख) इसके निम्नलिखित कारण हैं :

1. पंजीकरण के ब्यौरों के संबंध में और स्पष्टीकरण आवेदक से प्राप्त किए जाने हैं।
2. जिस एक्सचेंज से कनेक्शन दिया जाना है। उसमें अतिरिक्त क्षमता नहीं है।
3. केवल पेयरों की कमी के कारण, उन परिसरों को एक्सचेंज से जोड़ने में कठिनाई है जहां टेलीफोन प्रदान किया जाना है।
4. संबंधित कार्यालयों को मंजूरियों के संप्रेषण में कार्य–विधि संबंधी अपरिहार्य विलंब।

(ग) इस संबंध में की जाने वाली कोई भी कार्यवाई विभागीय नियमों के अनुसार होगी।

जम्मू और कश्मीर में सलाल पन-बिजली परियोजना

3713. श्री आनन्द रत्न मौर्य : क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार जम्मू और कश्मीर में सलाल पन–बिजली परियोजना की भांति एक और एकक शुरू करने का है ;

(ख) यदि हां, तो यह संबंधित एकक कब तक कार्य आरंभ कर देगा ; और

(ग) इस एकक से उस क्षेत्र विशेष में क्या–क्या लाभ मिलेंगे ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) और (ख) सलाल जल विद्युत परियोजना चरण–2 के 115 मे.वा. के तीसरे यूनिट को मार्च, 1995 तक चालू किए जाने की आशा है।

(ग) सभी तीनों यूनिटों को चालू किए जाने पर सलाल चरण -2 की कुल अधिष्ठापित क्षमता 445 में वा. हो जायेगी। चरण -2 से उत्पादित ऊर्जा को, केन्द्रीय क्षेत्र की जल विद्युत परियोजनाओं के लाभों की भागीदारी के फार्मूले के अनुसार उत्तरी क्षेत्र के राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के बीच आवंटित किया जायेगा। परियोजना के चरण -2 से उत्पादित ऊर्जा में जम्मू एवं कश्मीर का हिस्सा 18.2 प्रतिशत होगा, जिसमें से 12 प्रतिशत निःशुल्क विद्युत होगी।

दिल्ली में टेलीफोन के लिए ओ-बी जारी करना

3714. श्री ब्रह्मानंद मंडल :

श्री तेज नारायण सिंह :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़ी संख्या में उपभोक्ता, जिन्हें एम.टी.एन.एल. दिल्ली द्वारा ओ–बी जारी किये गये हैं टेलीफोन लगने और लाइन चालू किये जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं ;

(ख) दिल्ली टेलीफोन के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों में 1 दिसंबर, 1993 से 31 मार्च, 1994 के बीच कितने ओ.–बी. जारी किए गए और इनमें से कितनों में वास्तव में लाईन चालू की गयी तथा शेष लाइनों को कब तक चालू कर दिया जायेगा ; और

(ग) सरकार का विचार टेलीफोन लगाने के समय पर लम्बे समय तक लंबित रखे जाने वाले ओ–बी के मामले कदाचार दूर करने के लिए क्या कदम उठाने का है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (सुख राम) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सदन पटल पर रख दी जाएगी।

भारतीयों को शरण देना

3715. श्री एस.बी. सिदनाल : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1992 और 1993 में देशवार कितने भारतीयों ने जर्मनी, अमरीका, कनाडा और अन्य पश्चिमी देशों में शरण मांगी थी ;

(ख) देश–वार कितने व्यक्तियों को उन देशों ने शरण दी ; और

(ग) सरकार ने दूसरे देशों में भारतीय नागरिकों द्वारा शरण मांगने के किन–किन प्रमुख कारणों का पता लगाया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.एल. भाटिया) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जायेगी।

[हिन्दी]

टेलीफोन कनैक्शन

3716. श्री मृत्युंजय नायक : क्या संचार मंत्री 13 दिसम्बर, 1993 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1628 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच भाग (ग) और (घ) के संबंध मे जानकारी प्राप्त कर ली गयी है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी हां।

(ख) पूर्ववर्ती लोकसभा अतारांकित प्रश्न सं. 1628 के संबंध में दिए गए आश्वासन को दिनांक 14.2.94 को पूरा कर दिया गया है तथा तत्संबंधी एक विवरण संलग्न है।

(ग) ऊपर भाग (क) और (ख) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए, प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

प्रश्न सं. दिनांक एवं सदस्य का नाम	विषय	दिया गया आश्वासन	कब और कैसे पूरा किया गया विलंब के कारण
13.12.93 को श्री राम प्रसाद सिंह, संसद सदस्य द्वारा लोक सभा में पूछा गया अतारांकित प्रश्न सं. 1628	**टेलीफोन कनेक्शन** पूछा गया कि : (क) अस्थाई टेलीफोन कनेक्शन देने के संबंध में क्या मानदंड निर्धारित किये गये हैं ; (ख) क्या संसद सदस्य अस्थाई टेलीफोन कनेक्शन हेतु सिफारिश कर सकते हैं ; (ग) यदि हां, तो गत दो महीनों में दिल्ली में अस्थाई टेलीफोन कनेक्शन हेतु महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड को कुल कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं तथा उनमें से स्वीकृत किए गए तथा अस्वीकृत पाये गए आवेदन पत्रों की अलग–अलग संख्या कितनी है; और (घ) इनमें से उक्त अवधि के दौरान संसद सदस्य द्वारा सिफारिश किए गए आवेदन पत्रों की संख्या कितनी है ?	(ग) एवं (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।	(ग) महोदय, दिल्ली में एम.टी.एन.एल. द्वारा अस्थायी टेलीफोन कनेक्शनों के लिए 1.10.93 से 30.11.93 तक 630 आवेदन पत्र प्राप्त हुए। इनमें से 454 के लिए मंजूरी दे दी गयी है और 179 अस्वीकृत किए गए। (घ) माननीय संसद सदस्यों द्वारा सिफारिश किए गए आवेदन–पत्रों के लिए अलग से कोई रिकार्ड नहीं रखा गया है।

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग, जेनेवा में पाकिस्तान का संकल्प

3717. श्री साईमन मराण्डी :

श्री दत्ता मेघे :

श्री श्रवण कुमार पटेल :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत को हाल ही में कश्मीर मुद्दे के संदर्भ में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई सफलता मिली है ;

(ख) क्या पाकिस्तान द्वारा संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग की हाल की जेनेवा बैठक में कश्मीर के संबंध में कोई संकल्प पेश किया गया था ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर भारतीय शिष्टमंडल ने क्या प्रतिक्रिया कि ;

(घ) कश्मीर मुद्दे पर भारत द्वारा लिए गए पक्ष को किन–किन देशों ने समर्थन दिया ;

(ङ) पाकिस्तानी संकल्प पर अमरीका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान, चीन और अन्य एशियाई देशों की क्या प्रतिक्रिया थी ; और

(च) इस मामले का समाधान करने के लिए क्या कदम उठाये जा रह हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.एल. भाटिया) : (क) से (च) भारत–पाकिस्तान को अलग–थलग करने तथा बिना शर्त संकल्प वापिस लेने पर उनके बाध्य करने में सफल हुआ। पाकिस्तान ने जेनेवा में हाल ही में सम्पन्न संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के 50 वें सत्र में एक संकल्प प्रस्तुत किया जिसमें जम्मू एवं कश्मीर के लोगों के मानवाधिकारों के गंभीर रूप से तथा निरन्तर उल्लघंन का आरोप लगाया गया था जिसमें इन उल्लंघनों की जांच करने के लिए एक तथ्यान्वेषी दल भेजने की बता कही गई थी। मानवाधिकार आयोग के सदस्य देशों से बड़ी संख्या में देशों ने भारत के इस दृष्टिकोण का समर्थन किया कि कश्मीर मसला द्विपक्षीय रूप से हल किया जाना चाहिए तथा उन्होंने इस मसले को अर्न्तर्राष्ट्रीय बनाने के पाकिस्तान के प्रयास को अस्वीकार कर दिया।

सरकार राष्ट्रीय सम्प्रभुता तथा क्षेत्रीय अखण्डता के ढ़ांचे के अन्तर्गत मानवाधिकारों की सुरक्षा और उनके संवर्धन के प्रति वचनबद्ध है।

[अनुवाद]

टेलीफोन डायरेक्टरी की सप्लाई

3718. श्री वी. श्री निवास प्रसाद : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड कनैक्शन देते समय नये टेलीफोन उपभोक्ताओं को टेनीफोन डायरेक्टरी सप्लाई करता है ;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) दिल्ली/नई दिल्ली में नवम्बर, 1993 से अब तक कितने नये उपभोक्ताओं को टेलीफोन कनेक्शन दिये गये हैं और टेलीफोन डायरेक्टरी नहीं उपलब्ध कराई गई है ; और

(घ) उन उपभोक्ताओं को टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराने हेतु क्या कदम उठाये गए हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) और (ख) म.टे.नि.लि. नई दिल्ली द्वारा मुख्य टेलीफोन डायरेक्ट्री की आपूर्ति सामान्यतः सभी नए-उपभोक्ताओं को की जाती है। किन्तु पिछले कुछ महीनों से नए ग्राहकों को मुख्य टेलीफोन डायरेक्ट्री की आपूर्ति नहीं की जा सकी क्योंकि ये उपलब्ध नहीं थी। तथापि, अनुपूरक डायरेक्ट्री -1993 उन्हें प्रदान की जा रही है।

(ग) लगभग एक लाख उपभोक्ताओं को टेलीफोन डायरेक्ट्री नहीं दी गई है।

(घ) अगली मुख्य दिल्ली टेलीफोन डायरेक्ट्री के जुलाई, 1994 तक प्रकाशित हो जाने की आशा है और जिन नए ग्राहकों को उनकी अपनी प्रतियां प्राप्त नहीं हुई हैं, उन्हें विभिन्न डायरेक्ट्री वितरण केन्द्रों के जरिए मुख्य टेलीफोन डायरेक्ट्री 1994 प्रदान कर दी जाएगी।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में पार्सलों की चोरी

3719. श्री विलासराव नागनाथराव गूंडेवार : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में प्रधान डाकघरों से अनेक पार्सल चुरा लिए गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में गत दो वर्षों का ब्यौरा क्या है

(ग) इनमें से कितने विदेशी पार्सल हैं ;

(घ) क्या इस संबंध में कोई जांच कराई गई है ;

(ङ) यदि हां, तो उसका कया निष्कर्ष निकला ; और

(च) इस संबंध में दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरूद्ध सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) से (च) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

लघु पत्तनों की सहायता

3720. श्री जे. चौक्का राव : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार लघु पत्तनों के विकास के लिये सहायता प्रदान करती है ; और

(ख) यदि हां, तो आंध्र प्रदेश की लघु पत्तनों के विकास के लिए गत वर्ष तथा चालू वित्त वर्ष के दौरान कितनी धनराशि दी गयी ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

समय और विज्ञापनों का आबंटन

3721. श्रीमती भावना चिखलिया : क्या **सूचना प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न दूरदर्शन केन्द्रों से गुजराती, तेलुगु, मलयालम और कन्नड जैसे क्षेत्रीय भाषा कार्यक्रमों में धारावाहिक और विज्ञापन दिखाने के लिए समय खण्ड आबंटित करने के संबंध में क्या नीति अपनाई जा रही है ;

(ख) गत एक वर्ष के दौरान हिन्दी, गुजराती और बंगला भाषाओं में दिखाई गए धारावाहिकों और विज्ञापनों के लिए आबंटित समय का अनुपात क्या है ;

(ग) क्या वर्ष 1994 के दौरान गुजराती भाषा में धारावाहिकों की संख्या बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) प्रत्येक केन्द्र द्वारा बनाई गई नियत बिन्दु तालिका के अनुसार दूरदर्शन के राष्ट्रीय नेटवर्क तथा इसकी क्षेत्रीय सेवा में धारावाहिकों सहित कार्यक्रम प्रसारण हेतु प्रदान किए जाते हैं। प्रस्तावित विज्ञापन सभी समय स्लाट्स में स्वीकार किए जाते हैं।

(ख) इस समय दूरदर्शन द्वारा ऐसी सूचना को केन्द्रीयकृत रूप से नहीं रखा जाता है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय राजमार्गों से हरियाणा की सड़कों को जोड़ना

3722. श्री जगबीर सिंह : क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों के दौरान निर्माण के लिए कितने नये राष्ट्रीय राजमार्गों का सर्वेक्षण किया गया है और उस पर कुल कितनी राशि व्यय हुई है ;

(ख) उनमें से कितने राष्ट्रीय राजमार्गों पर काम शुरू हो चुका है ;

(ग) क्या हरियाणा के लोहारू, दादरी, छूछकवास, झज्जर और खरकोंदा को शेरशाह सूरी राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ने की कोई योजना है ; और

(घ) यदि हां, तो उसमें कितनी प्रगति हुई है ;

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) तथा (ख) किसी सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग ग्रिड में शामिल करने के बाद सामान्यतः प्रारम्भिक सर्वेक्षण किया जाता है। तथापि पिछले दो वर्षों में आन्ध्र प्रदेश में चितूर–कुरनूल सड़क को नये राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में घोषित किया गया है। इसके फलस्वरूप इस राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए 113.50 लाख रुपए की राशि के पांच सुधार कार्य संस्वीकृत किए गए हैं।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

गुजरात में इलेक्ट्रानिक उपकरण

3723. श्री एन.जे. राठवा : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गुजरात में टेलीफोन एक्सचेंजों के विस्तार और विकास के लिए इलेक्ट्रानिक उपकरणों का प्रयोग करना प्रारम्भ कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान किस प्रकार के इलेक्ट्रानिक उपकरणों का प्रयोग किया गया है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी हां।

(ख) अधिकांश मियाद समाप्त एक्सचेंजों को इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंजों से बदला जा रहा है। गुजरात दूरसंचार सर्किल में करीब 59.1 प्रतिशत सज्जित क्षमता इलेक्ट्रॉनिक किस्म की है।

(ग) गुजरात में प्रयुक्त उपस्कर की किस्म निम्नलिखित है :.

1. ई.–10 बी डिजिटल
2. फेटेक्स 150
3. ए.टी. एंड टी
4. पी.आर.एक्स
5. सी–डॉट टाइप एम.ए.एक्स –1
6. आई.एल.टी. – 512
7. आई.एल.टी. – 64
8. ई–एस.ए. एक्स और एन.ई.ए.एक्स

9.	128 सी डॉट आर.ए.एक्स
10.	64 एम.आई.एल.टी
11.	सी–डॉट एम.बी.एम. और एस.बी.एम
12.	आई.सी.पी.

बिहार में टेलीफोन एक्सचेंजों में परिवर्तन

3724. श्री ललित उरांव : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में जिला–वार अब तक किन–किन टेलीफोन एक्सचेंजों को स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंजों में बदला गया है ; और

(ख) 1994-95 में किन–किन स्थानों पर टेलीफोन एक्सचेंजों को स्वचालित एक्सचेंजों में परिवर्तित करने का प्रस्ताव है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) बिहार में सभी टेलीफोन एक्सचेंजों को 31.3.1992 तक आटोमेटिक एक्सचेंजों में बदला जा चुका है।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

राज्य विद्युत बोर्डों पर बकाया धनराशि

3725. श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी : क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य विद्युत बोर्डों पर ग्रामीण विद्युत निगम की भारी धनराशि बकाया है ;

(ख) यदि हां, तो 31 दिसम्बर, 1993 तक प्रत्येक राज्य विद्युत बोर्ड पर देय धनराशि का ब्यौरा क्या है तथा यह धनराशि कितने समय से बकाया है ;

(ग) राज्य विद्युत बोर्डों से इन सभी वर्षों की धनराशि वसूल करने हेतु ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या मंत्रालय ने हाल ही में राज्य विद्युत बोर्डों की विद्युत की खपत के लिए शुल्क निर्धारण के संबंध में दिशा–निर्देश जारी किए हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा राज्य विद्युत बोर्डों से बकाया धनराशि वसूल करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) जी, हां।

(ख) 31.12.93 की स्थिति के अनुसार विभिन्न राज्य बिजली बोर्डों (एस.ई.बी) की ओर ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आर.ई.सी.) की बकाया देय राशि 642.40 करोड़ रुपये थी। राज्य–वार ब्यौरा

अनुबन्ध में दिया गया है। ये बकाया राशियां मुख्यतया वर्ष 1992-94 के लिए है। तथापि, बिहार और उत्तर प्रदेश के सम्बन्ध में ये बकाया राशियां पहले की अवधियों से भी सम्बन्धित हैं।

(ग) ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की देयताओं की वसूली का मामला निगम और विद्युत मंत्रालय द्वारा विभिन्न स्तरों पर राज्य बिजली बोर्डों/राज्य सरकारों के साथ नियमित रूप से उठाया जा रहा है। केन्द्रीय विनियोजन के माध्यम से भी कुछ वसूली की गई है।

(घ) और (ङ) संबंधित राज्य सरकार की स्वीकृति प्राप्त करने के बाद राज्य बिजली बोर्ड द्वारा बिजली की खपत के लिए टैरिफ निर्धारित की गई है। 8 और 9 जनवरी, 1993 को हुए विद्युत मंत्रियों के सम्मेलन में एक कार्य योजना अपनाई गई थी, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ टैरिफ जिसमें कृषि टैरिफ भी शामिल है, का आवधिक रूप से, उत्पादन की बढ़ी हुई लागत और आपूर्ति को मद्देनजर रखते हुए, संशोधन किया जाना तय हुआ था। यह मामला पत्रों और समीक्षा बैठकों के माध्यम से भी उठाया गया है। बकाया वसूलियों के निपटान के सम्बन्ध में, राज्य बिजली बोर्डों को यह परामर्श दिया गया है कि वे केन्द्रीय विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों की बकाया वसूलियों का जल्दी से जल्दी निपटान करें। कुछ देयताओं में से जोकि राज्य सरकारों को देय थी, उन्हें केन्द्रीय योजना सहायता के विरूद्ध समायोजित किया गया है।

विवरण

31.12.1993 की स्थिति के अनुसार विभिन्न राज्य बिजली बोर्डों की ओर देय बकाया राशि

(रुपए करोड़ में)

कुल संख्या	राज्य	बकाया राशि
1.	आन्ध्र प्रदेश	16.17
2.	अरूणाचल प्रदेश	0.14
3.	असम	30.73
4.	बिहार	136.07
5.	गुजरात	0.21
6.	हरियाणा	2.67
7.	हिमाचल प्रदेश	0.04
8.	जम्मू और कश्मीर	0.24
9.	केरल	5.12
10.	मध्य प्रदेश	83.23
11.	महाराष्ट्र	0.08

12.	मेघालय	4.41
13.	मिजोरम	0.06
14.	नागालैंड	0.51
15.	उड़ीसा	59.15
16.	पंजाब	0.29
17.	राजस्थान	22.84
18.	सिक्किम	0.15
19.	तमिलनाडु	0.47
20.	त्रिपुरा	1.14
21.	उत्तर प्रदेश	214.89
22.	पश्चिमी बंगाल	63.79
	जोड़ :	**642.40**

पश्चिम बंगाल में टेलीफोन कनैक्शन

3726. श्री जितेन्द्र नाथ दास : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में विभिन्न एक्सचेंजों में टेलीफोन कनैक्शन लम्बित पड़े हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस समय प्रत्येक जिले में कितने आवेदन लम्बित है ;

(ग) लम्बित मामलों के निपटान के लिए क्या कदम उठाये गये हैं/उठाने का प्रस्ताव है ; और

(घ) इन मामलों को कब तक निपटाया जायेगा ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी हां।

(ख) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992-97) के उद्देश्यों के अनुसार इस योजना अवधि के अंत तक, बड़ी टेलीफोन प्रणालियों में टेलीफोन कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा अवधि को घटाकर दो वर्ष करना, तथा ग्रामीण/पिछड़े क्षेत्रों में व्यवहारिक रूप से मांग होने पर टेलीफोन प्रदान करना शामिल है। तदनुसार, उपर्युक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए एक्सचेंजों का विस्तार करने की योजना बनाई जा रही है।

विवरण

(ख) 31.3.1994 की स्थिति के अनुसार, प्रत्येक जिले में लंबित आवेदन पत्रों की संख्या इस प्रकार है :

क्र.सं.	जिला	31.3.1994 की स्थिति के अनुसार लंबित आवेदन पत्रों की संख्या
1.	बांकुरा	237
2.	बर्दवान	4198
3.	बीरभूम	1121
4.	कूचबिहार	428
5.	दार्जिलिंग	4166
6.	हुगली	5543
7.	हावड़ा	7914
8.	जलपाईगुड़ी	739
9.	मालदा	176
10.	मिदनापुर	2562
11.	मुर्शीदाबाद	792
12.	नादिया	1884
13.	पुरूलिया	242
14.	उत्तरी दिनाजपुर	529
15.	दक्षिण दिनाजपुर	364
16.	24- परगना (उत्तर)	8644
17.	24- परगना (दक्षिण)	7993
18.	कलकत्ता	19299
	योग :	**66831**

[हिन्दी]

बिना पुलिस जांच के पासपोर्ट जारी करना

3727. श्री दत्त मेघे : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि चार महानगरों में स्थित क्षेत्रीय पासपोर्ट

कार्यलय बिना पुलिस जांच कराए बड़ी संख्या में पासपोर्ट जारी कर रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और अब तक सरकार को ऐसे कितने मामलों की जानकारी है तथा इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.एल. भाटिया) : (क) और (ख) : समस्त पासपोर्ट आवेदन पुलिस जांच के लिए भेजे जाते हैं। जिन आवेदन–पत्रों के सम्बन्ध में पुलिस रिपोर्ट चार सप्ताह के भीतर प्राप्त नहीं होती हैं, वे पासपोर्ट जारी करने के पात्र हैं। यदि ऐसा कोई पासपोर्ट जारी होने के पश्चात आवेदक के खिलाफ कोई विपरीत पुलिस रिपोर्ट प्राप्त होती है, तो सरकार पासपोर्ट अधिनियम, 1967 के अन्तर्गत समुचित कार्रवाई करती है। अधिक से अधिक। वर्ष की अवधि के लिए अल्पावधिक वैधता वाले पासपोर्ट बिना जारी/प्राथमिकता के आधार पर जारी किए जाते हैं बशर्ते किसी प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सांक्ष्यांकन प्रस्तुत किया जाए। केवल ऐसे मामलों में ही पुलिस साक्ष्यांकन बाद में की जाती है।

मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों पर पुलों का निर्माण

3728. श्री शिवराज सिंह चौहान : क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों पर कितने पुलों का निर्माण किया गया ;

(ख) राज्य में इस समय कितने पुलों की मरम्मत की जा रही है ; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान पुलों की मरम्मत पर कुल कितना खर्च किया गया ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) पांच।

(ख) तथा (ग) इस समय मध्य प्रदेश में विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों पर छह पुलों की मरम्मत की जा रही है। इन पुलों की मरम्मत के लिए अभी तक 1.54 लाख रु. खर्च किए जा चुके हैं।

[अनुवाद]

गुजरात में आई.एस.डी./एस.टी.डी. सार्वजनिक टेलीफोन

3729. डा० अमृतलाल कालिदास : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1992-93 और 1993-94 के दौरान गुजरात के शहरी/ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में कितने आई.एस.डी./एस.टी.डी./सार्वजनिक टेलीफोन स्थापित किये गये हैं ;

(ख) क्या सरकार का विचार आगामी वित्त वर्ष के दौरान राज्य में ऐसे सार्वजनिक टेलीफोन स्थापित करने का है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) वर्ष 1992-93 तथा 1993-94 के दौरान गुजरात के शहरी/ग्रामीण तथा जनजातीय क्षेत्रों में क्रमशः 2801 तथा 1309 आई.एस.डी./एस.टी.डी./पी.सी.ओ. संस्थापित किए गए।

(ख) जी हां।

(ग) एस.टी.डी/पी.सी.ओ. सहित सार्वजनिक टेलीफोन प्रत्येक एक्सचेंज की क्षमता के 5 प्रतिशत तक की सीमा तक प्रदान किए जाते हैं।

[हिन्दी]

अल्लेप्पी उपमार्ग

3730. **श्री थाईल जॉन अंजलोज** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 पर अल्लेप्पी में उपमार्ग का निर्माण कार्य इस समय किस चरण में है ;

(ख) क्या इस उपमार्ग पर कार्य की प्रगति बहुत धीमी है ;

(ग) यदि हां, तो कार्य में शीघ्रता लाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ;

(घ) इस उपमार्ग का काम कब तक पूरा हो जायेगा ; और

(ङ) इस परियोजना की मूल अनुमानित कुल लागत कितनी थी और समीक्षित नवीनतम लागत कितनी है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) 3.74 कि.मी. लम्बाई (चरण-1) में यह कार्य प्रगति पर है और सितम्बर, 1995 तक पूरा हो जाने की संभावना है।

(ख) और (ग) राज्य सरकार से इस कार्य को शीघ्र पूरा करने तथा 3.85 कि.मी. की शेष लम्बाई (चरण-2) के लिए तकनीकी प्रस्ताव प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया है।

(घ) इस कार्य के पूरा होने की तारीख के बारे में अभी बता पाना संभव नहीं है।

(ङ) चरण-1 के लिए 99.80 लाख रु.। चरण-2 के लिए प्राक्कलन अभी संस्वीकृत नहीं किया गया है।

[हिन्दी]

टेलीफोन लाइनों का लक्ष्य

3731. **श्री रामचन्द्र वीरप्पा** :

श्री बापू हरि चौरे :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1994-95 के दौरान टेलीफोन लाइनों में वृद्धि करने का निश्चय किया है ताकि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में मांग पर टेलीफोन उपलब्ध कराए जा सकें ,

(ख) यदि हां, तो राज्य–वार मांग का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) मांग को किस हद तक पूरा किया जा सकेगा ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी नहीं।

तथापि, आठवीं पंचवर्षीय योजना के उद्देश्यों के अनुसार इस योजना अवधि (1992-97) के अंत तक बड़ी टेलीफोन प्रणालियों में टेलीफोन कनेक्शन के लिए प्रतीक्षा अवधि को घटाकर दो वर्ष करना तथा ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में व्यवहारिक रूप से मांग होने पर टेलीफोन प्रदान किये जाने हैं। तदनुसार उपरोक्त उद्देश्य की पूर्ति के लिए योजनाएं बनाई जा रही हैं।

(ख) 28.2.94 की स्थिति के अनुसार राज्य–वार मांग का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) वार्षिक योजना (94-94) में , 1994-95 के दौरान 14 लाख टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने की परिकल्पना की गई है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य	28.2.1994 की स्थिति के अनुसार मांग
1.	आंध्र प्रदेश	188209
2.	असम	10529
3.	बिहार	35128
4.	गुजरात (दादर, दिव,दमण और नगर हवेली केन्द्र शासित प्रदेश सहित)	224122
5.	हरियाणा	75104
6.	हिमाचल प्रदेश	18657
7.	जम्मू एवं कश्मीर	19983
8.	कर्नाटक	194091
9.	केरल (लक्षद्वीप केन्द्र शासित प्रदेश सहित)	327235
10.	मध्य प्रदेश	76732
11.	महाराष्ट्र (गोवा राज्य सहित)	381162
12.	उत्तर–पूर्व (अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा)	5245

13.	उड़ीसा	5867
14.	पंजाब (चण्डीगढ़ केन्द्र शासित प्रदेश सहित)	209403
15.	राजस्थान	188147
16.	तमिलनाडु (पांडिचेरी केन्द्र शासित प्रदेश सहित)	332211
17.	उत्तर प्रदेश	160906
18.	पं. बंगाल (सिक्किम राज्य सहित)	71211
19.	दिल्ली	263858
		2767800

दक्षिण एशिया में परमाणु अप्रसार के संबंध में अमरीकी राष्ट्रपति की रिपोर्ट

3732. श्री सैयद शहाबुद्दीन : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अप्रैल–अक्तूबर, 1993 की अवधि के लिए दक्षिण एशिया में परमाणु अस्त्र अप्रसार के संबंध में अमरीकी राष्ट्रपति द्वारा अमरीकी कांग्रेस के समक्ष प्रस्तुत रिपोर्ट की ओर सरकार ने ध्यान दिया ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.एल. भाटिया) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने अमरीका की सरकार के साथ अपने परस्पर आदान–प्रदान में बार–बार इस बात पर बल दिया कि भारत सार्वभौमिकता, भेदभावरहित, व्यापक और सत्यापनीयता के आधार पर वास्तविक नाभिकीय अप्रसार के प्रति वचनबद्ध है। नाभिकीय अप्रसार के बार में सरकार का दृष्टिकोण सुविदित हैं और अमरीका की सरकार को दोहराया गया है। सरकार का विश्वास है कि अप्रसार को संविर्धित करने के लिए संकीर्ण क्षेत्रीय दृष्टिकोण भारत की सुरक्षा संबंधी चिन्ताओं को ध्यान में नहीं रखते जिन्हें केवल सार्वभौम, व्यापक, भेदभाव–रहित और सत्यापनीय उपायों द्वारा ही दूर किया जा सकता है।

[हिन्दी]

आकाशवाणी/दूरदर्शन के इंजीनियरों की मांगें

3733. श्री बारे लाल जाटव : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी और दूरदर्शन के इंजीनियरों ने अपनी मांगों के समर्थन में हाल ही में आकाशवाणी भवन पर धरना दिया था ;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सरकार उस पर क्या कार्यवाही कर रही है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) और (ख) जी, हां। आकाशवाणी तथा दूरदर्शन के कुछ इंजीनियरों ने 17.3.1994 को पदोन्नति संबंधी प्रत्याशाओं, सेवा मामलों तथा कार्य संबंधी परिस्थितियों से संबंधित मुद्दों पर धरना दिया।

(ग) ये मामले सरकार के विचाराधीन हैं।

तटीय जहाजरानी विकास योजना

3734. श्री सनत कुमार मंडल : क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बातने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय द्वारा तटीय जहाजरानी विकास योजना को आरम्भ किए जाने हेतु किए गए कई महीनों के प्रयास के बाद भी इस योजना को लागू नहीं किया जा सका है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस योजना के कार्यान्वयन के लिए क्या उपाय किए जाने का प्रस्ताव है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (ग) : तटीय नौवहन के विकास के लिए ऐसी कोई विशिष्ट योजना नहीं है। तथापि, सीमा शुल्क प्रक्रिया के सरलीकरण, आधारभूत सुविधाओं के सुधार इत्यादि की जांच के लिए सरकार द्वारा एक कार्यदल गठित किया गया था। इस कार्यदल ने तटीय नौवहन के विकास के लिए 12 सिफारिशें की हैं। संबंधित मंत्रालयों/संगठनों के साथ परामर्श करके इन्हें स्वीकार करने के बारे में कार्यवाही की जा रही है।

[अनुवाद]

आन्ध्र प्रदेश में मार्गों पर सुविधायें उपलब्ध कराना

3735. श्री धर्मभिक्षम : क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों, विशेषरूप से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या -9 पर स्थित विश्राम गृहों, यात्री बंगलों आदि का दर्जा बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) आन्ध्र प्रदेश में यात्री–परक मार्गस्थ सुविधाओं की स्थिति इस प्रकार है ;

(i) रा.रा. 4 पर पालमनेर में यह सुविधा लगभग पूरी होने वाली है।

(ii) रा.रा. 9 पर जहरीबाद में भी ये सुविधाएं उपलब्ध करवाने का प्रस्ताव है, जिसके लिए कार्य स्थल का पता लगाया जा रहा है।

रेडियो पेजिंग सेवा

3736. श्री अमल दत्त : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सत्ताइस शहरों में रेडियो पेजिंग सेवा का अधिकार देने हेतु निविदाऐं आमंत्रित की हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन शहरों के नाम क्या हैं ;

(ग) क्या गैर–सरकारी क्षेत्र में इस सेवा में और शहरों को शामिल करने का कोई प्रस्ताव है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) चार महानगरों विशेषरूप से कलकत्ता में रडियो पेजिंग सेवा के संबंध में हुई प्रगति, यदि कोई हो, का ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी हां।

(ख) ब्यौरे विवरण-I में दिए गए हैं।

(ग) जी हां। देश के शेष भागों में सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों की रजिस्टर्ड भारतीय कंपनियों से, रेडियो पेजिंग सेवा फ्रेंचाइज करने के लिए निविदाएं मांगी गई हैं।

(घ) ब्यौर विवरण-II में दिए गए हैं।

(ङ) महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड द्वारा दिल्ली तथा बंबई में सीमित रेडियो पेजिंग सेवा पहले ही चालू की जा चूकी है। इसके अतिरिक्त दिल्ली, बंबई कलकत्ता तथा मद्रास चार महानगरों सहित 27 शहरों में रेडियो पेजिंग सेवा फ्रेंचाइज करने के लिए पंजीकृत भारतीय कंपनियों से भी निविदाएं मांगी गई थी। पात्रता के मानदंड के आधार पर 19 बोलीदाताओं का नाम सूची से हटा दिया गया था उन्हें वित्तीय बोलियां जारी कर दी गई थीं। जिन बोलीदाताओं के नाम सूची से नहीं हटाए गए थे उन्होंने न्यायालय में दीवानी दावा दायर किया है। न्यायालय वित्तीय बोलियों का मूल्यांकन किया गया और विभिन्न शहरों के लिए 15 बोलीदाताओं का अनंतिम रूप से चयन किया गया है। चार महानगरों के लिए अनंतिम रूप से चुने गए बोलीदाताओं की एक सूची विवरण III में दी गई है।

विवरण -I

रेडियो पेजिंग सेवा फ्रेंचाइज करने के लिए 27 शहरों के नाम।

1. दिल्ली	2. बंबई	3. कलकत्ता
4. मद्रास	5. अहमदाबाद	6. बेंगलूर
7. हैदराबाद	8. पूणे	9. कानपुर
10. नागपुर	11. लखनऊ	12. सूरत

13. जयपुर	14. एर्णाकुलम	15. कोयम्बतूर
16. वडोदरा	17. इंदौर	18. पटना
19. मदुरई	20. भोपाल	21. वाराणसी
22. लुधियाना	23 विशाखापट्टनम	24. चंडीगढ़
25. राजकोट	26. त्रिवेन्द्रम	27. अमृतसर

विवरण-II

रेडियो पेजिंग सेवा के लिए क्षेत्रवार सर्किल के आधार पर मांगी गई निविदाएं।

1. हैदराबाद तथा विशाखापट्टनम को छोड़कर आन्ध्र प्रदेश सर्किल।
2. मराईमलाई नगर एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन (एम.ई.पी.जैड) मिन्जुर, महाबलीपुरम, मदुरै और कोयम्बतूर द्वारा सेवित क्षेत्रों को छोड़कर तमिलनाडु सर्किल।
3. बैंगलूर को छोड़कर कर्नाटक सर्किल।
4. त्रिवेन्द्रम तथा एर्णाकुलम को छोड़कर केरल सर्किल।
5. कल्याण टेलीफोन जिला, पुणे तथा नागपुर से सेवा प्राप्त कर रहे स्थानीय क्षेत्रों को छोड़कर महाराष्ट्र सर्किल।
6. भोपाल तथा इंदौरा को छोड़कर मध्य प्रदेश सर्किल।
7. जयपुर को छोड़कर राजस्थान सर्किल।
8. लुधियाना, अमृतसर तथा चंडीगढ़ को छोड़कर पंजाब सर्किल।
9. फरीदाबाद तथा गुड़गाँव टेलीफोन एक्सचेंजों से सेवा प्राप्त कर रहे स्थानीय क्षेत्र को छोड़कर हरियाणा सर्किल।
10. हिमाचल प्रदेश सर्किल।
11. जम्मू तथा कश्मीर सर्किल।
12 पटना को छोड़कर बिहार सर्किल।
13. पश्चिम बंगाल सर्किल।
14. उड़ीसा सर्किल।
15. सूरत, राजकोट, अहमदाबाद तथा बडौदा को छोड़कर गुजरात सर्किल।
16. असम सर्किल।
17. उत्तर पूर्व सर्किल।
18. गाजियाबाद, नोएडा, लखनऊ, कानपुर तथा वाराणसी एक्सचेंजों से सेवा प्राप्त कर रहे स्थानीय क्षेत्रों को छोड़कर उत्तर प्रदेश सर्किल।

विवरण III

चार महानगरीय शहरों के लिए अनंतिम रूप से चुने गए बोलीदाताओं की सूची

क्र.सं.	शहर का नाम		सूचीबद्ध बोलीदाता
1.	बम्बई	(i)	मैसर्स आर्या कम्यूनिकेशन एंड इलेक्ट्रानिक, 105 मेकर चैम्बर्स VI, 220 नारीमैन प्वाइंट बंबई-400021
		(ii)	मैसर्स इंडिया टेलीकाम्प टेलीकॉम हाउस, एल–12, साउथ एक्सटेंशन II, नई दिल्ली -110049
		(iii)	मैसर्स माइक्रोवेव कम्यूनिकेशनस लि. 1202, चिरंजिव टावर, 43, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019
		(iv)	मैसर्स एस जे टेलीकाम सर्विसिज प्रा.लि. 13, मसजिद मोठ, डी.डी.ए. कमर्सियल काम्पलेक्स, नई दिल्ली-110048
2.	दिल्ली	(i)	मैसर्स एस जे टेलीकॉम सर्विसिज प्रा. लि. 13, मसजिद मोठ डी.डी.ए. कमर्सियल काम्पलेक्स, नई दिल्ली 110048
		(ii)	मैसर्स मोबाइल कम्यूनिकेशनस लि., 505, न्यू दिल्ली हाउस, 27, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली–110001
		(iii)	मेसर्स ए बी सी कम्यूनिकेशनस इंडिया प्रा. लि., 44-बी नारीमैन भवन, नारीमैन प्वाइंट बम्बई-400021
		(iv)	मैसर्स इंडिया टेलीकाम्प टेलीकॉम हाउस, एल-12 साउथ एक्सटेंशन-11 नई दिल्ली-110049
3.	कलकत्ता	(i)	मैसर्स मोबाइल कम्यूनिकेशनस लि., 505, न्यू दिल्ली हाउस, 27, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली–110001
		(ii)	मैसर्स इंजीकॉल कम्यूनिकेशन (इंडिया) प्रा. लि., एल. बी/5 अंसल भवन, 16. कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली
		(iii)	मैसर्स माइक्रोवेव कम्यूनिकेशन लि. 1202, चिरंजिव टावर, 43, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली–110019
		(iv)	मैसर्स इंडिया टेलीकाम्प–टेलीकॉम हाउस, एल–12, साउथ एक्सटेंशन–II, नई दिल्ली–110049

4.	मद्रास	(i) मैसर्स मोबाइल कम्यूनिकेशनस लि., 505, न्यू दिल्ली हाउस, 27, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली–110001
		(ii) मैसर्स मोदी टेलीकम्यूनिकेशन लि. 18, समुदाय केन्द्र न्यू, फ्रेण्डस कालोनी, नई दिल्ली-110065
		(iii) मैसर्स टेलीसिस्टम इंडिया प्रा. लि., 44. बी नारीमैन भवन, नारीमैन प्वाइंट, बम्बई-400021
		(iv) मैसर्स इंडिया टेलीकाम्प–टेलीकॉम हाउस, एल–12, साउथ एक्सटेंशन–II, नई दिल्ली 110049.

टेलीफोन कनेकशन की मंजूरी की समय - सीमा

3737. श्री अमर राय प्रधान : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उपभोक्ताओं को संसद सदस्यों की सिफारिश पर टेलीफोन स्वीकृत करने वाले अधिकारी द्वारा मंजूरी होने के बाद कनेक्शन लगाने में कितना समय लगता है ;

(ख) संसद सदस्यों द्वारा सिफारिश मिलने के बाद कनेक्शन देने में सामान्यतः कितना समय लगता है ;

(ग) क्या उपरोक्त उद्देश्य के लिए निर्धारित समय–सीमा का सख्ती से अनुपालन किया जाता है ; और

(घ) यदि हां, तो किस सीमा तक और नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) संसद सदस्यों के कोटे से टेलीफोन कनेक्शन, तकनीकी रूप से व्यवहार्य होने पर और विभागीय औपचारिकताओं का पालन करने पर, संस्वीकृति आदेश जारी होने की तारीख से 30 दिन के भीतर प्रदान करने आपेक्षित होते हैं। संस्थापना में लिया गया निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करेगा :

– क्या पंजीकरण ब्यौरों के संबंध में आवेदक से और स्पष्टीकरण मांगा जाना है।

– क्या उस एक्सचेंज में, जहां से कनेक्शन दिया जाना है, अतिरिक्त क्षमता विद्यमान है।

– क्या उस परिसर को, जहां टेलीफोन प्रदान किया जाना है, केबल पेयर की कमी के कारण एक्सचेंज से जोड़ने में कठिनाई है।

(ख) संसद सदस्यों से प्राप्त सिफारिशों पर आवश्यक संस्वीकृति जारी करने के लिए उच्च प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाही की जाती है।

(ग) और (घ) जहां सभी औपचारिकताओं का पालन किया गया हो उन अधिकांश व्यवहार्य मामलों में निर्धारित समय सीमा का पालन किया जाता है।

एल्यूमिनियम का निर्यात और बाक्साइट के भण्डार

3738. डा० के.वी.आर. चौधरी : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1991-92, 1992-93 और 1993-94 में कितने एल्यूमिनियम का निर्यात किया गया ; और

(ख) इससे कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई ?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) व (ख) एल्यूमिनियम के प्राथमिक उत्पादकों, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लि० (नालको), भारत एल्यूमिनियम कंपनी लि० (बालकों), इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी लि० (इंडाल) और हिन्डाल्को द्वारा दी गई सूचना के अनुसार वर्ष 1991-92, 1992-93 और 1993-94 के दौरान निर्यात किए गए एल्यूमिनियम धातु और सेमिज की मात्रा तथा उससे प्राप्त विदेशी मुद्रा इस प्रकार है :

	1991-92		1992-93		1993-94 (अनंतिम)	
	निर्यातित मात्रा (टन)	अर्जित विदेशी मुद्रा (करोड़ रु.)	निर्यातित मात्रा(टन)	अर्जित विदेशी मुद्रा (करोड़ रु.)	निर्यातित मात्रा (टन)	अर्जित विदेशी मुद्रा (करोड़ रु.)
नालको	61117	213.67	85771	328.47	60050	229.91
बालको	273	1.79	189.5	1.0574	28	0.1562
इंडकल	4200	23.40	6700	82.40	9200	51.50
हिन्डाल	7281.052	23.97	20433.198	76.62	12215.056	45.97
कुल :	**72871.052**	**262.83**	**113093.698**	**488.5474**	**81493.056**	**327.5362**

पत्तनों के लिए बजट आवंटन

3739. श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :

श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :

क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1994-95 के लिए बजट प्रस्तावों में पत्तनों के लिए बजट सहायता दी गई है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) तथा (ख) जी हां, 1994-95 के दौरान महापत्तनों को दी गई बजटगत सहायता निम्नप्रकार है :

क्र. सं.	पत्तन का नाम	1994-95 के दौरान बजटगत सहायता (करोड़ रु.)
1.	कलकत्ता	40.00
2.	बम्बई	50.00
3.	जे एल नेहरू	30.00
4.	मद्रास	50.00
5.	कोचीन	50.00
6.	विज़ग	40.00
7.	कांडला	30.00
8.	मुरगांव	30.00
9.	पारादीप	40.00
10.	न्यू मंगलौर	40.00
11.	तूतीकोरिन	19.50
	कुल महापत्तन :	**419.50**

कश्मीर मुद्दे को अन्तर्राष्ट्रीय स्वरूप तथा इस्लाम धर्म का रंग देना

3740. श्री गुरुदास कामत : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान कश्मीर मुद्दे को अन्तर्राष्ट्रीय स्वरूप तथा इस्लाम धर्म का रंग दे रहा है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाये हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.एल. भाटिया) : (क) और (ख) पाकिस्तान, जम्मू और कश्मीर के मामले को अन्तर्राष्ट्रीय स्वरूप देने के साथ–साथ इसे धार्मिक रंग देने का भी प्रयास कर रहा है।

(ग) सरकार जम्मू और कश्मीर की स्थिति के बारे में तथ्यों को सही परिप्रेक्ष्य में अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय के समक्ष रखने के सभी प्रयास करती रही है और करती रहेगी।

आसियान बैठक

3741. श्री चित्त बसु :

श्री विजय कृष्ण हान्डिक :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में इंडोनेशिया में भारत–आसियान संयुक्त क्षेत्रीय समिति की कोई बैठक हुई थी ; और

(ख) यदि हां, तो भारत के लिए एसियान व्यापार ब्लाक में निर्यात की स्थिति और पूंजी निवेश के विशेष संदर्भ में उसका क्या परिणाम रहा ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.एल. भाटिया) : (क) जी हां।

(ख) बाली (इंडोनेशिया) में 6 से 8 जनवरी, 1994 तक आयोजित आसियान भारत संयुक्त क्षेत्रीय सहयोग समिति की पहली बैठक से आसियान–भारत क्षेत्रीय वार्ता को एक ठोस आकार मिला।

आसियान–भारत संयुक्त क्षेत्रीय सहयोग समिति ने यह माना कि भारत और आसियान के बीच प्रारम्भ में व्यापार, पूंजी निवेश, पर्यटन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में सहयोग को गहन करने से दोनों पक्षों को लाभ होगा। समिति ने यह निर्णय लिया कि इन क्षेत्रों में सहयोग को सुविधाजनक बनाने के लिए और विशेष रूप से बढ़ते हुए व्यापार और पूंजी निवेश के तंत्र और तौर–तरीकों को तय करने के लिए अपेक्षित संस्थागत संरचनायें तय की जाएं।

पर्यटकों के लिए वीजा पर प्रतिबन्ध हटाया जाना

3742. प्रो० एम. कामसन : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कुछ देशों के बीच वीजा प्रतिबंध समाप्त किये जाने का है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में किन–किन देशों पर यह प्रतिबन्ध हटाने हेतु विचार किया जा रहा है और सरकार ने इस दिशा में क्या कदम उठाये हैं ;

(ग) क्या इस संबंध में विदेशी मुद्रा अर्जित किये जाने संबंधी कोई आंकलन किया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.एल. भाटिया) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) 1993 के दौरान पर्यटन से अनुमानतः 4251 करोड़ रुपये मूल्य की विदेशी मुद्रा अर्जित की गई।

[हिन्दी]

शीतल पेय उद्योग में बहुराष्ट्रीय कंपनियों का प्रवेश

3743. **श्री प्रेम चन्द राम :**

श्री चिन्मयानन्द स्वामी :

श्रीमती शीला गौतम :

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शीतल पेय उद्योग में किन–किन बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने प्रवेश किया है ;

(ख) इन कंपनियों के साथ किन–किन शर्तों पर सहमती हुई है ;

(ग) क्या ये शर्तें भारतीय शीतल पेय निर्माताओं के हितों के प्रतिकूल हैं ;

(घ) क्या पेप्सी कोला को लाइसेंस जारी करने से पूर्व उसने उन सभी शर्तों को पूरा किया है, जिन पर सरकार के साथ सहमती हुई थी ;

(ङ) यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(च) पेप्सी कोला कंपनी द्वारा अपने बाटलिंग संयंत्रों और कृषि आधारित प्रसंस्करण एककों में कितना पूंजी निवेश किया जायेगा ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) और (ख) मै० पेप्सी फूड्स लि० और मै० ब्रिटको फूड्स कम्पनी प्राइवेट लि० को निम्नलिखित शर्तों पर मृदु पेय सान्द्रण के निर्माण के लिए मंजूरी दी गई है :

मै० पेप्सी फूड्स लिमिटेड

मै० पेप्सी फूड्स लि. को कुछ शर्तों के अधीन विदेशी सहयोग अनुमोदन/आशय पत्र मंजूर किए गए थे। बाद में कम्पनी ने इनमें से कुछ शर्तों में संशोधन करने के लिए अनुरोध किया। उदारीकृत औद्योगिक नीति को ध्यान में रखते हुए और ऐसे ही औद्योगिक क्रिया–कलापों में लगी दूसरी कम्पनियों को दी गई मंजूरी के अनुरूप शर्तों में संशोधन के लिए किए गये अनुरोध को सरकार द्वारा मंजूर कर लिया गया है। मौजूदा मंजूरी के मुताबिक कंपनी का अनुमान है कि वह 10 वर्ष की अवधि में कम से कम 400 करोड़ रुपये मूल्य के उत्पादों का निर्यात करेगी। इसके अलावा, निर्यात और आयात अनुपात हमेशा 3:1 रखा जायेगा।

मै० ब्रिटको फूड्स कम्पनी प्रा० लि०

सरकार ने पेय बेसों और सुगन्धों के निर्माण के लिए मै० कोका कोला साउथ एशिया होल्डिंग्स इंक अमरीका (अब मै० ब्रिटको फूड्स कम्पनी प्रा० लि० बम्बई के नाम पर अंतरित) के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। कम्पनी की स्वयं या अपनी सहायक/संबंध कम्पनियों के माध्यम से 60 करोड़ रुपये की 100% विदेशी इक्विटी होगी। कम्पनी 3 : 1 के निर्यात–आयात अनुपात को बनाए रखेगी। उत्पादन

आरंभ होने की तारीख से सात वर्षों के लिए लाभांश का संतुलन रखा जाएगा और यह अलग से निर्धारित 3:1 के निर्यात–आयात अनुपात के अतिरिक्त होगा। कम्पनी ने निम्नलिखित वादे किए हैं जिन्हें नोट कर लिया गया है :

(1) कम्पनी किसी तकनीकी लाइसेंस शुल्क के भुगतान, पेटेंसर्रे के उपयोग के लिए भुगतान, रायल्टियों, प्रशिक्षण शुल्क या किसी अन्य परामर्शी, एकमुश्त भुगतान की परिकल्पना नहीं करती।

(2) पहले सात वर्षों में अनिवार्य स्वाद सुगन्धों का अनुमानित आयात 78 करोड़ रुपये हैं।

(3) प्रारंभिक सात वर्षों में निर्यात द्वारा विदेशी मुद्रा की अनुमानित आय 234 करोड़ रुपये है।

(4) पहले सात वर्षों में कोई लाभांश बाहर नहीं भेजा जायेगा।

(ग) जी नहीं। विदेशी कम्पनियों को देश के मौजूदा निर्माताओं से प्रतिस्पर्द्धा करनी होती है।

(घ) लाइसेंस जारी करने से पहले कोई शर्त नहीं लगाई गई थी।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) पेप्सिको इंक द्वारा प्रस्तावित होल्डिंग कम्पनी में किया जाने वाला अनुमोदित पूँजी निवेश 95 मिलियन अमरीकी डालर तक है जो निम्नलिखित क्रियाकलापों को करेगी :

(क) नई निर्यात परियोजनाओं को बढ़ावा देना।

(ख) निर्यात क्रियाकलापों में नये संयुक्त उद्यमों को बढ़ावा देना।

(ग) खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में निवेश।

(घ) भारत में पेप्सिकों इंक की किसी भी कम्पनी द्वारा किसानों के साथ बैकवर्ड लिंकेजों में निवेश।

(ङ) पेय निर्माण, विपणन और वितरण में निवेश।

(च) सूचना प्रौद्योगिकी और वित्तीय सेवाओं में निवेश।

(छ) प्रौद्योगिकी उन्नयन में निवेश।

[अनुवाद]

गहरे समुद्र में मछली पकड़ना

3744. श्री एन. डेनिस : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिए वाहनों के संचालन के लिए कुल कितने लाइसेंस जारी किए गए हैं ;

(ख) इन लाइसेंसों के जारी करने के लिए क्या मानदंड अपनाए गए हैं ; और

(ग) क्या इन लाइसेंसों को जारी करते समय पारम्पारिक मछुआरों के हितों को ध्यान में रखा जाता है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) मंत्रालय की शुरूआत से लेकर अब तक विभिन्न स्कीमों अर्थात 100% निर्यातोन्मुखी यूनिट, देशी निर्माण, आयात, संयुक्त उद्यम, पट्टेदारी और परीक्षण मत्स्यन आदि के अंतर्गत गहन समुद्री मत्स्यन जलयानों को प्राप्त करने चलाने के लिए 45 कंपनियों को अनुमति दी गयी है।

(ख) केवल संसाधन विशिष्ट जलयानों जैसे टूना जलयानों, स्टर्न ट्रालरों, स्किवड–जिगरों आदि को गैर श्रिम्प संसाधनों के दोहन की अनुमति दी गयी थी।

(ग) गहन समुद्री मत्स्यन जलयानों को पांरपरिक मछुवारों के प्रचालन क्षेत्र अर्थात तट से 12 समुद्री मील से परे ही चलाये जाने की अनुमति दी जाती है।

गुजरात में ताप विद्युत संयंत्रों में कोयले की कमी

3745. श्री छीतूभाई गामीत :

श्री छेदी पासवान :

श्री प्रेम चन्द राम :

श्री प्रकाश वी. पाटील :

श्री सुशील चन्द्र वर्मा :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में ताप विद्युत संयंत्र प्रबन्धन ने उनके मंत्रालय का ध्यान घटिया कोयले की सप्लाई की ओर दिलाया है जिसके कारण अच्छे कोयले के बजाय इससे अधिक राख निकलती है ;

(ख) यदि हां, तो विद्युत संयंत्रों से प्रति टन अच्छे कोयले से कितने प्रतिशत राख निकलती है ;

(ग) सरकार द्वारा ताप विद्युत संयंत्रों को अच्छे किस्म के कोयले की सप्लाई सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ;

(घ) विभिन्न विद्युत संयंत्रों में इस व्यर्थ राख ने कुल कितनी भूमि घेर रखी है ; और

(ङ) सरकार द्वारा कोयले में राख की मात्रा कम करने तथा कोयले की कमी को दूर करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) विद्युत केन्द्रों द्वारा निर्धारित कोटि के कोयले की तुलना में निम्नकोटि का कोयला प्राप्त किए जाने की शिकायतें होती रही हैं/की गई हैं। मानक कोयले की अवधारणा का तापीय विद्युत संयंत्र उद्योग में उपयोग में नहीं

लाया जाता।

(ख) भारत में विद्युत उत्पादन के लिए आपूर्ति किए जा रहे कोयले में राख का प्रतिशत 35 से 49 प्रतिशत तक रहता है।

(ग) कोयला विभाग द्वारा कोल इण्डिया लिमिटेड के साथ समन्वय करना होता है और विभिन्न कोयला खदानों से कोयले की गुणवत्ता में विभिन्नता की समस्या को कम करने के लिए उपयुक्त कदम उठाने होते हैं। भविष्य में कोयले की गुणवत्ता पर बेहतर नियंत्रण के लिए कोयला की आपूर्ति के सम्बन्ध में निविदा तैयार की जा रही हैं।

(घ) राख निपटान के लिए भूमि का निर्धारण, विद्युत संयंत्र की क्षमता, राख अवयव तथा प्रचालन के वर्षों की संख्या पर निर्भर करेगा तथा अलग-अलग केन्द्रों पर यह विभिन्न-विभिन्न होगा।

(ङ) ताप विद्युत केन्द्रों से राख को फेंके जाने के कारण उत्पन्न भूमि के घिराव की समस्या की सरकार को जानकारी है। राख के विभिन्न उपयोग, जिनमें बेकार भूमि का सीमेंट, बिल्डिंग और सड़क सामग्री के एक घटक के रूप में अधिग्रहण; खाली पड़ी खदानों को भरने के लिए तथा खाद के रूप में उपयोगों को खोजने के लिए पर्याप्त मात्रा में विकासात्मक कार्य किए गए हैं।

गुजरात के अपतटीय क्षेत्रों में भारतीय मछुआरों का अपहरण

3746. श्री चन्द्रेश पटेल : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गुजरात के विभिन्न पत्तनों के समुद्र तटीय क्षेत्रों विशेषतः जामनगर और कच्छ जिलों से पाकिस्तानी लोगों द्वारा मछुआरों का अपहरण करने और उन्हें गिरफ्तार करने के संबंध में संसद सदस्यों और अन्य लोगों की अनेक शिकायतें मिली हैं ;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष प्राप्त ऐसी शिकायतों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान कितने मछुआरों, नौकाओं और पोतों का अपहरण किया गया और पाकिस्तानी जेलों में रखा गया ;

(घ) इन मछुआरों को तत्काल रिहा कराने के लिए सरकार ने क्या ठोस कदम उठाए हैं ; और

(ङ) इसके परिणामस्वरूप आज तक कितने व्यक्तियों तथा नौकाओं को रिहा किया गया ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.एल. भाटिया) : (क) और (ख) सरकार को गुजरात के तट पर पाकिस्तानी प्राधिकारियों द्वारा भारतीय मछुआरों को पकड़ने के बारे में संसद सदस्यों तथा अन्य लोगों से कई पत्र प्राप्त हुए हैं ऐसे कुल 19 ऐसे पत्र, 1991 में 1, 1992 में 12, 1993 में 4, और 1994 में 2, प्राप्त हुए हैं जिनमें पाकिस्तान में नजर बंद भारतीय मछुआरों की रिहाई और उनके प्रत्यावर्तन के उपायों की मांग की गई है।

(ग) 1991 से पाकिस्तान ने कुल 211 भारतीय मछुआरे तथा 32 मछली पकड़ने वाले पोत पकड़े थे। 41 मछुआरे तथा 5 मछली पकड़ने वाले पोत 1991 में, 67 मछुआरे तथा 11 मछली पकड़ने

वाले पोत 1992 में और 103 मछुआरे तथा 16 मछली पकड़ने वाले पोत 1993 में पकड़े गए थे।

(घ) और (ङ) पाकिस्तानी प्राधिकारियों द्वारा भारतीय मछुआरों और मछली पकड़ने वाले पोतों को पकड़े जाने की सूचना प्राप्त होने पर सरकार ने नजरबंद मछुआरों की शीघ्र रिहाई और उनके प्रत्यावर्तन के मसले को उठाया है। 1991 से पाकिस्तानी प्राधिकारियों द्वारा पकड़े गए कुल 211 भारतीय मछुआरों और 32 मछली पकड़ने वाले पोतों में से आज तक 128 मछुआरों और 19 मछली पकड़ने वाले पोतों को रिहा किया गया है।

अमरीका के बाजार में भारतीय पेय

3747. श्री राम कापसे : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांच भारत निर्मित उष्णकटिबंधीय फल पेय जिनका वितरण अमरीका की एक कंपनी (प्योर एण्ड नेचुरल इनकार्पोरेटेड) अमेरिका के बाजार में पहुंच गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस कारोबार में कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गयी ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : जी हां।

(ख) और (ग) मैसर्स पेप्सी फूड्स ने अप्रैल, 1994 के शुरू तक 7,30,000 अमरीकी डालर मूल्य के आम, अनानास, अमरूद, ऊष्णकटिबंधीय और अन्य मिश्रित फल पेयों का निर्यात किया है जिनका वितरण अमरीका में मैसर्स प्योर एण्ड नेचुरल इनकार्पोरिटेड द्वारा किया गया है।

कोलार स्वर्ण क्षेत्र

3748. श्री एम.जी. रेड्डी :

श्री सुशील चन्द्र वर्मा :

क्या **खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश की चिगुरूगुटा और बिसनतम सोने की खानों से कोलार स्वर्ण क्षेत्रों के लिए अयस्कों की खरीद की जाती है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) इन अयस्कों की ढुलाई पर कुल कितनी धनराशि खर्च होती है ; और

(घ) कोलार स्वर्ण क्षेत्रों के लगातार घाटे को देखते हुए सरकार द्वारा इन क्षेत्रों के कर्मचारियों के लिए कौन–कौन सी पुनर्वास योजनाएं शुरू किये जाने का विचार है ?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) भारत गोल्ड माइंस लि० द्वारा पिछले तीन वर्षों में चिगारगुन्टा तथा बिसनाथम

खानों से कोलार गोल्ड फील्ड्स (के.जी.एफ) खानों में लाये गये अयस्क की कुल मात्रा तथा उस पर वहन की गयी लागत इस प्रकार है :

(अयस्क लाख टन में)
(लागत लाख रुपये में)

खान का नाम	1990-91		1991-92		1992-93	
	ढोया गया अयस्क	वहन की गयी लागत	ढोया गया अयस्क	वहन की गयी लागत	ढोया गया अयस्क	वहन कीगयी लागत
चिगारगुन्टा	52136	35.84	48030	26.15	48730	35.13
बिसनाथम	3299	0.14	5509	0.23	9266	0.29

(घ) कम्पनी के पुनःउत्थान का मुद्दा औद्योगिक एवं वित्तीय पुर्निर्माण मंडल के पास विचारधीन है।

डाकघरों की इमारतें

3749. श्री पी. कुमारासामी : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु में कितने डाकघर किराये की इमारतों में कार्य कर रहे हैं ;

(ख) इन किराये की इमारतों पर प्रतिमाह कुल कितनी धनराशि खर्च की जा रही है ;

(ग) क्या सरकार का इन डाकघरों के लिए अपनी ही इमारतों का निर्माण करने का कोई विचार है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) तमिलनाडु में 2674 डाकघर किराए के भवनों में कार्य कर रहे हैं।

(ख) किराए पर लिए गए भवनों के किराए के रूप में प्रतिमाह लगभग 14,80,000 रु. अदा किए जा रहे हैं।

(ग) जी हां।

(घ) किराए के भवनों में कार्य कर रहे 110 डाकघरों के लिए विभागीय भवनों के निर्माण को मंजूरी दी जा चुकी है।

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड का इक्विटी आधार

3750. श्री एस.एम. लालजान बाशा : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड ने अपना इक्विटी आधार घटाने की अनुमति देने का आग्रह किया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड का छोटा इक्विटी आधार इसे संसाधनों के लिए खुले बाजार पर पूर्णरूप से निर्भर रखेगा ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) चूंकि "सेल" को अगले कुछ वर्षों में सरकार से बजटीय सहायता के बिना लगभग 15,000 करोड़ रुपए के पूंजीगत व्यय का निधियन करना है अतः अपेक्षित संसाधन जुटाने के लिए "सेल" को काफी हद तक पूंजी बाजार पर निर्भर रहना अपरिहार्य होगा। पूंजी बाजार में सफलतापूर्वक धन जुटाने के लिए भावी निवेशकों को प्रतिस्पर्धा दर पर लाभ उपलब्ध कराना आवश्यक है। इसके लिए कम्पनी को अपने प्राचलों जैसे लाभांश दर, शेयरों की निवल परिसम्पत्ति मूल्य आदि में सुधार करना होगा जो पूंजीगत साम्या की पुनर्संचना से ही संभव है।

(घ) इस संबंध में इस्पात मंत्रालय "सेल" की चिन्ता से सहमत है, तथापि, इस प्रस्ताव के संबंध में अन्तिम निर्णय सभी संगत घटकों पर विचार करने के बाद ही लिया जाएगा।

पाकिस्तान को एफ-16 विमानों की आपूर्ति हेतु अमरीकी प्रस्ताव

3751. श्री श्रीकान्त जेना :

श्री मोहन सिंह (देवरिया) :

श्री मनोरंजन भक्त :

श्री बारे लाल जाटव :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को परमाणु हथियार छोड़ने की प्रणाली युक्त एफ–16 लड़ाकू विमानों की पाकिस्तान को आपूर्ति करने हेतु अमरीकी प्रस्ताव की जानकारी है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्री आर.एल. भाटिया) : (क) जी, हां।

(ख) अमरीका की सरकार का प्रैसलर संशोधन में केवल एक बार ढील देकर पाकिस्तान को 38 एफ-16 विमान तथा अन्य सैनिक उपकरण हस्तान्तरित करने का प्रस्ताव है जिसके बदले में पाकिस्तान अपनी नाभिकीय क्षमताओं पर रोक लगाएगा जिसका सत्यापन किया जा सकेगा। सरकार ने अमरीका की सरकार को इस प्रस्ताव के बारे में अपनी चिन्ता से अवगत करा दिया है जिसमें इस तथ्य पर प्रकाश डाला है कि इससे विश्वास निर्माण तथा तनाव कम करने के लिए भारत–पाकिस्तान द्विपक्षीय बातचीत कमजोर हो जाएगी और भारत अपनी रक्षा क्षमताओं का पुनः मूल्याकंन करने को बाध्य हो जायेगा।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग

3752. श्री चिन्मयानन्द स्वामी : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों के कुछ निर्माणक्रार्यों का निजीकरण किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इन गैर–सरकारी संगठनों के नाम क्या हैं, जिन्हें यह कार्य सौंपा जायेगा ; और

(ग) इस प्रक्रिया को कब तक पूरा किये जाने की संभावना है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (ग) उत्तर प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण, रख–रखाव और बाईपासों, पुलों तथा एक्सप्रैसवेज के लिए शुल्क पर आधारित सुविधाओं के प्रचालन के लिए सरकार अनिवासी भारतीयों सहित निजी क्षेत्र को शामिल करने पर विचार कर रही है। चूंकि इस प्रस्ताव हेतु मुख्य कार्य विधियों को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है, इसलिए अभी से उत्तर प्रदेश सहित किसी भी राज्य की स्थिति के बारे में विशिष्ट रूप से बताना संभव नहीं है।

[अनुवाद]

डाकघर

3753. श्री अर्जुन चरण सिंह : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र में वर्ष 1994 के दौरान आज तक कुल कितनी विभागेत्तर (ई.डी.) शाखाएं/उप डाकघर खोले गये ;

(ख) इन्हें मंजूरी देने और चालू करने के लिए अपनाये गये मानदंडों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उड़ीसा राज्य में 1994 में खोले जाने के लिए मंजूर की गयी विभागेत्तर शाखाओं तथा उप डाकघर का ब्यौरा क्या है और वे कहां–कहां पर खोले गये हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) प्रत्येक सर्किल में 31.3.94 की स्थिति के अनुसार खोले गए अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघरों/उप–डाकघरों की कुल संख्या संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ख) डाकघर खोलने के लिए ऐसी मंजूरी तथा डाकघर चालू करने के लिए अपनाए गए मानदंडों का विवरण संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ग) जहां तक उड़ीसा राज्य का संबंध है, उसमें मंजूर किए गए अतिरिक्त विभागीय शाखा

डाकघरों तथा उप–डाकघरों का विवरण, उनके स्थानों के नाम सहित संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

विवरण-I

प्रत्येक सर्किल में दिनांक 1.1.94 से 31.3.94 तक खोले गए अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघरों/उप डाकघरों की संख्या का ब्यौरा

क्रम सं.	सर्किल का नाम	अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर	विभागीय उप-डाकघर
1.	आंध्र प्रदेश	शून्य	2
2.	असम	शून्य	शून्य
3.	बिहार	24	8
4.	दिल्ली	शून्य	5
5.	गुजरात	2	2
6.	हरियाणा	शून्य	5
7.	हिमाचल प्रदेश	30	2
8.	जम्मू एवं कश्मीर	5	शून्य
9.	कर्नाटक	शून्य	3
10.	केरल	शून्य	2
11.	महाराष्ट्र	7	4
12.	मध्य प्रदेश	1	5
13.	उत्तर पूर्व	11	3
14.	उड़ीसा	8	3
15.	पंजाब	शून्य	6
16.	राजस्थान	शून्य	5
17.	तमिलनाडु	2	4
18.	उत्तर प्रदेश	41	13
19.	पश्चिम बंगाल	21	5
	कुल :	152	77

विवरण-II

ग्रामीण क्षेत्रों में नए डाकघर खोलने के लिए निर्धारित मानक/मानदंड

(i) जनसंख्या :

(क) सामान्य क्षेत्रों में : एक ग्राम–समूह (जिसमें वह गांव भी शामिल है, जहां डाकघर खोलने का प्रस्ताव है) की जनसंख्या 3000

(ख) पहाड़ी, जनजातीय, रेगिस्तानी तथा दुर्गम इलाकों में : किसी एक अकेले गांव की जनसंख्या 500 या एक ग्राम–समूह की जनसंख्या 1000

(ii) दूरी :

(क) सामान्य क्षेत्रों में : मौजूदा नजदीकी डाकघर से कम से कम 3 कि.मी. की दूरी होनी चाहिए।

(ख) पहाड़ी, जनजातीय, रेगिस्तानी तथा दुर्गम इलाकों में : पहाड़ी इलाकों को छोड़कर दूरी की सीमा वही होगी जो ऊपर दी गई है। निदेशालय द्वारा उन मामलों में न्यूनतम दूरी की सीमा में छूट दी जा सकती है जहां विशेष परिस्थितियों के आधार पर ऐसी छूट अपेक्षित है। प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय इन परिस्थितियों का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए।

(iii) अनुमानित आय :

(क) सामान्य क्षेत्रों में : न्यूनतम अनुमानित आय लागत का 33½ प्रतिशत होनी चाहिए।

(ख) पहाड़ी, जनजातीय, रेगिस्तानी तथा दुर्गम इलाकों में : न्यूनतम अनुमानित आय लागत का 15 प्रतिशत होनी चाहिए।

शहरी क्षेत्रों में नए डाकघर खोलने के लिए निर्धारित मानक/मानदंड

(i) आरंभ में, डाकघर को आत्मनिर्भर होना चाहिए, किन्तु प्रथम वार्षिक पुनरीक्षा के समय इससे 5 प्रतिशत लाभ होना चाहिए ताकि इसे आगे भी चालू रखा जा सके।

(ii) दो डाकघरों के मध्य की न्यूनतम दूरी बढ़ाकर, 20 लाख तथा उससे अधिक की जनसंख्या वाले शहरों में अब 1.5 कि.मी. तथा अन्य शहरी क्षेत्रों में 2 कि.मी. कर दी गई है। तथापि, कोई भी दो वितरण डाकघर परस्पर 5 कि.मी. से अधिक निकट नहीं होंगे। इसके अतिरिक्त, एक वितरण डाकघर में कम से कम 7 पोस्टमैन बीट्स होनी चाहिए।

(iii) शहरी क्षेत्रों में कोई अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर नहीं खोला जाएगा।

(iv) सर्किलाध्यक्षों को 10 प्रतिशत मामलों में दूरी की शर्त में छूट देने का अधिकार होगा।

(v) सभी मामलों में वित्त मंत्रालय का अनुमोदन प्राप्त किया जाता है।

परियोजना क्षेत्र/औद्योगिक क्षेत्र तथा उपनगर/आस–पास के उपनगर/विकासात्मक कार्य योजना के अन्य क्षेत्र।

(i) इस स्कीम के अंतर्गत परियोजना क्षेत्रों, नए औद्योगिक क्षेत्रों व उपनगरों, शहरों/शहरी समूह की बाह्य–परिधि में बनी बस्तियों और अन्य एसी बस्तियों जो राज्य तथा केन्द्रीय सरकार के विभागों तथा एजेंसियों के योजना कार्यकलापों के अनुसरण में नए क्षेत्रों के रूप में सामने आई हैं, उनमें विभागीय उप–डाकघर खोलना शामिल हैं।

(ii) इस स्कीम के तहत विभागीय उप–डाकघर खोलने के लिए आवश्यक पद, वित्त मंत्रालय के व्यय–विभाग के सचिव के अनुमोदन से सृजित किए जाएगें।

(iii) जि . प्रस्तावों में न्यूनतम अनुमानित कार्य 5 घंटे का है, केवल उन्हीं प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा।

(iv) घाटे की अनुमत सीमा प्रति/उप–डाकघर प्रतिवर्ष 2400/- रु. (सामान्य ग्रामीण क्षेत्रों में) तथा 4800/- रुपये (पहाड़ी, पिछड़े तथा जनजातीय क्षेत्रों में) होगी।

डाकघर खोलना, उपयुक्त स्थान की उपलब्धता तथा अतिरिक्त विभागीय एजेंटों की भर्ती पर निर्भर करता है।

विवरण-III

उड़ीसा में वर्ष 1993-94 के दौरान मंजूर किए गए अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर तथा उप–डाकघरों का उनके स्थानों के नाम सहित ब्यौरा

क्रम सं.	अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर का नाम		
1.	अरिकिली	13.	दालाबेडा
2.	आउनली	14.	डेरा
3.	बडाबफल	15.	जडीछतर
4.	बदानुआगांव	16.	कजूरी
5.	बालीगोराडा	17.	कल्याणपुर
6.	बिरिकोटे	18.	कांडेरी
7.	बारेहीपानी	19.	कुमारीपारी
8.	बेगुनिया	20.	कुमुली
9.	चट्टीगुडा	21.	डायसिंग
10.	चिकटामाटी	22.	माझीपाड़ा
11.	चिपाकाह	23.	मादकांड़ेल
12.	चिताला	24.	मारलांग

25.	नुआडिही	34.	संकरापोश
26.	नौगांव	35.	सिलिटिया
27.	परचीपाड़ा	36.	स्मिलिसानी
28.	पोकारी	37.	सिरेई
29.	पुरूजोडा	38.	सिरमास्का
30.	राघवपुर	39.	सोडा अरि
31.	रायघाटी	40.	टाहर
32.	रानीदुमार	41.	टलसारा
33.	सलगांव	42.	टिकनगिरि

उप-डाकघर का नाम

1.	बोडेन	3.	डुमडुमा
2.	दीपशिखा	4.	निमालो

पाकिस्तानी संकल्प का सउदी अरब द्वारा सह प्रायोजन

3754. श्री मोहन रावले : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सउदी अरब संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग का सदस्य न होते हुए भी जेनेवा में पाकिस्तानी संकल्प का सह–प्रायोजक बन गया था ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.एल. भाटिया) : (क) और (ख) इस संकल्प का सह–प्रायोजन सऊदी अरब और बोस्निया ने किया था। सरकार ने संबंधित देशों के समक्ष अपनी निराशा व्यक्त कर दी है।

मद्रास के चारों ओर रिंग रोड का निर्माण

3755. डा० (श्रीमती) के.एस. सौन्द्रम : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास व उसके आसपास से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों को रिंग रोड से जोड़ने के लिए लिंक रोड बनाये जाने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (ग) जी नहीं। तथापि, रा.रा. 45 और रा.रा. 4 को जोड़ने वाले मद्रास बाई पास के लिए भूमि अधिग्रहण का कार्य प्रगति पर है।

कोचीन पत्तन न्यास

3756. श्री रमेश चेन्नित्तला : क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन पत्तन न्यास के कार्यकरण को कारगर बनाने का कोई विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) कोचीन पत्तन न्यास की कार्य प्रणाली को सरल और कारगर बनाने के लिए सरकार के विचारधीन ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली में सार्वजनिक टेलीफोन

3757. श्री गोविन्द चन्द्र मुन्डा : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाप्रबंधक (पूर्व), महानगर टेलीफोन निगम लि. के कार्यालय में सांसदों की अनुसंशाओं पर लगाये जाने वाले पब्लिक टेलीफोनों के अनेकों मामले लंबित हैं ;

(ख) यदि हां, तो पिछले छः माह से लंबित टेलीफोनों का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इन लम्बित मामलों को शीघ्रता से निपटाने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सदन पटल पर रख दी जाएगी।

क्षेत्रीय समाचार बुलेटिन

3758. श्री बसुदेव आचार्य : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दूरदर्शन पर दोपहर तथा रात्रि को क्षेत्रीय समाचार बुलेटिन का प्रसारण शुरू करने का है ;

(ख) यदि हां, तो कब तक ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) संसाधनों और जनशक्ति संबंधी बाध्यताओं के कारण।

सोमालिया में पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा साम्प्रदायिकता भड़काना

3759. डा० कृपासिन्धु भोई : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सोमालिया में तैनात पाकिस्तानी सैनिक साम्प्रदायिक भावनाएं भड़का रहे हैं और वहां तैनात भारतीय सैनिकों को इसके लिए दोषी ठहरा रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार ने पाकिस्तान के नापाक इरादों को विफल करने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.एल. भाटिया) : (क) तथा (ख) सरकार को इस आशय की रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं कि सोमालिया में पाकिस्तानी सिपाही साम्प्रदायिक भावनाओं को भड़का रहे हैं और इसके लिए वहां तैनात भारतीय सिपाहियों को दोषी ठहरा रहे हैं। इसे संयुक्त राष्ट्र में समुचित प्राधिकारियों के ध्यान में लाया गया है और उनसे अनुरोध किया गया है कि वे इस प्रकार की गतिविधियों को रोकने के लिए आवश्यक कार्यवाही करें।

राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए विश्व बैंक सहायता

3760. डा० असीम बाला : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने देश में राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण हेतु धन दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए निर्धारित शर्तें क्या हैं ;

(ग) यह परियोजना किन-किन राज्यों में शुरू की जा रही है ; और

(घ) इन परियोजनाओं में इच्छुक राज्यों के लिए निर्धारित किए गए निदेश पदों का ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (ग) जी हां। पंजाब, हरियाणा, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा पश्चिम बंगाल, राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए विश्व बैंक के साथ उनकी ऋण और उधार की सामान्य शर्तों पर 306 मिलियन अमेरिकी डालर की ऋण सहायता के एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। ऋण की समाप्ति तारीख 30.6.2001 है और मूलधन को सितम्बर, 1997 से प्रारम्भ होकर 1 मार्च, 2012 तक की अवधि में वापस दिया जाना है। सितम्बर, 2002 से शुरू होकर 1 मार्च, 2027 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान उधार के हिस्से को वापस लौटाया जाना है।

(घ) राज्यीय सड़कों के विकास के लिए राज्यों से प्राप्त परियोजना प्रस्तावों को वित्त मंत्रालय के जरिए विश्व बैंक प्राधिकारियों को भेजा जाता है और बैंक के मूल्यांकन मिशन द्वारा परियोजनाओं की सक्षमता पर स्वीकृति और ऋण सहायता के लिए विचार किया जाता है।

[हिन्दी]

दूरदर्शन पर कार्यक्रम

3761. श्रीमती शीला गौतम :

श्री राजेश कुमार :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान श्रेणी "क" के कितने कार्यक्रमों को श्रेणी "ख" के अंतर्गत प्रसारित किया गया है ;

(ख) क्या इसके कारण दूरदर्शन को भारी घाटा हुआ है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है, ऐसी अनियमितताओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

[अनुवाद]

भारत में आतंकवादियों को पाकिस्तान द्वारा दी जा रही मदद

3762. श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :

श्री डी. वेंकटेश्वर राव :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 14 फरवरी, 1994 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "पाकिस्तान हैड कैम्स फार टेरेरिस्ट्स--एक्स सी.आई.ए. आफिशियल" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) क्या इस बात की जानकारी मिली है कि पाकिस्तान ने पंजाब तथा जम्मू और कश्मीर में गड़बड़ी फैलाने के लिए आतंकवादियों को प्रशिक्षण देने हेतु अपनी सीमा में शिविर स्थापित किए थे ; और

(घ) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.एल. भाटिया) : (क) से (घ) सरकार ने जम्मू तथा कश्मीर और पंजाब के आतंकवादियों के लिए पाकिस्तान में प्रशिक्षण शिविरों की मौजूदगी के संबंध में हिन्दुस्तान टाइम्स के 14 फरवरी, 1994 के अंक में प्रकाशित खबरें देखी हैं।

सरकार को यह जानकरी है कि भारत के विरूद्ध विघटन और आतंकवाद को पाकिस्तान के समर्थन में पाकिस्तान में मौजूद शिविरों में उग्रवादियों को प्रशिक्षण देना भी शामिल है।

सरकार पाकिस्तान को कई अवसरों तथा सभी स्तरों पर जोर देकर यह कहती रही है कि वह विघटन और आतंकवाद को अपना समर्थन देना बन्द करे। सरकार आतंकवाद को पाकिस्तान द्वारा दिए जा रहे समर्थन में निहित खतरों से अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय को भी अवगत कराती रही है। सरकार पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद को समर्थन देने के प्रतिकार के लिए सभी आवश्यक उपाय करने और राष्ट्र की एकता और अखण्डता की सुरक्षा करने के लिए कृत संकल्प है।

[हिन्दी]

तहसील मुख्यालयों को दूरदर्शन रिले केन्द्रों से जोड़ना

3763. श्री भेरूलाल मीणा : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में तहसील मुख्यालयों को दूरदर्शन रिले केन्द्रों से जोड़ने हेतु अपनाई गई नीति का ब्यौरा क्या है ;

(ख) उदयपुर जिले के तहसील मुख्यालय दूरदर्शन रिले केन्द्रों से कब तक जोड़ दिये जायेंगे ;

(ग) क्या सरकार ने दूरदराज के आदिवासी और पहाड़ी क्षेत्रों को दूरदर्शन से जोड़ने संबंधी कोई नीति बनाई है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) और (ख) क्योंकि दूरदर्शन के उपग्रह संकेत देश के सभी भागों में उपलब्ध हैं इसलिए उदयपुर जिले सहित स्थलीय टी.वी. कवरेज को इस उद्देश्य के लिए संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जा रहा है।

(ग) और (घ) जी, हां। जितना शीघ्र सम्भव हो सके उतनी शीघ्रता से पहाड़ी, दूरदराज तथा जनजातीय क्षेत्रों को स्थलीय टी.वी. कवरेज उपलब्ध करवाने का दूरदर्शन का प्रयास है। देश में भिन्न-भिन्न शक्तियों के 210 टी.वी. ट्रांसमीटर कार्यान्वयनाधीन/स्थापित किए जाने के लिए परिकल्पित हैं।

[अनुवाद]

बंगला देश में भारतीय अन्तः क्षेत्र में भारतीय नागरिक

3764. श्री शिवलाल नागजीभाई वेकारिया :

श्री अमर रायप्रधान :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत और बंगलादेश के बीच अंतः क्षेत्रों के आदान-प्रदान के संबंध में क्या कदम

उठाए गए हैं और इसमें कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) क्या बंगला देश में भारतीय अंतः क्षेत्रों में एक लाख से अधिक भारतीय नागरिक कानून और व्यवस्था, प्रशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य की देख–भाल, पंचायतों, संसद, विधानसभा के निर्वाचनों, मताधिकार आदि जैसी किसी प्रकार की सुविधाओं के बगैर रह रहे हैं ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.एल. भाटिया) : (क) सरकार भारत–बंगलादेश भू–सीमा करार, 1974 के प्रावधानों के पूर्ण कार्यान्वयन के प्रति उसकी वचनबद्धता दोहराती है। भारत और बंगलादेश के बीच एन्क्लेवों के आदान–प्रदान का प्रश्न विचारधीन है।

(ख) सरकार के पास इन एन्क्लेवों में आबादी के विश्वसनीय आंकड़े नहीं हैं, जो हमारे प्रशासनिक नियंत्रण में कारगर रूप से नहीं हैं। कानून एवं व्यवस्था, प्रशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य की देखभाल आदि जैसी सुविधाएं बंगलादेश की सरकार दीर्घावधि में प्रदान करेंगी।

(ग) 1974 के करार के प्रावधानों के अनुसार भारत के आदान–प्रदान किए जाने वाले एन्क्लेवों को बंगलादेश में और बंगलादेश के आदान–प्रदान किए जाने वाले एन्क्लेवों को भारत में मुआवजे के किसी दावे के बिना मिला लिया जाना है। इस मामले में शीघ्र प्रगति करने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं।

म्यानमार में सांस्कृतिक शिष्ट मंडल

3765. श्री राम प्रसाद सिंह : क्या विदेश मंत्री के 9 अगस्त, 1993 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2185 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को म्यानमार में सांस्कृतिक शिष्ट मंडल भेजने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.एल. भाटिया) : (क) से (ग) जी हां। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद को एक लोक नृत्य/संगीत मंडली म्यांमा भेजने के लिए भारत का राजदूतावास यांगोन से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

म्यामां प्राधिकारियों ने उसके बाद हमारे राजदूत को यह सूचित किया है कि भारत से एक सांस्कृतिक दल की मेजबानी करने के विषय पर वे उनसे पुनः सम्पर्क करेंगे। म्यांमा प्राधिकारियों की ओर से एक औपचारिक उत्तर की प्रतीक्षा है।

म्यामां की ओर से सकारात्मक जवाब मिलने पर भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, भारत का राजदूतावास, यांगोन से प्राप्त प्रस्ताव पर कार्यवाही करेगी।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 को चौड़ा करना

3766. **श्री गिरधारी लाल भार्गव** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली से जयपुर और जयपुर से अजमेर तक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 को चार लेनों वाला बनाने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ स्वीकृत कुल धनराशि में से अब तक कितनी धनराशि इस पर व्यय की गई है ;

(ग) अब तक कितना कार्य पूरा हो गया है ;

(घ) क्या सरकार का विचार इन सड़कों के दोनों तरफ फलदार और छायादार वृक्ष लगाने का है ;

(ङ) यदि हां, तो यह कार्य कब से शुरू कर दिया जाएगा ; और

(च) चार लेनों वाली सड़क के रखरखाव के लिए क्या प्रबंध किए जायेंगे ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) दिल्ली से जयपुर तक चार लेन का राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 8 बनाने का प्रस्ताव है। जयपुर–अजमेर खंड में लेन बनाने का कार्य आठवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल नहीं किया गया है।

(ख) तथा (ग) कोटपुतली–जयपुर खंड में चार लेन बनाने के लिए 102.12 करोड़ रु. की संस्वीकृत राशि में से अभी तक 31.57 करोड़ रु. खर्च किए जा चुके हैं। 15 कि.मी. लम्बा कार्य पूरा हो गया है और शेष 71 कि.मी. में कार्य किया जा रहा है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) चार लेन की सड़क का रख–रखाव, राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए रख–रखाव और मरम्मत के लिए आबंटित निधियों में से किया जायेगा।

[अनुवाद]

कर भुगतान के पश्चात लाभ

3767. **श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरसंचार आयोग ने वित्त मंत्रालय को एक प्रस्ताव भेजा है जिसमें कुल साम्य पूंजी पर कर भुगतन के पश्चात 16 प्रतिशत देना सुनिश्चित करने और निवेश–कर्ताओं को 10 वर्ष

तक कर–भुगतान से मुक्ति प्रदान करने का प्रस्ताव किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार इन सिफारिशों से सहमत हो गई हैं ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) और (ख) निवेशकर्ताओं को इक्विटी पर कर का भुगतान करने के पश्चात 16% लाभांश देने और 5 वर्ष तक कर भुगतान से मुक्ति देने संबंधी प्रस्तावों पर विचार किया गया, लेकिन यह विचार छोड़ दिया गया है।

(ग) और (घ) उपर्युक्त भाग (क) और (ख) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए, प्रश्न नहीं उठता।

मध्य प्रदेश में बिना बारी के टेलीफोन कनेक्शन

3768. श्री भीम सिंह पटेल : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में गत तीन वर्षों के दौरान बिना बारी के कुल कितने टेलीफोन कनेक्शन दिये गये ; और

(ख) तत्संबंधी संवर्गवार ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान बिना बारी आधार पर 2610 टेलीफोन कनेक्शन प्रदान किए गए थे।

(ख) विशेष श्रेणी के अंतर्गत एक टेलीफोन कनेक्शन के सिवाए सभी कनेक्शन सामान्य श्रेणी के अंतर्गत प्रदान किए गए थे।

[अनुवाद]

बंगलौर में ए.टी. एंड टी फैक्ट्री

3769. डा० राजागोपालन श्रीधरन : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलोर में मैसर्स ए.टी. एंड टी. फैक्ट्री द्वारा किसी स्विचिंग फैक्ट्री की स्थापना की जा रही है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी उत्पादन क्षमता सहित ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) इस संबंध में सरकार को कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) ऊपर भाग (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए, प्रश्न नहीं उठता।

मास्को घोषण

3770. श्री मनोरंजन भक्त :

श्री बापू हरि चौरे :

डा० वाई.एस. राजशेखर रेड्डी :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस और अमेरिका ने जनवरी, 1994 की मास्को घोषणा द्वारा प्लूटोनियम तथा अन्य विखण्डनीय पदार्थों का उत्पादन बन्द करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाने का संयुक्त रूप से सुझाव दिया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार ने इस संबंध में क्या विचार व्यक्त किये हैं ; ,

(ग) क्या उनके द्वारा जारी संयुक्त वक्तव्य में भारत को उन देशों में गिनाया गया है जो नाभिकीय अस्त्रों का प्रसार कर रहे हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.एल. भाटिया) : (क) और (ख) संयुक्त राज्य अमरीका और रूसी परिसंघ के राष्ट्रपतियों ने 14 जनवरी, 1994 को संयुक्त रूप से मास्को घोषणा जारी की जिसमें अन्य बातों के अलावा यह कहा गया है कि "दोनों राष्ट्रपतियों ने इस बात को दोहराया कि वे अस्त्रों के लिए विखण्डनीय सामग्री का उत्पादन बंद करने का समर्थन करते हैं। यह प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र महासभा के 47 वें सत्र में सर्व सम्मति से पारित संकल्प की पुनः पुष्टि है जिसमें नाभिकीय अस्त्रों और अन्य विस्फोटक उपकरणों के लिए विखण्डनीय सामग्री को बंद करने के लिए एक सार्वभौम और भेदभाव–रहित अभिसमय सम्पन्न करने की मांग की गई है और इस प्रस्ताव को अमरीका तथा भारत सहित 26 देशों ने सह–प्रायोजित किया था।

(ग) और (घ) मास्को घोषणा में दोनों राष्ट्रपतियों ने सामूहिक विनाश के अस्त्रों और उनकी सुपुर्दगी के साधनों को अप्रसार के बारे में एक संयुक्त वक्तव्य दिया जिसमें उन्होंने सभी देशों से अनुरोध किया कि वे नाभिकीय अप्रसार संधि को अंगीकार करें। दोनों नेताओं ने यह भी कहा कि उन प्रयासों का समर्थन किया जाए जिनका उद्देश्य एक ऐसे बहु–पक्षीय मंच की स्थापना के संबंध में सहमति जुटाना है जिसका कार्य अप्रसार में शस्त्र नियंत्रण के क्षेत्र में ऐसे उपायों पर विचार करना हो जिसे दक्षिण एशिया की सुरक्षा को मजबूत किया जा सकता हो। उन्होंने भारत और पाकिस्तान से अनुरोध किया कि वे नाभिकीय शस्त्र परीक्षण विस्फोटों पर रोक लगाने संबंधी संधि और उस प्रस्तावित अभिसमय पर बातचीत में शामिल हों और उनके मूल पक्षकार बने जिसका उद्देश्य नाभिकीय विस्फोटों के लिए विखण्डनीय सामग्री के उत्पादन पर प्रतिबंध लगाना और एक–दूसरे के प्रदेशों में सामूहिक विनाश के शस्त्र छोड़ने की क्षमता रखने वाले प्राक्षेपिक प्रक्षेपास्त्र तैनात करने पर रोक लगाना है। भारत का विश्वास है कि इस घोषणा और इनकी अपील से वे लक्ष्य ध्वनित होते हैं जिनका उल्लेख मई/जून, 1988 में निरस्त्रीकरण को समर्पित संयुक्त राष्ट्र महासभा के तीसरे विशेष सत्र में भारत

द्वारा प्रस्तुत कार्य योजना में है। सरकार को उम्मीद है कि इस व्यापक परीक्षण प्रतिबंध के लक्ष्यों पर प्रारम्भ में विखण्डीनीय सामग्री के उत्पादन और वितरण को नियंत्रित करके और अन्ततः इसके उत्पादन पर प्रतिबन्ध लगाकर, एक ऐसी निर्धारित समय–सीमा के अन्दर शीघ्र कार्यवाही की जानी चाहिए जो अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय के सभी सदस्यों पर लागू हो। भारत इस नाभिकीय अप्रसार संधि पर इसके वर्तमान रूप में सदस्यों पर लागू हो। भारत इस नाभिकीय अप्रसार संधि पर इसके वर्तमान रूप में हस्ताक्षर नहीं कर सकता क्योंकि इसका स्वरूप भेदभाव–पूर्ण है। भारत ने मांग की है कि नाभिकीय अप्रसार पर नये सिरे से मतैक्य होना चाहिए।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश और बिहार की विद्युत परियोजनाएं

3771. श्री अर्जुन सिंह यादव :

श्री तेज नारायण सिंह :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश और बिहार में निर्माणाधीन विद्युत परियोजनाएं कौन–कौन सी हैं और इनकी अनुमानित विद्युत क्षमता कितनी है ;

(ख) इन परियोजनाओं को पूरा करने हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किए गये हैं और प्रत्येक विद्युत परियोजना के लिये कितना आबंटन किया गया है ; और

(ग) इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) से (ग) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

उत्तर प्रदेश में क्रियान्वयनाधीन स्वीकृत/चालू जल-विद्युत परियोजनाएं

क्रम सं.	परियोजना का नाम	क्षमता	अनुमानित लागत (करोड़ रुपए) वास्तविक लागत नवीनतम लागत	चालू करने का कार्यक्रम वास्तविक नवीनतम	निधियों का आबंटन (करोड़ रुपए) 8वीं योजना 1994-95 (डब्ल्यू. के.जी.पी)	स्थिति
I.	केन्द्रीय क्षेत्र की स्वीकृत/ चालू स्कीमें					
	धौलीगंगा (एन.एच.पी.सी.)	4x70 280 एम.यू	601.99 854.79	1998-99 2000.01	400 39	आधारभूत कार्य और निर्माण–पूर्व जांच पड़ताल प्रगति पर है। परियोजन निधियों की कमी का सामना कर रही है।
II.	संयुक्त क्षेत्र					
	टिहरी स्टे. I	4x250 1000 एम.यू	197.92 के लिए (4x150 एम.यू) 2815.0 के लिए (4x250 एम.यू)	1981-82 1997.99	1419.71 288.00	तत्कालीन सोवियत संघ द्वारा अनुदान/ऋण रद्द कर दिया गया है। इस परियोजना का कार्य निष्पादन अब घरेलू निधियों से कराए जाने का प्रस्ताव रखा गया है। परियाजना, निधियों की कमी, विस्थापितों का पुनर्वास और सरकार द्वारा परियोजना पर रोक लगाना आदि समस्याओं का सामना कर रही है।

3.	राजघाट (यू.पी/एम.पी)	3x15=45	37.47	1995-96	87.84	सभी निर्माण कार्य दिए जा चुके हैं और
	ललित पुर		102.88	1995-97	50	प्रगति पर हैं। पैनस्टाक स्थापित किए जा चुके हैं। विद्युत गृह से संबंधित गढ़ा खोदा जा चुका है वी.एच.ई.एल, नागपुर से उत्पादन यूनिटों के उत्थापन/चालू करने से संबंधित प्रस्ताव पर अभी अंतिम निर्णय लिया जाना है।
ाज्य क्षेत्र						
	मनेरी भाली -II	4x76	82.63	1989-90	370	सभी मुख्य सिविल निर्माण कार्य दिए जा
		304 एम.यू	के लिए	1998-99	52.70	चुके हैं और प्रगति पर हैं। परियोजना
			2x52 एम.यू			संबंधी निर्माण कार्य निधियों की कमी और
			614.28			अनुचित परिव्यय के कारण समस्याओं से बुरी तरह से जूझ रहे हैं।
4.	श्री नगर	6x55	144.18	1991-92	500	परियोजना का वित्त पोषण विश्व बैंक द्वारा
		330 एम.यू	(के लिए 200 एम.यू)	1996-98	शून्य	किया गया था। उत्तर प्रदेश रा.बि. बोर्ड ब्याज
			(के लिए 330 एम.यू)	9वीं योजना में अग्रेषण		की दर 3% सुनिश्चित न किए जाने के कारण
			592.45			विश्व बैंक ऋण दिनांक 28.2.92 को रद्द कर दिया गया था। परियोजना प्राधिकारियों द्वारा इस परियोजना का कार्य निष्पादन निजी क्षेत्र की भागीदारी द्वारा करा जाने पर विचार किया जा रहा है।

6.	लखवार घासी	3x100+2x60	140.97	1989-90	450	सभी मुख्य सिविल निर्माण कार्य दिए जा चुके हैं, लखवार बांध काम्प्लैक्स (3x100 मे.वा.) के लिए नदी व्यपवर्तन संबंधी कार्य पूरे किए जा चुके हैं और बांध के सिविल निर्माण–कार्य, विद्युत–गृह, कैवरन और टेल रेम सुरंग संबंधी कार्य प्रगति पर है।
		60=420 एम.यू	922	1999-2000	5	
7.	सोबला	2x3=6 एम.यू	7.47	1993-94	6.72	सभी सिविल निर्माण और विद्युत संबंधी कार्य प्रगति पर है। सभी टी.सी. उपस्करों की आपूर्ति अप्रैल, 1994 तक की जानी है। लगभग 70 प्रतिशत कार्य मुख्य कार्य और तलहटी से गाद निकालने का कार्य पूरा हो चुका है। विद्युत चैनल लगभग पूरा हो चुका है।
			15.98	1994-95	4	

बिहार में स्वीकृत/चालू जल-विद्युत परियोजनाओं की स्थिति

क्र.सं.	परियोजना का नाम/ स्वीकृत तिथि	अधिष्ठापित क्षमता (मे.वा.)	स्वीकृत लागत नवीनतम लागत करोड़ रुपए	चालू करने का कार्यक्रम मूल/ जैसा की अब प्रत्याशित है	स्थिति
1.	**उत्तरी कोर** 10.3.84	2x12=24	21.94 37.59	1987-88 1994-95	बिहार सरकार के सिंचाई विभाग द्वारा उत्तरी कोल बांध का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है। पेनस्टाक का जारी किया जाना छोड़ दिया गया है। अंडर सलपूसिंस और स्पिलेंव गेट उत्थापित किए जाने हैं। एच.एस.सी.एल. द्वारा इनटेक संरचना समाप्त की जा चुकी है। पेनस्टाक और पी.एच संबधी खुदाई कार्य पूरा हो चुका है। 68% पी.एच के कांरिटिंग, 90 प्रतिशत टेनल बोरिंग और 90% टी.आर. सी. की खुदाई संबंधी कार्य पूरा हो चुका है। 50% पैनस्टाक संबंधी गढ़ाई कार्य पूरा हो चुका है। बी.एच.ई. एल द्वारा टी.जी सेटों की मुख्य सप्लाई, स्थल पर प्राप्त कर ली गयी है। ई.सी.टी क्रेन प्राप्त कर ली गयी है। ई एंड एम उपस्करों के उत्थापन का कार्य मे० बंबई सबरवन, बंबई को दिया जा चुका है।
2.	**पूर्वी गंटक** 9.6.83	3x5=15	17.40 53.45	1987-88 1994.95	परियोजना के लिए आई.सी.एफ. क्रेडिट के अधीन 1.63 बिलयन येन की ऋण सहायता प्राप्त की जा चुकी है। सभी सिविल निर्माण कार्य लगभग पूरे किए जा चुके हैं। सभी उत्पादन और आलसंगिक उपस्कर, जल प्रणाली को छोडकर, स्थल पर प्राप्त किए जा चुके हैं।

3.	कोना पूर्वी केनाल 30.6.84	2x1.65=3.3	6.26 15.98	1989-90 1994-95	पी.एच. संबंधी सभी सिविल निर्माण कार्य पूरे हो चुके हैं। विद्युत चेनल संबंधी निर्माण कार्य निर्माणाधीन है, टी.आर.सी. और डी.एल.आर. पुल पूरा हो चुका है।
4.	चान्डील 14.4.87	2x4=8	12.96 23.54	1990-91 1995-96	भूमि अधिगृहीत की जा चुकी है, विद्युत गृह का खुदाई का कार्य पूरा हो चुका है। पी.एच. संबंधी सिविल निर्माण कार्य दिए जा चुके हैं और कार्य प्रगति पर है। पेनस्टाक उत्थापित किए जा चुके हैं। बी.. एच.ई.एल. को टी.जी. सेटों के लिए आदेश दिए जा चुके हैं।
केन्द्रीय क्षेत्र					
1.	कोइल कारों 14.11.91	6x172.51 1x20	1338.81 1610.87	1998-2000 1998-2001	परियोजना प्राधिकारियों ने 15253 हैक्टेयर भूमि के अधिग्रहण के लिए सभी आवश्यक कार्यवाईयां पूरी कर ली हैं। 13090 हैक्टेयर भूमि के अधिग्रहण के लिए कार्यवाई अंतिम चरण में है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा 865 हैक्टेयर वन भूमि को परियोजना के लिए अंतरित करने के लिए 1994-95 में स्वीकृति दी गई। स्थल पर जल विद्युत संबंधी आकंड़ों का एकत्रण और निर्माण संबंधी सामग्री सर्वेक्षण किए जा रहे हैं। निर्माण संबंधी गतिविधियां, परियोजना प्राधिकरण द्वारा निधियां प्राप्त करने के बाद ही आरंभ होगी।

उत्तरप्रदेश और बिहार राज्य में वर्तमान में निम्नलिखित विद्युत परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं।

परियोजना का नाम/ यूनिट	क्षमता (मे.वा.)	प्रस्तावित/ सिफारिश किया गया परिव्यय (करोड़ रुपए)	चालू करने का कार्यक्रम		स्थिति
उत्तर प्रदेश यूनिट -42					
1. अनपारा "बी" यूनिट -5	1000 मे.वा.	442	यूनिट-4	7/93	यूनिट -5
			यूनिट-5	1994-95	ब्वायलर हाइड्रोलिक परीक्षण, 30.7.93 को पूरा कर लिया गया था और ब्वायलर को 5/97 को प्रजविल्लत किए जाने की आशा है।
2. टांडा यूनिट- 4	110	35	-		निधियों की अनुपलब्धता होने के कारण कार्य बन्द है, जिसके फलस्वरूप परियोजना को चालू करने का कार्यक्रम निश्चित नहीं है।
बिहार					
1. तेनुघाट स्टे. 1 (यूनिट 1 और 2)	2x210	*146	यूनिट-1 -4/94		यूनिट -2
			यूनिट-2 -1995-96		हाइड्रोलिक परीक्षण के 5/94 को होने की प्रत्याशा है।
					मुख्य टी.जी. का उत्थापन संबंधी कार्य 10/92 में आरंभ हो गया था और टरबाईन के 5/94 तक बाक्स अप होने की प्रत्याशा है।

2.	तेनुघाट स्टे -II (यूनिट 3,4 और 5)	3x210	*1.00	1995	मुख्य संयंत्र और उपस्कर के लिए आदेश अभी दिए जाने हैं, इसलिए परियोजना को चालू नहीं किया जा सका। संसाधनों में कमी होने के कारण परियोजना पर कार्य आरंभ नहीं हो सका।
केन्द्रीय क्षेत्र					
1.	कहलगांव एस.टी.पी.पी. (यूनिट 3 और 4)	2x210	*123.49	यूनिट-3- 1994-95 यूनिट-4- 1995-96	**यूनिट -3** मुख्य टी.जी. संबंधी उत्थापन कार्य 6/93 को आरंभ हुआ और इसे 12/94 तक ब्राक्स अप किए जाने की प्रत्याशा है। सोवियत संघ के तत्कालीन आपूर्तिकर्ता से शेष सामग्री की आपूर्ति में विलंब होना। **यूनिट-4** टी.जी. संबंधी उत्थापन कार्य के 7/94 तक आरंभ होने की प्रत्याशा है।

* अनुशांति परिव्यय।

कलकत्ता में फिल्म एवं टी.वी. संस्थान

3772. श्री रूप चन्द पाल : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता में प्रस्तावित सत्यजीत राय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान के पूरा होने की कोई लक्ष्य तिथि तय की गई है ;

(ख) क्या उपरोक्त परियोजना की निगरानी का कार्य भार किसी एजेसी को सौंपा गया है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) तथा (ख) जी, हां।

(ग) इस परियोजना के वित्त वर्ष 1996-97 के दौरान पूरा किए जाने की परिकल्पना है। इस मंत्रालय के सिविल निर्माण स्कंध को इस परियोजना का कार्य निष्पादन सौंप दिया गया है, जिसके मंत्रालय द्वारा नियमित रूप से मानीटरिंग की जाती है।

आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए फ्रांस के साथ सहयोग

3773. श्रीमती दीपिका एच. टोपीवाला :

श्री महेश कनोडिया :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फ्रांस ने आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए भारत के साथ सहयोग करने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव भेजा है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.एल. भाटिया) : (क) और (ख) इस समय भारत तथा फ्रांस प्रत्यार्पण करार और अपराधिक मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता से सम्बद्ध करार के परिपेक्ष्य में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए द्विपक्षीय सहयोग से सम्बद्ध एक प्रस्ताव पर विचार कर रहे हैं। फ्रांस ने इस बात पर भी सहमति व्यक्त की है कि वह आतंकवाद, औषध–द्रव्यों के गैर–कानूनी व्यापार तथा संगठित अपराध के विरूद्ध सहयोग करने के उद्देश्य से अधिकारिक स्तर पर भारत के साथ विचार–विमर्श करेगा।

दूरदर्शन द्वारा विज्ञापन दरों में वृद्धि

3774. श्री श्रवण कुमार पटेल : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन ने और अधिक विज्ञापनों को समय देने के लिए कार्यक्रमों पर आधारित

लोकप्रिय फिल्मों के लिए प्रसारण लागत में वृद्धि की है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ये परिवर्तन किन-किन कारणों से किए गए हैं;

(ग) क्या कार्यक्रम निर्माताओं ने इन निर्णयों पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त की है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) तथा (ख) कार्यक्रमों की प्रायोजकता को लागत की दृष्टि से प्रभावी तथा स्पाट खरीद को और आकर्षक बनाने के उद्देश्य से दूरदर्शन पर वाणिज्यिक विज्ञापनों की लागत संरचना को दिनांक 21.3.94 से तर्कसंगत बनाया गया है। इस प्रक्रिया में, कुछ दरों में वृद्धि की गई है तथा कुछ में कमी की गई है जबकि फिल्म आधारित कार्यक्रमों के मामले में प्रयोजकता को समाप्त तथा विज्ञापन अन्तराल को आरंभ किया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

मध्य प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक मशीनें

डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में विशेषतः मंदसौर के दूरभाष केन्द्रों में कोई नई इलेक्ट्रॉनिक मशीनें लगाये जाने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या मंदसौर में नए दूरभाष केन्द्र भवनों के निर्माण के लिए 1992 में किसी भूमि का अधिग्रहण किया गया था ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है, और

(ङ) राज्य में ऐसे भवनों का निर्माण कार्य और मशीनों का अधिष्ठापन कार्य कब तक पूरा कर लिया जाएगा ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी हां।

(ख) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) जी हां।

(घ) (I) अधिगृहीत भूमि का क्षेत्रफल एक एकड़ है। 25.8.92 को इसकी कीमत 22.41 लाख रुपये थी।

(II) यह भूमि मंदसौर के प्रधान डाकघर के पास है।

(III) भवन निर्माण के लिए 24.96 लाख रुपये की धनराशि आबंटित की गई है।

(ङ) (I) सितम्बर, 1996 तक मंदसौर में भवन बन कर तैयार होने की आशा है और टेलीफोन एक्सचेंज की संस्थापना का कार्य 1996-97 के दौरान पूरा हो जाने की संभावना है।

(II) छोटे और मध्यम क्षमता के एक्सचेंज स्थापित किए जायेंगे जो एक स्थान पर न्यूनतम दस पंजीकृत दत्त मांगों पर निर्भर करेगा। इन एक्सचेंजों को अधिकांशतः किराए के भवनों में संस्थापित किया जाएगा।

विवरण

मध्य प्रदेश में 1994-95 के दौरान संस्थापित किए जाने वाले नए टेलीफोनों का ब्यौरा।

क्र.सं.	एक्सचेंज का नाम	क्षमता (लाइनें)	
	ई -10 बी		
1.	इंदौर	10,000	
2.	भोपाल	8,000	
	नई प्रोद्योगिकी		
1.	भोपाल	10,000	ओ. सी. बी 283
2.	इंदौर	10,000	सीमेन्स
3.	इंदौर	10,000	सीमेन्स
	सी-डॉट मैक्स		
1.	गुना	2000	
2.	राजनंदगांव	2000	
3.	रीवा	2500	
4.	सतना	3500	
5.	बुरहानपुर	3500	
6.	कोरवा	2000	
7.	मंदसौर	2500	(1996-97 में स्थापित किया जाना है)

टिप्पणी : मंदसौर को छोड़कर सभी स्थानों पर भवन हैं।

लघु और मझोंले	250
क्षमता के एक्सचेंज	इन सभी स्थानों पर 10 पंजीकृत मांग पर निर्भर

केरल में दूरभाष केन्द्रों का विकास

3776. प्रो. पी.जे. कुरियन : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में विशेषतः पाटानमतिट्टा और अलेप्पी जिले में दूरभाष केन्द्रों का विकास कार्य शुरू कर दिया गया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ख) यह कब तक पूरा कर लिया जाएगा ;

(ग) इन जिलों में टेलीफोन हेतु आवेदनों का बैकलॉग क्या है ; और

(घ) बैकलॉग के निपटान में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी हां। वर्ष 1994-95 के लिए पटनमतिट्टा और अल्लेप्पी के टेलीफोन विकास कार्यक्रम का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) विस्तार कार्य 31.3.95 से पहले पूरे हो जाने की संभावना है बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध हों।

(ग) 31.3.1994 की स्थिति के अनुसार टेलीफोन कनेक्शनों की प्रतीक्षा–सूची :

पटनमतिट्टा	=	16029
अल्लेप्पी	=	17575

(घ) वर्ष 1993-94 के दौरान दोनों जिलों में प्रदान किए गए टेलीफोन कनेक्शनों की निवल संख्या इस प्रकार है :

पटनमतिट्टा	=	2658
अल्लेप्पी	=	2805

विवरण

पटनमतिट्टा गौण स्विचन क्षेत्र/जिला

1994-95 के दौरान विस्तार कार्यक्रम

1.	कुम्बानाड	–	1000 लाइनें
2.	तिरूवल्ला	–	1000 लाइनें
3.	अडूर	–	1632 लाइनें
4.	कुरियानूर	–	384 लाइनें
5.	थिगोडिकल	–	384 लाइनें
6.	पंडालम	–	1000 लाइनें
7.	वोझेन्चेरी	–	888 लाइनें

8.	मल्लापल्ली	–	552 लाइनें
9.	रानी	–	552 लाइनें
10.	इलावनथिट्टा	–	288 लाइनें
11.	कोनी	–	268 लाइनें
12.	छुंगापारा	–	184 लाइनें
13.	इडामन रानी	–	104 लाइनें
14.	कल्लूपारा	–	104 लाइनें
15.	मुरिनजाकल	–	184 लाइनें
16.	रानी–पेरीनाड	–	104 लाइनें
17.	वाडससेरीकरा	–	184 लाइनें
18.	वयालाथला	–	184 लाइनें
19.	वेछूचिरा	–	184 लाइनें
20.	छित्तर	–	80 लाइनें
	अल्लेप्पी गौण स्विचन क्षेत्र/जिला		
1.	कायमकुलम	–	1000 लाइनें
2.	अल्लेप्पी	–	1000 लाइनें
3.	छेंगानूर	–	1000 लाइनें
4.	मावेलीकारा	–	1000 लाइनें
5.	हरीपड़	–	704 लाइनें
6.	अरूर	–	552 लाइनें
7.	मन्नार	–	552 लाइनें
8.	कट्टानम	–	368 लाइनें
9.	थाईकट्टूसेरी	–	80 लाइनें
10.	त्रीकन्नापजा	–	80 लाइनें

उत्तर प्रदेश में टी.वी. ट्रांसमीटर

3777. डा० लाल बहादुर रावल : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1994-95 के दौरान सरकार का उत्तर प्रदेश के किन–किन स्थानों पर नए टी.वी. ट्रांसमीटर लगाने का विचार है ;

(ख) राज्य में स्थापित किये जाने वाले प्रत्येक टी.वी. ट्रांसमीटर की क्षमता कितनी होगी ; और

(ग) ये ट्रांसमीटर कब तक स्थापित कर दिये जायेंगे और कार्य शुरू कर देंगे ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) से (ग) अपेक्षित ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

1994-95 के दौरान उत्तर प्रदेश में स्थापित किए जाने हेतु प्रस्तावित टी.वी. ट्रांसमीटर।

क्र.सं.	स्थल	शक्ति	पूरा होने की संभावित तारीख
1.	मऊ	5 कि.वा. यू.एच. एफ.	1994-95 (चरणों में) बशर्ते उपस्करों की आपूर्ति और इस उद्देश्य के लिए अन्य आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध हों।
2.	अल्मोड़ा	100 वाट वी.एच.एफ.	
3.	ओरैया	300 वाट यू.एच.एफ.	
4.	चम्पावत	100 वाट वी.एच.एफ.	
5.	गंज दुंदवाड़ा	300 वाट यू.एच.एफ.	
6.	हल्द्वानी	100 वाट वी.एच.एफ.	
7.	कोटद्वार	100 वाट वी.एच.एफ.	
8.	महोबा	100 वाट वी.एच.एफ.	
9.	मऊ रानीपुर	100 वाट वी.एच.एफ.	
10.	मोहम्मदाबाद	300 वाट यू.एच.एफ.	
11.	नौगढ़	300 वाट यू.एच.एफ.	
12.	न्यू टेहरी	100 वाट वी.एच.एफ.	
13.	सिकन्दरपुर	100 वाट यू.एच.एफ.	
14.	रूदौली	300 वाट वी.एच.एफ.	
15.	कासगंज	100 वाट वी.एच.एफ.	
16.	कर्ण प्रयाग	100 वाट वी.एच.एफ.	

17.	नाना पाड़ा	100 वाट वी.एच.एफ.
18.	ऐटा	100 वाट वी.एच.एफ.
19.	लालगंज (जिला राय बरेली)	300 वाट यू.एच.एफ.
20.	बागेश्वर	10 वाट
21.	चमौली	10 वाट
22.	चौखटिया	10 वाट
23.	डीडीहाट	10 वाट
24.	जोशीमठ	10 वाट
25.	देवप्रयाग	10 वाट
26.	लेंस डाऊन	10 वाट
27.	प्रतापनगर	10 वाट
28.	बिनसार	10 वाट
29.	बसोट/भिखियासैन	10 वाट
30.	कल्जीखाल	10 वाट
31.	साहिया	10 वाट
32.	खेन्त परबत	10 वाट
33.	गज्जा	10 वाट
34.	फतेह परबत	10 वाट
35.	राजगढ़ी	10 वाट
36.	सिरकोट/वैकुन्ठधाम	10 वाट

दिल्ली परिवहन निगम की बसों का दुरूपयोग

3778. श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिल्ली परिवहन निगम की बसों के दुरूपयोग की जानकारी मिली है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) दोषियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है ; और

(घ) ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (ग) दिल्ली परिवहन निगम की बसों के दुरूपयोग के 9 मामले सरकार के सामने आए हैं। अपराधियों के खिलाफ निम्नलिखित कार्यवाही की गई है :

1. 4 मामलों में संबंधित व्यक्तियों को यह चेतावनी दी गई है कि वे भविष्य में सावधान रहें।

2. 3 मामलों को छोड़ दिया गया है।

3. 2 मामलों पर दिल्ली परिवहन निगम में कार्यवाई की जा रही है।

(घ) दिल्ली परिवहन निगम के प्रबंधन ने अधिकारियों और यातायात पर्यवेक्षी स्टाफ को यह अनुदेश दिए हैं कि किसी भी बस को उसके नियत रूट से केवल आपत्काल के सिवाए अथवा पुलिस प्राधिकारियों के निदेशों के बगैर नहीं बदला जाए। इन अनुदेशों का पालन न करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाई की जायेगी।

उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक टेलीफोन एक्सचेंज

3779. श्री संतोष कुमार गंगवार : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1993-94 के दौरान बरेली में 4,000 लाइनों वाला एक इलेक्ट्रानिक टेलीफ़ोन एक्सचेंज स्थापित करने का प्रस्ताव था ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अब तक क्या प्रगति की गई है ;

(ग) यह टेलीफोन एक्सचेंज कब तक पूरा और अधिष्ठापित किया जायेगा ; और

(घ) 1993-94 के दौरान उत्तर प्रदेश में स्थापित करने हेतु प्रस्तावित इसी क्षमता के अन्य इलेक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंजों का ब्यौरा क्या है और अब तक प्रत्येक मामले में क्या प्रगति हुई है और इन एक्सचेंजों को कब तक पूरा किया जायेगा ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी हां।

(ख) बरेली में डिजिटल टी.ए.एक्स से जुड़ी 4000 लाइनों की दूरस्थ लाइन यूनिट (आर.एल. यू) की संस्थापना का कार्य किया जा रहा है।

(ग) इस एक्सचेंज के दिसम्बर, 94 तक चालू हो जाने की सम्भावना है।

(घ) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

1993-94 की अवधि के दौरान निम्नलिखित स्थानों पर 4000 लाइनों के इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज लगाए जाने का प्रस्ताव था :

1. देहरादून
2. नोएडा
3. गाजियाबाद
4. कानपुर
5. वाराणसी–बेनिया बाग
6. आगरा
7. मेरठ–ब्रह्मापुरी
8. मेरठ–शास्त्री नगर

ये सभी एक्सचेंज 1993-94 की अवधि के दौरान चालू किए जा चुके हैं।

आन्ध्र प्रदेश में टी.वी ट्रांसमीटर

3780. श्री राम कृष्ण कोंताला : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश में उच्च शक्ति/निम्न शक्ति/निम्नतम शक्ति के कितने ट्रांसमीटर कार्यरत हैं और कितने नए ट्रांसमीटर मंजूर किए गये हैं और उनके कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है ;

(ख) क्या सरकार का ध्यान विशाखापट्टनम में शैडो जोनों की समस्या की ओर गया है ; और

(ग) यदि हां, तो शैडो जोन की समस्या से निपटने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) आंध्र प्रदेश राज्य में उच्च शक्ति के 5, अल्पशक्ति के 31 ट्रांसमीटर तथा २ ट्रांसपोंडर कार्यरत हैं। राज्य में उच्च शक्ति के 4, अल्पशक्ति के 26 तथा अति अल्प शक्ति के 5 ट्रांसमीटर कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं/स्थापना हेतु परिकल्पित हैं।

(ख) और (ग) जी, हां। विशाखापत्तनम स्थिति अल्प शक्ति का एक ट्रांसपोजर शैडो क्षेत्रों की सेवा उपलब्ध कराता है। अब तक कवर न किए गए शैडो क्षेत्रों के टी.वी. कवरेज में सुधार की दृष्टि से, वर्तमान ट्रांपोजर को अल्प शक्ति (उनवार) के टी.वी. ट्रांसमीटर द्वारा प्रतिस्थापित करने तथा वर्तमान ट्रांसपोजर को किसी अन्य उपयुक्त स्थल में स्थानांतरित करने का निर्णय किया गया है।

बिहार में हजारी बाग में दूरदर्शन केन्द्र की स्थापना

3781. श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बिहार के हजारी बाग जिला मुख्यालय में दूरदर्शन केन्द्र की स्थापना करने का है ;

(ख) क्या इससे संबंधित सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं और आवश्यक उपकरण भी उपलब्ध करा दिये गये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उक्त केन्द्र को शुरू करने में विलम्ब के क्या कारण हैं और उक्त केन्द्र को कब तक चालू कर दिया जाएगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) तथा (ख) जी, हां। हजारीबाग में एक अल्प शक्ति टी.वी. ट्रांसमीटर स्थापित किया गया है।

(ग) इस ट्रांसमीटर का नियमित रूप से ट्रांसमिशन संबंधी परीक्षण किया जाता रहा है तथा इसको शीघ्र ही सेवा के लिए चालू किए जाने की आशा है।

खनिज बहुल क्षेत्रों में खनन उद्योग

3782. श्री छेदी पासवान : क्या **खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राज्यों में प्रचुर मात्रा में खनिजों की उपलब्धता वाले क्षेत्रों के बिल्कुल निकट खनन उद्योगों की स्थापना करने का है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) विगत में ऐसे औद्योगिक एकक कौन-कौन से राज्यों में स्थापित किये गये हैं ?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) तथा (ख) इस उद्देश्य के लिए खान मंत्रालय द्वारा सरकारी क्षेत्र में नई औद्योगिक इकाईयां स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) खान मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में नान-फैरस धातुओं के उत्पादन सें जुड़े सरकारी क्षेत्र के पांच उपक्रम हैं। सरकारी क्षेत्र के इन उपक्रमों का मुख्यालयों सहित विस्तृत विवरण तथा वे राज्य, जहां पर इनकी महत्वपूर्ण औद्योगिक/प्रचालन इकाइयां स्थितत हैं, इस प्रकार हैं :

क्रम सं.	नाम	मुख्यालय की स्थिति	जहां कार्य हो रहा है
1.	हिन्दुस्तान कापर लि.	कलकत्ता, पश्चिम बंगाल	राजस्थान, बिहार मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र
2.	हिन्दुस्तान जिंक लि.	उदयपुर, राजस्थान	राजस्थान, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा तथा बिहार

3.	भारत एल्यूमिनियम कंपनी लि.	नई दिल्ली	मध्य प्रदेश तथा प. बंगाल
4.	नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लि.	भुवनेश्वर, उड़ीसा	उड़ीसा
5.	भारत गोल्ड माइंस लि.	उरगाम, कर्नाटक	कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश

तेल्लिचेरी-मैसूर चित्रदुर्ग राष्ट्रीय राजमार्ग

3783. श्री के. मुरली धरण : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल सरकार द्वारा भेजे गए तेल्लिचेरी–मैसूर चित्रदुर्ग राष्ट्रीय राजमार्ग प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है ; और

(ख) जिला कन्नूर, केरल (161,167 कि.मी. लम्बे राष्ट्रीय राजमार्ग-17) के छोव्वा–नादल विपथन के प्रस्ताव की स्थिति क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए आठवीं योजना में बहुत कम निधियां आबंटित होने के कारण फिलहाल प्रश्नगत सड़क को एक नए राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में घोषित करना कठिन है।

(ख) राज्य सरकार से संशोधित प्रस्ताव की प्रतीक्षा की जा रही है।

राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए एशिया विकास बैंक से सहायता

3784. श्री वी.एस. विजयराघवन : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एशिया विकास बैंक की प्रस्तावित सहायता से केरल में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास हेतु कोई परियोजना स्वीकृति के लिए केन्द्रीय सरकार के पास लंबित है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उक्त प्रस्ताव को स्वीकृति देने में विलंब करने के क्या कारण हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

संसाधन जुटाना

3785. श्री के. प्रधानी : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय के पास चालू की जाने वाली अपनी परियोजनाओ के लिए

संसाधन जुटाने संबंधी कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो इन संसाधनों को किस प्रकार जुटाने का विचार है ;

(ग) इस संबंध में आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ; और

(घ) इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) और (ख) जी हां। यह विभाग वर्ष–दर–वर्ष दूरसंचार बाण्ड जारी करता रहा है जो प्रत्येक वर्ष की आवश्यकता पर निर्भर रहता है। इसके अलावा व्यवहार्य सीमा तक योजना परिव्यय से बाहर उपस्करों को पट्टे पर लिया जाता है। वि.सं.नि.लि० के यूरो–इशू से भी संसाधन जुटाने में मदद मिलेगी।

(ग) दूरसंचार बाण्ड जारी करने के लिए आठवीं योजना में 7026 करोड़ रुपये की राशि आबंटित की गई है।

(घ) बाण्ड जारी करने के लिए अपेक्षित सामान्य प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है तथा तदनुसार कदम उठाये जा रहे हैं। आठवीं योजना के पहले दो वर्षों के दौरान बाण्ड जारी करके 2736 करोड़ रुपये एकत्र किये गए थे।

[अनुवाद]

चालकुड़ी-शेरथालई सड़क को चार लेनों का बनाना

3786. प्रो० के.वी. थामस : क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालकुड़ी–शेरथालई चार लेनों वाली सड़क पर होने वाला कुल अनुमानित व्यय कितना है ;

(ख) इस परियोजना के लिए अभी तक कितनी केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराई गयी है ; और

(ग) यह सड़क कब तक बनकर तैयार हो जायेगी ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर):(क) 3 करोड़ रु. की अनुमानित लागत से चलाकुड़ी से अलवाई खंड को चार लेन का बनाने के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु 1994-95 की वार्षिक योजना में प्रावधान किया गया है। अलवाई से वायटिला एवं अरूर से शेरथलै तक चार लेन बनाने तथा वायटिला से अरूर तक सड़क को सुदृढ़ करने की स्वीकृत लागत 60.59 करोड़ रु. है।

(ख) चूंकि यह खंड राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली का एक भाग है इसलिए इसके पूरे व्यय की जिम्मेदारी केन्द्र सरकार की है।

(ग) अलवाई से शेरथलै खंड का सुधार कार्य सितम्बर, 1997 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

सोशल औडिट पैनल

3787. प्रो० उम्मारेड्डि वेंकटेश्वरलु : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरसंचार सेवाओं के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के लिए "सोशल आडिट" पैनल का गठन किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस संबंध में अब तक हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी हां।

(ख) विभिन्न पहलुओं के ब्यौरे निम्नलिखित हैं।

(i) ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों के समान दूरसंचार सेवाओं की अभिगम्यता।

(ii) टेलीफोन अदालतों सहित शिकायत निवारण तंत्र के कार्य कलापों में तेजी लाना

(iii) दूरसंचार नेटवर्क की संवृद्धि के परिणामतः सामाजिक–आर्थिक प्रभाव से संबंधित मुद्दे।

(ग) सामाजिक परीक्षण पैनल ने दूरसंचार सेवाओं के विभिन्न पहलुओं के संबंध में करीब 100 सिफारिशें करते हुए तीन रिपोर्ट जारी की हैं।

3788. श्री पीटर जी मरबनिआंग : क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मेघालय सरकार को गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण तथा मरम्मत कार्यों के लिए प्रतिवर्ष कितनी–कितनी धनराशि प्रदान की गई और राज्य सरकार द्वारा उक्त अवधि के दौरान प्रति वर्ष इस कार्य के लिए कितनी धनराशि की मांग की गई ;

(ख) क्या सरकार द्वारा मेघालय सरकार को दी गयी धनराशि राष्ट्रीय राजमार्गों को यातायात योग्य बनाए रखने के लिए पर्याप्त है ; और

(ग) यदि नहीं, तो केन्द्र सरकार द्वारा वर्तमान राष्ट्रीय राजमार्गों के रखरखाव के लिए राज्य सरकार को अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान मूल कार्यों और रख रखाव तथा मरम्मत हेतु राज्य को प्रदान की गयी तथा राज्य द्वारा मांगी गयी राशि नीचे दर्शायी गयी है ;

(लाख रु.)

वर्ष	विकास		रख रखाव और मरम्मत	
	आबंटन	मांग	आबंटन	मांग
1991-92	450.00	545.00	205.19	197.43

1992-93	387.00	833.00	170.27	208.37
1993-94	470.00	831.00	231.13	204.34

(ख) जी हां।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

कर्नाटक और मध्य प्रदेश में टेलीफोन एक्सचेंज

3789. श्री ए. वेंकटेश नायक :

श्री फूलचन्द वर्मा :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1992-93 के दौरान कर्नाटक और मध्य प्रदेश में टेलीफोन एक्सचेंजों की स्थापना के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उपरोक्त अवधि में जिला–वार स्थापित किए गए टेलीफोन एक्सचेंजों का ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) टेलीफोन एक्सचेंजों की संख्या निर्धारित करने के लिए अलग से लक्ष्य निर्धारित नहीं किया जाता।

(ख) और (ग) तथापि, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में 1992-93 में स्थापित किए गए टेलीफोन एक्सचेंजों के जिले–वार ब्यौरे संलग्न विवरण-I और II में दिए गए हैं।

विवरण -I

कर्नाटक सर्किल

कर्नाटक सर्किल वर्ष 1992-93 के दौरान कर्नाटक में खोले गए नए एक्सचेंज

क्र. सं.	जिले का नाम	खोले गए एक्सचेंजों की सं.	खोले गए एक्सचेंजों के नाम	क्षमता	
1.	चिकमगलूर	(क)	आगरादपुर	एम.आई.एल.टी	56
		(ख)	होरनाडु	एम.आई.एल.टी	56
		(ग)	मुगलवाली	एम.आई.एल.टी	56
		(घ)	अनाचरी	एम.आई.एल.टी	56

2.	रायपुर	(क)	बागेवाडी	एम.आई.एल.टी	56
		(ख)	बेलाटागी	एम.आई.एल.टी	56
		(ग)	चेल्लूर	एम.आई.एल.टी	56
		(घ)	धोतीहाल	एम.आई.एल.टी	56
		(ङ)	होरकोडीकाल	एम.आई.एल.टी	56
		(च)	मतराल	एम.आई.एल.टी	56
		(छ)	मेलात	एम.आई.एल.टी	56
		(ज)	कोटारी	एम.आई.एल.टी	56
		(झ)	बोरई	एम.आई.एल.टी	56
		(ट)	श्रीपुरम जंक्शन	एम.आई.एल.टी	56
3.	तुमकुर	(क)	माल्लेकावा	एम.आई.एल.टी	56
		(ख)	बिडोरे	एम.आई.एल.टी	56
		(ग)	गुलार	एम.आई.एल.टी	56
4.	मैसूर	(क)	मादापुर	एम.आई.एल.टी	56
		(ख)	बचनगोवहराली	एम.आई.एल.टी	56
		(ग)	वडीगला	एम.आई.एल.टी	56
		(घ)	कोठालावाडी	एम.आई.एल.टी	56
		(ङ)	बिसौलावाडी	एम.आई.एल.टी	56
		(च)	कासुविनहाली	एम.आई.एल.टी	56
		(छ)	याचेमुनला	एम.आई.एल.टी	56
		(ज)	रावनाकिरा	एम.आई.एल.टी	56
		(झ)	अज्जीपुरा	एम.आई.एल.टी	56
		(ट)	पलिया	एम.आई.एल.टी	56
		(ठ)	कोभालपुर	एम.आई.एल.टी	56
		(ड)	थटलेकेरें	एम.आई.एल.टी	56
5.	बीजापुर	(क)	कालावांरगी	एम.एक्स–III	35
		(ख)	गोठी	एम.आई.एल.टी	56
		(ग)	नावलगी	एम.ए.एक्स III	35

		(घ)	के. सोलावगी	एम.ए.एक्स III	45
		(ङ)	टीटागुंडी	एम.ए.एक्स III	25
		(च)	मसाली बी.के.	एम.ए.एक्स III	45
		(छ)	मैगुर	एम.आई.एल.टी	56
		(ज)	तुंगाल	एम.आई.एल.टी	56
		(झ)	हानगारगी	एम.ए.एक्स III	45
		(ट)	तुलसीगेरी	एम.आई.एल.टी	56
		(ठ)	बालागुनकी	एम.ए.एक्स. III	25
		(ड)	शिवांगी	एम.ए.एक्स III	45
		(ढ)	गितेबागर	एम.आई.एल.टी	56
		(ण)	निदौनी	एम.आई.एल.टी	56
		(त)	सोन्ना	एम.आई.एल.टी	56
		(थ)	याकुमुंडी	एम.आई.एल.टी	56
		(द)	खाकंडी	एम.आई.एल.टी	56
		(ध)	इंगलागी	एम.ए.एक्स III	35
		(न)	कोन्नुर	सी–डॉट	88
		(प)	बड़दोर	एम.आई.एल.टी	56
6.	शिमोगा	(क)	गुडरी	एम.आई.एल.टी	56
		(ख)	सुरेन्दाकोप्पा	एम.आई.एल.टी	56
		(ग)	होरेकोगलूर	एम.आई.एल.टी	56
7.	गुलबगा	(क)	मांडेवाल	एम.ए.एक्स III	25
		(ख)	देवापुर	एम.आई.एल.टी	56
		(ग)	चौदीपुर	एम.आई.एल.टी	56
		(घ)	कंचूर	एम.आई.एल.टी	56
		(ङ)	ताज सुलतानपुर	एम.आई.एल.टी	56

		(च)	गनवारे	एम.आई.एल.टी	56
		(छ)	रामसमुन्दरा	एम.आई.एल.टी	56
		(ज)	कोडली	एम.आई.एल.टी	56
		(झ)	हरवाल	एम.आई.एल.टी	56
		(ट)	रोडरवाडी	88 सी–डॉट	
		(ठ)	कोनकल	88 सी–डॉट	
		(ड)	निम्वाल	एम.आई.एल.टी	56
		(ढ)	चंदनखेरे	एम.आई.एल.टी	56
		(ण)	वागनूर	एम.आई.एल.टी	56
		(त)	रनजोला	एम.आई.एल.टी	56
8.	बेल्लारी	(क)	बी.जी.हल्ली	एम.आई.एल.टी	56
		(ख)	सोगी	एम.आई.एल.टी	56
		(ग)	तालुर	एम.आई.एल.टी	56
		(घ)	वडाही	एम.आई.एल.टी	56
		(ङ)	तुलाहल्ली	एम.आई.एल.टी	56
		(च)	पी.एन. हल्ली	एम.आई.एल.टी	56
		(छ)	चेल्ला गुर्की	एम.आई.एल.टी	56
		(ज)	के. अय्याहल्ली	एम.आई.एल.टी	56
		(झ)	कोमठहल्ली	एम.आई.एल.टी.	56
9.	कारवार	(क)	गोली	एम.आई.एल.टी	56
10.	बेलगांम	(क)	नंदग्राम	एम.ए.एक्स III	45
11.	दक्षिण कनौड	(क)	पंडरवार	आर.एल.यू	1000
		(ख)	हमपनकाटा	सी–डॉट	1400
		(ग)	मनीपाल	सी–डॉट	1400
		(घ)	आद्रयोड्या	सी–डॉट	88

		(ङ)	हल्लीनीले	एम.आई.एल.टी	56
		(च)	संबूर	एम.आई.एल.टी	56
12.	कोलार	(क)	एस. गोल्लाहल्ली	सी–डॉट	88
13.	बिदार	(क)	खररा	एम.आई.एल.टी	56
14.	बेंगलूर	(क)	शकरपुरम	आर.एल.यू	800
15.	बुबली	(क)	अदूर	एम.आई.एल.टी	56
		(ख)	अरेकुशगहतरी	एम.आई.एल.टी	56
		(ग)	हवानूर	एम.आई.एल.टी	56
		(घ)	कुरलागिरी	एम.आई.एल.टी	56
		(ङ)	मुशीगिरे	एम.आई.एल.टी	56

दावनगिरी का एक एक्सचेंज बंद

विवरण -II

1992-93 के दौरान जिलेवार खोले गए नए टेलीफोन एक्सचेंजों के ब्यौरे

1.	बालाघाट	-	8
2.	बस्तर	-	15
3.	बेतूल	-	9
4.	भिंड	-	6
5.	भोपाल	-	3
6.	बिलासपुर	-	21
7.	छत्तरपुर	-	3
8.	छिंदवाड़ा	-	9
9.	दामोह	-	-
10.	दतिया	-	4
11.	देवास	-	11
12.	धार	-	14

13.	दुर्ग	-	7
14.	गुना	-	12
15.	गवालियर	-	7
16.	होशंगाबाद	-	30
17.	इन्दौर	-	11
18.	जबलपुर	-	12
19.	झाबुआ	-	7
20.	खंडवा	-	17
21.	खरगौन	-	19
22.	मांडला	-	5
23.	मंदसोर	-	14
24.	मुरैना	-	10
25.	नरसिंहपुर	-	4
26.	पन्ना	-	3
27.	रायगढ़	-	12
28.	राजपुरं	-	11
29.	रायसेन	-	9
30.	राजगढ़	-	6
31.	राजनांदगांव	-	6
32.	रतलाम	-	8
33.	रीवा	-	6
34.	सागर	-	5
35.	सरगूजा	-	5
36.	सतना	-	4
37.	सिहोर	-	8

38.	सिवनी	-	4
39.	शहडोल	-	4
40.	शाजापुर	-	13
41.	शिवपुरी	-	6
42.	सीधी	-	5
43.	टीकमगढ़	-	3
44.	उज्जैन	-	8
45.	विदिशा	-	11

संसाधित खाद्य पदार्थों की बढ़ती मांग

3790. श्री अंकुशराव रावसाहेब टोपे : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खाद्य पदार्थों को संसाधित करने के संबंध में सरकार की वर्तमान नीति क्या है ;

(ख) क्या संसाधित खाद्य पदार्थों की मांग बढ़ रही है ;

(ग) यदि हां, तो सरकार बढ़ती हुई मांग से किस तरह निपटेगी ; और

(घ) शहरी कामकाजी वर्ग के लोगों की संसाधित खाद्य पदार्थों को वहन करने योग्य दर पर उपलब्ध कराने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विकास को उच्च प्राथमिकता दी है। अलकोहल युक्त पेयों के किण्वन और आसवन और लघु उद्योग क्षेत्र के लिए आरक्षित मदों को छोड़कर अधिकांश खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को लाइसेंस मुक्त कर दिया गया है। सरकार उत्पादन आधार का विस्तार करने के लिए घरेलू और विदेशी दोनों तरह के निवेशों को भी बढ़ावा दे रही हैं जिसमें कृषि उत्पादों के बेहतर उपयोग, आधुनिकीकरण, मूल्यवर्धन के लिए विस्तार तथा प्रौद्योगिकी उन्नयन को बढ़ावा मिल रहा है और उत्पाद की गुणवत्ता सुधर रही है तथा निर्यात सहित बाजार का विस्तार हो रहा है।

(ख) जी हां।

(ग) और (घ) सरकार न केवल घरेलू मांग को पूरा करने के लिए बल्कि निर्यात के लिए माल तैयार करने के वास्ते भी विभिन्न कृषि खाद्य उद्योगों की स्थापना, उन्नयन और विस्तार को बढ़ावा दे रही है। इसके अलावा उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए इस क्षेत्र में घरेलू तथा विदेशी निवेश को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। विदेशी प्रौद्योगिकी करारों को अनुमति दी जाती है। लाइसेंस की आवश्यकता समाप्त करके स्तरीय अर्थव्यवस्था प्राप्त करने के लिए विस्तार/क्षमता निर्माण की आजादी देने के अलावा सरकार ने प्रसंस्कृत खाद्य निर्माण के लिए पूंजीगत माल पर सीमाशुल्क और उत्पाद शुल्क

का भार कम करने के लिए भी कदम उठाये हैं ताकि अंतिम रूप से तैयार उत्पादों पर शुल्क का भारत कम हो सके। सरकार ने अन्य बातों के साथ–साथ विभिन्न प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों पर उत्पाद शुल्क कम कर दिया है/हटा लिया है और कुछ पैकेजिंग सामग्रियों आदि पर शुल्क कम कर दिया है। सरकार उपभोक्ताओं के लाभ के लिए प्रतियोगिता को बढ़ावा दे रही है।

राजस्थान में समेकित ग्रेनाइट खनन परियोजनाएं

3791. श्रीमती वसुन्धरा राजे : क्या **खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राजस्थान में समेकित ग्रेनाइट खनन परियोजनाएं स्थापित करने का है ;

(ख) यदि हां, तो मूल रूप से कितनी परियोजनाओं की योजना तैयार की गयी है ;

(ग) राजस्थान में अब तक कितनी ग्रेनाइट परियोजनाएं शुरू की गयी हैं ; और

(घ) इन परियोजनाओं में निवेश की गयी धनराशि सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) से (घ) केन्द्र सरकार ने राजस्थान में कोई भी समेकित ग्रेनाइट खनन परियोजना स्थापित नहीं की है और इस प्रकार की कोई परियोजना स्थापित करने का प्रस्ताव भी नहीं है।

कम शक्ति वाले टी.वी. ट्रांसमीटर

3792. श्री सूरजभानु सोलंकी : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में कहां–कहां कम शक्ति वाले टी.वी. ट्रांसमीटरों की स्थापना करने का विचार था ;

(ख) अब तक उनमें कितने टी.वी. ट्रांसमीटर स्थापित किए जा चुके हैं ;

(ग) क्या कुछ स्थानों पर टी.वी. ट्रांसमीटरों को स्थापित करने और उनके परीक्षण के बावजूद भी अब तक कार्य करना प्रारंभ नहीं किया है ; और

(घ) यदि हां, तो वे कब तक कार्य करना प्रारंभ कर देंगे ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) अपेक्षित ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) अब तक विभिन्न शक्तियों के 39 ट्रांसमीटरों को चालू/स्थापित किया जा चुका है।

(ग) और (घ) दूरदर्शन का यह सतत प्रयास रहता है कि तकनीकी रूप से तैयार टेलीविजन ट्रांसमीटरों को यथाशीघ्र चालू किया जाए।

विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	1991-92	1992-93	1993-94
		अ.शक्ति ट्रां.	अ.शक्ति ट्रां.	अ.शक्ति. ट्रां.
1.	आंध्र प्रदेश	अलगड्डा	निर्मल	वानापर्थी
		कावली	मेड़क	कोंरंगल
		तंदूर	कादिरी	कोसिगी
		मदनापल्ली		बेलमपल्ली
		आत्मकुर		मर्कापुर
		गढ़वाल		कामारेड्डी
		गिडदालूर		मंडासा
		सिद्दीपेट		इम्मीगंरू
		येल्लान्दु		तमला पल्ली
				एल.आर. पल्ली
				विजाग
				मधीरा
				मासरा़
				पेडरू
				पेडानंदीपेडू
				नगर कुरनूल
				चिन्तापल्ली
2.	अरूंणाचल पदेश	–	–	मियाओ
3.	असम	–	हाफलोंग	सोनारी
				लुमडिंग
				होजाई
				तिंसुकिया
4.	बिहार	नवादा	सुपौल	सरायकेला
		रेक्सोल		नौमुंडी

				कोडरमा
				फूलपारस
5.	दादर और नगर हवेली–		–	सिलवासा
6.	गुजरात	धंरगधरा	मंगरौल	अमोद
		महुआ	(जूनागढ़)	मंगरौल (सूरत)
		नखतरना	ईदर	झगडिया
		रापड़		दीसा
				पालीताना
				राजूला
				संजेली
				खम्बालिया
7.	हरियाणा	–	–	मेहम
				रेवाड़ी
8.	हिमाचल प्रदेश	सुन्दर नगर	सुजानपुर	रामपुर
				डलहौजी
9.	जम्मू और कश्मीर	रिगासी	–	कथुवा
		थानामण्डी		कटरा
10.	कर्नाटक	बागलकोट	गोकक	कुमटा
		पावगाडा	जमखण्डी	भातकल
		रामदुर्ग	मुडीगेरे	हरपनाहल्ली
				बासवा कल्याण
				सागर
				हंगगोंड
				हाथीहल
				अरसिकेरे
11.	केरल	–	कान्हागढ़	चेन्गानूर
			थोडूपुजा	

12.	मध्य प्रदेश	दतिया	सिरौंज	अशोकनगर
		जावरा	गदरवाड़ा	खुरई
			अलीराजपुर	मेहर
				बीजाईपुर
				लहर
				भण्डेर
				केलारस
				शक्ति
13.	महाराष्ट्र	अकलूज	चिपलून	सिरपुर
		कंकौली	उमेरगा	मेहेकर
		वाशिम	संगमनेर	मोर्शी
				वनी
				देवरूख
				चिखली
				खामगांव/मसले
				रायगढ़ फोर्ट
14.	मिजोरम	–	–	सैहा
15.	मेघालय	विलियमनगर	–	–
16.	उड़ीसा	मल्कांनगिरि	पालाहारी	कामाख्यानगर
			नवरंगपुर	धेनकनाल
			पदमपुर	तलचेर
			देवगढ़	हिन्डौल
			पदमपुरम्	आत्मालिक
				भूबन
				सोनेपुर
				लुधेरपुंक
				नयागढ़

				राईरंगपुर
				नौपारा
				बौद्ध
				रेधाखोल
				भुवनेश्वर
				मोहाना
				कुचिन्दा
				बानापुर
				राजरंगपुर
				बालीगुरा
				तुसारा
				पारादीप
				बोनई
				नरसिंहपुर
				खंडपारा
				दशरथपुर
				थेवामुल–
				रनपुर
				तंगी
				कबिसूर्या नगर
17.	पांडिचेरी	कराईकल	–	–
18.	राजस्थान	भदरा	रावतसर	मकराना
		रतनगढ़	हिन्दौन	करौली
		बारीसदरी	बारन	फलोदी
		करनपुर		राजगढ़
		रायसिंहनगर		माऊंट आबू
		कोटपुतली		प्रतापगढ़
		नाथद्वार		नोहर

		बल्लभनगर		बासवा
		चिरवा		नोखा
				शानपुरा
19.	तमिलनाडु	मयूरम	पट्टूकोट्टाई	शंकरनकोविल
		आरकोट	अरनी	अत्तूर
		राजापलेयम	गुडियातम	उडागममंडलम
				पुड्डीकोट्टाई
				कृष्णागिरि
20.	त्रिपुरा	–	–	तेलियामुरा
				कैलाश शहर
21.	उत्तर प्रदेश	रासरा	अल्मोड़ा	रूदौली
		चम्पावत	न्यू टेहरी	कासगंज
		कोटद्वार	हल्द्वानी	कर्णप्रयाग
		मेहम्मदाबाद	महोबा	नानपारा
			मऊरानीपुर	ऐटा
			गंजडुंडवारा	लालगंज
			औरिया	ससिया
			नौगढ़	खेन्त पर्वत
				प्रतापनगर
				गज्जा
				राजगढ़ी
				फतेह पर्वत
22.	पश्चिम बंगाल	रानाघाट	फरक्का	कलना
		कोंताई		रीना/
		पूर्लिया		कामरहाटी

राजमार्ग परियोजना के लिए एशियाई विकास बैंक से ऋण

3793. श्री जी. माडे गौडा : क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में राजमार्ग परियोजना के लिए एशियाई विकास बैंक से ऋण स्वीकृत हो गया है ;

(ख) एशियाई विकास बैंक से कुल कितनी ऋणराशि प्राप्त होगी ;

(ग) उपरोक्त परियोजना के अंतर्गत राजमार्ग पर कितने किलोमीटर लम्बाई में कार्य किया जायेगा ; और

(घ) इस लम्बाई का कितना भाग कर्नाटक राज्य में पड़ता है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी हां।

(ख) 245 मिलियन अमरीकी डालर।

(ग) 331 कि.मी.

(घ) शून्य

बंगलौर में बाल फिल्म परिसर

3794. श्रीमती चन्द्रप्रभा अर्स : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक उच्च न्यायालय ने बंगलौर में बाल फिल्म परिसर के लिए दी गई भूमि के पट्टे को रद्द कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने बंगलौर में वैकल्पिक भूमि उपलब्ध कराने के लिए कोई कार्यवाही की है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

ग्रुप डायलिंग और एल.डी.पी.टी. सुविधाएं

3795. श्री सोमजीभाई डामोर : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास ग्रामीण तथा जनजातीय क्षेत्रों के लिए कम दूरी प्रभार योजना के अंतर्गत ग्रुप डायलिंग सुवधिाएं प्रदान करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) क्या प्रत्येक राज्य में प्रत्येक ग्राम पंचायत को लम्बी दूरी का सार्वजनिक टेलीफोन उपलब्ध कराने का भी कोई प्रस्ताव है ; और

(ग) यदि हां, तो वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान प्रथम चरण में कितनी ग्राम पंचायतों को ऐसी टेलीफोन सुविधाएं उपलब्ध करा दी जायेंगी ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) संसाधनों की उपलब्धता के अधीन, करीब 20,000

[हिन्दी]

निजी एजेंसियों द्वारा टी.वी. स्टेशन चलाना

3796. श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल :

श्री गोविन्द राव निकाम :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कुछ निजी एजेंसियों को निम्न शक्ति के ट्रांसमीटरों द्वारा टी.वी. स्टेशन चलाने की अनुमति दी है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) सरकार को इस अनुमति के लिए कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं ; और

(घ) सरकार का कौन-कौन सी निजी एजेंसियों को टी.वी. स्टेशन चलाने हेतु अनुमति देने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) और (ख) सरकार ने भुगतान आधार पर ट्रांसमीटर द्वारा कवर क्षेत्र के लिए उपयुक्त ग्रामीण विकास तथा शैक्षिणिक कार्यक्रम प्रदान करने हेतु स्थानीय प्रसारण को ट्रांसमीट करने के उद्देश्य से गुजरात के खेड़ा जिले के पिज में 1 कि.वा. टी.वी. ट्रांसमीटर का उपयोग करने हेतु राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड को अनुमति देने संबंधी प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की अनुमति देने संबंधी प्रस्ताव को अनुमादित कर दिया है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ट्रांसमीटर की मरम्मत, सुधार तथा परिचालन की लागत को वहन करेगा। इलैक्ट्रानिक विभाग तकनीकी सहायता प्रदान करेगा।

(ग) सरकार ने इस संबंध में कोई आवेदन आमंत्रित नहीं किया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

बढ़े हुए बिलों के सम्बन्ध में शिकायतें

3797. श्री हरि केवल प्रसाद : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टेलीफोन प्रयोक्ताओं से बढ़े हुए बिलों के सम्बन्ध में शिकायतें मिली हैं ;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कुछ टेलीफोन प्रयोक्ताओं की लाइनों को अन्य लोग बीच में जोड़कर बातें कर लेते हैं और जिससे टेलीफोन बिल गलत या अधिक आते हैं ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है ;

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) सूचना मंगवाई गई है और उसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

राष्ट्रीय परमिट जारी करना

3798. श्री बीर सिंह महतो : क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारी वाहनों के लिए राष्ट्रीय परमिट जारी करने हेतु क्या मानदंड रखे गए हैं ; और

(ख) 1993-94 के दौरान राज्य–वार ऐसे कितने परमिट जारी किये गये हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) भारी वाहनों के लिए राष्ट्रीय परमिट जारी करने के मानदंड मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 88 की उपधारा 12, 13 एवं 14 तथा केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989 के नियम 86 से 90 में निर्धारित किए गए हैं।

(ख) यह सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है। यह सूचना राज्य सरकारों से एकत्र की जाएगी तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास के लिए दूरसंचार सुविधा

3799. श्री महेन्द्र कुमार सिंह ठाकुर : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मध्य प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों के आर्थिक और औद्योगिक विकास के लिए दूरसंचार सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु कोई योजना बनाई है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) और (ख) पिछड़े क्षेत्रों के लिए कोई विशिष्ट स्कीम तैयार नहीं की गई है, तथापि, दूरसंचार विभाग की आठवीं पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण/जन जातीय क्षेत्रों में व्यावहारिक रूप से मांग होने पर टेलीफोन प्रदान करने की परिकल्पना की गई है।

[अनुवाद]

असम में सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्रों का कार्यकरण

3800. श्री प्रबीन डेका : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम में, विशेषरूप से गुवाहाटी में स्थापित किये गये सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र संतोषजनक ढ़ंग से कार्य कर रहे हैं ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) सरकार द्वारा इनके कार्यकरण में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत किए जा रहे निर्माण कार्य

3801. श्री विश्वनाथ शास्त्री : क्या जल–**भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत निर्माण कार्य किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने इन निर्माण कार्यों पर व्यय की जाने वाली राशि में से अपने हिस्से की राशि दे दी है ;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ङ) सरकार द्वारा उक्त धनराशि कब तक दे दी जाएगी ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) जी हां। निर्माण कार्यों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दर्शाए गए हैं।

(ग) से (ङ) केन्द्रीय सड़क निधि कार्यक्रम के अंतर्गत निर्माण कार्यों के लिए निधियां स्कीम–वार आबंटित नहीं की जाती, बल्कि अनुमोदित स्कीमों की लागत, जारी की गयी निधियों, राज्यों द्वारा अनुमानित आवश्यकताओं और बजट गत प्रावधान को ध्यान में रखकर राज्यवार आबंटित की जाती हैं।

विवरण

उत्तर प्रदेश में केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत अनुमोदित चालू कार्यों की सूची

क्रम सं.	कार्य का नाम और जाब संख्या	संस्वीकृत राशि (लाख रुपए)
	सड़क कार्य	
1.	जिला वाराणसी में बाबतपुर जमालपुर सड़क का निर्माण (ए.एल/यू.पी/5/V (पी.एल)	32.21
2.	जिला फार्रूखाबाद में फर्रूखाबाद बाईपास का निर्माण (ए.एल/यू.पी/5/IV/पी.एल)	14.62
3.	जिला आजमगढ़ में आजम गढ़ वाराणसी सड़क का सुधार। (ए.एल/IV यू.पी/पी.एल)	38.00
4.	जिला लखनऊ में बक्शी का तालाब तक सड़क का निर्माण। (ए.एल/13 यू.पी/IV पी.एल)	54.66
5.	जिला मिर्जापुर में कन्हार और सातवाहिनी नदी पर पुल के लिए पहुंचमार्गों का निर्माण (आर/यू.पी./61/VI/ पी.एल)	65.81
6.	जिला आजमगढ में जीनपुर–अमुवार वालिदपुर–मोहमदाबाद सड़क का निर्माण (ए.एल/यू.पी/13/VI पी.एल)	78.30
7.	जिला लखनऊ में मोहनलाल गंज–सोसाईगंज सड़क का सुधार और सुदृढ़ीकरण (ए.एल./यू.पी/6/88)	58.65
8.	सुलतानपुर और रायबरेली जिलों में अमेठी परियोजना क्षेत्र की लो.नि.वि. की मौजूदा महत्वपूर्ण सड़कों को चौड़ा करना मजबूत बनाना और उन पर चलने की गुणवत्ता में सुधार करना। (सी.आर.एफ/यू.पी./39/007)	1965.90
9.	जिला मऊ में अलीनगर इंदारा मझवारा मधुबन सड़क (शहीद मार्ग) को मजबूत करना–संशोधित प्राक्कलन (सी.आर.एफ/यू.पी./88/027)	334.00
	पुल निर्माण कार्य	
10.	जिला मिर्जापुर में दूधी–विधमगंज सड़क पर कन्हार नदी के पुल का निर्माण (आर/यू.पी/6/VI/ पी.एल.)	187.64

म्यामांर को चीनी सहायता

3802. श्री सत्य देव सिंह :

श्री दत्तात्रेय बंडारू :

श्रीमती दीपिका एच. टोपीवाला :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को चीन द्वारा म्यानांर को नौसैनिक अड्डा बनाने के लिए सहायता दिए जाने की जानकारी है जोकि अण्डमान निकोबार द्वीप समूह से मात्र 15 समुद्रीय मील दूर है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार इस मामले को चीन के साथ उठा रही है ; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में चीन की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश राज्य मंत्री (श्री आर.एल. भाटिया) : (क) और (ख) सरकार ने समय–समय पर समाचार पत्रों में छपी इस आशय की खबरें देखी हैं कि चीन हिन्द महासागर में नौसैनिक अड्डों की स्थापना करने में म्यामां की सहायता कर रहा है।

(ग) और (घ) सरकार ने म्यामां की सैन्य परियोजना को चीन की सहायता के मामले को जिसमें भारत के निकट नौसैनिक सुविधाएं भी शामिल हैं, चीन की सरकार के साथ उठाया है। चीन की सरकार ने कहा है कि ऐसी खबरें सुनी–सुनाई और निर्मूल हैं। सरकार ऐसी सभी घटनाओं पर बराबर निगाह रखती है जिनका देश की सुरक्षा पर असर पड़ता हो और राष्ट्रीय हित की रक्षा के लिए समुचित उपाय करती है।

[अनुवाद]

बोकारो इस्पात संयंत्र द्वारा इस्पात उत्पादों का निर्यात

3803. श्री हरिलाल ननजी पटेल : क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बोकारो इस्पात संयंत्र द्वारा 1992, 1993 तथा 1994 में "हॉट रॉल्ड" तथा "कोल्ड रॉल्ड" इस्पात उत्पादों का कुल कितनी मात्रा में निर्यात किया गया ;

(ख) उससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गयी ; और

(ग) उन देशों के नाम क्या हैं जिन्हें इन उत्पादों का निर्यात किया गया ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) से (ग) वर्ष 1992, 1993 और 1994 (मार्च तक) बोकारो इस्पात संयंत्र द्वारा वार्षिक रूप से निर्यातित तप्त बेल्लित/शीत बेल्लित इस्पात उत्पादों तथा उनके मूल्य का देशवार ब्यौरा नीचे दिया गया है :

वर्ष	देश	मात्रा हज़ार टन	मूल्य करोड़ रुपए (एफ.ओ.बी.)
1992	श्री लंका, मलेशिया, बंग्लादेश	15.6	19.1
1993	चीन, मलेशिया, श्री लंका, नेपाल, अमरीका, ताईवान, बंग्लादेश	37.6	36.5
1994 (मार्च तक) (अनन्तिम)	मलेशिया, अमरीका, नेपाल, जापान, श्री लंका	17.8	18.0

[हिन्दी]

चीन-पाक रक्षा समझौता

3804. श्री नीतीश कुमार :

श्री गुमान मल लोढा :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 23 मार्च, 1994 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "पाक–चाइना साइन डिफेंस पैक्ट" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर गया है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रकाशित समाचार के सम्बन्ध में तथ्य क्या हैं ;

(ग) क्या पाकिस्तान गत कई वर्षों से भारत में हिंसक और विध्वंसक गतिविधियों को बढ़ावा दे रहा है ;

(घ) क्या सरकार ने चीन के साथ इस मामले पर विचार–विमर्श किया था ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और चीन की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.एल. भाटिया) : (क) और (ख) जी, हां। करार का ब्यौरा उपलब्ध नहीं है क्योंकि चीन और पाकिस्तान अपने–अपने सैन्य करारों के ब्यौरे को गुप्त रखते हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ) चीन के साथ अपनी चर्चाओं के दौरान सरकार लगातार इस बात पर जोर देती रही कि पाकिस्तान को उसकी रक्षा संबंधी उचित जरूरतों से अधिक अत्याधुनिक अस्त्र–शस्त्र प्रौद्योगकी की आपूर्ति से भारत की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न होता है और यह भारतीय उपमहाद्वीप में शान्ति और अमन बनाए रखने के अनुरूप नहीं है। चीन ने कहा है कि रक्षा उद्देश्यों के लिए केवल सीमित मात्रा में हथियारों की आपूर्ति करना उसकी सामान्य नीति है और उसने यह भी कहा

है कि इन आपूतियों से क्षेत्रीय संतुलन पर बुरा असर नहीं पड़ता है तथा इन आपूर्तियों के साथ कोई भी शर्त नहीं लगाई जाती।

[अनुवाद]

विदेश राज्य मंत्री के बारे में पाकिस्तान का बयान

3805. श्री सज्जन कुमार : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में पाकिस्तान ने कोई बयान दिया है जिसमें केन्द्रीय विदेश राज्य मंत्री के विरूद्ध प्रतिकूल टिप्पणियां की गई थीं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस मामले में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.एल. भाटिया) : (क) और (ख) जी, हां। 9 फरवरी, 1994 को पाकिस्तान के विदेश कार्यालय ने विदेश राज्य मंत्री श्री सलमान खुर्शीद के खिलाफ एक अपमानजनक तथा व्यक्तिगत वक्तव्य जारी किया था।

सरकार ने पाकिस्तान सरकार को इस बात से अवगत करा दिया है कि इस वक्तव्य की भाषा तथा विषय–वस्तु कतई स्वीकार्य नहीं है और यह भी कहा है कि पाकिस्तान की सरकार द्वारा जारी भड़काने वाले ऐसे वक्तव्यों से द्विपक्षीय सम्बन्ध दूषित होते हैं।

दुग्ध पाउडर

3806. श्री सी.पी. मुदाल गिरियप्पा : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1991-92, 1992-93 और 1993-94 के दौरान दुग्ध पाउडर का कुल कितना उत्पादन हुआ ;

(ख) क्या गत वर्षों में दुग्ध पाउडर के उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि नहीं हुई है ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) दुग्ध पाउडर का उत्पादन बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) से (ग) अनुमान है कि 1991, 1992 और 1993 के दौरान देश में संगठित क्षेत्र में दूध का उत्पादन क्रमशः 90,000 टन, 1,10,000 टन और 1,40,000 टन हुआ।

(घ) सरकार ने दूध से बनने वाली वस्तुएं तैयार करने पर से लाइसेंस हटा लिया है और देश में दूध के पाउडर की कमी के बारे में कोई सूचना नहीं मिला है।

आइसक्रीम का उत्पादन

3807. श्री संदीपान भगवान थोरात : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने भारत में आइसक्रीम के उत्पादन में रूचि दिखाई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) आइसक्रीम उद्योग द्वारा निर्धारित शुद्धता को मानदंड बनाए रखने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) और (ख) : भारत में आइसक्रीम के उत्पादन के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनियों से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) सरकार ने खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के अंतर्गत आइसक्रीम के मानक निर्धारित किए हैं। ये मदें अनिवार्य हैं।

शीतल पेय क्षेत्र में विदेशी निवेश

3808. श्री सैयद शहाबुद्दीन : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1993 की स्थिति के अनुसार देश में शीतल पेय क्षेत्र में कुल कितना विदेशी निवेश था ;

(ख) विदेशी कंपनियों के पास बाजार का अनुमानतः कितना हिस्सा है ;

(ग) क्या उदारीकृत नीति के अन्तर्गत, जिसमें इस क्षेत्र में शत-प्रतिशत विदेशी इक्विटी की भागीदारी करने का विचार किया गया है, उनके हिस्से में वृद्धि होने की संभावना है ; और

(घ) यदि हां, तो यह वृद्धि कितनी होगी ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) अनुमान है कि विदेशी कंपनियों के पास शीतल पेय बाजार का लगभग 85% हिस्सा है।

(ग) और (घ) बाजार में किसी कंपनी का हिस्सा कंपनी बाजार-शक्तियों द्वारा निर्धारित किया जाता है। इसलिए भविष्य में कंपनी के हिस्से के बारे में कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता।

निजी उद्यमियों द्वारा छोटी और मझोली विद्युत परियोजनाओं की स्थापना

3809. श्री सी.पी. मुदाल गिरियप्पा : क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ निजी उद्यमियों ने देश में छोटी और मझोली विद्युत परियोजनाओं की स्थापना में रूचि दिखाई है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) जी, हां।

(ख) विद्युत क्षेत्र में निजी निवेश को अधिकाधिक प्रोत्साहन देने से संबंधित नीति का सरकार क्रियान्वयन कर रही है।

सड़कों और पुलों का विकास

3810. श्री जी.एम.सी. बालयोगी : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने आंध्र प्रदेश में सड़कों और पुलों के विकास हेतु किसी योजना को स्वीकृति दी है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) विश्व बैंक से सहायता प्राप्त वर्तमान योजनाओं को कब तक पूरा कर दिया जायेगा ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जब तक स्कीमों को स्वीकृति नहीं मिल जाती तथा निर्माण कार्य सौंप नहीं दिया जाता, तब तक कार्य पूरा होने का संभावित समय अभी से नहीं बताया जा सकता।

अखबारी कागज का आयात

3811. मोहम्मद अली अशरफ फातमी :

श्री श्रीकान्त जेना :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि 1992-93 और 1993-94 के पूर्वार्द्ध के दौरान अनेक अखबारों ने अखबारी कागज के आयात हेतु 2:1 के अनुपात का उल्लंघन किया है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे समाचार पत्रों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है ;

(घ) क्या सरकार का विचार अखबारी कागज नियंत्रण आदेश 1962 की अनुसूची -I में कुछ समाचार पत्र/अखबारी कागज मिलों में और वृद्धि को देखते हुए उक्त अनुपात में कोई परिवर्तन

करने का है ;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(च) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) और (ख) 1992-93 के दौरान, समाचार पत्रों द्वारा भारतीय समाचार पत्रों के पंजीयक को प्रस्तुत विवरणियों के अनुसार कुल मिलाकर 13 समाचार पत्रों ने अखबारी कागज के आयात के मामले में 2:1 के अनुपात को नहीं बनाए रखा। 1993-94 के पूर्वार्द्ध के दौरान, 25.3.94 तक प्रस्तुत विवरणियों के अनुसार 48 समाचारपत्र इस अनुपात को बनाए रखने में असफल रहे।

(ग) 1992-93 के दौरान 2:1 का अनुपात बनाए रखने में असफल 13 समाचार पत्र को कोई हकदारी प्रमाणपत्र जारी नहीं किया गया। 1993-94 के दौरान 2:1 का अनुपात बनाए रखने में असफल समाचार पत्रों के विरूद्ध भी इसी प्रकार की कार्यवाही परिकल्पित है।

(घ) से (च) वाणिज्य मंत्रालय द्वारा वित्त वर्ष 1994-95 के लिए अखबारी कागज के आयात संबंधी नीति पहले ही 30.3.94 को अधिसूचित कर दी गई है। 1993-94 के दौरान अखबारी कागज के आयात संबंधी शर्तों/प्रक्रियाओं को अगले आदेशों तक वर्ष 1994-95 के लिए भी लागू किया गया है।

आयातित अखबारी कागज की बिक्री

3812. मोहम्मद अली अशरफ फातमी :

श्री श्रीकान्त जेना :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि छोटे और मझौले समाचार पत्र अखबारी कागज की आयात नीति का उल्लंघन करके खुले बाजार में शुल्क मुक्त आयातित अखबारी कागज की खरीद और बिक्री करते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

11.25 म.पू.

तत्पश्चात् लोकसभा मंगलवार, 19 अप्रैल 1994/29 चैत्र, 1916 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

लोक सभा

वाद-विवाद

(दशम माला)

खंड 29

(8 मार्च से 18 अप्रैल, 1994/ फाल्गुन 17 से, चैत्र 28, 1915-16 (शक)

नवां सत्र, 1994 / 1915-16 (शक)

(खंड 19 में अंक 1 से 20 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

पी० एल० एस०—48/29/20/94 (एम०)

250

33

© 1994 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों (सातवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अन्तर्गत प्रकाशित और प्रबन्धक, सनलाईट प्रिंटर्स, 2265 डा० सेन मार्ग, दिल्ली-11006 द्वारा मुद्रित ।